1

:राजस्थान विधान-सभा की कार्यवाही का वृतान्त

ग्रंक 4) विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 29 वां दिवस (संख्या 21

शनिवार

दिनांक 20 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अलग है । इस प्रश्न से एक बहुत बड़ा प्रश्न जुड़ा हुआ है । इसलिए पहले इस प्रश्न पर चर्चा हो जाये । मैं चाहूंगा कि प्रश्नकाल की कार्यवाही न करके राजकीय कर्मचारियों की जो ग्राम हड़ताल है ग्रौर सरकार भागना चाहती है, उस पर पहले विचार किया जाय । पहले इस प्रश्न पर चर्चा की जाय ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, यह प्रश्नकाल है । जो प्रश्न आप पूछते हैं उनके उत्तर इसमें दिये जाते हैं । यदि कोई ग्रति ग्रावश्यक मामला हो तो उसके लिये शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया जा सकता है । शोर्ट नोटिस क्वेश्चन के हवाले से ग्राप क्वेश्चन दे सकते हैं ग्रौर उसे तत्काल ही लिया जा सकता है । प्रश्नकाल में वही प्रश्न लिये जाते हैं जो प्रश्न सूची में मुद्रित हो गये हैं ग्रौर जो ग्रापको प्रेषित कर दिये हैं । यह मैं निवेदन कर दूं कि जीरो ग्रवर में आप कोई बात उठावें ।

श्री मेघराज तावड़ : वह तो है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह बड़ा अहम् प्रश्न है । सरकार भागना चाहती है....

(व्यवधान)

सरकार विधान सभा को भंग करके भागना चाहती है । कर्मचारियों की समस्या को हल करने के बजाय यह कह कर सरकार भागना चाहती है कि यह राजनीतिक लोगों का षड़यन्त्र है, राजनीतिक कारणों से हड़ताल हो रही है । अध्यक्ष महोदय, यह हड़ताल राजनीतिक कारणों से नहीं है । यह बेरी ग्रायोग की रिपोर्ट को लेकर चल रही है । बाहर बैठ कर चिल्लाना चाहते हैं । ग्रापके भी बच्चे हैं । वे भी परीक्षाएं नहीं दे रहे हैं । उनकी परीक्षाएं नहीं चल रही हैं । परीक्षाएं बन्द हैं । ग्राप तो भागना चाहते हैं, ग्रापने यह मानस बना लिया है । पुलिस के हथियार ले लिये गये हैं । सी. ग्रार. पी.एफ. ग्रौर बी. एस. एफ. को ग्रापने बुला लिया है । ग्राखिर ग्राप क्यों दमन करना चाहते हैं ? उनकी समस्याग्रों को हल करने के बजाय लाठी ग्रौर बन्दूक के बल पर उनको दबाना चाहते हैं । यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा ।....

(श्री मेघराज तावड़)

(व्यवधान)

आज कोई बात करने को तैयार नहीं है।....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह । प्रश्न संख्या 585

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम् सवाल है। मैं मानता हूं कि यह बड़ा अहम प्रश्न है। यह कर्मचारियों का प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले लिया जाये। इस प्रश्न पर चर्चा की जाये। सरकार विधान सभा भंग करके भागना चाहती है....

(व्यवधान)

यह प्रस्ताव रखकर आप भागना चाहते हैं। प्रश्न को क्यों नहीं रखना चाहते हैं?....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत बड़ा प्रश्न है बड़े प्रश्न पर अपन थोड़ा ज्यादा समय देकर विचार करें। कृपया सहयोग दीजिये। मैंने शुरू में ही कहा था कि अपने विचार ...

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : विधान सभा भंग करने का प्रश्न नहीं है। यह तो केरल में हुआ है।

श्री मेघराज तावड़ : आप भी वही भूमिका तैयार कर रहे हैं। वह समय भी आ जावेगा। घबराइये मत।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 585.

पंचायत समिति कुम्हेर में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति

585. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, कुम्हेर, जिला भरतपुर के प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कितने अध्यापकों की कमी है?

(2) इस कमी को दूर करने हेतु सरकार नवीन पद कब सृजित करेगी?

(3) इस वर्ष कितने नवीन पद इस पंचायत समिति में स्वीकृत किये गये हैं?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) शिक्षा विभाग के निर्धारित मापदण्ड 1:49 के अनुपात में 10 अध्यापक के पदों की कमी है।

(2) वर्ष 1981–82 में 3 पद सृजित किये जा चुके हैं। शेष 7 पद शिक्षा विभाग द्वारा सृजित किये जाने पर आबंटित किये जायेंगे।

(3) वर्ष 1981–82 में नवीन शालाओं हेतु 3 अध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये हैं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय ने बताया कि पद रिक्त हैं 10/11, वह कितने वर्ष से रिक्त हैं? जो नवीन पद सृजित किये गये हैं, उन प

(श्री हरिसिंह)

नियुक्ति होगी, किन्तु पंचायत सर्विस सलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है तो क्या पंचायत समितियों को इजाजत देंगे कि वे एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज से नाम मांगे और उनको भर सकें ?

श्री शीशराम ओला : यह माननीय सदस्य ने नहीं पूछा कि कब से पद रिक्त हैं। यह पूछा था कि कितने पद रिक्त हैं। इसका मैंने उत्तर दे दिया है। अब चूंकि जुलाई से नया सत्र शुरू होगा, उससे पहले आने वाले वर्ष के लिये आश्वासन दे सकता हूं कि सारे अध्यापकों की कमी को दूर करने की चेष्टा करेंगे।

श्री हरिसिंह : पंचायत सर्विस सलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है तो पंचायत समिति को इजाजत देंगे कि वह एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज से नाम लेकर पदों की पूर्ति कर सके ?

श्री शीशराम ओला : टेम्प्रेरी अरेंजमेन्ट किया हुआ है। जल्दी ही कमीशन की नियुक्ति की जा रही है। उसके बाद वह सारी समस्याएं दूर हो जायेंगी।

श्री हरिसिंह : तब तक वे एम्प्लायमेन्ट से....

श्री शीशराम ओला : इजाजत दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन.

निगम के स्वीकृत मार्गों पर निजी बसों का संचालन

586. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या पंचायत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम पर ऐसे कौन कौन से स्वीकृत रूट्स हैं जिन पर निगम की बसें नहीं चलती हैं और उन मार्गों पर निजी बसें चल रही हैं तथा इन बसों के मालिक कौन कौन हैं तथा वह कब से चल रही हैं ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रश्न के स्थगन के लिये निवेदन है।

श्री मेघराज तावड़ : फिर कब जवाब देंगे ? अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से सदन का वातावरण गर्म हो रहा है। स्थगित करने के बाद....

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन चला है तब से मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं हुआ है। यह पहला दिन है जब मेरा प्रश्न नम्बर पर आया है। इसको भी स्थगित किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : मेरी सहानुभूति है।

एक माननीय सदस्य : विधान सभा स्थगित कराकर यह सरकार भागना चाहती है। विधान सभा के सदस्य के नाते हमारे जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा उसके बाद ही सरकार जा सकती है वरना नहीं जायेगी ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : यह गलत परम्परा है। इसका जवाब आना

(4)

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

चाहिए क्योंकि प्रश्न सूची में प्रश्न आ गया है।

श्री अध्यक्ष : ऐसे प्रश्न भी स्थगित होते हैं। प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित कर दें कि प्रश्न अब कब आयेगा। आप इस बारे में कोई आश्वासन दे दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण): दो तीन, चार प्रश्न रोज स्थगित करवाये जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : स्थगित किये जाने वाले प्रश्नों....

[व्यवधान]

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न को पढ़ लें कि इसकी भाषा कैसी है। इस प्रश्न को सरकार जान-बूझकर स्थगित कर रही है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : छुपाने या जान-बूझकर उत्तर न देने की बात नहीं है यह तो रिकार्ड की बात है। चूंकि पूरा रिकार्ड देखना था और पूरे राजस्थान की इन्फार्मेशन नहीं आ सकी है इसलिये इसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है। छुपाने की बात नहीं है यह तो रिकार्ड की बात है।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : दोनों बराबर मिल गये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल(पाटन) : जयकृष्ण शर्मा और पुष्पा जैन में कोई अन्तर नहीं है क्या ?

एक माननीय सदस्य : एक अन्तर तो है

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : कोई तथ्य नहीं मांगे हैं इस प्रश्न में। आपने पढ़ा होता तो पता होता कि यह तो नीति का प्रश्न है नीति के प्रश्न को स्थगित करवाये जाने से क्या होगा....

श्री जयकृष्ण शर्मा : कहीं से कोई सूचना मंगवाने की बात होती तो अलग बात थी। यह तो यह है कि निजी बसों को चलायेंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है इसमें और बातों की जानकारी मांगी है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसमें यह है कि किस बस मालिक की बसेज हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आप निरुपाय हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न ही स्थगित हो रहा है अगर ज्यादा होते तो ऐसा होता।

प्रश्न संख्या 587

श्री त्रिलोकसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सुजानसिंह।

कोर्ट स्टाम्प्स पर प्रार्थी के नाम का उल्लेख

588. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोर्ट स्टाम्प्स पर पूर्व में प्रार्थी के नाम का उल्लेख किया जाता था ? यदि हां, तो अब इस प्रथा को किन कारणों से समाप्त कर दिया गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार का पूर्व व्यवस्था को पुन: चालू करने का विचार है ? यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां । यह प्रथा समाप्त नहीं की गई है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता

श्री सुजानसिंह यादव : प्राय: अदालतों में यह मालूम पड़ता है कि कोई व्यक्ति अपनी जेब में 100–200 रुपये के टिकट लेकर चलता है और जब टिकटों की कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति उनको ऊंचे भावों में बेचता है । यह प्रश्न इसलिये रखा था । अगर मंत्री महोदय ऐसा ही चाहते हैं तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है । जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है । टिकट के ऊपर जब नाम लिखा जाता था तो कोई व्यक्ति उसका ब्लैक नहीं करता था लेकिन जब टिकटों का अभाव हो जाता है तो लोग ब्लैक करते हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मुद्रांक नियम 1930 की धारा 34 के अनुसार :

" Every Stamp Vendor shall endorse on the back of each sheet of impressed stamp and on the face of each adhesive stamp (except Revenue Stamp of the donomination of 1/2 anna one anna, four annas) sold by him to the public, serial no. date of the sale the value of the stamp in words and the name, Father's name and residence of the purchaser and shall afix his signatures to the endorsement."

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना नहीं था । उनका यह कहना था कि इस नियम की अवहेलना हो रही है....

श्री चन्दनमल बैद : यहीं तो कहना चाहता हूं कि स्पेसिफिक बतायें या लिखित में बतायें या मौखिक रूप से बतावें या फिर यहां पर सदन में कह दें कि इसकी कहां पर और किस तरह से अवहेलना हो रही है । मैं इसकी जांच करवा लूंगा और जो स्टाम्प वेन्डर्स इसकी अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा ।

श्री महाराम चौधरी : सब जगह हो रहा है, राजस्थान भर में ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सारे हैडक्वार्टर्स पर हो रहा है । अलग से कहने की क्या आवश्यकता है । प्रश्न आ गया है तो मंत्री महोदय को स्वयं जानकारी करनी चाहिए और जब यह आम शिकायत है तो इसकी जांच करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव का भी ध्यान रखेंगे ।

(6)

श्री सुजानसिंह यादव : मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना था कि मेरे नोटिस में यह बात आयी थी कि ऐसा हो रहा है इसलिये यह प्रश्न विधान सभा में रखा था। अब यह मंत्री महोदय के अधिकार क्षेत्र को बात है विधान सभा के सामने प्रश्न आ गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

जमवारामगढ़ क्षेत्र में निगम की बसेज की पर्याप्त व्यवस्था

589. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवा रामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जमवारामगढ़ तहसील में किन किन मार्गों पर राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाई जा रही हैं ? क्या यह व्यवस्था पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो कब तक और मार्गों पर बसें चलाने का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में जिन मार्गों पर निगम की बसें चल रही हैं उनकी संख्या भी अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या इस कमी को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जयवारामगढ़ तहसील में निम्न राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा बसें चलाई जा रही हैं :–

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनका प्रश्न स्थगित नहीं होगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं आपका भी प्रश्न स्थगित नहीं कराता हूं। 12 प्रश्न हैं उनमें से एक का ही स्थगन मांगा है, क्योंकि किसकी बसें चल रही है, यह रिकार्ड का सवाल है इसलिये देर हो रही है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, माननीय सदस्य। मैं किसी का प्रश्न स्थगित नहीं कराता हूं।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : सबका कर दें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पुष्पा जी का नहीं करिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह मालूम हुआ कि आपकी सहानुभूति उनके साथ है। बहुत ख्याल रखते हैं।

श्री सम्पतराम : मेरी सहानुभूति दोनों के साथ है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरे प्रति है उसको तो मैं वर्षों से जानता हूं लेकिन उनके प्रति है यह आज ही पता लगा है।

1. जयपुर–लालवास–शाहपुरा।

2. जयपुर–खोवारानी जी

3. जयपुर–जमवारामगढ़।

4. जयपुर–आंधी।

5. जयपुर–दौसा वाया आंधी–थोलाई–डागरवाड़ा।

6. जयपुर–गोलकावास वाया आंधी।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

7. जयपुर-ताला - जयचन्द्रपुरा वाया आमेर-अचरोल।

8. चौमू-चन्दवाजी वाया गठवाड़ा-मानपुरा-सुन्दरपुरा।

9. जयपुर-आमेर-कूकस-लबाना अचरोल-चन्दवाजी-लखेर-मनोहरपुर-शाहपुरा।

(2) उक्त राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्राभार की दृष्टि से पर्याप्त बस सेवायें चलाई जा रही हैं। उक्त तहसील के और मार्गों का राष्ट्रीयकरण किये जाने का वर्तमान में विचार नहीं है। अतः उन पर बसें चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो लिस्टें प्रस्तुत की हैं इस सम्बन्ध में वे यह बतायें कि किस स्थान पर कितने घण्टों पर रूट पर मिलती हैं?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जितने रामगढ़ तहसील में गांव मिलते हैं और जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन पर सब पर पर्याप्त मात्रा में बसें चालू हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह पूछना चाहता हूं कि दिन भर में बसें एक चक्कर काटती हैं या दो दो घण्टे बाद चलती हैं या कितने घण्टे बाद चलती हैं? आपने जो 10 रूट बतायें हैं उन पर जो बसें चलती हैं उन पर व्यक्तियों को समय पर बसें मिलती नहीं हैं। यह बतायें कि क्या इन रूटों पर चलने वाली बसों से स्थानीय यात्रियों को असुविधा नहीं है? स्थानीय लोगों के लिये पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर बसें नहीं चल रही हैं?

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): घण्टे का उल्लेख किया है क्या आपने?

एक माननीय सदस्य : आपका घण्टे से क्या तात्पर्य?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह कहना चाहता हूं कि टाइम नहीं दें तो कोई बात नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि आप वहां पर पर्याप्त मात्रा में बसों की व्यवस्था करवायें। स्थानीय लोगों को वहां पर चार चार घण्टे में बसें उपलब्ध नहीं हैं, 6–6 घण्टे में बसें पहुंचती हैं और उस रूट पर रहने वाले बसों का इन्तजार करते ही रहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप 10 मार्गों पर बसें चलायें। आप जितने रूट पर बसें चला सकते हैं उतने पर ही चलायें चाहे पांच ही चलायें।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जमवारामगढ़ में बसों की व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। भाषण नहीं होगा। प्रश्न 590.

प्रधान एवं जिला प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया

590. **श्री गुलाबचन्द** कटारिया (उदयपुर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के प्रधान एवं जिला प्रमुख का नामांकन पत्र एक दिन पूर्व ही भरा जाता है एवं उसी दिन सांयकाल 5.00 बजे निशान दिया जाता है एवं दूसरे दिन प्रातः काल 8.00 बजे वोट डालना शुरू हो जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार प्रधान एवं जिला प्रमुख चुनाव से पूर्व चिन्ह प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली से संतुष्ट है ?

(3) क्या सरकार इस प्रक्रिया पर पुनः विचार कर उसमें आवश्यक संशोधन करना चाहती है ?

निर्वाचन मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां, यह प्रक्रिया गत पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव व जिला परिषद् के प्रमुख के चुनाव के संदर्भ में अपनाई गयी।

(2) जी हां।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जो आपने जिला प्रमुख, प्रधान के चुनाव की जो प्रक्रिया अपनायी है, सायंकाल 5 बजे सिम्बल मिलता है और सुबह 8 बजे वोट पड़ना शुरू हो जाता है इस समय में क्या चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, प्रतिद्वन्दी अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार व्यक्तियों में पहुंचा सकेगा, इतने कम समय में क्या यह संभव है ? जिला प्रमुख इतने बड़े जिले में, फैले हुए क्षेत्र में सरपंचों तक अपना सिम्बल पहुंचा सकेगा ? क्या यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार की जननी बनी है ? पहले से चिन्ह लेकर रखते हैं, उसका ही प्रचार कर देते हैं, दूसरे आदमियों को सिम्बल अवेलेबल नहीं होते हैं। केवल आपने कह दिया इसी बात पर मत अड़े रहें। इसके द्वारा आप ऐसे व्यक्ति, जो चुनाव लड़ते हैं, के अधिकारों का हनन करते हैं, गांवों में लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, सिम्बल व नाम में काम्बीनेशन नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए आप इसमें बदल करने की सोचेंगे या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने जितना अनुभव किया है, उसको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी को प्रचार का मौका नहीं मिलता है। पहले जब चुनाव किये जाते थे तब 56 दिन लगते थे, अब चुनाव के दिनों को कम करने के लिए हमने 31 दिन में चुनाव समाप्त करने की प्रक्रिया बनायी। इसमें जो समय निर्धारित किया है उससे किसी को कोई शिकायत नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस विधान सभा में मैम्बर इसको उठा रहे हैं, और आप मान रहे हैं कि इसमें कोई शिकायत नहीं है। कोई व्यक्ति कैसे सायंकाल 5 बजे अपना सिम्बल लेकर के अपने जिले की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

18 पंचायत समितियों के विभिन्न कोनों में फैले हुए सरपंचों को अपना सिम्बल बतायेगा। कैसे वह चल कर प्रातः 8 बजे वोट के लिए पहुंच सकता है। आपने बाडाबन्दी को प्रोत्साहन दिया। आप शत–प्रतिशत मतदान की जो बात करते हैं वह व्यर्थ है। मेरा ऐसा मानना है कि 50 प्रतिशत वोट भी नहीं पड़ते हैं। जिद पर मत अड़िये, आपने कर दिया, आपकी छाप लग गयी, क्या इसलिए सही हो गया। हम अगर सही सुझाव देते हैं तो कृपा करके उसको मान लीजिये। 2-3-4 दिन का समय मिले, आदमी अपना सिम्बल बता सके। बाड़े पर....

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री शीशराम ओला) : अध्यक्ष महोदय, चुनाव की प्रक्रिया के पहले सारे पंच, सरपंच, वोट देने वाले मौजूद होते हैं, उसके बाद प्रधान, प्रमुख के लिए सिम्बल दिया जाता है, इसलिए कोई वहां प्रचार में दिक्कत नहीं होती।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, जो वास्तव में एतराज किया है उसका, मंत्री महोदय, आपने जो जवाब दिया, इसका मतलब यह था कि अगर उसके अन्दर कोई अच्छी बात है, 5 दिन का अवसर मिलता है तो कौन सी बुरी बात है। इसमें जहां कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करें।

श्री शीशराम ओला : कोई करप्शन नहीं है। कोई कमी नहीं है। सरपंच, प्रधान, एम. एल. ए. होते हैं। आज से पहले करप्शन होता था, हमने उसको मिटाया है। इस प्रक्रिया को दूसरे राज्यों ने अपनाया है और इस राज्य की सराहना की है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या बाड़ाबन्दी नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सारे हिन्दुस्तान ने इस प्रक्रिया को अपनाया है, यह बात मंत्री महोदय ने कही, मेरे अपने सोचने के हिसाब से इसमें मंतव्य यह था कि प्रधान और प्रमुख के वोट देते हैं....

श्री शीशराम ओला : एम. एल. ए. भी देता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप जोर से बोलना जानते हैं, तो मैं इससे ज्यादा जोर से बोलना जानता हूं। आंख दिखाकर बोलने से यहां काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या मंत्री महोदय घर से नाराज होकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आपकी बात ठीक है, माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव में....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : इसलिए आप इसमें अड़िये नहीं, फिर से विचार करिये । कम से कम चुनाव लड़ रहा है उसको इतना तो अधिकार हो कि वह प्रचार कर सके । उसका यह जो हक है, उसको भी आप छीन रहे हैं

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

80 प्रतिशत वोट जिला प्रमुख के पड़े ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप चुनाव मंत्री नहीं हैं, आपको क्या पता, क्या प्रक्रिया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो इस साल प्रधानों, पंचायत समितियों, जिला प्रमुखों के चुनाव हुए हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई ।

श्री देवीसिंह भाटी : कैसे नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : पंचायत समिति, प्रधानों के चुनाव के बारे में बाड़ाबन्दी के बारे में क्या शिकायत नहीं हुई ? कैसे कह रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, नीति का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वास्तव में पांच बजे सायंकाल चुनाव के समय सिम्बल मिलता है, यहां की मैं नहीं कहता, पहाड़ी इलाके में 50 गांव 4-4 मील दूरी पर हैं, पंचायतों का एरिया लम्बा होता है. इसलिए जिला प्रमुख, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, वोट बटोर कर एक जगह रखता है, उससे करप्शन नहीं बढ़ता है ? वोटर को बटोर कर लाता है, हजारों रुपये पैट्रोल का खर्चा होता है. एक तो खर्चा बढ़ता है, दूसरे भ्रष्टाचार बढ़ता है और प्रजातन्त्र का लाभ लोगों को नहीं मिलता है । अपने लोगों को वहां इकट्ठा कर दिया जाता है, वोट देने भेज दिया जाता है । आपने कहा कि कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी तो, मन्त्री महोदय, आपने जन भावनाओं को नहीं देखा है । मैं समझता हूं, 4 दिन का समय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर । श्री गोपाल पचेरवाल ।

(व्यवधान)

भाषण नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अभी माननीय विधि मन्त्री महोदय ने जानकारी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

दी कि पंचायत समितियों के प्रधान के चुनाव में केवल सरपंच वोट डाल सकते हैं। बून्दी के अन्दर, माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है, आपने सरपंचों को जबर्दस्ती बुलवाया।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, इसके कारण गोली चली है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात पूरी कर ली।

(व्यवधान)

एक एक माननीय सदस्य बोलें। श्री महाराम

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, यह नीति का प्रश्न है, रेगिस्तानी इलाके में गांव ढाणियों में बसे हुए हैं और आने जाने के साधन नहीं हैं इसलिये बहुत मुश्किल होती है, समय पर पहुंच नहीं सकते इसलिये चार दिन का गैप रखना चाहिये। मैं यह कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि हमें किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कोलायत पंचायत समिति में प्रधान के चुनाव में क्या जिलाधीश बीकानेर को कोई शिकायत प्राप्त हुई है?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं बाड़ेबन्दी होती है। धौलपुर में, माननीय मन्त्री महोदय, जानते हैं, बाड़ेबन्दी की गई और वहां पर गोली चली।

राज्य मन्त्री, खनिज (श्रीप्रद्युम्नसिंह): आप हार गये, इसलिये ऐसी बात कर रहे हो।

(व्यवधान)

आपकी पार्टी का पाटिया साफ हो गया वहां पर।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, गोली चल गई।

(व्यवधान)

आपने स्वयं कहा कि बाड़ेबन्दी करवा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कभी नहीं कहा कि बन्द करवा रहे हैं। आप इस तरह की बात कह कर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों का पाटिया साफ हो गया भरतपुर से ...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : धौलपुर में बन्दूक की नोंक पर चुनाव कराये गये, आपने स्वयं मेरे से कहा था, भूल गये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : किसने कहा ?

श्री यदुनाथसिंह : आपने स्वयं कहा ?

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : इस बात के लिये, सदन में....

(व्यवधान)

झूठ बोले हो कि गोली चली....

श्री यदुनाथसिंह : बयाना में गोली चली, आप कैसे मना कर सकते हैं ?

श्री जगनसिंह (बयाना) : जिला परिषद् या पंचायत समितियों के चुनावों में कोई गोली चली हो तो मैं माननीय सदस्य की चुनौती स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। मेरा निवेदन है कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में चुनाव प्रचार के लिये व्यापक और पर्याप्त समय दिया जाता है लेकिन जिला परिषदों के प्रमुख के चुनावों में कोई समय नहीं दिया गया। डेमोक्रेसी में प्रचार के लिये सुविधा देना जरूरी है। मैं समझता हूं, एक एक पंचायत समिति में 20, 22, 23 पंचायतें होती हैं। सरपंच को जाने के लिये पर्याप्त समय भी चाहिये। अभी जो समय है वह अल्प है, यह पर्याप्त नहीं है। मेरा निवेदन है कि डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिये आवश्यक है कि पर्याप्त रूप से प्रचार का समय मिले। प्रजातन्त्र को जीवित रखने के लिये चुनाव में प्रचार का समय दिया जाना चाहिये, पूरी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिये है। जहां तक यह कहा गया कि बाड़ेबन्दी नहीं करते। जितनी बाड़ेबन्दी कर सकते हैं, करते हैं। मेरे जिले के माण्डलगढ़ क्षेत्र में बी. डी. ओ. और कांग्रेस के सैक्रेटरी ने फर्जी चिट्ठी लिखी जिसमें बाड़ेबन्दी के लिये कहा गया। यह प्रमाण है, कांग्रेस के बी. डी. ओ. और सैक्रेटरी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या स्वस्थ लोकतन्त्र की परम्परा को देखते हुए यह जो अवधि है, 15 घण्टे पहले चुनाव चिन्ह दिये जाते हैं, क्या आप इसको उचित मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : वोट दिलाने के लिये तो यह प्रक्रिया ठीक है। खुले दिमाग से वोट दे, इसके लिए आप क्या संशोधन का विचार करेंगे ?

माननीय....

(व्यवधान)

श्री रामधन चौधरी (लाड़नूं) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां परम्परा इस प्रकार की है "जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी" हमारे यहां लाड़नूं का उदहारण....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : मैंने पूरे धौलपुर सब-डिवीजन का उदाहरण दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी पूरक प्रश्न समाप्त हुए....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, समय जा रहा है। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे, अध्यक्ष महोदय, तो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर) : इन्होंने मेरी कार के आगे आकर रास्ता रोका था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। विधि मन्त्री जी....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें। विधि मन्त्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना पर्सेन्टेज ऑफ वोटिंग इन पंचायत चुनावों में हुआ उसको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि किसी प्रकार की कोई असुविधा....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : बाड़ाबन्दी में हुई....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय मन्त्री जी, यह बता दें कि बाड़ाबन्दी होती है या नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि सब सरपंचों को एक जगह बन्द करके रखा जाये, उसके बाद उनको ले जाया जाये अगर सारे वोटर एक जगह इकट्ठा हो जाते है अपनी पार्टी के लिहाज से क्योंकि पार्टी के लिहाज से चुनाव हुए हैं और पार्टी के व्यक्ति वोट देने के लिए सब इकट्ठे होकर वोट देने के लिये जाते हैं। हर एक पार्टी अपना अपना इन्तजाम करती है ....

(14)

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) : दारू पिलाई जाती है उनको, इससे बुरी क्या बात हो सकती है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजबहादुर : सरकार की ओर से इस बात को उचित ठहराना ठीक नहीं है कि बाड़ाबन्दी को अवसर दिया जाय। । पार्टी के लोग अपनी अपनी मर्जी से आते हैं. यह कैसे कहा जा सकता है ? यह बड़ाबन्दी की योजना है, क्या इसको आप स्वस्थ मर्यादा मानते हैं ? अगर सरकार का यही मंतव्य है तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी का अन्त हो गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें।

अंकित न हो।

श्री अनंगकुमार जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि अपमानजनक, असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें। भाषा में संयम से काम लें।

अगला प्रश्न। श्री नाथूसिह !

(व्यवधान)

ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या का निर्धारण

591. **श्री नाथूसिह** (बांदीकुई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने सन् 1981 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की ग्राम पंचायतों की बढ़ी हुई आबादी को मद्देनजर हुये पंचायत एक्ट की धारा 4 के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंचों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1951 की जनगणना के आधार पर सन् 1960-61 में ग्राम पंचायतों के पंचों की संख्या का निर्धारण आबादी के आधार पर किया गया गया था ?

(3) यदि नहीं तो उस वक्त पंचों की संख्या तय करने के क्या आधार थे ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1960-61 में आबादी के आधार पर प्रत्येक पंचायत की सन् 1951 के मुकाबले बढ़ी हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुये पंचों की संख्या का पुनर्निर्धारण आवश्यक था ?

(5) क्या पंचायत विभाग ने मुख्यमंत्री जी को इस सम्बन्ध में कोई नोट भेजा था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्रीजी ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

(6) राज्य सरकार द्वारा पंचों की संख्या का पुनर्निर्धारण न किये जाने के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया था और क्या ऐसा निर्णय उक्त पंचायत एक्ट धारा 4 की विपरीत नहीं है ?

राज्य मंत्री, पंचायत (**श्री शीशराम ओला**) :

(1) जी नहीं।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शीशराम ओला)

(2) जी हां।

(3) 1951 की जनसंख्या के आधार पर ही पंचों की संख्या तय की गई थी।

(4) जी हां। लेकिन वर्ष 1960-61 की जनगणना के आंकड़े उस समय उपलब्ध नहीं थे। अतः 1951 की जनसंख्या के आधार पर ही पंचों की संख्या तय की गई थी।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय ने जैसे स्वीकार किया...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठे-बैठे न बोलें।

श्री नाथूसिंह : 1951 की जनगणना के आधार पर ही पंचायत की संख्या का निर्धारण करवाकर चुनाव कराये। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या पंचायत एक्ट के सैक्शन 26 (ए) और सैक्शन 5 का आपने चुनाव में उल्लंघन नहीं किया ? अध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट के सैक्शन 4 के अन्तर्गत 1960-61 में एक फार्मूला बना था उसके अनुसार पंचायतों के वार्डों की संख्या 15 थी, उसमें एक संशोधन किया गया था, उनकी संख्या 8, से 20 तक होगी। उसके अनुसार जिस पंचायत की जनसंख्या दो हजार से नीचे होगी उसमें वार्डों की संख्या कम से कम आठ होगी, जहां दो से तीन हजार होगी वहां वार्डों की संख्या 10 होगी, जहां तीन से चार हजार के बीच होगी वहां वार्डों की संख्या 12 होगी, जहां 4 से 5 हजार तक होगी वहां वार्डों की संख्या 14 और जहां चार हजार से ऊपर की जन संख्या होगी वहां 15 होगी, इसके पश्चात, एक संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि 15 से ज्यादा 20 तक हो सकती है। यह पंचायत एक्ट की धारा 4 के अन्दर है। अध्यक्ष महोदय, पॉपूलेशन का क्राइटेरिया उन्होंने बनाया कि जनसंख्या क्या होगी ? उसमें लिखा है कि जो लेटेस्ट जनगणना हो रही है उसको माना जायेगा न कि पुरानी वाली को। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन चुनावों में आपने वार्डों की संख्या बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुसार निर्धारण न न करके पचायत एक्ट का उल्लंघन किया ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यय से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि 1965 तक पंचायत के चुनाव 1951 की जनगणना के आधार पर हुये। उसके आधार पर वार्ड बनाये गये। पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुये। 1978 के चुनाव हुये वह 1971 की जनगणना के अनुसार हुये और पंचायतों की वार्ड संख्या भी उसी आधार पर बनाये गये।

श्री नाथूसिंह : नहीं बनाये गये हैं।

श्री शीशराम ओला : पहले दो हजार की जनसंख्या पर 8 थे, 1951 की जनगणना के आधार पर दो से तीन हजार की जन-संख्या पर10, तीन से चार हजार पर 12 और

(श्री शीशराम ओला)

हजार से पांच हजार की आबादी पर 14 और पांच हजार से अधिक जनसंख्या पर 14 रखे।

श्री नाथूसिंह : यह तो मैं नेबता दिया।

श्री शीशराम ओला : आपने जो फरमाया कि 1971 में नहीं कराया वह बता रहा हूं। 1978 में जो चुनाव हुए हैं वह 1971 की जनगणना की आधार पर हुये। यह जो चुनाव हुये पंचायतों के उनमें 3200 से 4800 तक 10, 4801 से 6400 तक 12, 6401 से 8 हजार तक 14, 8 हजार से अधिक–15। यह 1971 की जनगणना आधार पर तय किया गया क्योंकि जो चुनाव कराये गये उनके लिए अध्यक्ष महोदय, चूंकि 1981 की जनगणना तब तक हुई नहीं थी, पहले चुनाव हुये हैं, हमारे पास उसका कोई आधार नहीं था। इसलिये 1981 की जनगणना के हिसाब से चुनाव कराना संभव नहीं था और इसलिये पहले की जनगणना के आधार पर किया गया। यह संभव नहीं कि नई जनगणना के आधार पर चुनाव कराये जायें क्योंकि नई जनगणना शुरू नहीं हुई थी।

श्री नाथूसिंह : मेरा बेसिक क्वेश्चन है। आपने पापुलेशन को हटा दिया।

श्री शीशराम ओला : जनगणना के आधार पर।

श्री नाथूसिंह : नहीं, बात कर रहा हू।

श्री शीशराम ओला : लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। पंचायत चुनाव का पब्लिकेशन चुनाव विभाग ने किया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया फिर भी जो सही आंकड़े और रिपोर्ट हैं उनके आधार पर मैंने निवेदन किया।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मेरा प्रश्न और है। मेरा प्रश्न यह है कि आपने पंचों में उस पापुलेशन को बांट दिया। पापुलेशन बढ़ी लेकिन बढ़ी हुई पापुलेशन को उन्हीं पंचों में बांटा। आपने 1960-61 में पचों का फार्मूला तय किया था कि इतनी जनसंख्या पर इतने पंच होंगे, इतनी सीट्स होंगी, इतने वार्ड होंगे। क्या आपने इस चुनाव में इस फार्मूले का उल्लंघन नहीं किया, आपने उसी फार्मूले के अनुसार चुनाव कराये ?

श्री शीशराम ओला : 1978 में चुनाव जनता पार्टी ने कराये थे और 1971 की जनगणना के हिसाब से वार्ड तय किये थे।

(व्यवधान)

आप जरा सीमा के अन्दर रहकर बात करें, ललितकिशोर जी। आप क्या सुनना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आसन के माध्यम से उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : 1971 की जनगणना के आधार पर जनता पार्टी ने 1978 में पंचायतों के चुनाव कराये। यह काम तो उनका था कि 1971 की जनगणना के मुताबिक कितने बढ़ाते। हम तो उनके

(श्री शीशराम ओला)

आधार पर चले, नई जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुई इसलिए हमने पुरानी जनगणना को आधार माना।

श्री नाथूसिंह : मेरा बेसिक सवाल था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जो पहले फामूंला था उसमें दो हजार की पापुलेशन पर 8 पंच होते हैं और दो से तीन हजार पर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री नाथूसिंह : इस फामूंले के अनुसार अब 3 हजार की जनसंख्या के नीचे 10 पंच और 4 हजार पर 12 पंच हो जायेंगे लेकिन जो चुनाव उन्होंने कराये, यह पापुलेशन की लिस्ट लेकर वार्डों में बांट दी....

(व्यवधान)

पंचों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, यह जो बोल रहे हैं इस बात को उन्होंने किया है। जनता पार्टी के राज में पंचों और वार्डों की संख्या बढ़ाई गई और 1971 की जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई गई। यह उनका किया हुआ है, हमारा नहीं।

श्री सम्पतराम : पाइंट आफ आर्डर। यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई, यह 1971 की जनसंख्या के आधार पर हुई। पापुलेशन और जनगणना में अंतर होता है, उसको समझने की कोशिश करें। जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है? सदन का समय क्यों लिया जा रहा?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर

592. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर का वर्ष 1977-78, 1978-79 एवं 1979-80 का ऑडिट हो चुका है?

(2) यदि हां, तो क्या इन ऑडिट रिपोर्ट्स में गबन, दुरुपयोग, अनियमित व्यय, सन्देहास्पद व्यय एवं वित्तीय अनुशासन उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाये जाकर करीब दो लाख रुपयों की विवादास्पद मानने की टिप्पिणियां की हैं? कृपया ऑडिट रिपोर्ट्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार वर्तमान में प्रचलित कानूनों के प्रावधानों की पृष्ठभूमि में इन ऑडिट आरोपों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(3) किसी प्रकार की गंभीर आपत्तियां पाई जाने पर नियमानुसार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त नहीं हुई)

श्री कैलाश मेघवाल : पहला निवेदन है कि जो ऑडिट रिपोटर्स् हैं उनकी प्रतियां मुझे नहीं मिली तो जो सूचना मेरे पास है उसके आधार पर मैं सवाल पूछता हूं। आपने कहा, अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। यह जो सूचना है वह अगर मुझे मिल जाती तो उसके आधार पर पूछता लेकिन अब मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैं पूछता हूं। मेरे पास आरपेक्टस हैं कि वर्ष 1977 से 1980 तक 1,84,450.26 रुपये का तो मिस एप्रोप्रियेशन है, या तो आप बतायें उसके आधार पर बता दूं। दूसरा मिस यूज ऑफ पावर के रूप में 16,869.56 रुपये का है। तीसरा इर्रेगुलेरिटीज में 17.741.18 रुपए है और इसका ग्रांड टोटल 2,19,061 रुपए आता है जबकि ऑडिट रिपोर्ट्स में तीन भागों में अलग-अलग दे रखा है। इन आक्षेपों को मीट करने के लिये क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं दूसरे सवाल पूछूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह ऑडिट रिपोर्ट तीन सालों की है, उसमें प्रमुख रूप से 5 आरोप लगाये गये थे। एक, जो राशि स्टाफ के लोगों को अग्रिम के रूप में दी जाती है उसका समायोजन समय पर नहीं करवाया गया था। दूसरा आक्षेप सामान्य परीक्षाओं के केन्द्र के बारे में था। क्योंकि वहां विद्यालय के प्रश्न पत्रों की छपाई के रिकार्ड का संधारण होता था। तीसरा आरोप था, विद्यालय की वार्षिक पत्रिका की छपाई के क्रम में। चौथा, इस महाविद्यालय के सभा भवन के शिलान्यास के सन्दर्भ में जो खर्चा हुआ, वह छात्र कोष से किया गया था इसके क्रम में। और अंतिम आक्षेप, यात्रा भत्तों के बारे में था। इस तरह 5 आक्षेप थे। इन आक्षेपों के बारे में सम्बन्धित प्रधानाध्यापिका को विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट आने के तुरन्त बाद निरस्त करने के बारे में लिखा था। माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न किया, 16 हजार राशि का वह 16,550 राशि है और वह स्टाफ के लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, टूर्नामेन्ट्स के बारे में है। इसी प्रकार प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अलग-अलग रिपोर्ट्स अग्रिम रूप से दे दी गई थीं और उनके हिसाब से सम्बन्धित लोगों ने दे दिया है और वह पूरे का पूरा आक्षेप निरस्त कर दिया गया है। जहां तक महाविद्यालय के शिलान्यास का संबंध है, राशि खर्च हुई है लेकिन माननीय सदस्य को शायद यह जानकारी नहीं है कि उस दिन दो कार्यक्रम हुये थे।

एक कार्यक्रम वार्षिक उत्सव छात्र संसद से संबंधित था और दूसरा कार्यक्रम

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उस विद्यालय के सभा भवन का शिलान्यास जो कि तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया। तो उस संबंध में जो भी खर्चा किया गया था उसका हिसाब आ गया। मैं समझता हूं कि जो आक्षेप लगाये गये थे, उनको निरस्त करने की कार्यवाही हो उसके लिए संबंधित अधिकारी को लिखा है। आक्षेप अगर निरस्त नहीं करवाने के बारे में यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो इसकी जांच करवा कर संबंधित अधिकारी को दण्डित किया जावेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि संबंधित अधिकारी को लिख दिया गया है कि आक्षेपों की पूर्ति करावें। मैंने आपके सामने जो ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया उसमें एक लाख 54 हजार 450 रुपये का मिस एप्रोप्रियेशन है। चूंकि ऑडिट रिपोर्ट अभी मेरे सामने नहीं है, अगर आपके सामने हो तो मुझे वह दे दीजिये, मैं आपको यहां ही बता दूंगा कि सरकार ने जिस सम्बन्धित अधिकारी को कार्यवाही करने के लिए लिखा है क्या यह वही सम्बन्धित अधिकारी है जो कि इस समय जिला शिक्षा अधिकारी है? अगर उस समय वह वहां पर प्रधानाध्यापक यानि प्रिंसिपल थी तो आपने जो कहा, इन ऑडिट आब्जेक्शन को निरस्त करने के सम्बन्ध में न्याय हो सकेगा? क्योंकि अभी आपने जिस सम्बन्धित अधिकारी के बारे में कहा है वह सम्बन्धित अधिकारी वही है जो उस समय इस विद्यालय में प्रिंसिपल थीं। इस तरह के मिस एप्रोप्रियेशन, गबन और अनियमितताएं हुई थीं, क्या ऑब्जेक्शन्स को मीट आउट करने में इस आक्षेप को मीट आउट करने में सफल हो सकेंगे? नम्बर वन। दूसरा, मिस एप्रोप्रियेशन, इसके अन्तर्गत ऑडिट रिपोर्ट अभी मेरे पास आई नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ कर बता देता। मुझे क्षमा कीजिये, मेरे पास तो नहीं है शायद आपके पास आई हो, तो आप दे दें वरना मेरे पास तो एक्सट्रेक्ट है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं आप मुझे बता दीजिये। मुझे कहा गया है कि सदन की मेज पर रख दी गई है। अगर मेरे पास होती तो मैं यहां जो भी सवाल पूछना चाहता वह पूछ लेता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर रखा जाने वाला दस्तावेज हमको पहले ही दे दिया जाता है और उसकी मदद लेकर हम पूरक प्रश्न कर लेते हैं। अब, इसमें लिखा है कि दो लाख और कुछ हजार रुपये का मिस एप्रोप्रियेशन हुआ है। दस्तावेज मुझे नहीं मिले हैं, अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि सदन की मेज पर रखी गयी है। अब वह रिपोर्ट्स हैं नहीं जिससे मैं किस आधार पर अपनी बात को प्रमाणित करूं तो मेरे पास जो सूचना है उसी के आधार पर कह रहा हूं, इसमें जो 16 हजार 500 रुपये की सूचना मुझे मिली थी वह मैंने आपको दी। इसमें लिखा है कि मिस एप्रोप्रियेशन एक लाख और 54 हजार का है, ऑडिट रिपोर्ट में है, इसके अलावा कुछ और भी है। इसमें कुल तीन चीजें हैं।

(20)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं । आप मुझे ऑडिट रिपोर्ट दिलावें । मुझे तो कोई एतराज नहीं है । अगर ऑडिट रिपोर्ट होती तो मैं पढ़कर प्रमाणित करता । इन्होंने कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट रख दी है मुझे तो मिली नहीं है । अब आप मुझे दिला दें, आप तो मुझे इस बात पर व्यवस्था दे दीजिये । क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है, अपने जवाब में कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गयी है । इसका मतलब यह होता है कि वह ऑडिट रिपोर्ट मुझे मिल जानी चाहिये, पर मुझे मिली नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, अब आप चाहते क्या हैं ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि आपको प्राप्त नहीं हुई, न तो मुझे मिली है, न सदन की मेज पर रखी गई है और न आपको पहुचाई गयी है । अब आप क्या व्यवस्था चाहते हैं इसमें ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत बड़ी व्यवस्था का सवाल हो गया है यदि आपने जवाब सुना हो तो उस पर विचार करें । मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा, सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : पर अब आप इस प्रश्न को किस तरीके से उठाना चाहते हैं उसकी व्यवस्था करें ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो आप व्यवस्था दें, मैं इस विषय को लेना नहीं चाहता । मैं तो यह चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें क्योंकि आपके सामने मन्त्री महोदय ने कहा था आखिर मेरे सवाल का क्या होगा ? आपके सामने मन्त्री महोदय ने कहा था । अब चाहे आप इसको स्थगित कर दें या कोई व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, तो मैं इस प्रश्न को स्थगित कर देता हूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप इनको मेरे चेम्बर में भिजवा दें मैं इनको ऑडिट रिपोर्ट दिखा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आपके पास ऑडिट रिपोर्ट पहुंचा दी जायेगी और अगर फिर भी आप किसी अन्य तरीके से कहना चाहेंगे तो उसका भी प्रबन्ध करेंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह ऑडिट रिपोर्ट्स मेरे पास पहुंचा तो देंगे, यह आप मुझे सदन में आश्वासन दिलवा दें ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, रूल्स में लिखा है, पेपर रखा तो माननीय सदस्य को पहुंचाया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : गलती सामने आई है, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था, माननीय सदस्यों को ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आप मन्त्रीजी से आश्वासन दिलवादें सदन में कि वह ऑडिट रिपोर्ट मुझे पहुंचा देंगे ।

श्री अध्यक्ष : ऑडिट रिपोर्ट आपके पास पहुंच जावेगी । प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

विद्युत की कमी से बेरोजगार हुए व्यक्तियों के लिए योजना

588. **श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार ने बिजली की कमी के कारण उद्योग बन्द हो जाने से बेरोजगार होने वाले श्रमिकों की मदद के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किसी भी उद्योग के बिजली की कमी के कारण बन्द होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भूमि एवं भवन कर से आय

519. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिछले पांच वर्षों में भूमि एवं भवन कर से वर्षवार कितनी कितनी आय हुई ? उसी अवधि में वर्षवार इस विभाग पर टैक्स कलेक्शन चार्जेज में क्या क्या खर्च रहा है ? वह टैक्स का कितना प्रतिशत खर्च रहा है ?

(2) भूमि एवं भवन कर के कुल वर्षवार कितने कितने असेसी हैं और यह राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ?

(3) प्रश्न के भाग (1) में बताये सरकारी खर्चे के अलावा क्या सरकार ने असेसी का खर्चा जो कर के अलावा होता है का भी अनुमान लगाया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी ?

उत्तर

(1) पिछले वर्ष की आय व्यय का ब्योरा तथा प्रतिशत निम्नानुसार है :—

वर्ष	आय (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	प्रतिशत
1976-77	95.74	29.24	21.14
1977-78	82.39	21.72	26.36
1968-79	82.11	21.72	26.78
1979-80	66.46	21.76	32.61
1980-81	116.41	21.19	22.50

(2) भूमि एवं भवन कर के वर्षवार असेसी व उनका जनसंख्या पर प्रतिशत (वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर) निम्नानुसार है :—

वर्ष	असेसी	जनसंख्या का प्रतिशत
1976-77	10545	0.03
1977-78	18956	0.05
1978-79	23153	0.06
1979-80	25237	0.07
1980-81	27767	0.08

(वित्त मन्त्री)

(3) जी नहीं। क्योंकि अलग अलग मामलों में अपील का कई प्रकार का खर्चा होता है जिसका विभाग द्वारा अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन कार्य है।

(4) जी नहीं।

नगर परिषद्/ नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर से आय

520. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की विभिन्न नगर परिषदों व नगर पालिकाओं को वाणिज्यिक कर विभाग मनोरंजन कर की कितनी प्रतिशत राशि देता है?

(2) कर वसूली में सुपरवीजन आदि पर होने वाले व्यय को काटने के बाद वसूल की गई राशि में से कितना प्रतिशत प्रति वर्ष परिषद् व नगरपालिकाओं का अधिकार बनता है और कितना आज की स्थिति में मिलता है?

उत्तर

(1) मनोरंजन कर की कोई प्रतिशत राशि नहीं दी जाती है। अनुदान की राशि दी जाती है।

(2) प्रश्न नहीं उठता

शराब के पुराने ठेकेदारों में बकाया

521. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के शराब के पुराने ठेकेदारों में जो राशि दिनांक 1 अप्रेल, 1980 से पूर्व की राज्य सरकार की बकाया निकलती है उसकी वसूली करने में शिथिलता बरती गयी है?

(2) 1 अप्रेल, 1980 से पूर्व के किस ठेकेदार में किस अवधि की कितनी कितनी राशि बकाया है?

(3) उक्त चारों जिलों के कितने ठेकेदार ऐसे हैं जो राज्य से बाहर धन्धा करते हैं और इनकी कितनी राशि बकाया है? क्या यह सही है कि उक्त कुछ ठेकेदारों के मामलों में अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो बकाया राशि के अपलेखन की कार्यवाही किस किस ठेकेदार के पक्ष में किन किन कारणों से की जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) 1 अप्रेल, 1980 के पूर्व के ठेकेदारों, जिनकी राशि बकाया है, उसकी सूची संलग्न है।

(3) इन चारों जिलों के कुल पांच ठेकेदार राज्य के बाहर धन्धा करते हैं। उनका विवरण एवं बकाया की राशि का विवरण संलग्न सूची में है। इन ठेकेदारों की बकाया की राशि के अपलेखन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

मद्यनिषेध समाप्ति के बाद अजमेर क्षेत्र में शराब की दुकानों के लाइसेन्स

522. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में शराब बन्दी समाप्त होने के बाद अजमेर नगर परिषद् सीमा में देशी शराब व विदेशी शराब की दुकानों को खोलने के लाइसेन्स किस-किस स्थान के लिये स्वीकार किये गये हैं और किस-किस स्थान के लिए प्रस्तावित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खोली गई दुकानों अथवा प्रस्तावित दुकानों में राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये नियम, उप-नियम, आदेशों तथा लाइसेन्स की शर्तों का पूरी तरह से पालन किया गया है ?

(3) क्या सरकार मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, उपासरे, विद्यालय, महाविद्यालय, हरिजन बस्ती, मजदूर बस्ती, अस्पताल, औषधालय, महात्मा गांधी की मूर्ति से दुकानों की दूरी सम्बन्धी प्रावधानों का कठोरता से पालन करने का विचार रखती है ? क्या अजमेर नगर में भी उनकी पालना की गई है ?

उत्तर

(1) शराब बन्दी के बाद अजमेर नगर परिषद् में देशी मदिरा की 11 दुकानों के लाइसेन्स स्वीकृत किये गये। सूची संलग्न है। विदेशी मदिरा की पूर्व 28 स्वीकृत दुकानों में से 22 दुकानें चालू है जिनकी सूची संलग्न है।

(2) अजमेर नगर परिषद् सीमा में खोली गई मदिरा की कुछ दुकानें अस्थाई स्थानों पर खोली गई हैं। इन्हें नियमानुसार उचित स्थानों पर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) इसकी पालना हेतु दूरी सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच कर यथा सम्भव कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा

523. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में सरकारी अनुदान प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक, अध्यापिकाओं व अन्य कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा हेतु कोई विधेयक सदन में ला रही है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या पूर्व में इस सम्बन्ध में कोई विधेयक सदन में लाया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। विधान सभा भंग होने के पश्चात् राज्य सरकार ने इस पर विचार कर यह निर्णय लिया कि पूर्व प्रस्तावित विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

(24)

पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में नवीन विद्यालय/महाविद्यालय

524. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् 1978-79, 1979--80, 1980 81 एवं 1981-82 में कितने प्राइमरी, मिडिल, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल एवं कॉलेज पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति मूंडवा क्षेत्र में खोले गये हैं ? कृपया गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सन् 1978-79, 1979-80, 1080-81, एवं सन् 1981-82 में पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति मूण्डवा में एक भी महाविद्यालय एवं हायर सैकण्डरी विद्यालय नहीं खोला गया है।

सन् 1978-79 में निम्न प्राथमिक विद्यालय खोले गए:—

मूण्डवा क्षेत्र : सुथारों की ढाणी माडपुरा, साटिका खुर्द

नागौर क्षेत्र : करण सिंधियों की ढाणी डैरवा श्री बालाजी सुथारों की ढाणी सथेरण घांचियों की ढाणी

सन् 1978-79 में निम्न स्कूल खोले गये:—

मूण्डवा क्षेत्र : माडपुरा, कड़छी

नागौर क्षेत्र : सथेरण

सन् 1978-79 में निम्न सैकण्डरी विद्यालय खोले गये :—

मूण्डवा क्षेत्र : पांचला सिद्धा

नागौर क्षेत्र : श्री बालाजी ताउसर गुढ़ा भगवानदास

सन् 1979-80 में निम्न प्राइमरी विद्यालय खोले गये :—

मूण्डवा क्षेत्र : आंकला ब्राह्मणों का कुआं पांचला सिद्धा पांचौड़ी आथूणी ढाणी, खटोड़ा गांव माडपुरा गूजरों की ढाणी बरड़ा

नागौर क्षेत्र : खैतालाव करण गोलिया डहर

सन् 1979-80 मे निम्नलिखित स्कूल खोले गये :—

मूण्डवा क्षेत्र : एक भी नहीं

नागौर क्षेत्र : देऊ

सन् 1979-80 में निम्न सैकण्डरी विद्यालय खोले गये :—

मूण्डवा क्षेत्र : मूण्डवा (कन्या) शहरी क्षेत्र

नागौर क्षेत्र : बख्तसागर, (नागौर)

सन् 1980-81 में निम्न प्राईमरी विद्यालय खोले गये :—

मूण्डवा क्षेत्र : रूण (कन्या)

नागौर क्षेत्र : भूकर्म सौत मेघवाली की

25

(शिक्षा मंत्री)

ढाणी हिगोणियां, पश्चिम ढाणियां सीगड़

सन् 1980-81 में निम्न मिडिल स्कूल खोले गये :—

मूण्डवा क्षेत्र : कुचेरा नम्बर 1

नागौर क्षेत्र : एक भी नहीं।

सन् 1980-81 में निम्न संकण्डरी विद्यालय खोले गये :—

मूण्डवा क्षेत्र : शंखवास

नागौर क्षेत्र : एक भी नहीं।

सन् 1981-82 में निम्न प्राइमरी विद्यालय खोले गये :—

मूण्डवा क्षेत्र : कामण्डी की ढाणी (शहरी क्षेत्र) आचाना की आथूनी ढाणियां

नागौर क्षेत्र : गलनी (गुढ़ा भगवानदास)

सन् 1981-82 में निम्न मिडिल स्कूल खोले गये :—

मूण्डवा क्षेत्र : कंकडाय, गोदारों की ढाणी

नागौर क्षेत्र : सिणोद गुढ़ा सं0-1

सन् 1981-82 में पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति मूण्डवा में एक भी संकण्डरी विद्यालय नहीं खोला गया है।

बांसवाड़ा जिले की शालाओं में कृषि विषय का अध्यापन

525. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले के किन-किन संकण्डरी स्कूल्स में और किन-किन हायर संकण्डरी स्कूल्स में कृषि विषय का अध्यापन कराया जाता है ? कृपया सूची सदन की मेंज पर रखें।

(2) उक्त जिले में अब. कितने ऐसे संकण्डरी व कितने हायर संकण्डरी स्कूल्स हैं जिनमें कृषि विषय का अध्यापन नहीं कराया जाता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन स्कूलों में कृषि विषय नहीं पढ़ाया जाता है, उनमें कृषि विषय कब तक खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर बांसवाड़ा जिले में निम्नलिखित विद्यालयों में कृषि विषय का अध्ययन कराया जाता है:-

1- राजकीय माध्यमिक विद्यालय, परतापुर।

2- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागीडोरा।

3-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोलाना।

4- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, घाटोल।

(2) बांसवाड़ा जिले में 35 माध्यमिक

(शिक्षा मन्त्री)
विद्यालय तथा 6 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय नहीं पढ़ाया जाता है।

(3) वर्ष 82-83 में नये विषय खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हुआ तो बांसवाड़ा जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय के खोलने के बारे में अन्य क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

बाड़मेर राजकीय महाविद्यालय में विधि कक्षायें

526. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ामालानी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर में विधि कक्षाएं वर्ष 1982-83 में प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विधि कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिए अधिक धन की भी आवश्यता नहीं रहेगी क्योंकि पार्ट टाइम एडवोकेट वहां पर अध्यापन कार्य के लिए मिल जायेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1982-83 के बजट में विधि कक्षाएं खोलने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं। विधि काक्षाएं खोलने के लिये भवन, पूर्णकालीन व्याख्याताओं एवं अंशकालीन व्याख्याताओं की आवश्यकता होती है। साथ ही निर्धारित मानदण्ड के अनुसार लाईब्रेरी की पुस्तकें भी क्रय करनी होती हैं।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़

527. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में विज्ञान विषय में उपकरणों का सीमित बजट आवंटन करने से छात्रों को उपयुक्त स्थान नहीं मिलता है?

(2) राज्य सरकार ने वर्ष 1977 से वर्ष 1981 तक विज्ञान उपकरण के लिए वर्षवार कितनी-कितनी राशि आवंटित की?

(3) क्या यह भी सही है कि वाणिज्य विषय में हिन्दी व अंग्रेजी टंकण विषय भी है? क्या यह भी सही है कि वर्ष 1981-82 में टंकण में प्रवेशार्थी अत्यधिक थे पर टंकण मशीनें आवश्यक संख्या में न होने से एवं दुरुस्त न होने से छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया? यदि हां, तो वर्तमान में कितनी टंकण मशीनें सही हैं और उनसे कितने छात्र लाभान्वित हो रहे हैं?

(4) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष विद्यालय द्वारा क्रीड़ा मैदान समतल करने, विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनवाने के लिए मांग की जाती रही है पर राज्य सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है? यदि

(श्री नन्दलाल मीणा)

हां, तो विद्यालय के लिए उक्त आवश्यक कार्यों को कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) राज्य सरकार द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बजट में विज्ञान उपकरण (प्रयोगशाला) हेतु वर्ष-वार आवंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	राशि
1977–78	1,600 ।–रु०
1978–79	2,000 ।–रु०
1979–80	2,000 ।–रु०
1980–81	2,000 ।–रु०
1981–82	2,000 ।–रु०

(3) जी, हां। वाणिज्य विषय में किसी भी छात्र को प्रवेश वर्ष 1981–82 में वंचित नहीं किया गया है। कुल 9 छात्रों के लिये 3 टंकण मशीनें वहां उपलब्ध हैं।

(4) राज्य की वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष में एवं उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

बलवन उच्च प्राथमिक विद्यालय (इन्द्रगढ़) का भवन निर्माण

528. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ के बलवन उच्च प्राथमिक विद्यालय में भवन अधूरा पड़ा हुआ है ?

(2) यदि हां, तो सरकार उक्त अधूरे भवन को पूर्ण कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जन सहयोग से भवन को पूर्ण कराने का प्रयास शाला की अध्यापक अभिभावक परिषद् को करना चाहिए।

पीपल्दा क्षेत्र के गांवों में प्राथमिक विद्यालय

529. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के गांव देलोद, गुढ़ा, धाकड़ खेड़ी, करजोदा, शेरपुर, चाणदा कलां, फतेहपुर, खखन, गुढ़ला, बांगरोद, गोपालपुरा में प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है ?

(2) यदि हां, तो सरकार उक्त स्थानों पर प्राथमिक स्कूल खोलने हेतु क्या प्रयास कर रही है तथा इन स्थानों पर कब तक प्राथमिक स्कूल खोल देगी ?

उत्तर

(1) वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पीपल्दा क्षेत्र के गांव देलोद, गुढ़ा, धाकड़ खेड़ी, करजोदा, शेरपुर, चाणदा कलां,

(श्री शिक्षा मन्त्री)

फतेहपुर, खखन, गुढ़ला, बांगरोद, गोपालपुरा में प्राथमिक स्कूलों की आवश्यकता का अन्य क्षेत्रों की तुलना में मूल्यांकन कराया जायेगा।

(2 वष 198:-83 में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य सरकार उक्त स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु उपलब्ध साधनों, भवन व्यवस्था, स्थानीय मांग आदि को ध्यान में रख कर गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

पीपल्दा क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

530. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)व **श्री बालचन्द्र आर्य वीर**(डग): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के गांव नीमोला, ढीपरी, इटावा (कन्या) इन्द्रगढ़ (कन्या) में माध्यमिक विद्यालयों तथा बोरदा, पीपल्दा (कन्या), गेंता (कन्या) में उच्च प्राथमिक स्कूल एवं इन्द्रगढ़, मांगरोल तथा खातौली में उच्च माध्यमिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है ?

(2) यदि हां, तो सरकार उक्त स्थानों पर स्कूल खोलने हेतु क्या प्रयास कर रही है तथा इन स्थानों पर कब तक ये स्कूल खोल दिया जावेंगे ?

उत्तर

(1) वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पीपल्दा क्षेत्र के गांव नीमोला, ढीपरी, इटावा, बोरदा, पीपल्दा, इन्द्रगढ़, मांगरोल तथा खातौली में नये विद्यालयों की आवश्यकता का अन्य क्षेत्रों का तुलना में मूल्यांकन कराया जावेगा।

(2) वर्ष 1982-83 में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य सरकार उक्त स्थानों पर नये विद्यालय खोलने हेतु उपलब्ध साधनों, भवन व्यवस्था, स्थानीय मांग आदि को ध्यान में रख कर गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

सवाई माधोपुर जिले की शालाओं में अध्यापकों की कमी

531. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में अध्यापकों का अभाव है? यदि हां, तो प्राइमरी, सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्तर तक कुल कितने अध्यापकों की कमी है तथा इसकी पूर्ति कब तक करदी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में अध्यापकों की बराबर मांग की जा रही है? यदि हां, तो गत वर्ष कितने नये पद स्वीकृत किये गये तथा 1982-83 में अध्यापकों के कितने और पद सृजित करने का सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के मुकाबले अध्यापकों की कमी निम्न प्रकार है:—

प्राइमरी	उच्च प्राइमरी	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
17	124	23	34

पंचायत विभाग के अन्तर्गत 50 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करदी जायेगी।

(2) जी नहीं। गत वर्ष 1981-82 में कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष 1982-83 में वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी तक कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है।

एशियाई खेलों में राजस्थानी खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व

532 श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों में राजस्थान खेल परिषद् की ओर से प्रोत्साहन हेतु खिलाड़ियों को भेजा जा रहा है?

(2) यदि हां, तो अजमेर नगर से भेजे जाने वाले किन-किन खिलाड़ियों का किस-किस आधार पर भेजा जा रहा है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति सराड़ा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य

533. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81 के अन्तर्गत पंचायत समिति, सराड़ा में माध्यमिक व प्राइमरी स्कूल्स तथा दवाखाने के भवनों, पंचायत भवन व एनीकट के निर्माण पर कितना खर्च किया गया? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने भवन पूर्ण हो गये और कितने अधूरे पड़े हैं?

(3) पंचायत समिति द्वारा पेयजल हेतु कितने कुएं खुदवाये गये? इनमें से कितने अभी अधूरे हैं।

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में पंचायत समिति सराड़ा में निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण सलग्न है।

(2) 36 भवनों में 25 पूर्ण हैं तथा 11 अपूर्ण हैं।

(3) पंचायत समिति सराड़ा में 193 कुएं खुदवाये गये जिनमें 120 पूर्ण हैं तथा

(पंचायत मंत्री)

73 अपूर्ण हैं।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सराड़ा

535. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सराड़ा द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक समिति की जीप पर पेट्रोल, डीजल मरम्मत पर कितना व्यय किया गया ? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विकास अधिकारी ने पंचायत समिति में 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक टेलीफोन पर, ट्रंक एवं लोकल कॉल पर कितना खर्च किया ?

(3) विकास अधिकारी ने 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक चिकित्सा पुनर्भरण की कितनी राशि उठाई ? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विकास अधिकारी ने 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कहां कहां यात्राएं कीं एव यात्रा भत्ते की कितनी राशि उठाई ? मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति सराड़ा दिनांक 1.1.81 से 31.12.81 तक पेट्रोल पर रु० 8804.76 एवं जीप मरम्मत पर रु० 3830.25 पैसे व्यय किये गये हैं। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति द्वारा दिनांक 1.1.81 से दिनांक 21.12.81 तक टेलीफोन ट्रंक कॉल पर रु० 455.65 पैसे व्यय किया गया।

(3) विकास अधिकारी ने दिनांक 1.1.81 से दिनांक 31.12.81 तक रु० 728.37 का चिकित्सा पुनर्भरण पर व्यय किया है। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) विकास अधिकारी द्वारा 1.1.81 से 31.12.81 तक रु० 2207.66 की धनराशि यात्रा भत्ते के रूप में उठाई।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

ग्राम पंचायत धासा (मावली) के सरपंच के विरुद्ध आरोप

536. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत धासा, पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर के सरपंच के विरुद्ध अनियमितता का आरोप-पत्र वहां के निवासियों एवं उदयपुर के विधायक ने जिलाधीश, उदयपुर को दिया था ? यदि हां, तो उसकी जांच कब एवं किस अधिकारी ने की ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) क्या उक्त जांच में सरपंच द्वारा हजारों रुपयों की हेरा फेरी का मामला प्रकट हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत, घासा पंचायत समिति,मावली जिला उदयपुर के विरुद्ध जनता की ओर से सुभाष नवयुवक मण्डल एवं विधायक द्वारा शिकायत पत्र जिला स्तर पर निर्माण कार्यों के मुताबिक जांच हेतु हैं। उप जिलाधीश बल्लभनगर को इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी दिनांक 9.12.81 को नियुक्त किया गया है।

(2) जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर एवं आरोप प्रमाणित पाये जाने पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जिला बांसवाड़ा में पंचायत प्रसार अधिकरियों के रिक्त पद

537. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुरा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बांसवाड़ा जिले की किन किन पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? उनके रिक्त रहने के क्या कारण हैं ?

(2) उपरोक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में गढ़ी, सज्जनगढ़, घाटोल, पीपलखूट एवं तलवाड़ा पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग द्वारा कर्मचारी उपलब्ध न कराये जाने के कारण पद रिक्त हैं।

(2) शिक्षा विभाग द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराते ही इन पदों की पूर्ति कर दी जावेगी।

ग्राम नोख (पोकरण) के ग्राम सेवक के विरुद्ध शिकायतें

538. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर की तहसील पोकरण के ग्राम नोख के ग्राम सेवक को एक ही क्षेत्र में नियुक्त हुये कितने वर्ष हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम सेवक की शिकायतें हुई परन्तु इन शिकायतों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय से एक ही क्षेत्र में नियुक्त व शिकायतों के उपरान्त भी स्थानान्तरण व जांच नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त ग्राम सेवक का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला अजमेर की तहसील पोकरण व ग्राम नोख में श्री पूरणलाल गुप्ता ग्राम सेवक दिनांक 7.6.1973 से कार्यरत है।

(2) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही है कि ग्राम सेवक की शिकायत विकास अधिकारी जैसलमेर को प्राप्त हुई थी और शिकायत की जांच के पश्चात, 28.6.80 को नोख से इनका स्थानान्तरण पंचायत समिति सम में कर दिया गया।

(3) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पूरणलाल गुप्ता, ग्राम सेवक का स्थानान्तरण पंचायत समिति सम में दिनांक 28.6.80 को किया गया था किन्तु उनकी जगह आने वाले ग्राम सेवक को पं. स. सम द्वारा कार्य मुक्त नहीं करने के कारण श्री गुप्ता के स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं हो सकी। श्री गुप्ता का स्थानान्तरण उनकी जगह अन्य ग्राम सेवक से उपलब्ध होते ही किये जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के बेघर व्यक्तियों को अनुदान

539. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बेघर व्यक्ति को मकान बनाने हेतु 750/- रु० का अनुदान सरकार की ओर से पंचायत के माध्यम से दिया गया है ?

(2) क्या हां, तो पंचायत समिति इटावा में उक्त रकम कितने व्यक्तियों को दी गई ?

(3) क्या उक्त पंचायत समिति की सभी पंचायत को उक्त राशि का आवंटन किया था ? यदि नहीं, तो किस-किस को और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बेघर व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु 750/- रु० अनुदान सरकार की ओर से पंचायत समितियों को दिया गया था।

(2) पंचायत समिति, इटावा द्वारा उक्त रकम 40 व्यक्तियों को दी गई है।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति सीधे ही बेघर पट्टाधारियों को उनके प्रार्थना पत्रों की जांच कर अनुदान स्वीकृत करती है अत: पंचायतों को अनुदान राशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवहन निगम में स्वागतकर्ता के पद

541 **श्री शिवसिंह रावत**(भाड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में स्वागतकर्ताओं के पद स्थायी पद हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? अब कब तक इनको स्थायी कर दिया जावेगा ?

(2) क्या स्वागतकर्ता के पदों की पदो-

(श्री शिवसिंह रावत)

न्नति हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक इनकी पदोन्नति कर दी जायेगी?

(3) स्वागतकर्ता की पदोन्नति हेतु अब तक कितने नये पदों का सृजन हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक नये पदों का सृजन कर स्वागतकर्ता के पदों की पदोन्नति कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में स्वागतकर्ता का संवर्ग स्थाई रूप सृजित है। इस संवर्ग में पद एवं इन पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों को यथाशीघ्र स्थाई कर दिया जावेगा।

(2 व 3) प्रकरण निगम व राज्य सरकार के बीच विचाराधीन है।

जयपुर नगर में मिनी/बस टेम्पो परिवहन सेवा

542. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या यातायात मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर की बड़ी चौपड़ तथा अन्य स्थानों से चलने वाली प्राइवेट मिनी बसें व टेम्पो वाइस गोदाम व सोड़ाला सवारियां लाते ले जाते हैं? यदि हां, तो क्या ये निर्धारित सीटों के अनुसार सवारियां लेकर चलते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) गत एक वर्ष में इनमें से कितनी गाड़ियों के चालान कब-कब किन आधारों पर किये गए?

(3) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार है जिसके कारण अनियमित रूप से मुसाफिरों को भरने के बावजूद इन वाहनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती?

उत्तर

(1) यह सही कि बड़ी चौपड़ (जयपुर में) तथा अन्य स्थानों से चलने वाली मिनी बसें व टेम्पो वाइस गोदाम व सोड़ाला, सवारियां लाते हैं व ले जाते हैं। निर्धारित सीटों से अधिक सवारियां बिठाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(2) 1-4-81 से फरवरी, 82 तक मिनी बसों के 58 व टेम्पोज के 263 चालान किये गये हैं। वांछित सूचना परिशिष्ट "क" व "ख" में सलंग्न है।

(3) जी नहीं। अनियमितता करने वालों के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही की जाती है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

भीलवाड़ा नगर में सिटी बसेज के परमिट

543. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा नगर में कितनी सिटी बसेज के परमिट किन किन को कहां से कहां तक के रूट के लिये कब कब दिये गये?

(2) वर्तमान में उपरोक्त परमिट की बसें प्रति दिन किन किन रूट्स पर हैं?

(34)

(श्री बंशीलाल पटवा)

(3) यात्रियों से कहां से कहां तक के लिये कितना किराया परमिट अथॉरिटीज ने तय कर रखा है व बसें कितनी सीटों की हैं?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर में सिटी बसों के पुर से सांगानेर तक के लिए परमिट स्वीकृत किये हुए हैं। इन परमिटधारियों के नाम व परमिट दिये जाने का दिनांक परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(2) इन बसों का एक ही रूट पुर से सांगानेर वाया भीलवाड़ा नगर है।

(3) किराये की सूची परिशिष्ट "ख" तथा बैठक क्षमता का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(परमिटधारियों के नाम आदि के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बस स्टेण्ड झालावाड़

544. श्री बालचन्द्र शार्थवीर (डग) व **श्री अनंतकुमार जैन**(झालरापाटन): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ बस स्टेण्ड पर कई महीनों से शौचालय का टैंक लीक कर रहा है? यदि हां, तो यह कब से है?

(2) क्या यह सही है कि शौचालय की बदबू के कारण यात्रियों को परेशानी होती है और यह स्वास्थ्य के लिये खराब है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कब तक की जा सकेगी?

उत्तर

(1) झालावाड़ मोटर स्टेण्ड पर स्थित शौचालय से सम्बद्ध एक पाइप जो मेनेहोल को टैंक से जोड़ती है, जनवरी, 82 में लीक था।

(2) यह पाइप दिनांक 7 फरवरी, 82 को ठीक करा दिया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर के कार्यालय में आरक्षित पदों की पूर्ति

545. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1980-81 एवं सन् 1981-82 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर के अधीनस्थ सेवारत कनिष्ठ लिपिकों को पदोन्नतियां दी गई हैं? यदि हां, तो कब और कितने व्यक्तियों को? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोन्नतियां नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1978 में आयोजित कनिष्ठ लिपिक की परीक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों को बिना आमन्त्रित किये अन्य जाति के सदस्यों को नियुक्तियां दी गई हैं? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर में सन् 1980 में 2 एवं सन् 1981 में 5 कनिष्ठ लिपिकों को पदोन्नति दी गई थी। जिला एव सैशन न्यायालय जयपुर नगर में 2 कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ लिपिक बनाया गया था सूची निम्न प्रकार है :–

जिला जयपुर	10–30–80	1
	1–5–80	1
	8–1–81	3
	26–5–81	1
	4–11–81	1
जयपुर शहर	मई, 80	1
	सितम्बर, 80	1

(2) जी नहीं।

पदोन्नतियां रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही दी गई। वर्ष 80 के प्रारम्भ में क्र. सं. 32 व 33 जिस पर पदोन्नतियां की गई अनुसूचित जाति के लिये नहींथी। केवल एक पद जनजाति के लिये आरक्षित था किन्तु जनजाति का उम्मीद्वार सेवा में न होने के कारण पदोन्नति नहीं दी गई।

(3) जयपुर नगर न्यायिक क्षेत्र में कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 10.10.78 व 11.10.78 को ली गई थी। प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम आने पर सफल उम्मीद्वार की सूची में से नियुक्तियां वर्ष 1979 में की गई हैं। सफल उम्मीद्वारों की सूची में केवल अनु. जाति के छः उम्मीद्वार सफल हुये। अनु. जाति, जनजाति का कोई उम्मीद्वार इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल नहीं हुआ। वर्ष 1979 के प्रारम्भ में अनुसूचित जाति के उम्मीद्वार से भरे जाने वाले चार आरक्षित पद थे। रोस्टर प्रणाली के अनुसार वर्ष 1979 में निम्न प्रकार से नियुक्तयां की गई हैं।

रोस्टर नम्बर	नाम नियुक्ति व उम्मीदवार	विवरण
1–7 (अ.ज.)	बद्रीप्रसाद बैरवा	अ. जाति
2–8	द्वारकाप्रसाद बुनकर	अ.जाति
3–9	रामेश्वर दयाल	अ. जाति
4–10	प्रेमसागर	अ. जाति
5–11	प्रेमचन्द सागर	अ. जाति
6–12	सत्यनारायण जाट	अ. जनजाति का उम्मीद्वार सफल न होने पर
7–13	बजरंग दास स्वामी	अ. जाति
8–14 (अ.ज.)	धर्मपाल सिरवा	(एस सी)
9–15	ओमप्रकाश खुराना	—
10–16	लक्ष्मी कुमार	—
11–17	बालकृष्ण चतुर्वेदी	—
11–18	महेन्द्र भूषण गुप्ता	—
13–19	सईद अहमद	—

इस तरह नियुक्तियां निम्नानुसार व रोस्टर प्रणाली के आधार पर की गई हैं। पिछले शेष रहे आरक्षित पदों को प्राथमिकता से भरा गया है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति रेलमगरा द्वारा जीप पर व्यय

546. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेलमगरा द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक समिति की जीप, पैट्रोल, डीजल व मरम्मत पर कितना व्यय किया गया ? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विकास अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक टेलीफोन के लोकल कॉल एवं ट्रंक कॉल पर कितना व्यय किया गया ?

(3) विकास अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कितनी चिकित्सा पुनर्भरण राशि उठाई गई ? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विकास अधिकारी ने 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कहां-कहां यात्राएं कीं तथा यात्रा भत्ते की कितनी राशि उठाई ? उपरोक्त अवधि का मासिक विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, रेलमगरा द्वारा दिनांक 1.1.1981 से दिनांक 31.12.1981 तक जीप के पैट्रोल पर रु० 13,651.14 की धनराशि व्यय की है। मासिक विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) दिनांक 1.1.1981 से 31.12.81 तक टेलीफोन पर रु० 811.50 की धनराशि व्यय की गई है।

(3) विकास अधिकारी ने दिनांक 1.1.1981 से दिनांक 31.12.81 तक रु० 190.62 की धनराशि चिकित्सा पुनर्भरण की उठाई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 1.1.1981 से 31.12.1981 तक पंचायत समिति क्षेत्र राजसमन्द, उदयपुर व जयपुर की यात्रायें की हैं। यात्रा भत्ता के कुल 4,397.16 रु० की राशि उठाई गई है जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। पॉइन्ट ऑफ आर्डर, जब उस समय कोई विषय विचाराधीन हो तो उस पर पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाया जाता है लेकिन कई बार आसन विशेष अनुमति भी दे देता है। तो पॉइन्ट ऑफ आर्डर सदन

(श्री अध्यक्ष)

में उस विषय को भी उठाया जा सकता है और यदि कोई विषय विचाराधीन नहीं हो तो भी उठाया जा सकता है लेकिन वह अति आवश्यक हो तो। खैर, अभी मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देता हूं। उसके बाद में माननीय सदस्य ऐसे भी प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब आप उठे नहीं थे तभी मैंने पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाया था। मैंने, अध्यक्ष महोदय, आपको रूल 157 के तहत एक विशेषाधिकार का नोटिस दिया था और उस पर आपकी व्यवस्था चाही थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह चित्र वाला मसला?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : क्या व्यवस्था दी?

श्री अध्यक्ष : उसकी सूचना आपके पास पहुंच जावेगी। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है इस आधार पर कि डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ने इसमें क्षमा याचना कर ली है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह तो अच्छी परम्परा नहीं है। इस पर पहले भी व्यवस्था दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अपन इसको और तरह से डिस्कस कर लेंगे, अपन बात कर लेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने दूंगा। कोई व्यवस्था के प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस पर पहले भी व्यवस्था दी गयी है आप के द्वारा, मैं उसको कोट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जा रही है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : बाद में दे देना समय।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष द्वारा जो स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जाती है उस पर सदन में चर्चा नहीं होती है। आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में आसन द्वारा व्यवस्था दी गई है उसको कोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कानून मुझे समझा दें। आप मेरे चैम्बर में आयें। मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया है उसके पश्चात मैंने यह निर्णय दिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस विषय पर पुनः चर्चा नहीं होगी। जहां तक इस सत्र का सवाल है विधान सभा का सत्र चलने तक की बात है इसमें विशेषाधिकार के हनन की बात नहीं होती है। आप उसको किसी भी वक्त उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हाउस के फ्लोर पर पहले निर्णय हो चुका है। इस पर आसन द्वारा व्यवस्था दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : इस तरीके से मैं आपको उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, एक दो घन्टे बाद आप मेरे से बात कर लीजिये, अभी आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है, बैठ जायं। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1- श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को सन् 1959 में सामुहिक खेती के लिए जमीन आवंटित करने के बाद आवश्यक साधन या आर्थिक सहायता उपलब्ध न कराने के विषय में,

2- श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान से लगी पाकिस्तान की सीमा में बड़ी संख्या में गायों को जैसलमेर जिले से निकाल देने के विषय में,

3- श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले की हरिजन बस्तियों में हैंड पम्प न लगाने के विषय में,

4- श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा में सकतपुरा स्थित खनिज विभाग का खुला यन्त्र खराब होने से रायल्टी की कीमत सही वसूल न करने के विषय में,

5- श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर के करीब दो हजार खान श्रमिक बन्धक मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं, के विषय में,

6- श्री बंसीलाल पटवा, सयस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा तहसील के तहसीलदार द्वारा कमजोर वर्ग के करीब 60 श्रमिकों को रोजगार से हटा देने के विषय में,

7) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 14 मार्च को जयपुर की जालूपुरा बस्ती में एक नर्स कुमारी शशि शर्मा के साथ हुए बलात्कार की घटना के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा,

8) एक अन्य प्रस्ताव सर्वश्री भगवान दास शास्त्री, देवीसिंह भाटी, गुलाबचन्द कटारिया, यदुनाथसिंह व ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों की हड़ताल के कारण सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूल की परीक्षाएं ठीक ढंग से न होने के विषय में,

इस संबंध में हड़ताल से संबंधित अन्य विषयों के बारे में राज्य सरकार की ओर से आज किसी समयवक्तव्य दिलाय जायेगा।

9– श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा के सैन्ट जोन्स स्कूल में वहां की अध्यापिका द्वारा अनुदान की राशि की रसीदें गलत ढंग से देने के विषय में,

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

10– सर्वश्री नन्दलाल मीणा, भूपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत मार्च को तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़-गढ़ के अन्तर्गत ग्राम ठीकरिया के श्री देवा पिता श्री धूता मीणा की मारपीट कर हत्या के विषय में।

यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य है किन्तु स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। अतः इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

पूर्व में श्री रघुवीर सिंह कौशल व श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल की नहरों को अचानक बन्द कर देने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सरकार ने सूचित किया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन नहरों को 18 मार्च को बन्द किया जाना था किन्तु किसानों की मांग पर समय 25 मार्च तक बढ़ा दिया गया है और नहरों में पानी बराबर चल रहा है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को भी स्वकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि मैं स्थगन प्रस्ताव शाम को देकर गयी थी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह व्यवस्था में नहीं आया है। मेरे यहां के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेदखल करने के लिए गवर्नमेंट ने कार्यवाही की....

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर आ गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं देकर गयी हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कौन से स्थगन प्रस्ताव की चर्चा कर रही हैं ? कब दिया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल शाम को दिया है मैंने। कल शाम को सैक्रेटरी साहब को मैं देकर के गयी हूं।

श्री अध्यक्ष : अगर ऐसा कोई है स्थगन प्रस्ताव, तो मैं दरयाफ्त करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मालूम करा लीजिये, आप।

श्री अध्यक्ष : मैं मालूम करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं खुद अपने हाथ से सैक्रेटरी साहब को देकर गयी हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव स्थगन का दिया है इसको आपने सरकार को जानकारी के लिये भेज दिया। मैं यह जानना चाहूंगी कि इसका जवाब निश्चित रूप से आज मिलेगा या नहीं। क्योंकि जितनी मुझको जानकारी है....

श्री अध्यक्ष : आज के बारे में मैं आश्वस्त नहीं कर सकता।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार सरकार आज जाने की तैयारी कर रही है। पहले भी मैंने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : मुझ से चैम्बर में मिलने का कष्ट करें। यदि स्थगन प्रस्ताव ऐसा है कि उस पर तुरन्त जानकारी चाहिये तो ऐसा कर सकते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, ऐसा न हो कि आज सरकार जवाब नहीं दे। मुझे डर है कि यह लड़की मर जायेगी ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सम्भव हुआ तो....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके का अत्याचार लड़की के साथ किया गया है, एक लड़की से 6–6 आदमियों ने बलात्कार किया। अस्पताल में उसका इलाज नहीं किया जा रहा है ..

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। ऐसा है कि उसकी जानकारी मंगवा लेंगे।

आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, उससे पहले भी कई एडजोर्नमेंट मोशन्स मूव किये। पहले राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में मैंने एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया और उसका जवाब नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर, आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : ""एक जगदीश प्रहरी था दो महीने से उसका पता नहीं। उसका कोई जवाब नहीं आया। धौलपुर के लोगों ने औरतों का व्यापार चला रखा है उसके सम्बन्ध में मोशन मूव किया, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भवानी-मल माथुर की नियुक्ति के सम्बन्ध में मैंने एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भरतपुर में औरतों के पांव काट-काट कर सम्पत्ति लूटी, उसका एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। आज इतना महत्वपूर्ण एडजोर्नमेंट मोशन फिर मूव किया उसको आपने सरकार को जानकारी के लिए भेज दिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह यहीं का है। आर्डर, आर्डर। जानकारी मंगवाने की कोशिश करूंगा, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : जब इतने एडजोर्न-मोशन्स का जवाब आज तक नहीं दिया तो हम क्या उम्मीद करें कि आज जानकारी देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह यहीं का है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आज ही कोई स्टेटमेन्ट दिलायें अन्यथा हमें इजा-जत दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है। श्री गोपाल पचेरवाल।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जालूपुरा बस्ती, जयपुर का केस है, 14 तारीख का है।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है जोधपुर खान श्रमिक बन्धक मजदूरों के विषय में। वह आपने गवर्नमेंट को रैफर किया। कल मैंने राष्ट्रीय ध्वज की नीलामी का स्थगन प्रस्ताव दिया, वह भी आपने गवर्नमेंट का रैफर कर दिया। हम नहीं समझ पा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ध्वज की नीलामी हो जाये, दो दो हजार मजदूर बन्धक हों और सरकार कहती है कि 35 हैं। दो हजार बंधक काम कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने कल ही या आज ही दिया है, उसमें कुछ समय लगेगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : मुझे इतना आश्वासन दे दें कि आज ही उत्तर आ जावेगा। हम आप में पूर्ण विश्वास रखते हैं। यह बता दें, कल, परसों या दो दिन में।

श्री अध्यक्ष : जल्दी से जल्दी। तीन चार दिन का समय तो दीजिये कम से कम।

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री सम्पत राम।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में

(श्री सम्पतराम)

आपने जो व्यवस्था दी है वह आम तौर पर ऐसी ही व्यवस्था हुआ करती है,...

श्री अध्यक्ष : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री सम्पतराम:.. और सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए भी कम से कम समय मिलना चाहिए, यह हम मानते हैं। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि जिन घटनाओं के विषय में स्थगन प्रस्ताव आते हैं उनकी प्राथमिकता के मामले में सरकार बिल्कुल चिन्तित नहीं है। आज, इतने गम्भीर केसेज हो जायें जिनके बारे में भारत सरकार को अपने कानून बदलने पड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सब्जेक्ट को डील किया है। होम मिनिस्टर इस काम को 24 घंटे के अन्दर कर सकता है। सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर आज स्टेटमेन्ट नहीं देते हैं तो नाकाबिल हैं, इनको रहने का अधिकार नहीं है। पहले ही शासन की तैयारी होनी चाहिए कि हमको सदन में यह बताना है। बहुत सी सूचनायें, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं आईं। सदन में कितने ही माननीय सदस्य बात करते हैं, नहीं आती है। लेकिन इस तरह की चीजें जो कि टेबल के नीचे हैं, वायरलैस से आ सकती हैं उन पर इमीजिएट एक्शन होना चाहिए। सारे प्रशासन का ध्यान आकर्षित होगा और समाज को मालूम होगा कि इस प्रकार की घटनायें होती हैं उनके बारे में सरकार किस हद तक जागरूक है और क्या एक्शन लेना चाहती है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मनट ?

श्री अध्यक्ष : मैं अध्ययन करके उसके पश्चात् दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह लड़की मर जायेगी अस्पताल में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्या को पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए ताकि सरकार के ध्यान में आ जाये।

श्री अध्यक्ष : इनको मौका दे देता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री यदुनाथसिंह (नदबई): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको मालूम है कि वित्त मंत्री जी के विरुद्ध एक प्रिविलेज मोशन मैंने दे रखा है और वह आपके पास पेंडिंग है। जैसा मालूम पड़ रहा है उसके हिसाब के आज सरकार विधान सभा से भागना चाहती है। अगर किसी तरह से बजट को पास करा लिया गया इस सदन के द्वारा तो यह बिल्कुल गैर कानूनी होगा। यह सदन के सामने अलग बात होगी। तो जब तक, अध्यक्ष महोदय, आप उस पर जरूर व्यवस्था दें कि वायोलेशन किया है या नहीं वित्त मंत्री जी ने बजट प्राविजन्स का वित्त मंत्री जी ने प्रिविलेज का। हनन किया है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार भाग जायेगी। हमने और भी बहुत से मोशन्स दे रखे हैं। आज आसन की तरफ से उन सब पर व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला प्रस्तुत

(श्री अध्यक्ष)

किया है, वह मामला विचाराधीन है। यदि इस सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है तो जो विशेषाधिकार का प्रश्न है वह उसके साथ समाप्त नहीं होता, हमारे पास विचाराधीन रहता है। इसलिये, सत्र कब तक चले, कब तक नहीं चले इस प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह माननीय सदस्य को स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

समय जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मामले की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हू जिसकी चर्चा....

श्री अध्यक्ष : गाय वाला मामला ?

श्री राजबहादुर : हजारों की संख्या में गई हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको सदन के समक्ष पढ़ कर सुना दिया।

श्री राजबहादुर : राज्य सरकार के पास जानकारी है तो जवाब आ जाना चाहिये। स्टेटमेन्ट भी आ जाना चाहिये। उसकी रोकथाम भी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जानकारी के अभाव में मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता हूं। मैं तथ्य मंगवा लेता हू, उसके पश्चात् आवश्यक होगा तो मैं वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में खेजड़ी के पेड़ों को बुरी तरह काटा जा रहा है। इसके लिये 10 दिन पूर्व मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : इस प्रकार बीकानेर जिले में पेड़ काटे जा रहे हैं और चारों तरफ एक ऐसा वातावरण फैल रहा है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इस संबंध में पूर्व में व्यवस्था दे दी है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था, सरकार को जानकारी करनी चाहिये। अब जब राज्य सरकार के पास अधिकार हैं और वहां आपके पटवारी हैं तो क्यों नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

आज वहां चिन्ताजनक वातावतण है। एक तरफ राजस्थान के अन्दर मरु....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने भी सिफारिश की थी पेड़ लगे हुए हैं, उनको काटा नहीं जाय। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो पेड़ लगे हैं उनको रोकने का सरकार कतई कोई प्रयास नहीं कर रही है। यह विधान सभा का तीसरा सत्र समाप्त होने जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सरस्य, आपने

(श्री अध्यक्ष)

एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कुछ पेड़ों की कटाई की शिकायत की थी। उसका मुकद्दमा दर्ज हुआ है और उसका अन्वेषण हो रहा है ...

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

जो प्रस्ताव आप यहां प्रस्तुत कर देते हैं, उस पर कार्यवाही करने की हमेशा कोशिश करते हैं। इत्तला भी आये और अगर हम समझते हैं वक्तव्य दिलाना जरूरी होता है तो उसकी भी व्यवस्था करते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम कंवार।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : राज्य कर्मचारियों की आज राजस्थान में जो स्थिति है, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कल। आपने कहा था मुख्य मन्त्री जी से बात करके बताऊंगा। राजस्थान की हालत जानते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : आपने कहा था, मुख्य मन्त्री जी से बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री राम कंवार। यह बहुत कम अवसरों पर बोलते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बीकानेर जिले में खेजड़ी के जो पेड़ काटे जा रहे हैं।

(व्यवधान)

क्या इसी प्रकार सरकार चाहती है कि पेड़ काटे जायं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायं।

सभी माननीय सदस्यों के पास गम्भीर प्रश्न हैं। मैंने अनुमति दी है श्री रामकंवार को। आर्डर आर्डर।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 27-2-82 को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चाकसू में जो बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो गये।

श्री अध्यक्ष : मैं बाढ़ के सम्बन्ध में इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राम कंवार बैरवा : मंजूरी नहीं दी आपने लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक

(श्री राम कँवार बैरवा)

मिनिट लेना चाहूंगा। मैं बाढ़ सहायता मन्त्री जी को करीबन 20 पत्र लिख चुका हूं। वहां जब भी मैं जाता हूं तो तंग करते हैं। वे पैदल यात्रा करके आयेंगे और जब मैं मुख्य मन्त्री जी के सामने धरना दूंगा तो बहुत ज्यादा अव्यवस्था पैदा होगी। मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी लेकिन वह घोषणा करके उसके बाद में आज तक कुछ भी नहीं किया। जिनकी जमीन बह गई, जानवर बह गये, जो बेघर हो गये उनको न कोई रोजगार मिल रहा है और न उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि वे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकालें। आज हाउस बन्द करने को जा रहे हैं। इसलिये आज या कल में बाढ़ सहायता मन्त्री जी से कोई भी बयान देने के लिये कहें। यह भी बतायें कि बाढ़ पीड़ितों को रोजगार देने की उनकी जमीन ठीक कराने की और नई जमीन दिलाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, बाढ़ सहायता मन्त्री जी बयान दें ताकि मैं लोगों को जाकर सन्तुष्ट करूं। नहीं तो वे सब पैदल यात्रा करके अकाल राहत मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी के यहां धरना देंगे और फिर अव्यवस्था फैलेगी। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक अन्य स्थगन प्रस्ताव श्रीमती उजला अरोड़ा ने, उनके चुनाव क्षेत्र जमवारामगढ़, तहसील जयपुर के आवासीय भू-खण्डों के सम्बन्ध में दिया है। उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जानकारी प्राप्त होने के बाद उस पर निर्णय किया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। श्रीमती कमला पट्टे बांटकर आयी थीं, नक्शे भी बनवाये थे, लेकिन चरागाह की भूमि आबादी भूमि में नहीं बदली गई थी, उनको बेदखल किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं। जो प्रभावी लोग हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय भारद्वाज तक भी चाहते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जमीन नहीं मिले। वहां का जो सरपंच है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाह रही हूं इस बात के लिये कि श्रीमती गांधी के नाम पर 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर पट्टे बांटे थे। अब ये पट्टे केवल कागजों में ही रह गये हैं और उनको बेदखल किया जा रहा है। इस पर सरकार का ध्यान दिलाना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि ये तो आज या कल में चले जायेंगे और मेरी बात अधूरी रह जायेगी। श्रीमती कमला जी देकर आई थीं, ये कुछ बतायेंगी। मुझे बोलने की अनुमति दें, इस पर दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट इस पर चर्चा कर सकती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अभी बोल लूं।

(46)

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति दे दी। श्रीमती उजला अरोड़ा।

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने भी एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव माननीय आयुर्वेद मन्त्री जी के खिलाफ दिया था, जो जा रहे हैं। उस पर आज तक व्यवस्था नहीं दी गई।

उन्होंने सदन में गलत बयान दिये थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, आर्डर प्लीज।

व्यवस्था दे दी जायेगी, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : कब साहब ? सत्र तो समाप्त हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : सत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने पूर्व में भी निवेदन कर दिया। एक दफा हमारे पास विशेषाधिकार हनन का प्रश्न आ जाता है तो सत्र से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। सत्रावसान हो जाय तब भी वह हमारे पास रहता है। उसका डिस्पोजल तभी होता है जब मैं अथवा विशेषाधिकार समिति कुछ विनिश्चय दे दे।

श्री दाऊदयाल जोशी : विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। उसमें लोग खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद....

श्री अध्यक्ष : पढ़ी हुई है मेरी सब।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसमें सारी प्रक्रिया दी हुई है। माननीय मन्त्री महोदय के गलत बयान देने पर उनको किस प्रकार दण्डित कर सकते हैं। आप दण्डित नहीं कर सकेंगे। मेरी भावना है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं चाहूं जिस मामले को, यदि विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है, विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर सकता हूं और नहीं बनता हो तो उसको रिजेक्ट कर सकता हूं।

(व्यवधान)

सबके लिये मैं अवसर नहीं दे सकता हूं। इस पर चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद मन्त्री जी ने असत्य बात कही थी सदन में।

श्री अध्यक्ष : आज सदन में बहुत विषय विचारणीय हैं इसलिये, माननीय सदस्य ...

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है, विचाराधीन रखें, रद्द न करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सन् 1975 में श्रीमती गांधी के 20 संकल्पों के तहत मेरे क्षेत्र जमवारामगढ़ में भूमि दी गयी अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को, जिनकी संख्या हजारों में है। जमवारामगढ़ में ठीक चार सौ लोगों को ये आवंटन पत्र, जो मेरे हाथ में हैं, दियेगये। जिन पर सरकारी मोहर है, तहसीलदार के द्वारा इनको तैयार किया गया है। मान्यवर, तत्कालीन राज्य मन्त्री श्रीमती कमला वहां एक फंक्शन में पट्टे देकर आयी हैं। इसमें लिखा गया पट्टों की परिभाषा में कि इनके पीछे नक्शा नहीं बना पाये, जिसके कारण उस समय ये पट्टे आवंटित तो कर दिये गये लेकिन न तो उन्हें कब्जा दिलाया गया, न उस चरागाह की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किया गया। मान्यवर, मेरे यहां के काफी लोग जिलाधीश से मिले। मैं खुद एक बार इन्हीं पट्टों के संबंध में उनसे मिली। इन्द्रगढ़ के लोगों को एक प्रभावी हवलदार ने वहां से बेदखल करने के लिए उन पर गलत आरोप लगाकर, कि ट्रेस पावर हैं, इन्हें पट्टे नहीं दिये गये; गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मैं उसी समय एस. डी. एम., आमेर और यहां के एस. पी. से मिली और उनको कागजात दिखाये कि यह तो वे लोग हैं, जिन्हें सरकार ने पट्टे दिये। ट्रेस पासर वे हैं जो अपने प्रभाव से पुलिस के सिपाहियों के बल पर इनकी जगह पर आये हैं। तब उन्होंने जो गिरफ्तारी के वारण्ट दिये थे, उनको रोका। मान्यवर, इस तरह से आवंटन सरकार कर दे, इस तरह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े और बीस सूत्री कार्यक्रम, जिसके नाम का बार-बार गुणगान किया जाता है कि ये हमारी बुआ जी ने नाम पर गांव में हैं इसलिए इनको सही रूप से करायेंगे। मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहूंगी, अभी भी देर हो गयी है तो अब की बार उन्होंने क्या किया, बेदखल करने की कार्यवाही शुरू कर दी। जमवारामगढ़ के सरपंच ने, वहां पर जिन लोगों को पट्टे आवंटित कर दिये गये थे, उनकी जगह पर दूसरे लोगों को छप्पर बंधवा दिये और पत्थर लाकर पटक दिये। वे कहते हैं कि यहां पर नहीं है, आपको देंगे, आपका कब्जा.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जल्दी निवेदन करना चाहती हूं। कब्जा नहीं देते, बल्कि आपके 7 साल खतम हो गये। सात साल खतम हो गये तो भी सरकार ने कार्यवाही नहीं की। उनकी क्या गलती है, जिनको आवंटन पत्र दिये गये थे ? नक्शा बनाया नहीं, चरागाह की भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित की नहीं गयी, अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को बहकाया गया और अब उनको और परेशान किया जा रहा है। तो मैं समाधान के लिए कहना चाहूंगी कि उनको आबादी भूमि में परिवर्तित कर दिया जाय और जो पिछली पंचायतों ने अपने प्रस्ताव भेजे, तहसीलदार ने भी भेजे, सरकार उन पर कार्यवाही करे। जिससे ये जो वास्तविक लोग हैं जिन्हें दुखी देखकर, परेशान देखकर पट्टे दिये गये थे,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दो के नाम तो मेरे पास हैं, चार सौ के नाम पढ़ूंगी तो दिक्कत हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, तो जिन्हें पट्टे दिये गये थे, उन्हें वास्तविक कब्जा दिलवाया जाय। केवल मात्र कागजों में कार्यवाही कर जिस तरह से ताली बजवायी गयी, उनके नाम की, श्रीमती गांधी के नाम की, तो यह गलत परम्परा है। आगे भी इसी तरह से 20, 40 सूत्री 50 सूत्री और 5 सूत्री कार्यक्रम हमारे देश में और हमारे प्रदेश में गलतफहमियां फैलाते रहेंगे। लोगों के सामने वास्तव में उनका समाधान किया जाय। कहते हैं, वे तो करके दिखायें। इस तरह से बहकाने की कार्यवाही, उन्हें धमकाने की कार्यवाही, परेशान करने की कार्यवाही की जायेगी, कोई पुलिस में पकड़वायेगा, कोई वेदखल करेगा। मान्यवर, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, मेरे बोलने मात्र तक ही सीमित न रहें इस पर आप सरकार को आदेश दें कि वह जाकर कार्यवाही करे। श्रीमती कमला यहां बैठी हैं. केवल एक ही बात का उत्तर दे दें कि वे क्या फंक्शन में जाकर ऐसे पट्टे वितरित करके आयी थीं और क्या उन्होंने वहां के तत्कालीन अधिकारी और तत्कालीन कर्मचारियों को कह दिया था कि इनको कागजों में रहने देना, कार्यवाही न हो। इस का श्रीमती कमला जी उत्तर दें खड़े होकर कि 25 तारीख को वहां पट्टे देकर आयी थीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या। श्रीदाऊ दयाल जोशी।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : एक सैकण्ड में निवेदन है मेरा। मेरा निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो फेमिन के काम चल रहे हैं, कमजोर वर्ग को, अनुसूचित जाति के लोगों को एक-एक करके तहसीलदार के हाथ में मस्टर रोल देकर निकाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने ऐसा कुछ ...

श्री बंसीलाल पटवा : आप बोलने की दो मिनट की स्वीकृति दें। दो मिनट के लिए बाद में मुझे स्वीकृति फर्मा दें। मान्यवर, दीजिए।

श्री अध्यक्ष : तो कह दीजिए।

श्री बंसीलाल पटवा : कह दूं मैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव दिया है उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि पहले जो मस्टर रोल दिये थे, फेमिन के कामों में, पी0 डब्ल्यू0 डी0 या फेमिन के दफ्तर से ही टैक्निकल हैण्ड देते थे, ओवरसियर देते थे लेकिन अब झालावाड़ जिले में यह व्यवस्था की, दूसरे जिलों में क्या है, क्या नहीं है, यह मैं नहीं कह सकता हूं, अब तहसीलदार ही मस्टर रोल देगा। हालांकि तहसीलदार को इस तरह से इन्टरफियरेन्स करने का अधिकार नहीं है लेकिन वहां दोहरी व्यवस्था ऐसी चल रही है कि टेक्निकल हैण्ड जाकर सुपरवीजन करेगा, काम करायेगा। तहसीलदार मस्टर रोल देगा और इस तरह से तहसीलदार

(श्री बंशीलाल पटवा)

वहां पर काम कर रहे हैं, मस्टर रोल देते हैं मैटों को निकाल देते हैं। अनुसूचि. जाति के, कमजोर वर्गों के जो लोग काम कर रहे हैं, फेमिन में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऐसे सर्कूलर हैं, निर्देश हैं कि उनको नहीं हटाया जाय लेकिन उनको हटाया गया है। जैसे घूमड़ा रोड से 50 हटा दिये, धानपत रोड से हटा दिये इसी तरह से सूर सागर पर से भी हटा दिये। इस तरह से स्थिति ऐसी हो रही है यहां पर। वैसे भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काम कम चल रहे हैं, काला घोड़ा समझ कर, इस तरह से भेदभाव बरता जा रहा है। उसमें भी कमजोर वर्ग के लोग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं के पास न खाने को अनाज है, न खेती हुई है। उनकी दयनीय स्थिति है। उनको आज इस तरह से निकाला जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं, स्थिति ऐसी दयनीय की जा रही है। पानी और घास की यह व्यवस्थायें हैं, इनका तो अभाव है। यही कमजोर वर्ग के लोगों के पेट भरने के साधन थे, उनको भी दैनिक मजदूरी से निकाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : यह बिल्कुल अन्यायपूर्ण कार्यवाही है। इस सम्बन्ध में मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बारे में कुछ न कुछ एक्शन लिया जाय। दोहरी व्यवस्था इस फेमिन में चलेगी तो झगड़े होंगे। इसी तरह से गंगापुर में एक इन्जीनियर को पीट दिया गया, कहीं नायब तहसीलदार को पीट दिया गया। इस तरह की स्थिति वहां निर्मित हो रही है. भयावह स्थिति खड़ी हो रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है इसमें सुधार किया जाय, दोहरी व्यवस्था को समाप्त किया जाय। टेक्नीकल हैण्ड को, मैं नहीं कहता हूं कि किसको मेट रखें, किसको नहीं रखें। काम में अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसको निकालें. लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों को इस तरह से निकाला ··

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : अन्यायपूर्ण कार्यवाही है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ···

श्री अध्यक्ष : मैं इस तरह इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बालचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में निवेदन कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजन बस्तियों के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में आग तो सारे क्षेत्र में हो आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को कि झालावाड़ जिले में अधिकतर ग्रामीण हरिजन बस्तियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर हैण्ड-पम्प लगाने की बहुत ही उपेक्षा की है और वहां पर पीने के पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट

(50)

(श्री बालचन्द्र आर्य वीर)

और हरिजनों के जो गांव होते हैं वहां सार्वजनिक या बस्ती में जिनके यहां पर नल या हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, वहां उनको पानी भरने नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी बस्तियां हैं जहां पर हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं। और जगह भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां गरीब लोग 3-3, 4-4 मील से गन्दी नदी, नालों, कुछ इस प्रकार के नाले से पानी लाते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां पर इस तरह की घनी बस्तियां हैं, हरिजनों की, शिड्यूल्ड कास्ट की, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी, कोटा में स्कूल में ...

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश और प्रदेश में, जहां आज दो विदेशी शक्तियों द्वारा भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा को नष्ट-भ्रष्ट करने का योजनाबद्ध तरीके से षड्यन्त्र चल रहा है, इसका शिकार मेरा नगर भी है।

श्री अध्यक्ष : आपके वहां रहते हुए ?

श्री दाऊदयाल जोशी : रहते हुए, यही तो मेरा दुर्भाग्य है। इसी कारण मुझे तीन महीने का आर्थिक दण्ड मिला क्योंकि मैंने उनको ठीक करने की कोशिश की थी। मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद महीने भर की जेल मिली। उसके बाद सौ रुपये का दण्ड हुआ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि देश और प्रदेश पर आज संकट है। इसलिए ईसाई, जो विदेशी शक्तियों में हैं, राजस्थान में साढ़े तीन करोड़ से अधिक व्यय करके राजस्थान के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से राजस्थान की शिक्षा और संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। वहां पर नृत्य की शिक्षा का एक स्कूल चल रहा है। जहां पर ईसाई स्कूल खुले हुए हैं वहां पर पेट्रोल के डालर के आधार पर मुस्लिम संस्कृति भी राजस्थान की छाती पर आकर राजस्थान के जयपुर के पास ही एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने इसकी सूचना नहीं दी है। आप अपने विषय तक ही सीमित रहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, पिछले सत्र में भी मैंने निवेदन किया था, अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर के अन्दर क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल तीन-चार पादरी चला रहे हैं-सेंट सोफिया, सेंट पॉल, सेंट एंजिला एवं सेंट जॉन। मेरा आपसे यह निवेदन करना है कि सेंट सोफिया में जो बस चलती है उसमें छोटे-छोटे बच्चों, नन्हीं-नन्हीं कलियों को लेकर आते हैं। ये बच्चे अबोध होते हैं, बस बन्द कर दी जाती है और बस बन्द होते ही बच्चों को कहा जाता है कि बस खराब हो गयी है, क्या करें, बोलो ईसा मसीह की जय। और ईसा मसीह के चार नारे लगाए कि बस चलने लगती है। यह एक बहुत बड़ा संकट है मेरी संस्कृति पर, मेरे देश पर, मेरे धर्म पर। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके

(श्री दाऊदयाल जोशी)

साथ-साथ यहां योजनाबद्ध तरीके से ईसाई मिशनरीज हमारी नन्हीं नन्हीं कलियों को ईसाई धर्म की शिक्षा अपने तौर तरीके से देकर उनके छोटे-छोटे मस्तिष्क में धारण कराने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की शिकायत लेकर कोटा के नागरिक कोटा जिलाधीश के पास गये और पांच रुपये के स्टाम्प पर गोविन्दराम रिजाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि सेंट जॉन स्कूल में बच्चों से, मेरे तीन बच्चों से दो-दो सौ रुपये की फीस ली गई और मुझे रसीद केवल 50 रुपये की दी है। कलेक्टर को बाकायद शिकायत की। उस स्कूल का आय-व्यय अंकेक्षण नहीं हुआ। राजस्थान सरकार से वह स्कूल सहायता प्राप्त करता है, कोटा नगर परिषद् से सहायता प्राप्त कर रहा है। इसके बावजूद वहां की अध्यापिकाओं ने लिखित में शिकायत की कि हमें जो वेतन दिया जा रहा है, जितने रुपयों पर हमारे हस्ताक्षर करवाये जाते हैं उससे चौथाई रकम भी हमें प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार से राजस्थान सरकार और नगर परिषद् की ऐड पर पलने वाला, क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा संचालित सेंट जोन स्कूल कोटा नगर में कोटा की जनता को, कोटा के आम आदमियों को लूट रहा है। वहां पर इस प्रकार की लूट चल रही है उसके बावजूद वहां का कोई अधिकारी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करता है। ऊपर के इशारों के कारण और ईसाइयों का दबदबा होने के कारण एक संकटापन्न अवस्था है। कोटा में क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा जो गलत तरीके से शिक्षा दी जा रही है, जिसके आगे चलकर दुष्परिणाम निकल सकते हैं, जो कुकृत्य किये जा रहे हैं भ्रष्टाचार किया जा रहा है, गलत तरीकों से जो आय-व्यय के आंकड़े बता करके और अन्य गलत तरीके अपनाये जा रहे हैं, मेरा आपके द्वारा माननीय गृह राज्य मंत्री को निवेदन है कि इस स्कूल पर तुरन्त पाबन्दी लगाकर इसके कार्य को रोका जावे। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा, तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत ग्राम टीकरिणयां के देवा पिता श्री मूला मीणा की मारपीट कर हत्या के सम्बन्ध में।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आए दिन देश में डकैतियां, हत्यायें बलात्कार कई ऐसे असामाजिक कुकृत्य प्रकाश में आ रहे हैं। परन्तु उदयपुर सम्भाग में इन दिनों पुलिस थानों में आदिवासियों की हत्या होती है। यदि कोई समृद्ध व्यक्ति हत्या का प्रयत्न करता है तो पुलिस उसको संरक्षण देती है। इस तरह का वातावरण उदयपुर सम्भाग में बना हुआ है। स्थिति यह बनती जा रही है कि गरीब तबके के लोग अपने आपको असुरक्षित अनुभव करते हैं। कब कौन उन्हें मार डालेगा, कब कौन उसकी बहू-बेटी के साथ बलात्कार करने का दुस्साहस करेगा और सरकार के सामने जब वह जायेगा तो सरकार के दरवाजे उसके लिए बन्द रहेंगे। ऐसी हालत उस क्षेत्र में बनती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, दो मार्च, 1982 को श्री देवा पिता मूला मीणा निवासी टीकरिणयां की मार-पीट करके हत्या कर दी गयी। तारीख 3 की

(S2)

(श्री नन्दलाल मीणा)

प्रात: को पुलिस थाना, बड़ादेर जो लगता है, वहां पर वहां के एक चश्मदीद गवाह ने जाकर शिकायत की कि थानेदार साहब, देवा की हत्या इन-इन व्यक्तियों ने कर दी है। अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक उन हत्यारों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिस व्यक्ति की हत्या की गई उसके सम्बन्धी उस थानेदार के पास पहुंचते हैं तो उनको डरा व धमका कर, अध्यक्ष महोदय, वहां से भगा दिया जाता है। यह कहकर भगा दिया जाता है कि हत्या होनी थी वह हो चुकी, अब हमको जो देखना होगा वह हम कर लेंगे। दूसरी तरफ हत्यारे खुले आम घूम रहे हैं और उनको पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं वे उनको संरक्षण दे करके गवाहों को बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क करके इस मामले को रफादफा करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को उसके सम्बन्धियों ने आई० जी०, डी० आई० जी० और जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि इस तरह से हमारे सम्बन्धी की हत्या कर दी गयी है, हत्यारे आजादी से घूम रहे हैं और हम उसकी शिकायत करने के लिए थानेदार प्रभारी के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, डी. आई. जी. के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं तो हमको रास्ते में रोका जाता है, हमको इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में खादिया भील की हत्या कर दी गई और यह देवा मीणा की हत्या गांव वालों ने की तो पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आखिर ये गरीब किसके माध्यम से जीवन-यापन कर सकेंगे? कौन इनकी सुरक्षा का जिम्मा लेता है, अध्यक्ष महोदय? मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा, सदन में कम से कम। यह कुछ भी करें, इनकी सरकार में क्या स्थिति है, इनकी चलती है, या नहीं, मैं नहीं कह सकता। परन्तु वह गरीब आदमी जो असहाय बैठा हुआ है, उसकी रोजी-रोटी छीन ली, उसकी जमीन बाकायदा छीन ली, जंगल छीन लिए, आज उसकी जान से खिलवाड़ करने के लिए लोग आमादा बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि उन लोगों, जो हत्या करते हैं, जुर्म करते हैं को कम से कम यह सरकार के नियम बने हुए हैं, कानून बना हुआ है, संविधान में व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत, कार्यवाही करने के लिए बाध्य करें, विवश करें। यह सरकार चलने वाली नहीं है, अध्यक्ष महोदय। पहले भी भगाना मीणा की प्रतापगढ़ में हत्या कर दी गयी। बड़े बड़े तस्कर, मध्यप्रदेश के तस्कर आते हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां के डिप्टी मिनिस्टर रामपाल जी, जो आजकल सहकारिता मंत्री हैं, से सम्पर्क किया और सारे मामले के उदाहरण जो

(श्री नन्दलाल मीणा)

दिए, उनके सामने रखे। कभी डी. एस. पी. से इन्क्वायरी कराते हैं, कभी सी.आई. डी. को केस दिया, कभी और कुछ किया। लेकिन आज स्थिति यह हो रही है कि देवा मीणा की हत्या तो कर दी गयी है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन सारी कार्यवाही को रफा दफा किया गया। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि इन असहाय लोगों के बारे में आप इनके कान पकड़ें और आप कुछ कहें। ऐसे मामलों में कम से कम, सतर्क तो रहें।

श्री अध्यक्ष : श्री भूपालसिंह, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : उन्होंने कह दिया, पर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल, चम्बल की नहरों में पानी...

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी विधान सभा में मैंने यह प्रश्न रखा था कि चम्बल की नहरों में पानी छोड़ने और बन्द करने में मनमानी की जा रही है। एक नियम है कि जहां कहीं नहरें होती हैं वहां जल वितरण समितियां बनायी जाती हैं। राजस्थान में चम्बल की नहरों में शायद वह एक अपवाद है कि वहां कोई जल वितरण समिति ही नहीं है। इसलिए आफिसर्स बैठ करके तय करते हैं कि नहरों में पानी कब छोड़ा जायेगा और कब बन्द किया जायेगा। माननीय विधि मंत्री जी, आप भी उसी क्षेत्र से हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इन अधिकारियों पर कुछ कण्ट्रोल करें। पिछले साल भी आपके माध्यम से यहां निवेदन किया था तो बीस दिन बाद पानी छोड़ दिया गया। जब वहां के किसान जाकर मिले तो कहा गया कि पानी की एक बूंद नहीं है लेकिन यहां कहने के बाद एक बूंद की जगह कई दिन तक पानी चलता रहा। यह पानी कहां से आता है, पता नहीं लगता। इस बार भी एक प्रोग्राम बनाया था, अध्यक्ष महोदय, वह था 20 मार्च तक के लिए लेकिन 28 फरवरी को नहर बन्द हो गयी। पानी इतना कम चला दिया कि नहर नहीं चली। 5 मार्च से पानी बिल्कुल बन्द कर दिया गया। किसान यह समझता था कि पानी 17 या 20 मार्च को बन्द होगा। इसी आशा में उन्होंने अपने यहां सिंचाई की व्यवस्था की लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। किसानों ने बार-बार कहा कि लिखित में यह प्रोग्राम बनाया है तो आप 20 मार्च तक तो पानी चलाइये लेकिन नहीं चलाया गया। 5 मार्च से वहां पानी बन्द है। वैसे ही लेट फसल हुई है, इरिगेशन के अभाव में फसलें सूख गयीं। वहां जाकर चीफ इन्जीनियर से बात की, सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर से बात की, किसी को सुनने की फुरसत नहीं थी। जब आपके माध्यम से निवेदन किया तो हमको यह कहा जा रहा है कि 25 मार्च तक नहरें चला दी जायेंगी। 5 मार्च से लेकर 25 मार्च तक यह जो 20 दिन निकले हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय, यह किसानों के लिए कष्टदायक

(५४)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके प्रतिवेदन पर इन अधिकारियों ने एक्शन लिया। लेकिन मनमाने ढंग से ये नहरों को बन्द कर देते हैं। इन्होंने प्रोग्राम बना दिया लेकिन उसके पहले ही नहर बन्द कर दीं। मेन कैनाल में पानी इतना कम कर देते हैं कि कोई नहर चल नहीं पाती है। यह जो मनमानी सिंचाई विभाग चम्बल पर कर रहा है इस पर आप कण्ट्रोल कीजिए। पिछली बार भी बाध्य होकर हमने यहां पर प्रश्न उठाया था। माननीय सिंचाई मंत्री जी, सब जगह नहरों से संबंधित एडवाइजरी कमेटी है। एक चम्बल ही अपवाद क्यों? इसकी कोई एडवाइजरी कमेटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा यह जो मनमानी है विभाग की, इसके कारण किसानों को कष्ट उठाना पड़ता है, उनकी फसल को क्षति होती है, इस पर आप पाबन्दी लगायें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : नहरों वाले पर दो मिनट बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो चम्बल की नहरें हैं, मुख्य नहर से हमारे इलाके में इटावा ब्रांच कैनाल, अयावा ब्रांच कैनाल से पानी जाता है। मेरा जो पीपल्दा क्षेत्र है, वह टेल पर है। सब इलाकों में तीन सिंचाई होती है लेकिन मेरे इलाके में गन्ने और चावल के लिए बार बार कहने के बाद भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो कुछ सिंचाई हो रही है वह एक कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग टेल पर पड़ते हैं। लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूट्री, छापोल डिस्ट्रीब्यूट्री, कजलिया गेंता डिस्ट्रीब्यूट्री, इनके टेल के किसान हमेशा बेचारे दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। इसी तरह मूडला माइनर और शेरगढ़ माइनर के टेल पर पानी आज दिन तक पहुंचा नहीं है। किसान बार बार आते हैं, दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो सिंचाई का कार्यक्रम है कि किन दिनों में नहर चलेगी, किन दिनों में नहीं चलेगी, इसका हमारे किसानों को पता नहीं होता है। न यह कार्यक्रम किसानों की इच्छा के अनुसार चलता है और न किसान को पता रहता है कि किन दिनों कौन सी डिस्ट्रीब्यूट्री के अन्दर, कौन से माइनर पर चलेगी। यह अधिकारी जब चाहे तब खोल देते हैं जब चाहे तब बन्द कर देते हैं। किसान दफ्तर में पूछने आता है तो उनको बताया नहीं जाता है, कब खुल रही है, कब बन्द हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मेरा टेल का इलाका है, उसमें दो फसलें होती हैं किन्तु उनको बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाता है। एक कार्यक्रम के अनुसार पानी नहीं मिला इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनसे माननीय सिंचाई मन्त्री पूछें। मेरा टेल का इलाका

(श्री हीरालाल आर्य)

पीपल्दा है, जो बराबर गन्ने और चावल की खेती के लिए पानी की मांग करता आ रहा है, उनके लिये शीघ्र सिंचाई की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कार्य सलाहकार समिति के 14 वें प्रतिवेदन पर विचार।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल इस पर कुछ समय के लिए चर्चा हुई थी पर पूरी चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि बैठक की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी थी। इसलिये इस पर पुनः आज चर्चा होगी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम 215 के परन्तुक (2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। परन्तुक यह है कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घण्टे से अधिक समय नियत नहीं किया जायेगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा। कल सदन ने चर्चा की थी, आज मैं दुबारा आधा घन्टे का समय निश्चित करता हूं इस हेतु।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप समय बढ़ा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं बढ़ा सकते। आधा घन्टा कर लीजिये चर्चा, मतलब 1 बज कर 22 मिनट पर इस पर चर्चा समाप्त होगी। उस वक्त इसको सदन के मत को जानने हेतु रखा जायेगा।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, नियम सम्बन्धी आपत्ति है....

सुश्री पुष्पा जैन : आपने व्यवस्था दी थी, मुझे बोलने की।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक महिला की मृत्यु हुई, उस पर अलाउ कर दें।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर सात दिन में सरकार से जानकारी

श्री देवीसिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं....

श्री देवीसिंह भाटी : पूर्व में आसन ने व्यवस्था दी थी, बी. एस. सी. की सलाह पर आपने व्यवस्था दी थी, जो स्थगन प्रस्ताव दिये जायें उनकी कम से कम सात दिन में राज्य सरकार से सूचना आ जाये। मेरे 25–25 दिन के पूर्व....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आसन से व्यवस्था दी गयी थी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन से कोई व्यवस्था दी जाती है, यह आवश्यक नहीं कि....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायं। माननीय

(श्री ग्रध्यक्ष)

सदस्य, व्यवधान न डालें ।

मैंने ग्राधे घंटे का समय निश्चित किया है । मैं किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा । सुश्री पुष्पा जी एक विषय पर बोलना चाहती हैं तो इसमें से दो मिनट का समय दिया है ।

माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मन चाहे ढंग से समय व्यतीत नहीं करें....

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापने व्यवस्था दी थी....

श्री ग्रध्यक्ष : मैं ग्रापसे यहां चर्चा नहीं करूंगा । ग्रगर मेरी राय जानना चाहते हैं, या मेरे से कुछ करवाना चाहते हैं तो कृपया ग्राप मेरे दफ्तर में पधार जायं । मैं बात करूंगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रब ग्राज तो....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । यहां पर मैं कोई व्यवस्था नहीं दूंगा । ग्रार्डर, बैठ जायें ।

श्री देवीसिंह भाटी : 61 करोड़ का घोटाला हुग्रा ...

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठ जायें । ग्रंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री ग्रध्यक्ष : कुमारी पुष्पा । ग्रार्डर, माननीय सदस्य । कृपया समय का ध्यान रखें ।

श्री देवीसिंह भाटी : X××

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझ से ग्रलग से मिल लें । मैं ग्रापकी बात समझने की कोशिश करूंगा ग्रौर यदि संभव हुग्रा तो मैं कुछ मदद करने की भी कोशिश करूंगा । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए । दो मिनट में ग्रपनी बात कह दें, विचाराधीन विषय के बीच में ग्रापको समय दे रहे हैं ।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

सुश्री पुष्पा जैन : ग्रध्यक्ष महोदय, जिस केस के तथ्य मैं यहां बताने जा रही हूं, उसके कारण मुझे बड़ी वेदना है, बहुत ही दुःख है । राजस्थान के इतिहास में ग्रापके शासन काल में दरिन्दों का प्रवास है । महिलाग्रों के साथ, कुंवारी कन्याग्रों के साथ ग्रकेले घर में एक नहीं छः छः दरिन्दों द्वारा पाशविक व्यवहार किया जाता है फिर भी सरकार इस सम्बन्ध में मौन साध कर बैठी हुई है । ग्रध्यक्ष महोदय, जनाना ग्रस्पताल की नर्स कुमारी शशि शर्मा, जो वर्तमान में जालुपुरा में रहती थी, की महेश ग्रग्रवाल, जो गुडविल ट्रान्सपोर्ट में मैनेजर है, से जान पहचान थी । महेश ग्रग्रवाल ने कुमारी शशि को यह झांसा दे रखा था कि वह उससे विवाह करेगा निश्चित रूप से । इस सम्बन्ध के नाते वह उसके यहां ग्राता जाता रहता था । ग्राज

××× : माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया ।

(सुश्री पुष्पा जैन)

से करीब कुछ माह पूर्व महेश शर्मा ने भरतपुर में जाकर विवह कार लिया। इसकी सूचना उसने यहां आकर 14 तारीख को इस नर्स शशि शर्मा को उसके घर पर दी कि मैंने मजबूरी में विवाह कर लिया है और मैं उसके लिए बहुत ही खेद प्रकट करता हूं। बेचारी लाचार लड़की थी। मैं बताना चाहूंगी कि शशि शर्मा के रिश्तेदारों के नाम पर इस समय एक विधवा मां है, जो भरतपुर, नदबई में एक नर्स का काम करती है और एक भाई है जो यहां से बहुत दूर नौकरी करता है। परिवार के नाम पर इनके अलावा उस लड़की के साथ जयपुर में कोई नहीं है। उस लड़की ने कहा, जब तुमने विवाह कर लिया तो अब मैं क्या कर सकती हूं अलावा इसके कि मैं जिन्दगी भर कुंवारी रहूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। इसके बाद महेश अग्रवाल ने उसको एक पदार्थ पिलाया, जिससे लड़की अपने होश खोने लगी, बेहोश होने लगी। इसके बाद महेश अग्रवाल और उसके साथ आये छः अन्य लोगों ने उस लड़की के साथ बड़ी जबरदस्ती, पाशविक तरह से रेप किया। पशु भी उससे बेहतर होंगे, मैं समझती हूं, इन्सान के रूप में उन दरिन्दों ने उसके साथ रेप कमिट किया। एक नहीं छः छः व्यक्तियों ने। अध्यक्ष महोदय सिर्फ यही नहीं उन्होंने इस सुराग को दफनाने के लिये, एक मात्र सबूत को खत्म करने के लिए उस लाचार लड़की को जहर दे दिया। उसके बाद वहां से नदारद हो गये। अध्यक्ष महोदय, उस लड़की को बेहोश अवस्था में नहीं मालूम किस तरह अस्पताल में पहुंचाया गया। तीन दिन तक डाक्टर पी. एम. शर्मा के वार्ड में रखा गया तथा वर्तमान में वह लड़की कॉटेज वार्ड, जो नर्सेज के लिए रिजर्व कॉटेज है, में एडमिट है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या। आपको अवसर दिया गया। आपने दो मिनट चाहे थे, पांच मिनट हो गये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है, यह फैक्ट मैं इसलिये नहीं बता रही कि मुझे बताने का कोई बहुत बड़ा शौक है। इस केस के महत्व को समझते हुए, संजीदगी को समझते हुए मैंने यह जरूरी समझा कि इसको यहां रखूं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट हो गये, माननीय सदस्या, दो मिनट के स्थान पर।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आपको भी दुःख होगा अगर अस्पताल में उस लाचार पड़ी लड़की से जाकर मिलेंगे। आपका भी रोआं रोआं रो पड़ेगा। मैं समझती हूं, हम सब, यहां जो बैठे हुए हैं, की बहिनें हैं, सबकी बेटियां हैं, सबकी मां हैं, हम अपनी औरतों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो कोई अधिकार नहीं हमें इस शासन में रहने का। मैं समझती हूं, राजस्थान के मुख्य मंत्री में जरा भी इन्सानियत है तो ऐसे केस को देखने के बाद तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी अस्पताल में उसके लिये कोई दवा का प्रबन्ध नहीं, जान बूझकर ऐसा प्रयास किया जा रहा है, वह

(सुश्री पुष्पा जैन)

(12.52 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)।

उसका कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। कल की तारीख में जब मैं उससे मिलने गयी, वहां डाक्टर नहीं था। उस लड़की की हालत खराब है, लगातार कई दिनों से ब्लीडिंग हो रहा है, डेथ बेड पर वहां पड़ी हुई है। मैंने जाकर डाक्टर बुलाया, तब जाकर रात को डाक्टर आया और उसने इंजेक्शन लगाया। लड़की की मां नर्स है, लड़की स्वयं नर्स है, वह कहती है, यह चीज चाहिए, यह चीज चाहिये लेकिन डाक्टर उस पर ध्यान नहीं देता। इतने सीरियस केस को अगर सीनियर डाक्टर नहीं देख सकते तो इतने बड़े डिपार्टमेन्ट, इतने बड़े अस्पताल का क्या फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मांग करूंगी माननीय गृह मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय से कि इस केस की संजीदगी से जांच करवायी जाय। कुछ लोग जान बूझ कर इसके तथ्यों को दबाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इस केस के तथ्य उजागर हों। जैसी मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगी कि महेश अग्रवाल के साथ डाक्टर भी इन्वाल्व्ड हैं। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर जिनका कार्य इन्सान की जिन्दगी की रक्षा करना है उन्होंने बेचारी इस लड़की के साथ यह सलूक किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि ऐसी स्थिति में आज सरकार मौन है। 14 तारीख को केस हो गया, लड़की 14 तारीख से अस्पताल में भर्ती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी या नहीं ?

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. दर्ज हो गई, इसकी सूचना मंत्री महोदय को होनी चाहिये। यह मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य था तथ्यों को यहां लाकर रखना। मैं चाहूंगी कि माननीय गृह मंत्री, मुख्य मंत्री यहां आयें और क्या सच है....

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम है या नहीं ?

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि एफ. आई. आर. दर्ज हो गई है लेकिन डाक्टर अभी तक उस बेचारी का सही इलाज नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, 25 हजार रुपये तक की उस लड़की, उसकी मां को आफर दी गयी कि वह इस तथ्य को नहीं बतावे पुलिस के सामने। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संजीदा सवाल है। मैं मांग करूंगी कि इस केस की सही तफतीश नहीं करवा सकते, मुल्जिमों को अरेस्ट नहीं करवा सकते तो ऐसीXXXसरकार को भी इस राजस्थान में रहने का कोई अधिकार नहीं, उसे तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये। अगर अबलाओं की रक्षा नहीं कर सकते तो श्रीमती गांधी की दुहाई

XXXशब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(सुश्री पुष्पा जैन)

देकर यहां बैठने वालों, मैं आपको आगाह करूंगी कि भविष्य में ये महिलायें आपको मार मार कर राजस्थान से भगा देंगी । महिलाओं की रक्षा सरकार का परम कर्त्तव्य है ।

श्री उपाध्यक्ष : रक्षा की जायेगी । माननीय सदस्या, इन्वेस्टीगेशन होने के बाद अगर जुर्म साबित हुआ तो सजा भी मिलेगी ।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सजा अगर नहीं देंगे तो मैं चाहूंगी कि उन दरिन्दों को....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार को आगाह करना चाहूंगी कि अगर सरकार ने ऐसे केसेज की तरफ ध्यान नहीं दिया, महिलाओं, अबलाओं की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती है तो यही महिलाएं कानून को अपने हाथ में लेकर ऐसे दरिन्दों को गोली से उड़ा देगी । राजस्थान में वह समय जल्दी आने वाला है । अगर सरकार अपने हाथ में चूड़ियां पहन कर बैठी है हमने चूड़ियां नहीं पहनीं । हम छोड़ देंगी चूड़ियों को । हमें मजबूरन मैदान में आना पड़ेगा ऐसी महिलाओं की रक्षा के लिये हमें गोलियां चलानी पड़ेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बन्दूक चलाना सीखा है ?

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सीखना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : मामला ऐसे लाइटली लेने वाला नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, यहां इस तरह से पूछ रहे हैं कि एफ. आई. आर- दर्ज करवायी नहीं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, इनको कहने दें ।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : यह मामूली मामला नहीं है । ये केस हो रहे हैं यह ठीक नहीं है । यह मजाक में लेने की बात नहीं है बहुत गम्भीर बात है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्या ।

श्रीमती विद्या पाठक : मेडिकल जांच कराने में बहुत कठिनाइयां होती हैं ....

(व्यवधान)

इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय गृह मंत्री जी बाहर क्यों गये, यह सुनने की ताकत नहीं उनमें । आकर बैठें तो सही, सुनें तो सही । मुझे तो लड़की सत्य को उजागर करने में समर्थ ना हो सके ।

(60)

(सुश्री पुष्पा जैन)

यह उम्मीद थी कि माननीय गृह मंत्री स्वयं कहेंगे कि तथ्य उनके पास हैं और वे सदन में स्टेटमेन्ट देने को तैयार हैं। खेद की बात है कि यह कहने के बजाय खुद ही कूच कर गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मांग करती हूं कि राज्य सरकार आज ही स्टेटमेन्ट दे, सदन में सभी महिला सदस्यों की भी मांग है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बैठिये, यह मामला बहुत सीरियस है।

सुश्री पुष्पा जैन : सरकार इस सम्बन्ध में जरूर स्टेटमेन्ट दे। आज ही अस्पताल में जाकर यदि आप उचित समझें तो मानवता के नाते, उस लड़की का ...

श्री बृज सुन्दर शर्मा(मंत्री संसदीय कार्य) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में जो संशोधन हुआ है ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहां से आ गई ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : एक बजे तक समय है प्रतिवेदन में। एक को तीन से सब्सटीट्यूट किया जाय।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर '

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले बात कह लूं अपनी, पीछे आप कह देना।

श्री भंवरलाल शर्मा : इन पर थोड़ा ध्यान दीजिये। इनकी बात तो सुनिये।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। अगर इतनी संजीदा बात को पूरी सुनने के लिए तैयार नहीं तो आप करेंगे क्या।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बैठिये। ऐसा है जो बात आपको जितने फोर्स के साथ कहनी चाहिये थी उतने फोर्स से कह दी, इससे ज्यादा कही नहीं जा सकती। इसका नोटिस भी सरकार ने ले लिया। अब बैठ जाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तुरन्त एक्शन ले रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मुझे बड़ा खेद है कि इतनी संजीदा बात के बीच में माननीय बृज सुन्दरजी शर्मा ने अन्य मुद्दा उठा दिया।

(1.00 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्या। आसन पैरों पर है।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्या, श्रीमती सूरजदेवी को कहने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, उनको मैं अवसर दूं या न दूं यह मेरे विवेक पर है।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायं। ऐसा था कि 12.52 बजे विचाराधीन विषय था, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन पर विचार, उसको मैंने ले लिया था। उसके बाद में समय भी निश्चित कर दिया था। उसी दरमियान में कुमारी पुष्पाजी ने एक अल्पकाल की चर्चा का दो मिनट की चर्चा का प्रश्न उठाना चाहा। मैंने उस प्रश्न को महत्व पूर्ण समझा इसलिये बीच में इजाजत दे दी थी। माननीय सदस्या करीब 15-20 मिनट तक बोलीं। उसके बाद सरकार की ओर से जो कोई उत्तर आना था वह भी आ गया। अब वह प्रकरण समाप्त होता है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इसमें कोई उत्तर की भी व्यवस्था नहीं थी; सिर्फ मैन्शन करना था कि सरकार को उत्तर देना चाहिये। बहुती ही दुखद घटना है। मेरी सहानुभूति है। माननीय सदस्या, मैं कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज.। बैठ जाइये। इसको भाषण का विषय न बनाइये। माननीय सदस्या !

(व्यवधान)

दुखद घटना है, मैं स्वयं मानता हूं।....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतना गम्भीर प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। बोलने का विषय नहीं है। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह गम्भीर विषय है....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आर्डर, माननीय सदस्य।

सरकार की ओर से कोई संशोधन प्रस्ताव आ रहा है।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

दिन के अन्त में अवशिष्ट कार्य को पूर्ववर्तिता

श्री राजबहादुर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पहले संशोधन प्रस्ताव।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, रूल 26 का प्रोविजो कहता है :

"Provided that notwithstanding anything contained in rules 24 and 25 any such business, which

(श्री राजबहादुर)

is under discussion at the end of that day, shall be set down for the next day allotted to business of that class, and shall heve precedence over all other business set down for that day." .

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री राजबहादुर : कल जो बिजनेस चल रहा था, सहकारिता की डिमाण्ड उस पर सबसे पहले विचार होगा। That was the business of the day.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : इससे आगे जा नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पाइन्ट आफ आर्डर को निरस्त करता हूं। मैंने आपको सुन लिया है।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन

मैं अनुमति देता हूं मन्त्री महोदय को वह कोई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। मन्त्री महोदय प्रस्तुत करें।

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आयेगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुखबन्द का समय एक बजे के स्थान पर तीन बजे किया जाये।

श्री अध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव विचारार्थ लिया गया।

अब आप कह सकते हैं। पाइन्ट आफ आर्डर की इजाजत दे रहा हूं। मैंने समय निश्चित किया है चार मिनट। 1 बज कर 22 मिनट के पहले। इस वक्त तक सभी प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछ लेंगे। इस समय का प्रयोग जिस तरह से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। पांच मिनट से अधिक बोलने का, माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

नियमों में प्रावधान नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहाकार समिति के प्रतिवेदन में संशोधन

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हमको ऐसा लग रहा है, × × × कोई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए माननीय मन्त्री महोदय खड़े हुए। उसके बाद दूसरे मन्त्री महोदय को बुलाया गया। फिर दूसरे मन्त्री महोदय ने ...

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

क्षमा करिये, पहले सुन तो लीजिये।

वह भी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये खड़े हुए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले हम अपना यह पाइन्ट आफ आर्डर रखना चाहते थे कि न माननीय विधि मन्त्री महोदय और न राजस्व मन्त्री महोदय इसमें संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष के द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये हैं, उसके संकलन के पेज नम्बर 22 पर पढ़ें आप। नम्बर दो में है-प्रवर समिति के जिस सदस्य ने प्रतिवेदन पर अपना असहमति पत्र नहीं दिया है, वह संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता है। जी हां, राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, 1964 के खण्ड 2 पर बोलने के लिए श्री मोतीलाल चौधरी का नाम पुकारा गया तो श्री मथुरा दास माथुर, सहकारिता मन्त्री ने आपत्ति की :

"He cannot move an amendment. He was a Member of the Select Committee ano he did not give any dissenting note."

ऐसी आपत्ति श्री रामानन्द अग्रवाल के लिए भी उठायी गयी। इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दे दिया है उनको फिर भी अधिकार है। जिन्होंने बिलकुल नहीं दिया है, वह बिलकुल सहमत हैं इसलिये उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दे दिया है, वे अमेन्डमेन्ट दे सकते हैं। दोनों माननीय सदस्य कार्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं। हम तो वाक आउट करके चले गये थे। हमने डिसेन्ट नोट दिया था। दोनों माननीय सदस्य उस कमेटी के सदस्य हैं....

श्री परसराम मदेरणा : वह सलेक्ट कमेटी के लिये है,....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं कार्य सलाहाकार समिति की बात करता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो स्वयं सहमति वहां देकर के आये हैं, वह माननीय दोनों सदस्य कमेटी के सदस्य हैं फिर अमेन्डमेन्ट क्यों। अमेन्डमेन्ट आखिर क्यों आ रहा है? यह मालूम तो पड़े कि वह क्या है। यह सरकार कैसे चला रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मुखबंदी का समय एक बजे न रख कर तीन बजे रखा जाये, यह रखा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, सरकार भाग रही है। कल भागने के बजाय आज ही भाग रही है। दो दो मंत्री भगाकर ले जाना चाहते हैं सरकार। एक बजे का समय चला गया है। एक बजे के बदले तीन बजे का संशोधन 1.05 पर रखा गया। ऐसी ताबड़ तोड़ क्यों हो रही है? क्यों घबरा रहे हो? कर्मचारियों का आन्दोलन चलने से ऐसी अवस्था क्या हो गई? ऐसी परेशानी कौन सी प्रकट हो

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गयी ? कार्य सूची जो रात्रि को हमें मिली है, उसमें आपने सूचना दी है कुछ और भी है। मैं आपको बताऊं, आज का हमारा कार्य-क्रम है उस कार्यक्रम के अन्दर जो मांग चल रही थी वह पूरी नहीं हुई है। सिचाई की मांग है फिर मुख बंद की बात है। पता नहीं, ऐसा क्या आसमान गिर रहा है। आपकी घबराहट, आपकी परेशानी, आपकी दिल की धड़कन यह बात साबित कर रही है कि कर्मचारियों का आन्दोलन सही है। वे सही हैं। उसको फेस करने की स्थिति में आप नहीं हो इसलिये इस प्रकार की स्थिति ला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दोनों कमेटी के माननीय सदस्य हैं, इनको अमेन्डमेन्ट मूव करने की अनुमति न दी जाये।

एक माननीय सदस्य : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।...

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के संकलन में दिया हुआ है, यह बिलकुल कार्य सलाहकार समिति के संशोधन के बारे में है। पेज 222, नम्बर 4 पर है "परम्परा के अनुसार सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।....

श्री अध्यक्ष : विपक्ष ने संशोधन प्रस्तुत है। इसके पहले भी एक बार कर दिया था। पहले ऐसी परम्परा थी कि यूनेमिसली हाउस अडाप्ट करता था....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले ऐसी परम्परा थी, पहले विपक्ष को सुनते भी थे। पहले ऐसी गई बीती सरकार कभी नहीं आई जो मुख बन्द करके सब मांगों को पास करा के ले जाय। पहले ऐसी नहीं थी।....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : भूतपूर्व सिचाई मंत्री मैम्बर थे, एजेण्डा पूरा किये बगैर ही भाग गये थे।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।...

श्री राजबहादुर : मैं विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं। मैं नियम समिति का सदस्य हूं। जो निर्देश जारी हुए उनमें नियमों पर पुनर्विचार करने के लिये कहा गया था। जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक यह व्यवस्था स्थापित है, किसी प्रकार इसमें संशोधन नहीं हुआ है। आयन्दा संशोधन हो तो बात अलग है। कोई संशोधन नहीं दे सकता है कार्य सहालकार समिति की रिपोर्ट के ऊपर।...

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो कल कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया उसमें एक संशोधन लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, वह लाया नहीं जा सकता है। रूल 23 की मंशा पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही है। रूल 23 के प्रोविजो में कहा गया है–

65

(श्री यदुनाथसिंह)

"Provided that two days in a month shall be allotted for the transaction of private members' business, subject to such variations as the Speaker may consider necessaly or convenient.

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत से महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता था। मैं बहुत से महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखना चाहता था। एक विषय मैं यह रखना चाहता था जिसकी वजह से आज विधान सभा को स्थगित करना पड़ रहा है। विधान सभा के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। एक विषय मैं यह रखने वाला था, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कि विधान सभा स्पीकर को आटोनामस पावर हो। तनख्वाह बढ़ाने और इमॉलूमेंट्स बढ़ाने के अधिकार स्पीकर के हाथ में हो। इस तरह का बिल मैं इस सदन में लाना चाहता था। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मैम्बर डे होने चाहिए एक में दो दिन होने चाहिये। इन रूल्स कहीं नहीं कहा गया है कि रूल को आप सस्पेन्ड कर सकते है।

दूसरा मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान जो रूल्स आफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनेस के रूल 144 का (2) है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप मुखबद का प्रयोग करें, रूल 144 (2) के बाबत कह रहा हूं, उसमें लिखा हुआ नहीं है कि आप मुखबंद कर देंगे। मुखबंद के प्रयोग करने के हमारे पास रूल्स नहीं हैं तो मैं उसे गैर कानूनी मानता हूं। कोई काम नहीं हो रहा है, विधान सभा का काम ठप्प पड़ा है, सैकेटेरियट का काम बंद है, तहसील का काम बंद है, परसों से पुलिस वाले भी हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सदन सर्वोपरि है सरकार सर्वोपरी नहीं है, सरकार तो सदन का ही एक भाग है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति इस बात की है कि मेरे अधिकारों का हनन इस प्रतिवेदन के मार्फत किया जा रहा है। ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है। जो प्रतिवेदन दिया है वह दो दिन का दिया गया है। कार्यक्रम जरूर दो दिन का दिया गया है लेकिन चालाकी से दिया गया है, 20 और 22 दोनों को शामिल किया गया है, अलग अलग नहीं दिया गया है। ऐसा जाहिर होता है, अध्यक्ष महोदय, ये मैजोरिटी का लाभ उठाकर दोनों कामों को एक दिन में ही करवाना चाहते हैं, दोनों दिनों का काम एक ही दिन में फटाफट करवाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीटिशन नहीं करना चाहता हूं, रूल 217 और 218 के तहत परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो लिस्ट आफ बिजनेस 25 तारीख तक की आलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, अध्यक्ष महोदय, उसके अलावा बहुत से ऐसे विषय और मांगे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थीं और वे आने वाली थीं। सिचाई की जो मांग है इससे राजस्थान का भाग्य जुड़ा हुआ है। क्या इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी विधान सभा बहस नहीं करेगी? ऐसा ही करना था तो विधान सभा की क्या आवश्यकता रह जाती है? सैक्रेटेरियट में ही बैठकर पास कर लेते, बजट पास कर लेते। आवश्यकता ही नहीं है विधान सभा की। इसके बाद में पुलिस की मांग है, इस पर बहस होनी चाहिये थी। इसके बाद जनजाति क्षेत्रीय

66

(श्री यदुनाथ सिंह)

विकास की है उस पर बहस होनी चाहिए थी ...

श्री अध्यक्ष : समय हो रहा है, यह चर्चा नहीं होगी ।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, जन जाति क्षेत्रीय विकास समिति की रिपोर्ट में में बताया गया है कि राजस्थान में 80 प्रतिशत....

श्री अध्यक्ष : वाद विवाद नहीं होगा । इस पर बहस का समय 10 मिनट बढ़ाया गया ।

श्री यदुनाथसिंह : वह सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट है यह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की थी । ऐसे विषय सदन में आते, उन पर चर्चा की जाती, जो बजट प्रोविजन है उस पर कट मोशन रखना चाहते थे । इसके लिये हम सरकार को बाध्य करते, अपने सुझाव देते, अपने संशोधन देते । कुछ बातों को सरकार मान सकती थी । हमारे सुझावों के आधार पर सरकार अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करती । हमारे इस अधिकार का दमन किया जा रहा है । इसलिये इस प्रतिवेदन को मजूंर नहीं किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी

(व्यवधान)

अब मैं समय नहीं दूंगा । मैंने 10 मिनट का समय बढ़ाया है । मैं दो दो मिनट....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी....

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने प्रस्तुत किया है उनको अवसर दूंगा....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : दो दो मिनट दे दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें । अगर मै आवश्यक समझूंगा तो दो दो मिनट का समय दे दूंगा । श्री घनश्याम तिवाड़ी, कब का है यह....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज का ही है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें तारीख नहीं लगायी है । तारीख तो लगानी चाहिए ,

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लगायी है उस पर मैं कल बोल रहा था कि आचार्य कृपालानी जी के आकस्मिक निधन के कारण विधान सभा स्थगित हो गयी थी । मैं वहीं से शुरू करूं....

श्री अध्यक्ष : वहीं से नहीं आपने जो संशोधन दिया है उसके बारे में बोलें । फिर आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं । मैं क्या कहूं कि आप कहां से बोलें ।

श्री खेतसिंह राठौड : लेकिन समय दो मिनट का ।

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, 10 मिनट का समय होते ही....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आवश्यक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कल निवेदन कर रहा था कि नियम समिति ने नियमों में संशोधन करके इस प्रकार की व्यवस्था की थी। क्या मैं बोलूं....

श्री अध्यक्ष : हां आप बोलें। यह तो हमारी आंतरिक व्यवस्था है। मैं सुनता रहता हूं, देखता उधर हूं सुनता इधर हूं, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही तो गड़-बड़ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि नियमों में संशोधन करके हमने इस प्रकार की व्यवस्था की थी जिन कार्पोरेशन या बोर्ड के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जायेंगे उनके ऊपर विचार होगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन होने के बावजूद आज जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें यह नहीं है कि हम किस प्रकार से उन पर विचार कर सकते हैं। उन पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि जब सदन में गर्मी होती है तो सदन का वातावरण बिगड़ता है। हम सदन में अपनी आवाज उठाते हैं लेकिन इससे कोई असंतोष नहीं बढ़ता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय अगर इस सदन की आवाज को बंद कर दिया गया, सदन ने इस कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया तो जब सदन की कार्यवाही स्थगित होगी तो लोग क्या यह नहीं कहेंगे कि सरकार कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण सरकार इस स्थिति में नहीं थी, अध्यक्ष महोदय, कि सदन की कार्यवाही चला सके, सरकारी कर्मचारियों ने सदन की कार्यवाही ठप्प कर दी। यह बहुत बुरी बात होगी। इस प्रकार का प्रश्न आता कि विधान सभा को स्थगित किया जाय क्योंकि सरकार के सामने समस्यायें हैं, तो हम उस पर विचार करते लेकिन एकदम से, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात लाकर विधान की प्रजातांत्रिक परम्पराओं पर कालिख का टीका लगाते हैं। इस प्रकार की बात, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं लायें क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, आपके ही कन्सल्टेशन से कार्य सलाहकार समिति के इस प्रतिवेदन को सरकार ने सदन के पटल पर रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले समय में भ्रष्टाचार के जो आरोप हमने लगाये हैं उन भ्रष्टाचारों के आरोपों पर चर्चा नहीं हो इससे बचने के लिए सरकार भागना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी और मुख्य मन्त्रीजी के भाई दोनों के द्वारा राजस्थान राज्य हाउसिंग सोसाइटी से सभी कानून को ताक में रख कर श्री प्रदीप माथुर मुख्य मन्त्रीजी के लड़के और श्री शैल बिहारी माथुर मुख्य मन्त्रीजी के भाई को संस्था के माध्यम से 60–60 हजार रुपये का लोन दिलाया जा रहा है।

(68)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप नोटिस देकर ही इस तरह के मामले उठा सकते हैं। बिना नोटिस दिये इस तरह के मामले उठाते हैं फिर कानून कायदे की बात करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नोटिस दिया हुआ है। नोटिस सदन में नहीं आयेगा इसलिये कह रहा हूं। दूसरा, यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि अर्जन के सम्बन्ध में, राजस्थान सहकारी समिति के निर्माण कार्य के मामलों में जिस प्रकार मुख्य मन्त्री....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें करोड़ों रुपये का मुख्य मन्त्री, श्री शिवचरण माथुर ने....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो विधेयक आपके पास विचारार्थ है उस भूमि अर्जन के कानून में घपला हो रहा, है उससे बचने के लिये हमारा गला घोटा जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने भाई को चीफ इन्जीनियर बनाया है मनोहरलाल माथुर को पी. एस. सी. का चेयरमैन बनाया जायेगा। इस प्रकार माथुरवाद कायम करने जा रहे हैं इस माथुरवाद के बाबत में कोई चर्चा नहीं हो, इसके लिये और, अध्यक्ष महोदय, जितने भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं, नियमों में जो घोटाले हुए हैं, बीस सूत्री चार्जशीट माथुर सरकार के खिलाफ पेश की है उससे बचने के लिये भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिये ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन की आवाज को बन्द करके सरकार भागना चाहती है। इसलिये इस कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में संशोधन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, समय हो गया है। समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप सत्यमेव जयते के नीचे बैठे हैं। सत्यमेव जयते जिस सिंहासन के ऊपर अंकित है उस आसन पर आप आसीन हैं, राजस्थान की प्रजातांत्रिक परम्पराओं के आप संरक्षक हैं। आप देख लीजिये, अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षक हैं। संसदीय परम्पराओं के आज तक आपकी कोई रूलिंग न तो राज्य सभा लोक सभा से निकलने वाली मैगजीन में छपी है, न ही पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में छपी है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इस प्रकार प्रजातन्त्र का गला घोटने वाली आपकी रूलिंग नहीं छपे। आप राजस्थान के प्रजातन्त्र के इतिहास के संरक्षक हैं, आपकी व्यवस्था ऐसी काली नजीर वाली व्यवस्था न हो जाय कि आने वाली कोई भी सरकार एक घण्टे में सभी मांगों को पास करके ले जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार तो भागना चाहती है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कोई तो आदमी हो ऐसा जो कि सरकार को बचाये।

श्री अध्यक्ष : आसन से जो भी निर्णय होता है उसके सम्बन्ध में ...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र के इतिहास में....

श्री अध्यक्ष : आपने कहा सत्यमेव जयते के नीचे बैठा हूं तो मैं इसके अनुरूप ही कार्य कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी रूलिंग नहीं हो जाये जो कि राजस्थान के प्रजातंत्र के इतिहास को कलंकित करने वाली हो।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह चार्ज लगाना चाहता हूं आरोप हमने लगाये हैं, अगर सदन में गला घोटा जायगा तो हम सड़कों पर जायेंगे, आपके खिलाफ चार्ज लगाया है, 90 प्रतिशत मेम्बर्स ने दस्तखत करके....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आर्डर आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक मिनट का आपने कहा था, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज जो संशोधन मैंने पेश किया है....

श्री अध्यक्ष : उस पर पहले बोलना था। वह प्रस्तुत हुआ समझा गया।

आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर की इस तरह इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर, आर्डर, बैठ जाइये, आर्डर आर्डर, बैठ जायें, माननीय सदस्य। आसन को यह प्रतीत हो कि पाइन्ट आफ आर्डर समय व्यय करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है तो आसन को अधिकार है कि इजाजत नहीं दे। मुझे ऐसा महसूस हुआ इसलिए मैं इजाजत नहीं दूंगा।

मैं आपको अवसर दे सकता हूं। श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के पूर्व प्रतिवेदन के बाद किस तरह क्या परिस्थिति पैदा हुई, जिससे यह दूसरा प्रतिवेदन लाना पड़ा। कार्य सलाहकार समिति की कल जब मीटिंग हुई, हम सब दल के लोग इस समिति के सदस्य हैं, हमारी सहमति नहीं थी। उसके बाद भी अगर कोई बात थी तो बात करनी चाहिए। इसलिए जो प्रतिवेदन सदन में लाये हैं उसको निरस्त करना चाहिए और पूरी तरह से बहस करके, समझ कर, आपस में बात करके दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान जल रहा है। रोम जल रहा है, नीरो वंशी बजा रहा

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मेघराज तावड़)

है, वाली कहावत सरकार पर चरितार्थ हो रही है। आज कौनसी ऐसी परिस्थिति आ गई है? विधान सभा का सचिवालय बन्द पड़ा है. विधान सभा के कर्मचारी भी बाहर गये हैं, उनकी मांगें हैं, उनके अधिकार हैं, वे भी नहीं दिये जा सकते हैं। राजस्थान के कर्मचारी मांगते क्या हैं? राजस्थान के कर्मचारी का केवल यह कहना है कि 20 करोड़ का सवाल है, उधर मुख्य मन्त्रीजी ने पता नहीं किस तरह से जोड़ा कि 126 करोड़ का घाटा बताया राज्य कर्मचारियों की मांगों को, अधिकारों को न मानने के लिए। अपनी गलती को छिपाने के लिए मुख्य मन्त्रीजी ने जो आकाशवाणी पर अपील की है, वह निंदनीय है, शर्मनाक है। सरकार अपने वायदे से पिछड़ने की बात करना चाहती है। मुख्य मन्त्रीजी को उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। वाजिब मांगें हैं उनकी, तमाम आफिसेज बन्द हैं, आवश्यक सेवायें असेंसियल सर्विसेज वाले लोग भी हड़ताल पर उतरने वाले हैं, मेडिकल के लोग भी उनके साथ आने वाले हैं। फिर क्या होगा राजस्थान का? राजस्थान की सरकार विवेक खो चुकी है, आर.ए.सी. और बी. एस. एफ. को बुला कर, पुलिस के हथियारों को छीन कर राजस्थान की सरकार यह चाहती है कि बन्दूक के बल पर, लाठी-गोली के बल पर, अधिकारों की मांग करने वालों को दबा दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जिस तरह जल रहा है उस राजस्थान की जलती आग से यह राजस्थान का मन्त्रिमण्डल, यह सरकार भी बची नहीं रह सकती है। यह जलेगी, इसको जलना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज कौनसी परिस्थिति ऐसी है, कौनसी ऐसी बात है कि आपस में बात नहीं की जा सकती है। एक तरफ राजस्थान का कर्मचारी कहता है, उनका संगठन कहता है, हम वार्ता करने को तैयार हैं केवल बीस करोड़ की बात है दूसरी तरफ सरकार 126 करोड़ का घाटा बताकर उनको दबाना चाहती है। जनता में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हो कि सारी की सारी अव्यवस्था फैलाने वाले राज्य कर्मचारी हैं। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मन्त्रीजी से कि आज कितने केन्द्रों पर परीक्षा सफल हुई? आप विद्यार्थियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ बजट में किसानों को लूटा, गरीबों को लूटा और दूसरी तरफ इनको मांगें मानने से कौनसा घाटा पड़ता है। एक तरफ टैक्सेज बढ़े हैं, जिन लोगों से टैक्स लेना है, उनसे नहीं लेते, पूंजीपतियों से आपको डर लगता है, उनके सामने घुटने टेकना चाहते हो, घुटने टेक रहे हो, केन्द्र के आधार पर, केन्द्र के इशारे पर प्रजातन्त्र का गला घोटना चाहते हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : यह सदन सर्वोपरि है। केवल आपका बहुमत है, बहुमत के आधार पर, बहुमत को लेकर ऐसा प्रतिवेदन बीच लाकर, एक दिन में, एक घण्टे में मुख बन्द करके बिना कोई बहस किये, बिना प्रजातन्त्र के तरीकों को अपनाये, तानाशाही के तरीके अपना कर जो मंशा आपके दिमाग में है, राजस्थान और हिन्दुस्तान सरकार की मंशा है उसके अनुसार बन्दूक के बल पर, मिलिट्री रूल कायम करके प्रजातन्त्र की रक्षा

(श्री मेघराज तावड़)

की बात करना चाहते हो, फिर प्रजातन्त्र के हिमायती बनने की बात करते हो। उधर बैठने वाले, आग के अन्दर बैठने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, जो आपकी इस नीति के साथ मिलकर, मैं मुख्य मन्त्रीजी से कह देना चाहता हूं, आपको प्रलोभन देकर, उकसा कर आपकी कुर्सी को खतरे में डालने की बात करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी, आप विवेक से काम लीजिये। टाटा-बिड़ला को बीच में लाते हैं, वे तो गये आरोप के अन्दर। लेकिन आज आप इस तरह से प्रजातन्त्र का गला घोटने की बात करते हो। राज्य कर्मचारियों को लेकर सदन को छोड़ना चाहते हो, सदन को स्थगित करना चाहते हो, यह प्रजातन्त्र का गला घोटना होगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री मेघराज तावड़ : ....आज विधि मंत्रीजी ने बीच में जो प्रतिवेदन पेश किया है उसको वापस लिया जाय। निरस्त किया जाय। आप तो कहेंगे कि हम विरोधी पक्ष के लोग आपको सहयोग करना नहीं चाहते हैं। हम कोई बात बोलें, उसका नाजायज फायदा हमारे ऊपर थोप कर उठाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं, आपका सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा 15 मिनट के लिए और बढ़ा दी जाती है।

श्री मेघराज तावड़ : आप चाहें कि राज्य कर्मचारियों को दबा कर व्यवस्था को ठीक कर लोगे, लॉ एण्ड आर्डर को ठीक कर लोगे, यह कतई सम्भव नहीं है। अगर यह करोगे तो प्रजातन्त्र को खतरा है। प्रजातन्त्र का गला घोटकर ऐसे प्रतिवेदन को लाना चाहते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार को, फिर से विवेक से काम ले, ठीक सोचे, विचार करे और यह प्रविवेदन वापस ले। संसदीय प्रणाली, संसदीय जो प्रजातन्त्र है, उसको कायम रखे।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपके दल के बहुत से माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

मैं आपको अवसर दे दूंगा। पाइन्ट ऑफ आर्डर क्या हुआ। पाइन्ट ऑफ आर्डर पर ही चर्चा हो रही है। फिर पाइन्ट ऑफ आर्डर, फिर पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के ऊपर मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ...

(व्यवधान)

मैं मौजूद था तभी बता रहा हूं।

(72)

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने एक गम्भीर समस्या विचाराधीन है जो इस प्रदेश के कर्मचारियों से भी जुड़ी है, हम और आपसे भी जुड़ी है। सरकार का जो रुख है वह स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रहा है, किसी समस्या से भयभीत होकर या जैसा ऊपर से कह रही है, इसको हल करने के लिए समय चाहती है. इसलिए सदन को जल्दी समाप्त करने की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य क्या इस समस्या को हल करना नहीं चाहते? मैं समझता हूं कि 200 के 200 सदस्य इस समस्या को हल करना चाहते हैं। हमने सलाहकार समिति में कहा था कि अगर आप हमारा सहयोग लेना चाहते हैं, तो हम देंगे परन्तु सहयोग लेने का तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि जब एक दफा 25 तारीख तक के बिजनेस पर फैसला हो गया है तो आप कहते कि हम डिस्कस कर वेरी आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहते हैं या अपनी मजबूरियां बताते, प्रश्न उत्तर में, एडजोर्नमेंट मोशन पर वक्तव्य में उसको उस तरह से डिस्कस कर सकते थे, जैसा बहुत मामलों में करते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं थी, अगर सरकार इस प्रकार बचना नहीं चाहती। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, यह जो कर्मचारियों वाली समस्या है, इससे प्रदेश का पूरा जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस सदन का चलना नितान्त आवश्यक है क्योंकि इस सदन के माध्यम से हम सरकार को सुझाव दे सकते हैं। मगर जिसे चाहेंगे, हमारी पार्टी के एक सदस्य को बुलायेंगे या अन्य विरोधी दल के सदस्यों को विश्वास में लेंगे तो एक एक नेता को लेंगे, वह क्या हमारे जो 50, 52, 60, जो भी विरोधी दल के सदस्य हैं उनकी भावना को सम्मिलित कर सकता है? हो सकता है कई क्रिएटिव सुझाव हम दें, जिनके माध्यम से यह समस्या सुलझाई जा सकती है। सरकार हमारे सुझाव क्यों नहीं लेना चाहती है? सरकार के ऊपर आज जो आक्षेप सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने लगाये हैं वह बड़े गम्भीर हैं। उन आरोपों की अगर सफाई देनी है तो इस सदन के माध्यम से दी जा सकती है। अगर सरकार यह समझती है कि वह सक्षम है भगवान शंकर की तरह विष को पीने में, तो हमको एतराज नहीं है, हम अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, कर रहे हैं। सरकार को हमारे सुझाव पर विचार करना चाहिये। इस तरह तो सरकार की छवि धूमिल होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन पर नोट आफ डिसेन्ट एक दफा तो पहाड़िया शासन में लगा है और दूसरा नोट आफ डिसेन्ट शिवचरणजी माथुर के शासन में लगा है। इससे यह महसूस हो गया कि आप लोगों की जो प्रजातांत्रिक भावना थी, प्रजातन्त्र में आस्था है वह आस्था कतई नहीं है, यह अलोकतान्त्रिक सरकार है, प्रजातन्त्र के प्रति इसका कोई दृष्टिकोण नहीं है न इसमें कोई रुचि है। अभी माननीय पुष्पाजी इतनी गम्भीर समस्या का लोमहर्षक वर्णन कर रही थी उस समय विधी मन्त्रीजी नींद से उठ कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय के

(73)

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

निर्देश देने के बावजूद भी यह कुम्भकर्णी नींद से नहीं जागे। फिर उठ कर कहते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का 14 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। अजी XXX आपका यह जो है....

श्री अध्यक्ष : XXXसदन की कार्यवाही से हटाया जाय।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं हालांकि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराये" वाली बात है, परन्तु क्या करें, आप तो विवश हैं, आप कहते हैं कि सरकार को आगाह करो,

(व्यवधान)

यह विचार तो नहीं करेगी, अध्यक्ष महोदय, परन्तु आपकी बात से शायदइन पर छ असर हो जाये

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति का जो 14 वां प्रतिवेदन हाउस में पास कराना चाहते हैं। इससे हम यह महसूस करते हैं कि सरकार कर्मचारियों की हड़ताल को देख कर हड़बड़ा गई है और हड़बड़ा करके, इस तरह हड़बड़ा करके आम जनता को भी समस्याग्रस्त कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये ऊब घड़ी के अन्दर ऊबे खेजड़ी पेड़ काट करके, अध्यक्ष महोदय, आपकी भी परिस्थितियां एक तरह से विकट कर दी हैं। इससे सदन के अन्दर उत्तेजना फैलती है। सदन के अन्दर उत्तेजना फैलती है तो आपको कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सदस्यों के खिलाफ कड़े कदम जल्दी में उठाने से कुछ स्वाभाविक या कुछ अस्वाभाविक कमियां भी रह जाती हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में एक गलती कर दी है उस एक गलती को छिपाने के लिए सरकार अनेक गलती नहीं करें। एक असत्य काम कर दिया है तो उसको छिपाने के लिए अनेक बार असत्य काम नहीं करके सरकार को इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहिये। बजट में ग्रामीण क्षेत्र का पैसा आता है बजट की अनुदान की मांग को जल्दी जल्दी मुखबन्द करके पास करायेंगे तो जनता के पैसों का किसी न किसी प्रकार से दुरुपयोग होगा। अध्यक्ष महोदय, पिछला, 1981–82 का बजट इन्होंने किस प्रकार से खर्च किया उसका प्रतिवेदन सदन के सामने पेश हुआ, उस सम्बन्ध में हम लोग कमियां निकालते। पिछले साल का पैसा सही जगह पहुंचा या या नहीं, जनता के पैसों का क्या हुआ, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, ये सब बातें विधान सभा चलती तो उनके सामने पेश करते। 82–83 का जो बजट है उसको यह किस प्रकार से खर्च करना चाहते हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग होगा, ग्रामीण क्षेत्र में पैसा पहुंचेगा या नहीं। गांवों के अन्दर अकाल है, पेयजल की समस्या है। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, सीमान्त और लघु कृषकों के साथ में भयंकर अन्याय हो रहा है। पिछले साल और उससे भी पिछले साल सीमान्त और लघु कृषकों के नाम पर मन्जूरियां कर दी गई, उनके बैल छकड़े खरीदकर अभी तक रखे हुए हैं, बेचारे

XXXशब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

74

(श्री महाराम चौधरी)

त्राहि–त्राहि कर रहे हैं लेकिन उनको एक पैसा भी आज तक नहीं मिला है। इस साल के लिये 600–600 रुपया सीमान्त और लघु कृषकों के नाम हुआ उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस प्रतिवेदन को वापस ले और इस पर पुनविचार करें। इस समस्या का समाधान करने, सुलझाने के लिए कर्मचारियों से बात करले, कर्मचारियों की बात सुन ले। वे भी बात करना चाहते हैं, मुख्य मंत्रीजी भी बात करना चाहते हैं फिर बीच में रोड़ा कौन सा है? उस रोड़े को हटा कर नजदीक आ करके आपस में बात करके इस समस्या का समाधान करें। इस समस्या को सुलझाना चाहिये जिससे जनता के कुछ काम हों। अध्यक्ष महोदय, इससे फर्क क्या पड़ता है, 50–60 करोड़ रुपयों का फर्क पड़ेगा। जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की है उन कर्मचारियों से इस मामले में बात की जाय उनसे कहा जाय, भई, वापस तुमको रख लेते हैं, मोटे मोटे सेठों में जितनी भी पुरानी बकाया वसूली पड़ी है उनको तुम वसूल करो और वसूल करने के बाद तुम को यह पैसा दे दिया जायगा। इस तरह से कुछ आश्वासन दिया जाय तो शायद समस्या सुलझ सकती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के अदीठ हो गया है, दूसरे माननीय सदस्य शायद अदीठ को नहीं समझते हैं आप जानते हैं, आप जानते हैं, मतलब उनके पीछे पीड़ा हो गई है। पीठ के पीछे उनकी नजर नहीं जा सकती और जो दूसरे माननीय सदस्य हैं, विपक्ष के सदस्य, वे उनको पीड़ा का अनुभव कराते हैं। ये पीड़ा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, जो अदीठ हो रहा है वह इतना मोटा हो गया है उसमें रस्सी पड़ गई है, उस रस्सी को निकालने के लिए इस प्रतिवेदन को वापस लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही आरम्भ हुई उसके बाद में सलाहकार समिति ने पहला प्रतिवेदन पेश किया। जिसमें 25 तारीक तक का कार्यक्रम हम लोग को दिया गया। हमने इस मकसद से पूरी मांगों का अध्ययन किया सरकार को सुझाव दे सकें, सरकार को अपनी बात कह सकें, क्षेत्र की या प्रदेश की बात हम कह सकें। हम अच्छे सुझाव सरकार को देते और सरकार उन सुझावों को क्रियान्वित करने के उपाय करती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो सरकार आये दिन लोकतंत्र की दुहाई देती है उसी सरकार ने कार्य सलाहकार समिति का नया प्रतिवेदन पेश करवाया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई सरकार के सामने कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में परिवर्तन करके नया प्रतिवेदन पेश किया गया? ऐसा लगता है कि सरकार घबरा रही है और सरकार पलायनवादी हो हो गयी है। खेतसिंहजी गर्दन हिला रहे हैं. मैं जानता हूं कि आप माथुर साहब के खिलाफ हैं। मैं आपकी भावना की बात कह रहा

(श्री गोपाल पचेरवाल)

हूं, आपने जो कुछ मुझे निर्देश दिये थे उसी के अनुसार बात मैं कह रहा हूं और बात नहीं कहूंगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सरकार ने जो रवैया अपनाया है इसका दोष हमारा तो नहीं है। आज कर्मचारियों की हड़ताल हुई है वह माननीय सदस्यों का तो दोष नहीं। सरकार गलती करे सजा सारे माननीय सदस्यों को भुगतनी पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिवेदन पेश करके 20 और 22 तारीख का कार्यक्रम दिया है और मुखबन्द के जरिये सारी मांगों को पास करना चाहते हैं यह कौन सा तरीका है? आप दो दिन के लिये या दस दिन के लिए विधान सभा स्थगित कर दीजिये, आप कर्मचारियों से बात कर लीजिये, हमारा सहयोग उसमें चाहते तो हैं हम देने को तैयार हैं। उनके साथ बैठ कर बात कर सकते हैं। समस्या का समाधान होने के बाद फिर आप सदन को दुबारा बुला लीजिये। यह तो कोई तरीका नहीं है कि इस सदन को धोखा दें और कर्मचारियों के साथ ज्यादती करें, जुल्म करें। आपको यह पता नहीं, माननीय सदस्य जैसा कह रहे थे, पुलिस के कर्मचारी भी हड़ताल करने को तैयार हैं, और भी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। तो आपको जो रवैया है इससे नुकसान होगा। आप 40 या 50 करोड़ रुपया देने में हिचकिचा रहे हैं। आप यू. पी. की पुलिस बुला रहे हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस बुला रहे हैं। सरकारी काम ठप्प हो गया है, सारा काम ठप्प हो गया है, क्या इससे प्रदेश का आर्थिक नुकसान नहीं होगा? बार बार यह हड़ताल हो, यह कौन सा तरीका है। राज्य सरकार को सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने मौखिक 21 सूत्रीय चार्ज शीट दी है, उन्होंने आरोप लगाये, सरकार ने घोटाले किये हैं, सरकार घोटाले कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार को पनपा रही है। एक तरफ आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके मुख्य मंत्री अन्य मंत्री इसमें इन्वाल्व हो जाते हैं। मुझे लगता है आप लाठी चार्ज करके, 1967 का गोली काण्ड दोहराने जा रहे हो। लगता है अघोषित आपातकाल लगा दिया है। आज कर्मचारी अपनी बात कह नहीं सकता, मजदूर अपनी मांग नहीं मनवा सकता। सदन की गरिमा को आप भंग करने जा रहे हैं। सदन की कार्य सूची में आप परिवर्तन करने जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सरकार से आप सरकार को बाध्य करें कि सरकार सदन को चलाये, सदन में हम चर्चा करें, आप हमें सहयोग दीजिए हम आपको सहयोग देंगे। कर्मचारियों के साथ आपने ज्यादती की, कर्मचारियों को आपने तंग किया तो आज जो लॉबी में बैठे हुये अधिकारी हैं वह आपके साथ नहीं होंगे। माथुर साहब, आप यह भी ध्यान से सुन लीजिये कि यह लॉबी भी आपके साथ नहीं है। कल इनके भाइयों को व इनके परिवार वालों को मारा जायेगा, गोलियां चलेंगी तो यह भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को अन्धकार की ओर ले जा रही है, आज शिक्षा की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महो-

(श्री गोपाल पचेरवाल)

दय, सरकार ग्रामीण शिक्षा के विस्तार की बात आये दिन करती है किन्तु सरकार प्रदेश के लोगों का भविष्य आज अंधकार की ओर ले जा रही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । इस विषय पर चर्चा का समय आधे घण्टे के लिये और बढ़ा दिया गया है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, आज हम सरकारी वाहन से नहीं आये हैं, रोडवेज की बस से नहीं आये हैं, हम अपने साधनों से आये हैं । आज जनता में यह चर्चा जोरों पर चल रही है, माथुर साहब नहीं हैं तो, पण्डित जी, आप तो सुन लें, जब से शिवचरण माथुर ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली है तब से राजस्थान संकट से गुजर रहा है । सरकार उस संकट को काबू में नहीं कर पा रही है। जब श्री माथुरजी ने विधान सभा का बजट सत्र बुलाया तो कर्मचारी हड़ताल पर चले गये । हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश पर संकट है, ग्रामीण जनता संकट में है । लोगों को, अध्यक्ष महोदय, इस हड़ताल के कारण सजा हो जायेगी क्योंकि लोग अदालतों में नहीं जा पायेंगे । अदालतों के बाबुओं ने हड़ताल कर दी, चपरासियों ने हड़ताल कर दी इसलिये लोगों को सजा हो जायेगी । डाक्टर, कम्पाउंडर, हड़ताल पर जा रहे हैं इसलिए लोगों को इलाज नहीं मिल पायेगा, मौतें हो जायेंगी । मुख्य मंत्री जी, हड़ताल की वजह से आज सारा प्रदेश पतन की ओर जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि आप तत्काल मजदूर नेताओं को, कर्मचारियों के नेताओं को बुलाइये और उनसे बात करिये । आप यह भागने की आदत छोड़ें । भागोगे तो कहां जाओगे ? आपको जनता पकड़ेगी औरXXX

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : इन शब्दों को एक्सपंज किया जाये ।

श्री गोपाल पचेरवाल : जनता निबटेगी । XXXआप आकर देखें....

श्री प्रद्युम्नसिंह : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । पाइंट आफ आर्डर आ गया है....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर है, यह बहुत सीरियस है ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि ऐसी वारदात पहले हो चुकी हैं । मंत्री महोदय ने कहाXXX देखते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमें खतरा है, इन्होंने बार बार कहा है किXXX

(व्यवधान)

ये गृह राज्य मंत्री हैं और इस तरह की बात कह रहे हैं....

(व्यवधान)

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वाद–विवाद में भाषा के प्रयोग में संयम बरतें। मंत्री जी को और अधिक संयम बरतना चाहिये।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह केबिनेट के जिम्मेदार व्यक्ति हैं ? आप जब तक व्यवस्था नहीं देंगे हम सदन नहीं चलने देंगे....

श्री यदुनाथसिंह : यह सदन में कह रहे हैं कि हमें XXX

(व्यवधान)

(1.55 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजबहादुर : मैं अपील करूंगा, माननीय प्रद्युम्नसिंहजी, आपने जो अन-पार्लिमेंट्री शब्द कहे हैं, वह वापस ले लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जायें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। एक्सपंज करा दिया गया है।

(व्यवधान)

अन-पार्लियामेंट्री शब्द हैं उनको एक्सपंज करा दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : जनता गद्दी पर भी बैठाती है, XXX

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री यदुनाथसिंह : मंत्रीजी के मुंह से ऐसे शब्द निकले हैं, वह बार बार कह रहे हैं, XXX।

श्री उपाध्यक्ष : वह मैंने एक्सपंज करा दिया है....

(व्यवधान)

आपस में बात न करें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : उनकी भावना तो एक्सपंज नहीं होगी....

(व्यवधान)

शब्दों के एक्सपंज से इसका हल नहीं होगा, मंत्री महोदय की भावना को कैसे एक्सपंज करेंगे ? उनके दिल की भावना है, उन्होंने कहा है कि XXX दिल की भावना को एक्सपंज कराइये....

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप बैठ जायें - यह मेरी ड्यूटी है। यह मामला जब उठा, मैं सुन रहा था गौर से। मंत्री महोदय ने जो शब्द इस्तेमाल किये वह दोनों शब्द अन-पार्लियामेंट्री हैं, इनको एक्सपंज करा दिया गया है...

श्री यदुनाथसिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : रूल का हवाला दीजिये।

श्री यदुनाथसिंह : यह रूल है कि हमको धमकी दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

सदन में अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया जाय। सदन की गरिमा है डिगनिटी है, उसको कायम रखना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल जो प्रस्ताव आया है, वह असाधारण है। मैं सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी के उपनेता महोदय ने जो प्रस्ताव आया उस पर विचार रखे उनको वह उस परिप्रेक्ष में रखते जिस पृष्ठभूमि में कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में चर्चा हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता तो यह था कि भारतीय जनता पार्टी के उपनेता महोदय, कोटा के चतुर्वेदी, चौबे है मगर निकले वह मथुरा के चौबे। सारी मीटिंग अटेंड कर ली, उन्होंने सारा भोजन परोसा हुआ जीम लिया....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं मूल मथुरा का हूं।

श्री हरिदेव जोशी : और उसके बाद में वाक आउट कर गये। भोजन जीम लिया, सारी बात सुन ली, उसके बाद कहें कि मैं वाक आउट कर गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राज्य सरकार एक असाधारण...

श्री सरवतराम : यह मथुरा के चौबों की परम्परा है कि खाना खाने के बाद ही बात करते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो असाधारण प्रस्ताव राज्य सरकार ने यहां रखा है ऐसा हर रोज नहीं रखा जाता। हर रोज नहीं रखा जाता इसलिए राज्य सरकार कहीं बैकडोर से नहीं बल्कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के थ्रू आई है जिसमें सारा विरोध पक्ष....

श्री राजबहादुर : डिसेंट किया है यह कहिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आपको शांतिपूर्वक सुना आप भी मुझे थोड़ा सा सुन लें।

(श्री हरिदेव जोशी)

सारे विरोधी पक्ष को आमंत्रित किया गया था। राज्य सरकार ने उनके समक्ष यह स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य कर्मचारियों की स्ट्राइक से जो स्थिति पैदा हुई है, राज्य सरकार उसको सहानुभूतिपूर्वक ही नहीं अर्थात शांति पूर्वक हल करना चाहती है, उसका समाधान निकालना चाहती है। इसलिये राज्य सरकार चाहती है कि 4 दिन पहले बजट पास कर लिया जाय और उसको इसके लिये समय दिया जाय कि राज्य कर्मचारियों से चर्चा करे और स्थिति को शांतिपूर्वक हल करे। यह सारी चर्चा हुई, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें राज्य सरकार का कहीं कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं दिखता। कई माननीय सदस्यों ने इसे प्रजातंत्र के प्रति हत्या की संज्ञा दी है। मेरे ही इलाके से आने वाले माननीय तावड़जी ने प्रजातंत्र का उदाहरण दिया मैं उनके प्रति सम्मान रखता हूं, वह मेरे बहुत अनन्य मित्र हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र हॉलैंड में देखो। अगर आपको ऐसा लगे कि भारत में विरोधी पक्ष नहीं बोल सकता तो आप और हम यहां बैठ कर कैसे चर्चा कर सकते हैं ?

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, उन्होंने अमुक विषय यहां पर चर्चा के लिये रखे हुए हैं, राज्य सरकार उनसे भागना चाहती है। बकरे की मां कब तक खैर मनावेगी। आपका और हमारा कांस्टीट्यूशन जो है उसके अनुसार सरकार मान लीजिये 4 दिन पहले विधान सभा एडजोर्न करवा कर चली जायेगी तो कुछ दिनों के बाद में आना पड़ेगा। उनको, आपको और हमें आमने सामने बैठना पड़ेगा और जो प्रश्न आप उठावेंगे उन सबका जवाब देना पड़ेगा....

श्री नाथूसिंह : बकरा कौन है बताइये।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे सुन लें। आप कुछ भी कहेंगे वह हमें सुनना होगा और उसका जवाब देना होगा।

आज जो हमारा संविधान है वह सरकार को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वह आपकी बात हर हालत में सुने और उसका संतोषपूर्ण जवाब दे। प्रजातन्त्र के मायने कभी यह नहीं है कि एक पक्ष अपनी बात को कह दे और फिर दूसरा पक्ष उसको चुपचाप सुनता रहे। यह आपके लिये उचित है न हमारे लिये। अब स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिवली एक तरफ पूरे राजस्थान में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की स्ट्राइक है, उससे यह विधान सभा भी मुवतला है क्योंकि इस सदन का यह प्रिविलेज है कि जो भी जिस क्वेश्चन को ठीक समझता है, उस क्वेश्चन को रखे तो उसको संतोषजनक उत्तर मिलना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट में स्थिति एजीटेटेड है, इसलिये प्रश्न का जवाब यहां नहीं आ सकता तो क्वेश्चन आवर बेकार हो जाता है। उसके बाद का समय आता है, जीरो आवर, हम जिन प्रश्नों को क्वेश्चन आवर में नहीं सुलझा सकते हैं उनका उत्तर हम जीरो आवर में चाहते हैं। जब क्वेश्चन आवर ही सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो जीरो

(2.07 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री हरिदेव जोशी)

ग्रावर कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। हम चाहते हैं कि राज्य कर्मचारियों की मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनके साथ बैठ कर चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मौका मिला है, राज्य कर्मचारियों से मैंने चर्चा की है एक मन्त्री के तौर पर और मुख्य मन्त्री के तौर पर मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक तरफ राज्य सरकार ने और दूसरी तरफ राज्य कर्मचारियों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। मैं अपने उस अनुभव की बात निवेदन करना चाहता हूं, आप अगर चाहें एक तरफ सदन यहां चलता रहे और दूसरी तरफ नेगोसियेशंस चलते रहे तो मैं इसको एकदम अव्यावहारिक मानता हूं। मुझे फिर यह कहने दीजिये, मैंने कल भी कहा था, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जो मुझे नहीं कहना चाहिये था और यहां पर भी कहना चाहिये था अथवा नहीं कहना चाहिये था, मैं नहीं जानता मगर अपोजीशन अपना रोल एक प्रकार से प्ले करता ही है वह करेगा। चतुर्वेदी जी कितने ही कंविस्ड हों कि राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है वह वाजिब है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिये लेकिन अपोजीशन लीडर की अनुपस्थिति में उनको जो कुछ कहना है वह कहना ही होगा। इन स्थितियों के अन्दर शांतिपूर्वक वातावरण में बैठ कर चर्चा नहीं हो सकती। इसलिये जब मुख्य मन्त्री आपके पास इस मांग को लेकर आये हैं कि उनको शांतिपूर्वक वातावरण में बैठ कर बात का अवसर दिया जाय, तो इसको अस्वीकार करने का मायने यह है कि हम शांतिपूर्वक प्रजातन्त्र को सफल होने देने के अन्दर बाधा पैदा करना चाहते हैं। इसलिये मैं भी महसूस करता हूं कि आज जो प्रस्ताव यहां पर आया है उसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। यह बात दूसरी है कि आप उससे सहमत न हों। इतनी देर से क्यों लाया गया है। यह आप कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें शायद प्रशासन की गलती है। मैं यह भी मान लेता हूं कि इसमें देरी हुई है। असेम्बली में आने दिया इसमें भी गलती हो गई होगी। मैं इसे भी मान लेता हूं कि हम इसको देर से लाये, पहले ही वोट आन अकाउन्ट कर लेते। जब आज तीन बटा चार बजट पास हो चुका है और सभी डिस्कस हो चुका, जनरल डिबेट हो चुकी है और थ्री फोर्थ डिमांड्स पास हो चुकी हैं इसमें बाद में रह क्या जाता है। रिपीटिशन करने के लिये, मुझे क्षमा करेंगे, कल जब से यह मोशन आया है तब से जो भी बहस हो रही है वह एक तरह से जनरल डिबेट ही है बजट के ऊपर जब कभी भी हम सदन में बोलने खड़े होते हैं तो सारी चीजें वही की वही रिपीट होती हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि आज राजस्थान बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है इसलिये जो भी एपहेटस आपके सामने हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उनको अवसर दीजिये और सहयोग दीजिये जिससे कि इस क्राइसिस को एडमिनिस्ट्रेशन की नाव से पार किया जा सके। यह एक दुधारी तलवार है इधर चलाते हैं तो इधर काटती है, उधर चलाते हैं तो उधर काटती है, यह दोनों तरफ ही काटती है। कर्मचारियों की मांग को स्वीकार नहीं किया

(श्री हरिदेव जोशी)

जाना चाहिये, यह तो मैं नहीं कहने आया। उनकी सारी की सारी मांगें मंजूर कर ली जाय-यह भी कहने मैं नहीं आया। आप तो आज़ादी के बाद से स्ट्राइक्स करा रहे हैं, बहुत कुछ करा रहे हैं, सभी कुछ आप उभारना चाहते हैं, आप तो बहुत कोशिश करते हैं। पर थैंक्स टू दी एम्पलाइज कि उन्होंने आज दिन तक किसी भी राजनैतिक नेता को अपने मंच पर चढ़ने नहीं दिया। मैं उनको इस बात के लिए ट्रिब्यूट पे करता हूं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति पेड़ की ऊंची कलप र चढ़ जाता है तो ऊपर तो बहुत जल्दी चढ़ जाता है लेकिन उसको नीचे उतरने में देर लगती है। चढ़ने के लिए तो एकदम ऊपर चढ़ जाता है लेकिन नीचे उतरते वक्त पांव को संभाल संभाल कर रखकर उतरना पड़ता है। राज्य कर्मचारियों की स्थिति भी यही है। उन्होंने हड़ताल की, अध्यक्ष महोदय, काल दे दी है। उस काल की सारी की सारी चीजें धीरे धीरे तय की जाय, ठीक से समझौता हो जाय तो ठीक है। मुझे यह निवेदन करना है कि यह प्रस्ताव चाहे कैसा भी हो, हम जैसा भी समझते हैं पर यह बात निश्चित रूप से है कि यह असाधारण प्रस्ताव है, असाधारण परिस्थितियों में पेश किया गया है और असाधारण स्थितियों में राजस्थान आज विद्यमान है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बड़ी असाधारण स्थिति है। एक तरफ 375 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है निजी रूप से, यह प्रशासन को लीगेसी के रूप में मिला है। आज का प्रशासन जिस स्थान पर है उससे झूझना है। जब उनको झूझना है तो इसके लिये जो हथियार है वह आप उनको दीजिये मेहरबानी करके सहयोग दीजिये ताकि उससे शांतिपूर्वक वह निकल सकें। हम यह सोचते हैं कि सहयोग नहीं करेंगे तो यह स्थिति हो जावेगी कि राजस्थान के अन्दर राज्य कर्मचारी और सरकार के बीच कड़वाहट बढ़ेगी। यह किसी के भी हित में नहीं होगा। आपके हित में नहीं होगा और हमारे हित में भी नहीं होगा। किसी के भी हित में नहीं होगा, यह किसी का फायदा नहीं करेगा। यह सभी को नुकसान देगा। इसलिये ऐसी कोशिश करनी चाहिये जिससे कि राज्य कर्मचारी और सरकार एक टेबल पर बैठकर बातचीत करें। उनको सद्‌बुद्धि दे भगवान। वे लोग वार्ता में सफल होवें तो हमें खुशी होगी। मगर हमें आज किसी की नीयत पर शक करके यह नहीं कहना है कि राज्य सरकार भाग रही है, स्ट्राइक हो रही है इसलिये राज्य सरकार भाग रही है। राज्य सरकार का तो हमेशा से ही यह फेट होता है कि अपोजिशन उसको कोसता है। आपने भी थोड़े दिन इस फल को चखा था। चतुर्वेदी जी तो यहां बैठे थे, शर्मा जी यहां बैठे थे इन ट्रेजरी बैंचेज पर तब आपको कैसा लगा था वह। माननीय सदस्य, आपके अपने अनुभव हैं हमारे भी अनुभव हैं। आज हम मिलकर ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे राजस्थान आगे बढ़ सके। माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो। स्ट्राइक चले तो क्या उनके क्षेत्र में विकास हो सकेगा। माननीय सदस्य चाहते हैं कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक हो। राजस्थान में वैसे सभी दूसरे

(श्री हरिदेव जोशी)

राज्यों से लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। मगर फिर भी बहुत कुछ ठीक करना है तो स्ट्राइक के बीच में हो सकता है क्या ? आप सब चाहते हैं कि प्रजातन्त्र फले और फूले। क्या स्ट्राइक से प्रजातन्त्र फल फूल सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव आया है राज्य सरकार द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री यदुनाथसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : जब एक पाइन्ट आफ आर्डर चल रहा है तो दूसरा पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आता।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय यहां से जाने के बाद हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा।

सदन में मुझे चौड़े में धमकी दी है मंत्री महोदय ने।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैं मंत्री महोदय को अवसर देता हूं, वह स्पष्टीकरण दें। आर्डर आर्डर।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर वाद विवाद के दौरान केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि प्रद्युम्नसिंह जी आपको जनता के लोग XXX

इस प्रकार के असंसदीय शब्द का प्रयोग किया गया आप चाहें तो,देख लीजिये हाउस के रिकार्ड पर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये था। माननीय सदस्य से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी। अपनी बात माननीय सदस्य कहते, सरकार की आलोचना करते नीतियों की आलोचना करते या किसी और विषय पर आलोचना करते। यह उनका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात है कि दुनिया के बड़े हिस्सों में गधे की सवारी करते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, शायद हिन्दुस्तान में गधे की सवारी को अच्छा नहीं मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, खड़े होकर जब उन्होंने कहा, तो मैंने भी

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कहा कि×××यह मैंने भी कहा। इन्होंने कहा कि जनता निपटेगी। मैंने कहा, आप चलिये बाहर मालूम पड़े, कौन किससे निपटेगा। इतनी सी बात हुई। श्रीमान्, इन्होंने सर्व प्रथम असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। मैंने तो उसी भाषा में उत्तर दिया।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्य ने यहां पर यह प्रश्न उठाया कि उनको बाहर जाने में खतरा है उसके बारे में....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदुनाथसिंहजी तो मेरे घर रोजाना आते रहते हैं। कभी आज दिन तक उनको खतरा नहीं हुआ।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने यह कहा तो इनका चेहरा लाल लाल हो गया।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, भगवान ने जब मेरा चेहरा ही लाल दिया तो मैं काला मुंह कहां से करूं। वैसे इनको कोई खतरा नहीं है, श्रीमान्। इनका तो उद्देश्य है कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देनी है। किसी न किसी बहाने से सदन में हर बात में कुछ न कुछ बात खड़ी करनी है। अगर आप आदेश दें कि यह हमें गाली देते रहें और हम सुनते रहें तो वह भी सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस बात पर मंत्री महोदय, ने स्पष्टीकरण दे दिया। उनको खतरे की बात नहीं है, उनको कोई खतरा नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने कोई दुर्भावना से कोई बात नहीं कही। माननीय सदस्य, अगर खतरा महसूस करते हैं तो वह जिम्मेदारी मेरी है। आपसे इस विषय में चर्चा कर लूंगा और जो कोई भी आप व्यवस्था चाहते हैं उसका प्रबन्ध किया जावेगा। अब इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। माननीय सदस्य, चूंकि अब समय होने वाला है फिर भी मैं दस मिनट का समय और बढ़ा देता हूं इस विषय पर। श्री कैलाश मेघवाल।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पहले भी माननीय सदस्य, गोपाल पचेरवाल ने यह सदन में चर्चा उठाई थी कि ××× मेरा निवेदन यह है कि उसका नाम पूछा जावे वह किस गांव का सरपंच था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार सदन में दोहराते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसकी फोटो है।

श्री रामसिंह विश्नोई : फोटो तो आप किसी को मुर्गा बना कर खींच लो।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(84)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक और राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने अपना जो यहां पर वक्तव्य दिया मैं, अध्यक्ष महोदय, उसका तो स्वागत करता हूं। सत्ताधारी दल की सदस्य होने के नाते उन्होंने एक बात तो स्पष्ट भाषा में स्वीकार की जो आज दिन तक यहां के मन्त्रिमण्डल, जो अभी है, ने स्वीकार नहीं की। उन्होंने स्वीकार किया कि असाधारण परिस्थितियां हैं। इस सदन में असाधारण परिस्थितियों में कुछ निर्णय इस तरह के करने हैं। यह बात कही, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोशीजी से भी मैं कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन जम्हूरियत का मैंने कुछ पढ़ा है। जम्हूरियत का कुछ पढ़ना है जनतन्त्र के बारे में कुछ उदाहरण देना है कुछ प्रेरणा देनी है, कुछ निर्देश देने हैं तो आपको इंग्लैंड को देखना पड़ेगा। ब्रिटिश कामनवेल्थ की ओर देखना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : सब को देखना पड़ेगा। इसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने थोड़ा पढ़ा, वह मैं आपको बता दूं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जब-जब भी असाधारण परिस्थितियां आती हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय सदन सत्र में नहीं होता है तो सदन को बुलाने की मांग की जाती है। देश में विषम परिस्थितियां हैं, उन विषम परिस्थितियों और उन असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए सदन के सदस्यों की राय ली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही मेरा निवेदन है कि आज जो असाधारण स्थिति पैदा हुई है, आज जो विषम परिस्थितियां पैदा हुई हैं उस विषम परिस्थिति के ऊपर चर्चा करने के लिए सदन को बुलाना तो दूर रहा जो सदन चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने की बात की जा रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं: माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर हम क्या करें। केवल माननीय शिवचरण जी सरकार हों, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सरकार का जो ढांचा है, सरकार की जो प्रशासनिक मशीनरी है उस प्रशासनिक मशीनरी का टाप एक ओर तो राजभवन है, दूसरा है तो सचिवालय है और तीसरा गांव का पटवारी और छोटे-छोटे सरकार के दफ्तर हैं वह सरकार है। आज वह सरकार पंगु हो चुकी है। इस बात को भी हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार पंगु हो चुकी है। अभी जैसा बांसवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि कर्मचारी हड़ताल पर चढ़ चुके हैं और आप उनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। भूत उन पर आ चुका है और भूत नहीं उतरा तो सरकार सफा हो जायगी, सरकार नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आया है कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में, इस संशोधन को कैसे स्वीकार किया जाये। 1 बजे के बजाय तीन बजे मुख बन्द करवाना चाहते हैं। आज विषम परिस्थितियां पैदा हो गई उसमें तो हम सदस्यों को मुख खोलने का अवसर मिलना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। मैं बार-बार इस विषय पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे ऊपर मुख बन्द का प्रयोग करके संसदीय जनतन्त्र में विचार व्यक्त करने का जो अधिकार है उससे वंचित करके सरकार को पैसा दिलाना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

मैं इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि सरकार भाग रही है या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक कांशसनेस है, डेमोक्रेटिक कांशसनेस आज जाग चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेटिक कांशिसनेस जागे तो आपके आसन से जागे और आसन से जागने के बाद आप सरकार से भी कहें कि विषम और असाधारण परिस्थितियां हैं इन पर चर्चा की जाये। आखिर मालूम तो पड़े कि आज मुखबन्द के द्वारा पैसा हमसे स्वीकार कराया जायेगा क्या इस पैसे को खर्च करने के लिए वर्तमान सरकार सक्षम होगी? यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कर्मचारी कहते हैं कि 124 करोड़ रुपया लिये बिना हम पीछे नहीं हटेंगे और 124 करोड़ देने की स्थिति में सरकार नहीं है। जैसा बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया कि 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट और 340 का घाटा है, उसमें यह और जोड़ दें तो यह सरकार चल नहीं सकती, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह सरकार, जिसके बारे में शंका पैदा हो गयी है, चल नहीं सकती।

आज प्रश्नकाल में ही कहा कि मेरे पास सामग्री नहीं आई, दस्तावेज नहीं आये। आपने स्वीकार किया कि आई तो नहीं। अब क्या किया जाये? मैं जानना चाहता हूं, यह स्थिति जिस सरकार की हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उस सरकार पर हम विश्वास कर सकते हैं? यहां पर जो आज बजट की मांगें पेश कर रहे हैं और मांग हमसे मनवायेंगे मुखबन्द का प्रयोग करके उसका समुचित प्रयोग कर सकेंगे, उसको राजस्थान की जनता की सेवा में खर्च कर सकेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, डेमोक्रेसी की बात कही जाती है that is dictatorship of the majority आज कुछ ऐसा ही वातावरण था। यह सच है कि कल से प्रशासन ठप्प चल रहा है। इस समस्या को दूसरे ढंग से भी सुलझाया जा सकता था। इस समस्या पर यहां बैठ कर चर्चा करते कि प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा? क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? उसकी सूचना तो दें। आज भी आपने व्यवस्था यहां पर फरमाई थी कि मुख्य मन्त्रीजी से बात चीत करके किसी समय पर हड़ताल पर चर्चा करेंगे। मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आज मुखबंद के आधार पर इस सरकार को खर्च करने के लिए देना चाहते हैं क्या वह सरकार पैसे को खर्च करने की ठीक वैकल्पिक व्यवस्था कर सकी है या नहीं? आपका समझौता होता रहेगा। अभी जैसे कहा कि हमें इधर बैठकर कैसा लगता था। यह सच है कि अच्छा लगता था उस समय बैठना और आपको भी वह अच्छा लग रहा है और उसी अच्छा लगने की स्थिति को कायम रखने के लिए आज सारी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। डिक्टेटरशिप आफ दी मेजारिटी है, जिसे

(श्री कैलाश मेघवाल)

क्रूर बहुमत की परिभाषा दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस सदन की डेमोक्रेटिव कांशस से निवेदन करना चाहता हूं कि जनतांत्रिक व्यवस्था है उसमें मैंने जितना जनतन्त्र पढ़ा है, विषम परिस्थितियां आने पर सदन सत्र में नहीं हो तो सदन को आहूत किया जाता है। नहीं जरूरत है ववेचन आवर की इसका आपको अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोज आप अधिकारों का प्रयोग करते हैं। कई बार लिखा आता है कि प्रश्नकाल नहीं होगा। आपकी एक लाइन पर्याप्त है इस बात के लिए कि प्रश्न नहीं आयेंगे सदन में। एक लाइन पर्याप्त है। आज तक उसको कभी चुनौती नहीं दी। कई बार आपने कहा है कि विधान सभा में आज प्रश्नकाल नहीं होगा। आपके इस निर्देश के विरोध में मैंने तो पिछले दो साल, जब से इधर बैठा हूं, तब से किसी सदस्य को आपत्ति करते नहीं देखा। आखिर प्रश्नकाल ही कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आज प्रश्नकाल में छोटे मोटे सवालों का जवाब आता है या नहीं आता है, आज जीरो आवर में कुछ होता है या नहीं। सवाल यह है कि असाधारण परिस्थितियां हैं और प्रशासन पंगु है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना सत्य है कि आज पूर्ण सरकार राजस्थान में नहीं है। इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि राजस्थान में आज पूर्ण सरकार है। सरकार का ढांचा है उस ढांचे का बहुत बड़ा अंग आज सरकार से विमुख है, सरकार आपस में टकरा रही है और टकराहट के कारण वह चकनाचूर होने की स्थिति में आ चुकी है। उस सरकार को, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी आज राजस्थान की जनता के करोड़ों रुपयों को खर्च करने की स्वीकृति दिलाना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी कांशस से निर्णय लीजिए। आप निर्देश दीजिए सरकार को, कोई नहीं होगा जीरो आवर, आप यह सदन चलाइये। आपने जो बिजनेस दिया है उस बिजनेस में कोई विशेष बात नहीं है। किस समय आप चालू करें गुलोटिन, इसका आपको अधिकार है। मुझे मालूम है, और कई बार आप अधिकारों का प्रयोग करते ही हैं। उन अधिकारों के आधार पर जब आप चालू करेंगे तो फटाफट इतने करोड़ पास, इतने करोड़ पास होंगे और उधर से हां, हां, हां होगी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य, समय हो रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं सोचें यह सरकार आज पूर्ण नहीं है क्रिपल्ड चकनाचूर होने को तैयार, समाप्त होने को तैयार....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, कृपया।

श्री कैलाश मेघवाल : आप मुखबंद करना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा मुखबंद करके करोड़ों की जनता की राशि हमारे वोट द्वारा दिलाना चाहते हैं, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप। से

(श्री कैलाश मेघवाल)

निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को इस बात के लिए कहें कि सदन चलाये। हम निवेदन करना चाहते हैं कि सदन को विश्वास में लें

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य, कृपया।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यही निवेदन करने के साथ राजस्थान के मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन को विश्वास में लेकर सदन को चलायें ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। अब समाप्त कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह, केवल पांच मिनट का समय दूंगा। आप अन्तिम वक्ता होंगे।

श्री मेघराज तावड़ : पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आयेगा।

श्री मेघराज तावड़ : पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन,

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपके विरुद्ध कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाये गये हैं।

(व्यवधान)

मैं अवसर नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक लाइन में अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रजातंत्र का गला घोटने की बात मेरे लिए कही, वह बिलकुल गलत है। मैं आपके जितना राजनीतिज्ञ नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सी० आई० ए० के लोगों ने कर्मचारियों को हड़ताल पर उतारा है. क्या उनके लिए कोई एक्शन लेने के लिए सरकार तैयार है? भूतपूर्व मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि क्या उसी लाइन पर यहां सी० आई० ए० के लोग काम कर रहे हैं? सी० आई० ए० की लाइन पर राजस्थान की और हिन्दुस्तान की जनता को दबाना चाहते हैं तो यह नहीं होगा। मैं इतना जानता हूं कि यहां प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का गला आप घोट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गया, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : 5 मिनट कृपया। समय सीमा में ही समाप्त करने की कृपा करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, रूल्स के अनुसार आपको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को अपाइन्ट करने का अधिकार है। उसके मैम्बर भी आप नॉमिनेट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाउस का बिजनेस कैसे रेगुलेट हो, कैसे चले, यह केवल अध्यक्ष महोदय की सुविधा पर है। लेकिन वह जो कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वह रिकमण्डेटरी कमेटी होती है। वह आपको रिकमण्ड करती है, नियम 213 में..

88

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न उठाइये, वर्तमान में हमारे समक्ष विचारणीय विषय है लेकिन व्यवस्था का प्रश्न है इसलिए व्यवस्था के प्रश्न पर आप अपनी राय दें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन में अमेंडमेण्ट लाया गया है। आज की जो कार्य सूची हमें मिली है, वह अलग है लेकिन अचानक अमेन्डमेंट दूसरा आ गया। कल की जो कार्य सूची दी है, वह अलग है। अब हाउस के मेम्बर्स को यह मालूम नहीं है कि इन दोनों कार्य सूचियों में से फाइनल कार्य सूची कौनसी होगी ? यह एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई....

श्री अध्यक्ष : इसलिए तो दो दिन से विचार चल रहा था।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आपको अधिकार है, इसका इसमें प्रोविजन है। क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कोई भी रिकमण्डेशन आती है या उसमें कोई भी अमेण्डमेण्ट आता है तो वह सर्वसम्मति से आता है। यह परिपाटी रही है, लेकिन यह खेद का विषय है, अध्यक्ष महोदय, जो एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आयी है, पहली बार विरोधी पक्ष को कॉन्फीडेंस में नहीं लिया गया है। अतः इसमें जो अभी अमेन्डमेंट लाया गया है, अच्छा होता उसको वापस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रेफर करते कि... ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके नेताजी मौजूद थे, कॉन्फीडेंस में कैसे नहीं लिया ?

श्री नाथूसिंह : वे वाक आउट करके आये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह अलग बात है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि उसको वापस रेफर करते और बाद में एक यूनेनिमस रिकमण्डेशन आती। अध्यक्ष महोदय, यह जो मुखबंद, गुलोटिन शब्द है, यह फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस में जब रिवोल्यूशन हुआ तो वहां एक-एक व्यक्ति को मारने के बजाय एक साथ बहुत से लोगों को मार देते थे और उनकी गर्दन काटी जाती थी। गुलोटिन का मतलब है कि कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाय, तो एक साथ सब का खात्मा कर दिया जाय। क्या ऐसी विषम परिस्थिति राजस्थान में उत्पन्न हो गयी है ? अभी जैसा बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वीकार किया इस बात को, अध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा, यह गुलोटिन का प्रावधान है, यह उस परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है जब 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है तब, अध्यक्ष महोदय, एक विशेष परिस्थिति पैदा हो जाती है कि इसके बाद गवर्नमेंट को राइट नहीं है पैसा खर्च करने का, उस दिन एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंशियल बिल और बजट एक साथ पास कर लिये जाते हैं। उस परिस्थिति के लिए गुलोटिन के प्रावधान का प्रयोग किया जाता है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च में 10 दिन बाकी हैं। हाउस की प्रोसिडिंग्स रेगुलेट करना अध्यक्ष महोदय के विवेक पर है, आपके विवेक पर है। कार्य सलाहकार समिति द्वारा आपको केवल रिकमण्ड किया जा सकता है हाउस का कार्य। उसके बाद आप स्वयं विवेक से काम ले करके रेगुलेट करते हैं हाउस को, तो, अध्यक्ष महोदय, यह विषम परिस्थिति कौनसी आ गयी जो आप

(श्री नाथूसिंह)

10 दिन पहले गुलोटिन का यूज कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए दुख है, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अजमेर से आने वाले सदस्य ने भी कहा कि विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी बाढ़ आयी, उस समय हमने मांग की थी कि विशेष अधिवेशन बुलाय जाय। जब प्रदेश में विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी तो विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की गई। राजस्थान में भी होता है और स्टेट्स में भी होता है ऐसा। जब विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो जनता की राय क्या है, हाउस की राय क्या है और हाउस को कॉन्फीडेंस में लिया जाता है हाउस को कॉन्फीडेंस में ले करके एक रास्ता निकल जाता है उस रास्ते पर आगे बढ़ती है सरकार। यह पहली बार राजस्थान विधान सभा में देखने को मिला, अध्यक्ष महोदय, विशेष परस्थितियां आ गयी हैं। मुख्य मंत्रीजी का मुंह बन्द हो गया है। वे पहले ही मुखबन्द कर चुके हैं इस मामले में। क्या विशेष परिस्थितियां हैं? मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन यहां कहा जा रहा है कि वे बकरे का क्या यूज करना चाहते हैं। वे बकरे के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके। अब वह बकरा कौनसा है मुझे मालूम नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय यह उनका आन्तरिक मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा होता, हाउस चल रहा है, अगर हाउस सेशन में नहीं होता तो विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, इस प्रोविजन का, जो गुलोटिन का प्रोवजिन है, इस तरह उपयोग करेंगे, निर्दयता के साथ उपयोग करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। क्या हाउस में नियमों की इस तरह धज्जियां उड़ायेंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई इन्टेन्शन नहीं है लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूं आपके सामने, अगर एक दिन में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, सरकार जनता से बचना चाहती है, सरकार हाउस से बचना चाहती है, अध्यक्ष महोदय, तो बजट सेशन की कोई उपयोगिता नहीं रह जायेगी। भविष्य में एक ही दिन में सरकार जायेगी। पहले दिन आते ही वह बजट पेश करेगी और उसी दिन गुलोटिन का उपयोग कर लेगी, उसी दिन एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा उसी दिन बजट पास और उसी दिन फाइनेंशियल बिल पास होगा। सरकार केवल एक शब्द कह करके सब कुछ पास करावेगी कि विशेष परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। बस हां, ना पास कराकर चली जायेगी। अध्यक्ष महोदय, क्या इस डेमोक्रेसी में एक दिन में बजट पास कराना, एक दिन में गुलोटिन का प्रयोग कर बजट पास कराना उचित होगा?

अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समय समाप्त हुआ।

श्री नाथूसिंह : आधे मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो गुलोटिन लगाया जा रहा है, जो मुख बन्द किया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहूंगा, जनता के सामने जो समस्या खड़ी हैं, उससे निपट

(९०)

(श्री नाथूसिंह)

में यह सरकार बिलकुल असफल रही है, कर्मचारियों की मांगों से निपटने में बिलकुल असफल रही है, किसानों की मांगों से निपटने में असफल रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार नहीं चाहती कि प्रेस में कोई चीज नहीं चली जाय कि कर्मचारी क्या कर रहे हैं। हाउस चलेगा तो हम मांगों को रोज उठायेंगे, किसानों की मांगों को रोज उठायेंगे और इस समय सी. आर. पी. बुलाकर कर्मचारियों की गिरफ्तारियां करा कर उन पर अत्याचार किया जा रहा है, वह भी हम इस हाउस में उठायेंगे तो प्रेस में छपेगा। हाउस नहीं चलेगा तो प्रेस में नहीं छपेगा प्रेस पर इनडायरेक्ट सेन्सरशिप लागू होगी तो उस समय कर्मचारियों पर जो अत्याचार होंगे वे नहीं छपेंगे और जनता में क्या असन्तोष है वह नहीं छपेगा। सरकार समस्याओं का सामना करने में विफल रही है। मैं इस सरकार को भगोड़ी सरकार कह कर पुकारूंगा....

(व्यवधान)

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, अच्छा हो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था दी जा रही है।

(व्यवधान)

समय नहीं है, मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं अब निर्णय दे रहा हूं, मैंने बहुत समय दे दिया।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न आया हुआ है उस पर विनिश्चय देना है। उसके पश्चात् जो प्रस्ताव आया हुआ है, उस पर इस सदन को विचार करना है। मैंने बहुत समय दे दिया....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

संसदीय कार्य मन्त्री ने कार्य सलाहकार समिति की जो बैठक हुई थी, उसका चौदहवां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजबहादुर, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री यदुनाथ सिंह आदि माननीय सदस्यों ने व्यवस्था के कई प्रश्न उठाये। वैसे हमारे सदन के नियम ये हैं कि एक बार में एक ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है, लेकिन उनमें से कुछ व्यवस्था के प्रश्न ऐसे भी थे जिनमें सदन की जो कार्य सूची निकली है बचे हुए दिनों के लिए, उसके औचित्य पर ज्यादा विचार प्रकट किये गये थे। माननीय सदस्य, श्री राजबहादुरजी ने यह कहा था कि पहले कार्य सलाहाकार समिति का तेरहवां प्रतिवेदन जो प्रस्तुत हुआ था सदन के समक्ष, उसमें यह निर्धारित हो चुका था कि किस दिन कौन से कार्य किए जायेंगे। यह पहले निर्धारित हो चुका था इसलिये चौदहवां प्रतिवेदन, जो कार्य सलाहाकार समिति ने दिया है, तेरहवें प्रतिवेदन की मशाओं के खिलाफ

श्री अध्यक्ष)

है। इसलिए उनका कहना था कि चौदहवां प्रतिवेदन नियमों और संविधान के अनुसार नहीं है। यही है न आपका ?

श्री राजबहादुर : मैंने यह नहीं कहा था। आपने जो कहा वह मैंने नहीं कहा था। मैं कहता हूं, इसकी मन्शा पूरी नहीं हुई। मैं विनती करता हूं कि मैंने यह कहा था, बल्कि रूल 215, 216, 217 और 218 हवाला दिया था बुलेटिन में नोटिफिकेशन हो गया प्रतिवेदन नं0 13 का, जिसमें बिजनेस और बिल्स का टाइम निर्धारित हो गया। आप एलोकेशन ऑफ टाइम में परिवर्तन कर सकते हैं, वह भी इन्क्रीज की तरफ, डिक्रीज की तरफ नहीं।

श्री अध्यक्ष : वह की वह बात है। मैं समझ गया, आपने जो बात कही, उससे कोई फर्क नहीं होता। आपका मत यह था कि एक बार कार्य सलाहाकार समिति किसी सत्र के लिए बिजनेस तय कर दे, उसमें किसी और अन्य बैठक के अन्दर किसी कार्य को बढ़ाया, घटाया अथवा बदला नहीं जा सकता है। मेरा नम्र निवेदन है, आपका कहना यह है कि जो कानून का सिद्धान्त है....

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि कार्य सलाहकार समिति एक बार जब सत्र के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर देती है तो ानून की भाषा में जिसको कहते हैं, फंक्ट्स आफिसियो, वह हो जाती है। उस कार्य की सूची में से कुछ घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न परिवर्तन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बढ़ सकता है।

श्री अध्यक्ष : बढ़ाने-घटाने का इसमें कोई सवाल नहीं है। आपने जो बढ़ाने की बात कही, उसमें यह कहा था, अध्यक्ष को यह अधिकार है कि एक घन्टे तक का समय किसी निर्धारित विषय, जो प्रतिवेदन आया हुआ है, के लिये एक घंटे तक की मियाद बढ़ा सकते हैं। यदि इस सिद्धान्त को मान लिया जाय तो इसके मायने यह होंगे कि एक दफा जो कार्य सलाहकार समिति ने एक सत्र के बारे में तय कर दिया, वह लोहे की लकीर हो गया....

श्री राजबहादुर : ऐसी स्थिति में कहा है, मैंने यह कभी नहीं कहा....

श्री अध्यक्ष : कोई भी प्रबन्धकारिणी समिति हो, कोई भी समिति हो जिसको किसी क्षेत्र के अन्दर कार्य करने के अधिकार दिये गये हैं, प्रबन्ध करने के अधिकार दिये गये हैं, उसको सुविधा के अनुसार कार्यक्रम को बदलने के पूर्ण अधिकार हैं। इस सभा के अन्दर भी पिछले तीस सालों से कई बार पूर्व निश्चित कार्यक्रम बदले गये हैं, बदले जाते रहे हैं। बदलते नहीं होते, आपकी बात को अगर मान लिया जाय कि एक घण्टे का अधिकार मुझे है तो कल का अवशेष जो हमारा कार्य है, उसको हम

(श्री अध्यक्ष)

आज कैसे ले सकते हैं। दुर्घटना इस तरह की भी हो सकती है कि 3-4 दिन तक विधान सभा का सत्र या बैठक चल ही नहीं सके। मेरा नम्र निवेदन यह है कि नियम और नियमों का इन्टरप्रिटेशन इस तरह का होना चाहिये, जिससे इस सभा का कार्य अच्छी तरह से चल सके। मैं समझता हूं कि व्यवस्था का जो प्रश्न आपने उठाया है, उसके लिए इतनी व्यवस्था पर्याप्त है। मैं माननीय राजबहादुरजी के व्यवस्था प्रश्न को उसके साथ जुड़े हुए अन्य माननीय सदस्यों के व्यवस्था के प्रश्नों को अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है।

अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन

चौदहवें प्रतिवेदन पर माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कल, कि कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन को निरस्त किया जाय तथा तेरहवें प्रतिवेदन को यथावत रखा जाय। मैं इसको मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब देने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया नियमों का, परम्पराओं का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आर्डर आर्डर। मैंने समय निश्चित कर दिया था, उसके बाद में कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मैंने समय निश्चित कर दिया था। हमारे नियम स्पष्ट हैं कि यदि आसन किसी प्रस्ताव आदि के बारे में समय निश्चित कर दे तो वह समय आने पर सभी आवश्यक प्रश्न तत्काल पूछ लिये जायेंगे। इस अधिकार का प्रयोग मैंने बार बार किया है। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं मतदान पर इसको प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि चौदहवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में ...

(व्यवधान)

घनश्याम जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(व्यवधान)

(ध्वनि मतदान)

अव्यवस्था फैल रही है, घोर अव्यवस्था, नियमों की अवहेलना हो रही है। माननीय सदस्या, इस पर आधा घण्टे चर्चा हो सकती है, मैंने 90 मिनट का समय

(93)

(श्री अध्यक्ष)

दिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मेहरबानी करके नियमों का पालन करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : "ना पक्ष जीता"। आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : आप कानून और नियमों को तोड़ रहे हैं, यह शोभा नहीं देता कि वे यह कहें कि....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, अव्यवस्था फैला करके मतदान के अन्दर बाधा नहीं पहुंचा सकते। ना पक्ष जीता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : मैं मतदान के संबंध में ही पाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। कल मैंने व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत किया था, अध्यक्ष महोदय, वह था इसके बारे में कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं मतदान....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मतदान के बारे कोई....

(व्यवधान)

ना पक्ष जीता, प्रस्ताव गिर गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव है। माननीय विधि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मैं मतदान के लिये रखता हूं। उसको....

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, डिवीजन कराइये आप।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कार्य सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

(व्यवधान)

कार्य सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

मुखबन्द का प्रयोग कर मांगें पारित कराने हेतु मैं सदन की कार्यवाही 2 बज कर

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

कर 59 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 2.51 बजे म. प. 2.59 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 2.59 बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं किया जाय कुछ भी।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

मुखबन्द
अनुपूरक अनुदान
की मांगों (1981-82)
पर मतदान

श्री अध्यक्ष : मैं मुखबन्द का प्रयोग करते, हुये अब मांगें प्रस्तुत करता हूं।

बैठ जायें, माननीय सदस्य। कृपया आवेश में ना आयें।

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,72,000 रुपये तक राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

अनेक माननीय सदस्य : XXX

अनेक माननीय सदस्य : मांगों पर मतदान नहीं होने देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : राजस्थान के इतिहास में यह काला दिन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह काला दिन कौन बना रहा है. यह स्वयं सोचें। माननीय सदस्य, इसको काला दिन कौन बना रहा है। बैठ जायं कृपया।

(व्यवधान)

कृपया अशोभनीय....

सुश्री पुष्पा जैन : अरे XXXतालियां बजा रहे हो....

XXX : माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : एक डिवीजन का सवाल था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपसे विनम्र शब्दों में प्रार्थना है कि....

(व्यवधान)

हल्ला नहीं करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहे।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। मुखबन्द का प्रयोग कर दिया है। अब यदि माननीय सदस्य मुख खोलते हैं तो नियमों....

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

मांगों पर मतदान।

मांग संख्या -2

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2-मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,84,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जब डिवीजन की मांग कर दी तो....

(व्यवधान)

डिवीजन क्यों नहीं कराया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 3

अनेक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अव्यवस्था फैला रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मांगों को मतदान हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : लोकतन्त्र में

XXX शब्द व अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)

किसी का गला नहीं घोंटा जा सकता है। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : डिवीजन का कहा, वह मानना पड़ेगा। डिवीजन कराना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपको व्यवस्था देनी चाहिये, न्याय मांग रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2-सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 32,81,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

मुझे बाध्य ना कीजिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह, श्री मेघराज तावड़....

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : XXX आपने जिस ढंग से व्यवस्था यहां दी, उस व्यवस्था में अगर एक मंत्री उठ कर आता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जो....

(व्यवधान)

उसको एक्सपंज किया जाये।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक राज्य-मंत्री इस तरह X X X करे और आप व्यवस्था नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गुलाबचन्द कटारिया, आप और अव्यवस्था फैला रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मैं आपको चेतावनी देता हूं, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायं। माननीय श्री देवीसिंह जी, आप घोर अव्यवस्था फैला रहे हैं।

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

अब इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है कि नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : संविधान की हत्या हो रही है। यह कौन सा तरीका है असंवैधानिक तरीका अपना कर....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : हमने डिवीजन क्लेम किया है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो कुछ लगभग आध घण्टे से हो रहा है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या हो है, साहब। आप हमको निकलवाइये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : हमने डिवीजन क्लेम किया है, आप डिवीजन करवाइये। अन्यथा यह जो कार्यवाही है, यह गैर क़ानूनी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आ सकता।

(व्यवधान)

आप किसी नियम का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : आप कौनसा नियमों का ध्यान रख रहे हैं। कौन से नियमों की दुहाई देकर हम से ध्यान रखने को कह रहे हैं।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री मौजूद है XXX मुख्य मंत्री को तुरन्त इस्तीफा देकर यहां से चला जाना चाहिये XXX माननीय सदस्यों को पीटा है विधान सभा में।

(व्यवधान)

XXX ज़रा सी शर्म बाकी है तो इस राजस्थान का पीछा छोड़ो और जाओ यहां से।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। हमने डिवीजन क्लेम किया है।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि XXX आध घण्टे की....

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शान्ति रखें। जो कुछ हुआ इस सदन के लिये अशोभनीय हुआ।

(व्यवधान)

मैं मांगें मतदान के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं। अब मेरी प्रक्रिया यह होगी कि जो माननीय सदस्य अव्यवस्था फैलायेंगे अथवा आसन के आदेश की अवहेलना करेंगे उनको मैं नाम से सम्बोधित करूंगा और उसके पश्चात् ....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह, श्री आर्यवीर, बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री यदुनाथसिंह : हमने डिवीजन क्लेम किया है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुमत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आसन का दुरुपयोग हो रहा है माननीय सदस्य। दो घन्टे से अधिक हो गये।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : डिवीजन होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप शान्त रहें। डिवीजन भी हो जायेगा। डिवीजन की भी एक दफा इजाजत दे दूंगा। आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमने डिवीजन क्लेम किया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजबहादुर : सबसे पहले डिवीजन ले लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : मैं एक बार डिवीजन ले लेता हूं।

(व्यवधान)

मैं डिवीजन ले लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : डिवीजन नहीं होना चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : यह नही हो सकता, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सदन से बहिर्गमन कर जायें। माननीय श्री यदुनाथसिंह को बहिर्गमन के लिये आदेश देता हूं। श्री यदुनाथसिंह बहिर्गमन कर जायं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : डिवीजन करवाइये।

अनेक माननीय सदस्य : × ×× लोकतन्त्र की मांग है। ×××

× ×× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

99

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं। डिवीजन करवाइये प्रतिवेदन पर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने कह दिया है। मांग सं० 4 पर डिवीजन कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आज का दिन ××× का दिन होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिनके नाम पुकारे हैं सर्व श्री यदुनाथसिंह, वीरेन्द्रप्रतापसिंह, मेघराज तावड़ सदन से बहिर्गमन कर जायं कृपया।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, आप अन्याय कर रहे है इस प्रकार के आदेश फर्मा कर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब संविधान के प्रावधानों के अनुसार यदि वे सदन में अनधिकृत रूप से बैठे रहते हैं तो 500–500 रुपये की राशि उनसे जुर्माने के तौर पर वसूल की जायगी।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : श्री यदुनाथसिंह।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री देवीसिंह....

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद, कृपया सदन से बहिर्गमन कर जायं।

(व्यवधान)

श्री कटारिया बहिर्गमन कर जायं। श्री अनंगकुमार जैन।

(सर्व श्री यदुनाथसिंह, वीरेन्द्रप्रताप सिंह मेघराज तावड़, गुलाबचन्द, कटारिया, देवीसिंह भाटी, महावीरप्रसाद जैन, अनंगकुमार जैन, बालचन्द्र आर्यवीर का बहिर्गमन)

(व्यवधान)

Please.

(व्यवधान)

जिन सदस्यों को बहिर्गमन के आदेश दिये गये हैं, वे सदस्य अनधिकृत रूप से सदन में बैठे हैं। संविधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी···

(व्यवधान)

वे हाउस में स्ट्रेन्जर है।

(व्यवधान)

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4- जिला प्रशासन के सम्बन्ध में

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 99,14,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 4 स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 73,45,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 5 स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 69,81,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(व्यवधान)

मांग संख्या 6 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,16,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 7 स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8—राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,68,11 000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 8 स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

मांग संख्या 9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,88,77,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग संख्या 9 स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

मांग संख्या 10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,95,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 10 स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

जिन माननीय सदस्यों को बहिर्गमन का आदेश दिया है, वे यहां अनधिकृत रूप से बैठे हैं और विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,11,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(व्यवधान)

अब मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(सदन की कार्यवाही म. प. 3-30 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

विधान सभा की बैठक म. प. 3-45 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 11...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप नियमों से परिचित हैं। केन्द्र में संसदीय मामलात के मन्त्री रह चुके हैं। कृपया नियमों का ध्यान रखिये।

श्री यदुनाथसिंह : हमने नियम पढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष : नियम नहीं पढ़े मालूम होते हैं मुझको। आर्डर प्लीज।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11–विधि सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11 लाख 11 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 11 स्वीकार की गई।

श्री राजबहादुर : मैं वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये।

(सर्व श्री देवीसिंह भाटी, गोपाल पचेरवाल, रामकंवार बैरवा व मेघराज तावड़ का बहिर्गमन)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करता हूं कि इस सदन के अन्दर कुछ स्ट्रेंजर्स बैठे हुए हैं, जो सदन के मैम्बर नहीं हैं। कृपया उनसे कहिये, वे व्यवधान न डालें।

श्री अध्यक्ष : क्या कहा आपने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। इस मामले में आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जाइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं सदन का त्याग करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : ***मुखबन्द 5 बजे था, उसका प्रयोग साढ़े पांच बजे किया जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन स्ट्रेन्जर्स को निकालिये बाहर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12—अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 लाख 26 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री यदुनाथसिंह, श्री महाराम चौधरी व श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह का बहिर्गमन)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13—आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,67,83,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 13 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14—बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61,10,000 (इकसठ लाख दस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 14 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15-पेन्शन व अन्य सेवा निवृत

(श्री अध्यक्ष)

लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,52,90,000 (आठ करोड़ बावन लाख नब्बे हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 15 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16—पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,00,86,000 (आठ करोड़ छियासी हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 16 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17—कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 36,39,000 (छत्तीस लाख उनतालीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 17 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18—जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,80,000 (छः लाख अस्सी हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 18 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19—लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6, 20, 35,000 (छः करोड़ बीस लाख पैंतीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 19 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20—आवास के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 52, 21,000 (एक करोड़ बावन लाख इक्कीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 20 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 21, सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20, 62, 66,000 (बीस करोड़ बासठ लाख छियासठ हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 21 स्वीकात की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के संबध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 (एक हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 22 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23—श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 93, 08, 000 (एक करोड़ तिरानवे लाख आठ हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 23 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22 20, 03, 000 (बाईस करोड़ बीस लाख तीन हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 24 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध के 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46, 67, 000 (छियालीस लाख सड़सठ हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 25 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5, 44, 10, 000 (पांच करोड़ चवालीस लाख दस हजार) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 26 स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27, पेय-जल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20, 74, 99, 000 (बीस करोड़ चौहत्तर लाख निन्नायवें हजार) रुपये तक की की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 27 स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजातिक्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 39, 61, 000 (एक करोड़ उनतालीस लाख इकसठ हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 30 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5, 01, 66, 000 (पांच करोड़ एक लाख छयासठ हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 31 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 39, 94, 000 (उनतालीस लाख चौरानवे हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 32 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 94, 40, 000 (चौरानवे लाख चालीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 33 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 75, 13, 65, 000 (पिचहत्तर करोड़ तेरह लाख पैंसठ हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 34 स्वीकार की गई।

(106)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें के सम्बन्ध में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 30, 86, 000 (एक करोड़ तीस लाख छियासी हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 35 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,44,30,000 (चार करोड़ चवालीस लाख तीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 36 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,60,24,000 (नौ करोड़ साठ लाख चौबीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 37 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,97,78,000 (एक करोड़ सत्तानवें लाख अठहत्तर हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 38 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,12,32,000 (दो करोड़ बारह लाख बत्तीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 39 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,42,000 (अठारह लाख बयालीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 40 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग

(श्री अध्यक्ष)

संख्या 41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,82,95,000 (एक करोड़ बयासी लाख पिच्यानवें हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 41 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42- उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,66,72,000 (एक करोड़ छियासठ लाख बहत्तर हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 42 स्वीकार की गई।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य बहिर्गमन कर जायें।

(बहिर्गमन)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,46,56,000 (तीन करोड़ छियालीस लाख छप्पन हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 43 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,80,55,000 (पन्द्रह करोड़ अस्सी लाख पचपन हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 46 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,00,000 (छह लाख) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 47 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,67,00,000 (दो करोड़

(श्री अध्यक्ष)

सड़सठ लाख) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 48 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49–स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,000 (नौ हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 49 स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर : स्थापन राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1982

श्री चन्दनमल बैद, प्रभारी मन्त्री, राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1), 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या1) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1982 पारित किया गया।

श्री अध्यक्ष : गुलोटिन का टाइम साढ़े पांच कर दिया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (संसदीय कार्य मंत्री): 4 बज कर 10 मिनट तक रखा जाये। 4:10 पर मुख बंन्द लागू किया जाये।

श्री अध्यक्ष: मेरे खयाल से गुलोटिन का टाइम साढ़े पांच बजे कर दिया था। इसलिये अल्पकाल के लिये स्थगित कर दिया जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मेरा निवेदन है कि सदन को तो सर्वोच्च अधिकार है कि जब सदन चाहे ले सकता है।

श्री अध्यक्ष: मुझे छूट दे दी गई है।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: बहस भी नहीं होगी क्या?

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: मेरे खयाल से स्थगित कर दिया जाये।

साढ़े पांच, जब मैंने कहा था तो समय बढ़ा हुआ माना जायेगा। मैंने साढ़े पांच तक मुख बन्द का टाइम बढ़ाया था तो टाइम बढ़ा हुआ माना जाये।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: सदन की अनुमति से बैठक का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया गया।

सदन की कार्यवाही को मैं स्थगित करता हूं 5 बजे तक के लिये।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.12 बजे म. प. 5.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

विधान सभा की बैठक पुनः 5.00 बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन।

स्पष्टीकरण
श्री शीशराम ओला का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष: श्री शीश राम ओला।

श्री शीशराम ओला: माननीय अध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। यहां थोड़ी देर पहले सदन में अप्रिय घटना घटने जा रही थी और आपके आसन तक विरोधी पार्टी के बहुत सारे सदस्य आ गये थे। हमें ऐसा लग रहा था कि कागज उठा कर फाड़ देंगे और न मालूम क्या घटना घट सकती है। यहां पर किताबें वगैरह सब बगा दी गयी थीं। पहले तो असेम्बली सैक्रेटरी को एक तरफ हटना पड़ा था और यहां इतने

(110)

श्री शीशराम श्रोला)

लोग आ गये थे तो हम उनको अलग करने के लिये गये, उनमें एक में भी था। यह कहना अत्यन्त गलत है कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा मैंने किसी को आज तक तो थप्पड़ मारा। नहीं है। मैं केवल थोड़ा यों कर रहा था, अलग, आप पीछे हटिये, हटिये पीछे, हटिये पीछे। इस तरह हाथ कर रहे थे। मैंने किसी को कोई थप्पड़ नहीं मारा और न किसी को कोई गलत शब्द कहा। आप हटिये, क्या गलत काम कर रहे हो, हटिये पीछे, हटिये. यों कह रहे थे तो मैं भी यही कह रहा था। थप्पड़ मारने की बात अथवा गला पकड़ने की बात सरासर गलत और × × × है।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द को....

श्री शीशराम ओला : असत्य है।

श्री अध्यक्ष : हटाया जावे।

मुखबन्द
अनुदान की मांगों का पारण

श्री अध्यक्ष : मैंने मुखबन्द के प्रयोग का समय साढ़े पांच बजे तक के लिये बढ़ा दिया था। अब अपने पास वर्तमान में कोई दूसरा कार्य नहीं है। अतः क्या सदन की सम्मति कि मुखबन्द का प्रयोग म. प. 5.30 बजे के बजाय म. प. 5.00 बजे कर दिया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

मुख बन्द का प्रयोग करते हुए अब मैं शेष मांगों को मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

मन्त्री महोदय भी ध्यान रखेंगे कि एक आध मांग उनकी रह नहीं जाय। मैं अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरत रहा हूं।

मांग सं.–41

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,85,38,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं. –36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25, 10, 35, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

××× शब्द मा ???? अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

मांग सं0–1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,86,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं0–2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2–मन्त्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48,91,000 रुपये तक की राशि प्रदान जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं0–3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,41,86,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं0–4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,86,17,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 4 स्वीकार की गई।

मांग सं0–5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,01,76,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 5 स्वीकार की गई।

मांग सं0–6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को ससाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,97,13,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 6 स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग सं0-7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 58,26,000 तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 7 स्वीकार की गई।

मांग सं0-8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18 07,73, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग सं0 8 स्वीकार की गई।

मांग सं0 10

प्रश्न यह है कि माग संख्या 10-विविध सामान्य सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,42,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सं 10 स्वीकार की गई।

मांग सं0 11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,85,15,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग सं0 11 स्वीकार की गई।

मांग सं0 13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,02,28,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग सं0 13 स्वीकार की गई।

मांग सं0 14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,37,93, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 14 स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15, पेंशन व अन्य सेवा निवृत्त लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,07 48,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग सं. 15 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि मांग सं० 16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 53,50,04,-000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग सं० 16 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि मांग सं० 17, कारागर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3, 25,02,-000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 17 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है मांग सं० 18, जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 का समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,18,32-000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग सं० 18 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है मांग सं०19, लोक निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 43,-85,51,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग सं० 19 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि मांग सं० 20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,15,26,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग सं० 20 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि मांग सं० 21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983

(श्री अध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले के व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 45, 94, 37, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग सं० 21 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है मांग सं० 22, क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,67,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 22 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि मांग सं० 23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,68,81,0C0 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग सं० 23 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25, कोषागार एवं लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,86,70,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 25 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27, पेय-जल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 70,12,77,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 27 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,81,20,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 29 स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22, 66,41,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 30 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31, पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,74,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 31 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है मांग संख्या 32, नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,08,44,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 32 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,84,64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 33 स्वीकार की गई।

मांग सं० 34

प्रश्न यह है मांग सं० 34, प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,74,90,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 34 स्वीकार की गई।

मांग सं० 35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,22,02,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 35 स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,01,34,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 38 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44, लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,05,74,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 44 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45, राज्य कर्मचारियों के ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,53,27,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 45 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45, सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,61,52,93,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 46 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48, विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 70,20,70,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 48 स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,14,54,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग संख्या 49 स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982

विधायी कार्य, श्री चन्दनमल बैद, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2), विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया गया।

अब प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इसे पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है कि तीन मार्च को, जैसा कि मैंने बजट प्रस्तुत किया था उसमें किसानों को, जिनको फ्लेट रेट के आधार पर बिजली दी जाती है, उस पर मैंने प्रस्ताव किया था कि फ्लेट रेट की दर शत प्रतिशत बढ़ा दी जाय। अब सभी लोगों की, सदन की भावनाओं को देखते हुए और उसका आदर, सम्मान करते हुए यह उचित समझा गया कि जो शत प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव था उसको वापस लेकर बढ़ोतरी इस प्रकार की जाय :—

3 हार्स पावर तक	60 प्र० श०
5 "	50 "
7½ "	40 "
10 "	30 "

तक बढ़ोतरी की जाय, ऐसा मैं प्रस्ताव करता हूं।

(118)

विधेयक का पारण

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : संशोधित रूप में।

श्री अध्यक्ष : उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो अनाउसमेंट है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 1982

अब प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक को ...

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया गया।

कुछ प्रस्ताव आये हुये हैं लेकिन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए अब अगला प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह उचित समझता हूं कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं वे बिजली के अभाव के कारण चल नहीं रहे हैं। अगर आप उचित समझें तो जनरेटर पर कुछ पैसे बढ़ाये हैं उस पर अगर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करें तो मेरे खयाल से पश्चिमी राजस्थान में जो उद्योग हैं, जिन उद्योगपतियों ने आपके विश्वास पर आकर के खुद के पैसों से और लोन लेकर उद्योग लगाये हैं उस पर आप पुनर्विचार करें तो सदन और अपनी पार्टी की छवि भी ठीक रहेगी। सदन की भी मेरे खयाल से ऐसी इच्छा है।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : मैं इसका समर्थन करता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस प्रस्ताव का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि मन्त्रिमण्डल के समक्ष मैं इस प्रस्ताव को

(श्री चन्दनमल बैद)

रखूंगा और जो कुछ भी निर्णय उचित होगा, उसको करेंगे।

विधेयक का पारण

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1982 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 1982 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1982

अब प्रभारी मन्त्रीजी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री का (संशोधन) विधेयक, 1982 ...

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, बिक्री कर के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान में अकाल की वजह से, बरसात नहीं होने के कारण जो स्थिति है, जो उद्योग धन्धे, ग्वार गम की फैक्ट्रीज चूरू, सरदारशहर, बीकानेर, जोधपुर में लगी हुई हैं, उनका सम्बन्ध पूरे राजस्थान के किसानों से है जिनसे 60 करोड़ का फॉरिन एक्सचेंज मिलता है हिन्दुस्तान की सरकार को, उनके ऊपर टैक्स की डबल मार कर दी है। इससे उद्योग खतम हो जायेगा और हरियाणा, पंजाब और गुजरात के मुकाबले अपने उद्योगपति ठहर नहीं सकेंगे। जो ग्वार पहले 100 रुपये क्विन्टल बिकता था इन उद्योगों की वजह से, जिनसे 60 करोड़ का फॉरिन एक्सचेंज आता है, इसका किसानों से सीधा सम्बन्ध है, इसके ऊपर आज विचार नहीं करेंगे तो बुरा असर किसानों पर पड़ेगा। बिजली की वजह से नुकसान हो रहा है। फेमिन की वजह से नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद जो ग्वार से छोटी-मोटी आमदनी होती है, इसका उस पर असर पड़ेगा। उद्योगपति ठप्प हो जायेंगे, उद्योग ठप्प हो जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर जो टैक्स लगाया है वह आप वापस लें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य जो बात फरमा रहे हैं वह इस विधेयक से सम्बन्धित न होकर राजस्थान फाइनेन्सियल बिल, जो अभी सदन ने पारित किया है, से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था इसलिए ध्यान नहीं रहा होगा।

श्री चन्दनमल बेद : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ग्वार गम की जो इन्डस्ट्री है, उस ग्वार गम की इन्डस्ट्री का कोई काम्पीटिशन नहीं है। ग्वार गम की इन्डस्ट्री के माल का जो उत्पादन होता है और यहां से राजस्थान से बाहर जाता है, उसका यह नहीं हुआ कि हमारा एक पर्सेन्ट टैक्स लग गया, इतना टैक्स नहीं लगा है। जो पांच साल से कम पुरानी इन्डस्ट्री हैं, परचेज करने पर उनको 1 पर्सेन्ट टैक्स देना पड़ेगा और पांच साल से पुरानी ग्वार गम की इन्डस्ट्री हैं, वह अगर ग्वार खरीदेगी तो उसको दो पर्सेन्ट टैक्स देना पड़ेगा। केवल एक पर्सेन्ट का टैक्स बढ़ा है। जब कि बाहर का कोई काम्पीटिशन नहीं है। ऐसी हालत में, अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी इन्डस्ट्री पर, हमारे उत्पादकों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। आखिर 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है। हमारे सामने फेमिन की बात है, दूसरी तरफ कर्मचारियों की हड़ताल है, और जो विकास के कार्य हैं उन सब कामों के लिए कहीं न कहीं से धन जुटाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फेमिन का काम जोरों से चले, विकास का काम भी जोरों से करें। पे भी बढ़ाते जायें, और ओवर ड्राफ्ट को भी चुका दें और कोई बोझ न डालें, यह सब तो नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, यह जो बोझ है, ऐसा बोझ है, इससे कोई राजस्थान के उद्योग धन्धे या राजस्थान के उत्पादकों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है वह ज्यादा वजन नहीं रखती है।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : अभी जो 17-ए की फेसिलिटी है वह विथड्रा हो जायेगी। आज कई फैक्ट्रीज वाले किसानों से, काश्तकारों से डायरेक्ट खरीद लेते हैं। यह टैक्स लगेगा तो 17-ए की फेसिलिटी विथड्रा कर रहे हैं और फैक्ट्रीज को सीधा व्यापारी से माल लेना होगा। आज काश्तकार सीधा माल फैक्ट्री वालों को दे सकता है। इस कानून के आने के बाद 4 पर्सेन्ट टैक्स और लगेगा और 1 पर्सेन्ट और देना होगा। कम्पेरेटिवली, जो राजस्थान के पड़ोसी प्रदेश हैं, चाहे वह हरियाणा हों, चाहे वह मध्य प्रदेश हो उनमें वह स्टेन्ड नहीं कर पायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह ग्वार गम का जो बिजनेस है, पश्चिमी राजस्थान में डवलप हुआ है। इसका कोई भविष्य नहीं है और अन्य कन्ट्रीज भी ग्वार पैदा करने लगे हैं। उनका भविष्य अन्धकारमय है। दो साल के बाद में इन्डस्ट्री को वाइन्ड-अप करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अन्दर उनसे यह फेसिलिटीज विथड्रा करना उनके साथ में अन्याय होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप पुनर्विचार करें और जिस इन्डस्ट्री का भविष्य अन्धकार में है, आप विचार करके सोचिये। दूसरी कन्ट्रीज भी डवलप करने लगे हैं ग्वार को। इसका काश्तकार पर असर पड़ेगा। अच्छे भाव नहीं मिलेंगे। व्यापारियों के पास जाना पड़ेगा। यह एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड बिजनेस है। इसके लिए अपने को विचार करना चाहिए और इस पर राहत दी जानी चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिस टैक्स का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, यह सही है, जैसा माननीय चन्दनमलजी वैद ने कहा, इस टैक्स का इस बिल से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन चूंकि यह चर्चा में आ गया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल ग्वार गम का ही प्रश्न नहीं है। आपने जो अपने बजट भाषण में बताया था, नई इन्डस्ट्रीज जो राजस्थान में आने वाली है उनको रॉ मैटीरियल पर आपने टैक्स में छूट दी है और एक तरह से इन्डस्ट्री को जो इन्सेन्टिव दिया है कि वे राजस्थान में आयें और इन्डस्ट्री यहां पर लगायें, उस पर आपने रॉ मैटीरियल पर एक पर्सेन्ट टैक्स लगा दिया। यह एक एश्योरेन्स दिया हुआ था, उसकी वजह से लोग राजस्थान की ओर अट्रैक्ट होते थे। पांच साल के बाद में एक पर्सेन्ट था वह आपने दो पर्सेन्ट कर दिया। इसके बाद बजट भाषण में आपने रेट बढ़ाई है, इलेक्ट्रिसिटी की रेट बढ़ाई है, फेमिन की कन्डीशन हैं, दूसरी कुछ और बातें हैं, इस तरह के जो कन्सेशन दिये हैं कि इन्डस्ट्री को लाना चाहते हैं। राजस्थान की इकॉनॉमी की बात कर रहे हैं। राजस्थान की सारी इकॉनॉमी डिपेन्ड करती है राजस्थान के इन्डस्ट्रियलाइजेशन पर। जितना इन्डस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, उतना ही आपको सेल्स टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाला है। यही नहीं, आपका एम्पलॉयमेंट पोटेन्शियल भी जनरेट होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको री-कन्सीडर करें, इसको सोचें। यह जो प्रस्ताव आपने किया है, जो कन्सेशन दिए हुए हैं, उसको लागू रखें, और इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह विचार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि ग्वार का प्रोडक्शन पश्चिमी राजस्थान में होता है सारे किसान लोग पश्चिमी राजस्थान के होने के कारण केवल मात्र एक खरीफ की फसल लेते हैं। खरीफ फसल लेने से किसान को वेल्यू ज्यादा मिलेगी। इन्डस्ट्री के अन्दर मैग्जिमम खपत होगी, उसकी रेट ज्यादा मिलेगी, किसान की माली हालत सुधरेगी। इसलिये जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेरए रिया के किसान, जो कि केवल मात्र खरीफ की फसल लेते हैं, लिये सुविधाजनक रहेगा, उनकी माली हालत ठीक होगी। मैं यह चाहूंगा कि यह टैक्स बढ़ाया है इस टैक्स को कम किया जाये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो उद्योग वाला टैक्स है उसमें हमने एक परसेन्ट शुरू से और बाकी में दो पर्सेंट किया है। एक तरफ राजस्थान में ज्यादा उद्योग लगाना चाहते हैं दूसरी तरफ उसमें शुरू से टैक्स लगा दें तो जो लोग यहां उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके मन को धक्का लगता है। इसको मंत्री महोदय वापस लें तो अच्छा है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ग्वार की कीमत काफी बढ़ गई है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम यह कहते हैं

(श्री चन्दनमल बैद)

कि ग्वार की कीमत बढ़ गई है, आज हमारे उत्पादक, किसानों को ज्यादा कीमत मिल रही है....

श्री रामसिंह बिश्नोई : किसानों की माली हालत सुधारना नहीं चाहते हैं आप। हमारा फायदा आपने नहीं किया है। ग्वार गम के जो उद्योगपति हैं उन्होंने किया है। आपकी पॉलिसी थोड़े ही है। फॉरिन एक्सचेंज मिलता है वह उद्योगपति की वजह से मिलता है। बाकी ग्वार यहीं था और आप भी यहीं पर थे। हमारा 100 रुपये क्विंटल में कोई ग्वार लेने वाला नहीं था। आज इनकी मेहरबानी है कि 200 रुपया क्विंटल मिल रहा है। इन लोगों ने हमको कुछ काबिल बनाया है। इसलिये आगे बात करना ठीक नहीं है। आप से किसानों की माली हालत नहीं सुधरी है। उद्योगपति ने उद्योग लगाये हैं। आपको कोई श्रेय नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको पैसा मिले, हम चाहते हैं कि आपका 340 करोड़ का ओवरड्राफ्ट कम हो। हम आपको सहयोग देंगे लेकिन हमारी इन्डस्ट्री को तबाह करने का, हमारे 50 हजार मजदूरों को महरूम करने का तो ऐसा टैक्स मत लगाइये जिससे हमारे को नुकसान हो। पांच साल का आपने एग्रीमेंट किया है। आप हमेशा कहते हैं कि पांच साल तक हम कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। आप टैक्स 1 पर्सेन्ट कर रहे हैं, दो पर्सेन्ट कर रहे हैं। आपको पॉलिसी से नहीं मुकरना चाहिये। आप 30–35 साल से तपे हुये आदमी हैं, आपने हमेशा कांग्रेस की इमेज को सुधारा है। आप इस तरह का वातावरण बनायेंगे तो आप के कहने से कोई बंगाल, कलकत्ता बम्बई का सेठ आपके चक्कर में नहीं आयेगा। इसलिए मैं आपको ठीक निवेदन करता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूंजिपति की बात कर रहे हैं। हमारा उद्योग है। इसमें हमारा गरीब आदमी लगा हुआ है। वे अकाल से प्रभावित हैं। उनको इससे ज्यादा पैसा मिलता है। दूर दराज में रहते हैं। हमारे यहां पर अकाल की वजह से कोई धन्धा नहीं है। आपको इस पर विचार करना चाहिये। आप विचार नहीं करेंगे तो हमारे उद्योग-धन्धे ठप्प हो जायेंगे। हमारे यहां पर अकाल है। किसी तरह के उद्योग-धंधे नहीं लग सके हैं। वे हरियाणा, पंजाब, गुजरात के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकेंगे। इसकी ईल्ड कम होती है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह कहना है कि सभी लोग हमारे हैं उद्योगपति भी हमारे हैं, किसान भी हमारे हैं, मजदूर भी हमारे हैं लेकिन जो विकास का वजन है यह किसी पर तो डालना होगा। जो फार बैटर लोग हैं, जो इण्डस्ट्रीज चला रहे हैं और ग्वार गम की सैंकड़ों इण्डस्ट्रीज राजस्थान में आयी हुई हैं, ये राजस्थान में ही नहीं बाहर भी माल भेज रहे हैं तो और कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं डाल रहा हूं। जीरो पर्सेन्ट टैक्स था उसको बढ़ा कर केवल एक पर्सेन्ट कर रहा हूं। तो एक पर्सेन्ट टैक्स का भार डाल रहा हूं जिस पर पहले नहीं था। जिन पर एक पर्सेन्ट था उनका दो पर्सेन्ट कर रहा हूं।

(123)

एक माननीय सदस्य : एक पर्सेन्ट नहीं हण्ड्रेड पर्सेन्ट कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : 100 प्रतिशत की बात नहीं है। पर्सेन्ट तो जीरो से एक ही किया है वैसे गिनें तो इन्फिनिटी पर्सेन्ट हो गया है। फिर जीरो से एक पर्सेन्ट कर रहा हूं। अब क्या इसको 1/4 पर्सेन्ट कहें। जीरो से एक पर्सेन्ट और एक पर्सेन्ट से दो पर्सेन्ट। तो कम-से-कम बोझ डाल सकता था वह इंडस्ट्रीज पर, डाल रहा हूं सैकड़ों की संख्या में आई हुई हैं, वह भी अब इण्डस्ट्रीज पर डाल रहा हूं। वह भी आज जो अच्छी तरह से पनप रही है, अच्छी इण्डस्ट्रीज चल रही हैं उन पर एक पर्सेन्ट का बोझ डाला है। मैं समझता हूं कि....

एक माननीय सदस्य : जीरो से एक पर्सेन्ट कर रहे हैं। इस तरह से आप शुरुआत तो कर ही रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : हम यह सभी काम की बात के लिए कर रहे हैं। जो पैसा आयेगा उसमें से हमें जो पचास करोड़ की योजनाओं में कमी है उसको पूरा करना ही है। जैसा कि मैंने बजट में शुरू में निवेदन किया कि हमारी योजना हैं उनमें, और हमारे जो संसाधन हैं उनमें पचास करोड़ से ऊपर का गैप है उसको कैसे पूरा करेंगे। उन्हीं लोगों से पूरा किया जा जायेगा जिससे कि हर आदमी पर बोझा नही पड़े। इसलिये यह किया गया है कि सबलेटेड लोगों पर ही इसका बोझा पड़े, हर आदमी पर बोझा नही पड़े। अब ग्वार गम की इण्डस्ट्रीज हैं और दूसरी इण्डस्ट्रीज हैं सब तरह की स्टीम की या और तरह की हैं, इण्डस्ट्रीज पर जीरो से एक पर्सेन्ट किया है और एक पर्सेन्ट से दो पर्सेन्ट किया है, यह बोझ पड़ा है। मैं जानता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कोई टैक्स बढ़ाने से राजी नहीं है, मैं जानता हूं कि नाराजगी है इससे, यह भी कहा जायेगा कि इण्डस्ट्रीज को इससे नुकसान पहुंचेगा। बहुत से डेपुटेशन, मेरे पास आये हैं, और यह कह रहे हैं कि दूसरी जगहों पर कम है आपने बढ़ा दिया है, तो इण्डस्ट्रीज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हमारी सुविधा में कमी आयेगी। मैं जानता हूं लेकिन आखिर कहीं-न-कहीं तो विकास के काम करने के लिये, योजना को पूरा करने के लिए बोझ तो डालना ही पड़ेगा। कोई बोझ न डालें फिर भी बजट चलाते जायें यह सम्भव नही हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन सोच समझ कर तो डालते।

श्री चन्दनमल बैद : यह सोच समझ कर ही किया है। सरकार कभी सोचने से इन्कार नहीं करती है, हमेशा ही सोचती रहती है। कोई डेपुटेशन आयेगा तो आप और हम लोग बात करेंगे, आप मिलने के लिये आयेंगे तो सोचना कैसे बन्द कर देंगे। यह सब सोच-समझकर ही किया है कि कम से कम लोगों पर बोझ पड़े और ऐसे लोगों पर पड़े जो कि कम से कम इस बोझ को उठा तो सकें। बोझ तो किसी न किसी पर डालना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर भी बोझ नहीं डालने से काम हो जाय। इसलिए कहता हूं कि यह दलील वजन नहीं रखती है। कम से कम वर्तमान विधेयक से सम्बन्ध नहीं रखती है।

(124)

(श्री चन्दनमल वैद)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वर्षा नहीं होगी। उत्तर दे दिया है, मन्त्री महोदय ने।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सवाल एक पर्सेंट का नहीं है सवाल टोटल रिटर्न ऑफ टैक्सेशन का है। एक पर्सेंट टैक्स बढ़ाने से जो आउट साइड से काम्पीटिशन होता है वह काम्पीटीशन नहीं हो पायेगा तो आपको टोटल टैक्स कम मिलेगा। फिनिश गुड्स जब आउस साइड से कम्पीट नहीं कर पायेंगे तो राजस्थान को इन्डायरेक्टली नुकसान होगा, यह बात देखने की है। सवाल एक पर्सेन्ट का नहीं है। कितना रेवेन्यू आता है, इसका सवाल है। टैक्स बढ़ाया है इससे रेवेन्यू बढ़ाना चाहिये मैं भी एग्री करता हूं। टैक्स बढ़े तो कोई बात नहीं है लेकिन वह कम्पीट नहीं कर पायें तो····

श्री अध्यक्ष : ट्राई कर लें फिर आर्डिनेन्स निकालने की भी तो पावर है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां एक पर्सेन्ट की बात नहीं है, 0.5 प्रतिशत पर सारा आउट लुक दे रहे हैं तो पर्सेन्ट का सवाल नहीं है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुबारा चर्चा शुरू कर रहे हैं सभी मननीय सस्दय।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): टैक्स की चोरी कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा करायी जाती है उसको बचाना बहुत जरूरी है। जनता के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं, लोगों से जो टैक्स वसूल करते हैं, जो विकास के लिये टैक्स लगाया जाता है वह लगाना तो बहुत जरूरी था लेकिन यह टैक्स लगा देते हैं और जनता से वसूल भी कर लिया जाता है लेकिन फिर सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया जाता है तो खास तौर से उसको रोकना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह सुझाव भी ध्यान रखेंगे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के इतने आग्रह के बाद भी वित्त मन्त्री महोदय टैक्सों को नहीं हटा रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि यह ग्वार गम की जो राशि आपके नाम की राशि से नहीं मिलती है क्योंकि आपने अपने अपने नाम की राशि के अनुरूप ही टैक्स हटाया है जैसे च से चूड़ियां, च से चून्दड़ी, च से चलचित्र, च से चमड़े और अगर यह भी उस राशि के होते तो शायद टैक्स माफ हो जाता।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि सिचाई की रेट है वह कम की जानी चाहिये और जो ट्रैक्टर और ट्रोली पर टैक्स है उसको माफ किया जाय।

(श्री रामप्रसाद)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि भरतपुर जिले के किसानों को बरसात का पानी मिलता है। सिंचाई पर जो कर लगाया है, टैक्स लगाया है, तो कहूंगा मंत्री महोदय से, किसानों को बरसात का पानी मिलता है सिंचाई के लिये आपका पानी नहीं मिलता है इसलिए किसानों के ऊपर कर नहीं लगाया जाय। इस प्रस्ताव को वापस लिया जाये, जिससे किसानों को राहत मिल सके। हमारे यहां पर भरतपुर जिले में दो नदियों गम्भीर और बाणी में, अध्यक्ष महोदय, हमेशा बाढ़ आती है और किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से और मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भरतपुर जिले में जो किसानों पर कर लगाया जाता है उसको माफ किये जायें। कुछ बांध ऐसे हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनमें कि कतई पानी नहीं आता है उन पर कर लगा रखा है उसको माफ किया जाय।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जो बात कही, कि बरसात का पानी आता है और वह पानी भी खरीफ की फसल को बरबाद कर देता है, उसके बाद में कतई पानी नहीं आता है और तब खेत सूखे रहते हैं। तो उस पानी के लिये आप सवाया कर रहे हैं, 25 प्रतिशत कर बढ़ा रहे हैं, और जहां पर चार-चार, पांच-पांच मीटर पानी आता है वहां पर भी 25 प्रतिशत ही बढ़ा रहे हैं। जहां भरतपुर में सिंचाई नहीं होती है रबी की फसल में कोई ज्यादा बढ़ोरी नहीं होती है इस पर भी आप सवाया कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि भरतपुर में सवाया रेट नहीं करें।

श्री मुराद खां (नगर) : मैं भरतपुर के बारे में निवेदन कर रहा हूं, मैं यह भी अर्ज कर रहा हूं वित्त मन्त्रीजी से कि हमें किसी पर कर लगाने से आपत्ति नहीं है, हमें रेट बढ़ाने से आपत्ति नहीं है लेकिन हमें तो पानी चाहिये। आप पानी....

श्री अध्यक्ष : यह विक्रय कर पर चल रहा है। मैं क्या अर्ज करूं?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : फाइनेन्स बिल पास करके आप टैक्सेशन पर डिस्कशन अलाऊ कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिंचाई की बात नहीं कर सकते हैं, सरकार कुछ नहीं करे, यह दूसरी बात है लेकिन जो उचित बात है हमारे इलाके की बात है उसके लिए तो आपसे निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : इस पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं यह अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य ने एक बात टैक्स की चोरी के बारे में कही, इस बारे में प्रश्न उठाया है। हमारी बराबर कोशिश इस बात की है कि जो टैक्स की चोरी होती है उसको ज्यादा से ज्यादा रोका जाये। एक उदाहरण देकर अर्ज करना चाहूंगा कि पिछले साल टैक्स 147 करोड़ एकत्र

(श्री चन्दनमल बैद)

हुआ था और इस साल आज बिना कोई टैक्स बढ़ाये भी हमने सैल्स टैक्स में 190 करोड़ रुपये तक वसूल किया है और यह टैक्स इन्क्रीज चोरी रोक कर ही तो किया है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी इस बात की कि हिन्दुस्तान की सर्वोत्तम टैक्स इन्क्रीज की रेट हमारी रही है। हिन्दुस्तान की एवरेज 18 से 22 पर्सेन्ट रही है और हमारी 30 पर्सेन्ट रही है। अध्यक्ष महोदय, बराबर हम कोशिश करते हैं कि चोरी नहीं हो। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य जो बिक्री कर की चोरी रोकने में उत्साहित हैं, दिलचस्पी रखते हैं उन्हें कम से कम दो काम जरूरी करने हैं। एक तो यदि कोई कर चोरी का मामला उनके ध्यान में आये तो मुझे गुपचुप में बतायें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पास जो शिकायत आयेगी तुरन्त मैं फ्लाइंग स्क्वायड भेजकर जांच करूंगा। दूसरी, बराये मेहरबानी इस बात की कोशिश नहीं करें कि मेरे इलाके में फलाना इन्सपेक्टर चला जाय या ए. सी. टी. ओ. चला जाय। इसको करेंगे तो जो ए. सी. टी. ओ. आपके यहां जायेगा वह टैक्स वसूल करने में तो कम दिलचस्पी लेगा और आपको खुश करने में ज्यादा। यह दो बातें करें। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगले साल यह 200 करोड़ तक पहुंच जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982

प्रभारी मन्त्रीजी, प्रस्ताव करेंगे राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सोने दें उनको, डिस्टर्ब मत करें।

एक माननीय सदस्य : उठाते क्यों हो सोने दो, गिर न जायें कहीं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं प्रस्ताव करता कि राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

विधेयक पर विचार
राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982

प्रभारीमन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982 विचारार्थ लिया जाये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं, उनमें से कोइ उपस्थिति नहीं है अतः मैं अगला प्रश्न पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

नियम शिथिलन

नियम 230, 232 व 233 ख का शिथिलन

समिति का गठन
जन लेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति (क) व प्राक्कलन समिति (ख) के निर्वाचित सदस्य

(128)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय समितियों के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में यह व्यवस्था है कि जन लेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा दो प्राक्कलन समितियों का चुनाव सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर होता है, चूंकि गत वर्ष निर्वाचित इन चारों वित्तीय समितियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और सदन के कार्यक्रम को देखते हुए इनको उक्त प्रणाली से निर्वाचित करना सम्भव नहीं है अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 306 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा नियम 230, नियम 232 व नियम 233 ख के प्रावधानों को शिथिल करते हुए सदन द्वारा इन समितियों के लिए निम्नांकित माननीय सदस्यों को निर्वाचित घोषित कर दिया जावे।

सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

जन लेखा समिति

1-श्री शोभाराम
2-श्री मोहम्मद अयाज महाराज
3-श्री भंवरसिंह
4-श्री जगतारसिंह
5-श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
6-श्री देवेन्द्रसिंह
7-श्री धाराराम
8-श्री रामकंवार बैरवा
9-श्री ईश्वरलाल सैनी
10-श्री भरतलाल
11-श्री रामकिशोर मीणा
12-श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी
13-श्री मोहनलाल मोदी
14-श्री कैलाश मेघवाल
15-श्री बनवारीलाल

राजकीय उपक्रम समिति

1-श्री जगन्नाथ पहाड़िया
2-श्री माधवसिंह दीवान
3-श्री दाऊदयाल जोशी
4-श्री देवदत्त तिवाड़ी
5-श्री देवीसहाय गोपालिया
6-श्री नरपतराम बरवड़
7-सुश्री पुष्पा जैन
8-श्री भंवरलाल शर्मा
9-श्री महादेवसिंह
10-श्री महाराम चौधरी
11-श्री रामरघुनाथ चौधरी
12-श्री माणकमल मेहता
13-श्री विष्णुप्रकाश बजारी
14-श्री शिवदानसिंह राठौड़
15-श्री मांगीलाल आर्य

प्राक्कलन समिति (क)

1-श्री सम्पतराम
2-श्री गुलाबचन्द कटारिया
3-श्री तेजपाल यादव
4-श्री नानूराम
5-श्री भैरूलाल मीणा
6-श्री भैरूलाल भारद्वाज
7-श्री मानसिंह देवड़ा
8-श्री रतनलाल ताम्बी
9-श्री रामसिंह विश्नोई
10-श्री लच्छूराम

(श्री खेतसिंह राठौड़)

11–श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह
12–श्री समर्थलाल
13 श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा
14–श्री सूरजपालसिंह
15–श्री हेमाराम

प्राक्कलन समिति (ख)

1–श्री सुरेन्द्र व्यास
2–श्री अनंगकुमार जैन
3–श्री उदयराम
4–श्री उम्मेदसिंह
5–श्री सी. पी. जोशी
6–श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी
7–श्री परसराम मोरदिया
8–श्री फतेसिंह
9–श्री वंशीलाल पटवा
10–श्री बिहारीलाल पारीक
11–श्री मोहनलाल (कपासन)
12–श्री कनकराज मेहता
13–श्री रामकिशन वर्मा
14–श्री हरेन्द्र मिर्धा
15–श्री अब्दुलरहमान चौधरी

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : काफी बड़ा प्रस्ताव है, इसको पुट कैसे करूंगा।

प्रश्न यह है कि मुख्य सचेतक जी ने वित्तीय समितियों के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकृत किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : कुछ मत हो चाहे।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन कार्यवाही म. प. 5.56 बजे अनिश्चितकाल के स्थगित की गई)

—o—

परिशिष्ट 1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पथ परिवहन निगम के जाली टिकट्स का प्रचलन

593. श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के खुर्जा स्थित प्रेस में राजस्थान पथ परिवहन निगम के जाली टिकट पकड़े गये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या भरतपुर जिले में भी जाली टिकट पकड़े गये थे ? यदि हां, तो इसमें किन-किन व्यक्तियों का हाथ है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या इस प्रकार की शिकायत है कि नकली टिकटों के इस कारोबार में पथ परिवहन के उच्चाधिकारियों का हाथ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार को जानकारी है कि खुर्जा में पुनः नकली टिकटों की छपाई हुई है ? यदि हां, तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । निगम स्तर पर प्राथमिक जानकारी करने से विदित हुआ है कि एक फर्जी टिकट छपाई काण्ड उत्तर प्रदेश के खुर्जा नगर में पकड़ा गया था । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खुर्जा से अपराध सं० एफ.आई.आर. नं० 13/81467/120 बी, आई पी सी के अन्तर्गत मामला दर्ज किया एवं निगम के सतर्कता अधिकारी ने पुलिस को पूर्ण सहयोग दिया ।

(2) जी हां । इस प्रकरण में पुलिस द्वारा निम्न व्यक्तियों का हाथ पाया गया :—

1.	श्री भुन्नीलाल	परिचालक
2.	,, राजेन्द्रप्रसाद दीक्षित	,,
3.	,, मंगलसिंह	,,
4.	,, मोतीसिंह	,,
5.	,, सत्यपाल	,,
6.	,, सूरतसिंह	,,
7.	,, रनवीरसिंह	प्रेस में कार्यरत
8.	,, राज्	,,

9. ,, जयकिशोर निवासी हाथरस और इनके विरुद्ध मुंसिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट भरतपुर की अदालत में दिनांक 21-10-80 को चालान प्रस्तुत किया गया । उक्त में से जो कर्मचारी निगम सेवा में थे उन्हें निलम्बित किया गया एवं विभागीय जांच आरम्भ की गई ।

(3) जी हां । अंकेक्षण के फलस्वरूप भरतपुर जाली टिकट काण्ड में जो अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी लापरवाही में अथवा अन्यथा लिप्त पाये गये उनके विरुद्ध

(यातायात मंत्री).

विभागीय जांच प्रारम्भ की हुई है। जांच के परिणामों की प्रतीक्षा है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जावेगा।

(4) जी नहीं। खुर्जा में पुनः नकली टिकट छपवाने सम्बन्धित प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है।

सीकर ठिकाने के भूतपूर्व कर्मचारियों को पेन्शन लाभ

549. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीकर ठिकाने के भूतपूर्व कर्मचारियों को उनके सी. पी. एफ. का सदस्य होने के कारण पेन्शन नहीं दी जा रही है? क्या भूतपूर्व ठिकानों व जागीरों के कर्मचारियों को सी. पी. एफ. का सदस्य होने के कारण पेन्शन न दिये जाने का प्रावधान है?

(2) यदि हां, तो सीकर ठिकाने के कुछ कर्मचारियों को पूर्ण पेन्शन का लाभ क्यों दिया गया है और कुछ कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है जबकि दोनों ही श्रेणी के कर्मचारी सी. पी. एफ. के सदस्य थे?

(3) क्या सरकार इस असमानता को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है?

(4) क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश सीकर से असमानता को दूर करने हेतु कोई सिफारिश राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

जी नहीं।

(2) खण्ड 1 के उत्तर अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) असमानता समाप्त करने के लिये जिलाधीश सीकर की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई।

जयपुर नगर की सिटी बस सेवा

595. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में केवल जयपुर शहर में ही राज्य परिवहन निगम सिटी बसेज का संचालन करता है? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में निगम को इन सिटी बसेज के संचालन में कुल कितना घाटा हुआ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निजी बसों के मालिक उक्त मार्गों पर बसें चलाने को काफी उत्सुक हैं? यदि हां, तो सरकार इन मार्गों पर निजी बसें कब तक चालू करा देगी?

132

उत्तर

(1) जी हां, केवल जयपुर शहर में ही राज्य परिवहन निगम सिटी बसों का संचालन करता है। निगम को गत पांच वर्षों में इनके संचालन से निम्न प्रकार घाटा हुआ है :—

वर्ष	प्रोविजनल घाटा (लाख रु. में)
1977-78	44.36
1978-79	44.62
1979-80	55.57
1980-81	62.65
1981-दिस.81	58.11

(2) यह सही है कि निजी बसों के मालिक जयपुर शहर के मार्गों पर बसें चलाने को उत्सुक हैं। जयपुर शहर के 13 मार्गों पर अब तक 181 परमिट स्वीकृत किये गये हैं तथा कुछ अन्य मार्गों पर निजी बसें चलाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत समित, चेचट में अध्यापकों की कमी

596. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति, चेचट के अन्तर्गत विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों की संख्या पूरी है ? यदि नहीं, तो इस कमी की पूर्ति कब तक करदी जायेगी ?

(2) क्या इसी पंचायत समिति में दो प्राथमिक विद्यालय नये खोले गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से ?

(3) क्या इन विद्यालयों के लिए अध्यापकों के पद स्वीकृत हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड 1:49 के अनुपात में अध्यापकों के पद पूरे रूप से स्वीकृत हैं।

(2) जी हां। गणेशपुरा तथा चौसला दो प्राथमिक विद्यालय वर्ष 81-82 में खोले गये हैं।

(3) जी हां। पद स्वीकृत हो चुके हैं।

अजमेर नगर के बीड़ी कारखानों में प्रदत्त सुविधायें

597. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दी बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स एक्ट, 1966 के सैक्शन 11 एवं 12 तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत बीड़ी के कारखाने में पीने के पानी, लैट्रीन एवं यूरिनल्स की व्यवस्था होना आवश्यक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अजमेर

(श्री मालाराम)

नगर में इन प्रावधानों का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो किस किस कारखाने के किस-किस स्थल पर ये व्यवस्थाएं हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु हरिसर के भीतर कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या जहां 50 से कम हो पृथक से यूरिनल्स बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या जहां 20 से कम हो लैट्रीन बनाया जाना भी आवश्यक नहीं है।

धारा 11 के अन्तर्गत पीने के पानी की व्यवस्था रहती है। नियम 12 के अन्तर्गत शौचालय की व्यवस्था केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जहां बीस या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। नियम 13 के अन्तर्गत 50 या 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर यूरिनल्स बनाने का प्रावधान है। अजमेर के बीड़ी कारखानों पर नियम 12 और 12 इसलिये लागू नहीं होते कि वहां किसी भी कारखानों में श्रमिकों की संख्या 10 से अधिक नहीं है।

(2) यह सही नहीं है। पानी की व्यवस्था है किन्तु दूसरे प्रावधान लागू ही नहीं होते अतः उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

आदर्श सैकण्डरी स्कूल में भवन निर्माण हेतु अनुदानित राशि

598. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि आदर्श सैकण्डरी स्कूल में भवन निर्माण हेतु पहले रु. 30,000 के अनुदान का प्रावधान रखा गया और बाद में उसे कम कर केवल रु. 15,000 कर दिया गया तथा रु. 15,000 का जन सहयोग आवश्यक कर दिया गया है ? यदि हां, तो परिवर्तन का क्या कारण है ?

उत्तर

बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत विकास हेतु स्कूलों का चयन किया गया है।

जी हां। राज्य वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए चयनित सैकण्डरी विद्यालयों में कक्षा कक्ष का निर्माण करने के लिये प्रावधीन रु० 30,000 के बजाय 15,000 रुपये किया गया तथा शेष 15,000 रुपये की धनराशि छात्र कोष एवं जन सहयोग से जुटाने का प्रावधान किया गया। विद्यालय के छात्र कोष में बचत हो तो इस कार्य हेतु 7500 रुपये तक खर्च किये जाने की अनुमति दी गई।

कोटा—ग्वालियर बस सेवा

599. **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा से ग्वालियर वाया खातोली, श्योपुर कलां बस चलाने का मामला काफी लम्बे समय से

(134)

(श्री हीरालाल आर्य)

विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण पर अभी विचार चल रहा है?

(2) क्या सरकार दो राज्यों को जोड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण मार्ग पर बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस प्रकरण पर निर्णय ले लिया गया है एवं इसे पारस्परिक समझौते में शामिल कर लिया गया है।

(2) जी हां। इस मार्ग पर शीघ्र वाहन सेवा संचालन करने हेतु प्रयास जारी है।

कोटा के उद्योगों में हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को नियोजन में प्राथमिकता

600. **श्री जीतमल जैन** (अलवर), **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा के उद्योगों में स्थानीय हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दिये जाने की मांग वहां के विद्यार्थी समय-समय पर करते रहे हैं?

(2) यदि हां, तो वहां के विद्यार्थियों को उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां दिये जाने के संबंध में सरकार ने अब तक क्या प्रयास किया है तथा अब क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नियोजन कार्यालयों में साधारणतः नौकरी के इच्छुक स्थानीय आशार्थियों का ही पंजीयन किया जाता है एवं उन्हीं आशार्थियों में से स्थानीय नियोजकों द्वारा ज्ञापित रिक्तियों के लिये निर्धारित योग्यतानुसार आशार्थियों के नाम भेजे जाते हैं। जिनमें अधिकतर उसी क्षेत्र के आशार्थी होते हैं।

जालौर में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

601. **श्री मांगीलाल आर्य** (जालौर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोलने हेतु सरकार ने क्या क्या आधार निर्धारित कर रखे हैं और राज्य के किन-किन जिलों में एक भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) क्या यह सही है कि जालौर जिले के जिला मुख्यालय पर भवन और छात्रों की आवश्यक संख्या होते हुए भी वहां अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने नहीं लिया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वर्ष 1982-83 में

(श्री मांगीलाल आर्य)

जालोर जिले के जिला मुख्यालय पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोलने का निर्णय लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने वर्ष 1977-78 में उन जिलों में जहां छात्रों की संख्या पर्याप्त थी वहां 15 महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया है। जालोर तथा जैसलमेर जिलों में छात्रों की संख्या पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण वहां के महाविद्यालयों को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में क्रमोन्नत नहीं किया है।

(2) जालोर महाविद्यालय में केवल 411 छात्र हैं तथा इस महाविद्यालय को खुले हुये लगभग 16 वर्ष हो चुके हैं अत: छात्र संख्या की दृष्टि से इस महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने का औचित्य नहीं है।

(3) वर्ष 1982-83 में राजकीय महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हुआ तो राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

पंचायत चुनावों के संदर्भ में सरपंच की अयोग्यता हटाने के आधार

603. श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (मावली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व में अयोग्य घोषित सरपंचों की अयोग्यतायें हटाई गई हैं? यदि हां, तो किन किनकी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) इन अयोग्यताओं को हटाने के क्या आधार थे और क्या अयोग्यतायें हटाने की पूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद 19 सरपंचों की अयोग्यतायें हटाई गई हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अयोग्यताओं को हटाने के लिए पूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है एवं अयोग्य सरपंचों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 11 (जे.) (एम.) एवं 70 (बी.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को काम में लिया जाकर ही अयोग्यता हटाई गई।

अयोग्य सरपंचों को योग्य घोषित किये जाने की सूची

क.सं.	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	पं० समिति	जिला	चुनाव योग्य घोषित करने का क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मितर सिंह	तुहिया	सेवर	भरतपुर	7279/21.11.81
2.	,, मांगी लाल	सतलाना	लूणी	जोधपुर	7767-74/8 12.81
3.	,, गणपतराम	खरकडीकला	थानागाजी	अलवर	7328/11.12.81
4.	,, मंगतराम	विजयपुर	,,	,,	7847-53/14.12.81
5.	,, किस्तुरा राम	विठुड़ा	आहोर	जालौर	7783-87/8.12.81
6.	,, चैना राम	पीडवा	डीडवाना	नागौर	7485/1.12.81
7.	,, जीवन सिंह	कोलिया	डीडवाना	नागौर	7540/2.12.81
8.	,, मांगुराम	ललासरी	डीडवाना	नागौर	7569/3.12.81
9.	,, चतरा राम	भामाशी	डीडवाना	नागौर	7749-56/8.12.81
10.	,, नाथूलाल	करमोदा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	7776-81/9.12.81
11.	,, कमला प्रसाद	लोरवाडा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	7791-95/9.12.81
12.	,, हर देव	लाम्बियाकलां	बनेड़ा	भीलवाड़ा	7071/2.12.81

1	2	3	4	5	6
13.	श्री सरदारा राम	कैसरदेसर जाटान	बीकानेर	बीकानेर	7556-61/3.12.81
14.	,, रतनलाल	नगर	देवली	टोंक	7604-09/4.12.81
15.	,, किशन लाल	फलेता	उनियारा	टोंक	7610-15/4.12.81
16.	,, श्रोशाराम भंवर, उप सरपंच	नापासर	बीकानेर	बीकानेर	7725-32/8.12.81
17.	,, उदयसिंह	खेरोदा	भिण्डर	उदयपुर	7765-66/8.12.81
18.	,, भोलीराम	डबोक	मावली	उदयपुर	7775-82/8.12.81
19.	,, रामचन्द	शिवबाड़ी	बीकानेर	बीकानेर	7823-27/11.12.81

—0—

138

अजमेर नगर में बीड़ी कारखानों में फर्स्ट एड व केन्टीन की व्यवस्था

604. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) व

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में बीड़ी बनाने वाले कारखानों में बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स एक्ट, 1966 की धारा 15 व उस अधिनियम के अलावा बने नियमानुसार "फर्स्ट एड" की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान का पालन नहीं हो रहा है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1981 में किस-किस कारखाने में कब-कब फर्स्ट एड की व्यवस्था होने के बारे में जांच की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि 250 से अधिक व्यक्ति कार्यरत होने पर एक केन्टीन की व्यवस्था की जानी चाहिये ? यदि हां, तो बीड़ी बनाने के किस-किस कारखाने में यह व्यवस्था उपलब्ध है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। वर्ष 1981 में बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत कुल 13 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये नियमों की अनुपालना होती है अथवा नहीं। निरीक्षण किये गये संस्थानों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	संस्थान का नाम	निरीक्षण दिनांक
1	2	3
1.	दिनेश पटेल	12-3-81
2.	मोतीलाल सम्पतलाल	12-3-81
3.	जबरीलाल प्रकाशचन्द्र	13-3-81
4.	माधोलाल रामनाथ	14-3-81
5.	ठाकुमल रेवाचन्द	19-1-81
6.	प्रेमचन्द इन्द्रसिंह	29-1-81
7.	त्रिलोकचन्द हंसराज	27-2-81
8.	जनता बीड़ी फैक्ट्री	27-2-81
9.	रामसिंह शंकरसिंह	15-3-81
10.	खण्डेलवाल ब्रदर्स	16-3-81
11.	गोपाल बीड़ी वर्क्स	17-3-81
12.	सेवक बीड़ी वर्कर्स	17-3-81
13.	दिनेश पटेल	27-11-81

(2) जी हां। परिसर में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 250 या अधिक हो तो यह प्रावधान लागू होता है।

अजमेर में किसी भी संस्थान में उद्योग के परिसर में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 250 नहीं है।

अतः अजमेर के संस्थानों पर यह प्रावधान लागू नहीं होता।

तहसील कामां (भरतपुर) में नवीन विद्यालय

605. **श्री चाद खां** (कामां) : क्या

(श्री चाव खां)

शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील कामां जिला भरतपुर में सन् 1980–81 तथा 1981–82 में एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार 1982-83 में कामां तहसील में हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी, मिडिल तथा प्राइमरी स्कूल खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कामां में वर्ष 1981–82 में नियमानुसार विद्यालय खोले गये है :—

प्राथमिक विद्यालय	2
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3

1980–81 में कामां पंचायत समिति में कोई विद्यालय नहीं खोला जा सका ।

(2) वर्ष 1982–83 में यदि वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हुआ तो कामां क्षेत्र में विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में अन्य क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी ।

नाथद्वारा में बस स्टेण्ड की व्यवस्था

606. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सत्य है कि नाथद्वारा में बस स्टेन्ड के अभाव में हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो सरकार कब तक बस स्टेन्ड का निर्माण प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । नाथद्वारा में वर्तमान में बस स्टेन्ड है परन्तु पक्की इमारत नहीं बनी हुई है । भूमि अधिग्रहण होने पर बस स्टेण्ड के निर्माण पर विचार किया जावेगा । भूमि अधिग्रहण के प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश है ।

भीलवाड़ा तहसील की पंचायतों द्वारा भू-खण्ड आवंटन

607. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा तहसील के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों ने जवाहर नगर, मोखमपुरा, सुखाड़िया नगर को भू-खण्ड आवंटन किये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या ये भू-खण्ड आवेदकों को सौंप दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) आवंटन से प्राप्त आय का पंचायतों ने क्या उपयोग किया है ?

(140)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ये भू-खण्ड आवेदकों को नहीं सौंपे गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भू-खण्डों में अनियमितता होने से जिलाधीश कार्यालय में जांच चल रही है।

पंचायत पार्सल के द्वारा मोखमपुरा, जवाहर नगर में आवंटित भू-खण्ड नगरपालिका क्षेत्र में आ गये हैं, अत: इन भू-खण्डों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नगर पालिका द्वारा की जानी है।

(3) पंचायतों द्वारा उक्त आय को डिमारकेशन एवं विकास कार्यों में खर्च किया जाता है।

परिवहन निगम में कर्मचारियों की संख्या

608. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में प्रशासनिक पदों के अलावा कुल कितने कर्मचारी हैं? कृपया अलग-अलग पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कुल कर्मचारी संख्या में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

(3) क्या कुल संख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या कोटा पूर्ति करने का सरकार विचार करेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में प्रशासनिक पदों के अतिरिक्त कुल 16951 कर्मचारी हैं। वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त कुल कर्मचारियों की संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

कुल कर्मचारियों की संख्या	अन्य	अनु. जाति संख्या	अनु. जन-जाति संख्या
16951	15494	1062	395

(3) कुल संख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों का कोटा पूरा नहीं होने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार रहे हैं :–

(यातायात मंत्री)

1. राज्य सरकार के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के निगम सेवा में आरक्षण नियम दिनांक 10.2.75 से लागू किये गये।

2. इन आदेशों के पश्चात् विभिन्न पदों की योग्यता के अनुरूप समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण।

3. राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बेरोजगार हुए कर्मचारियों को निगम में लिया गया।

4. कर्मचारियों के अभाव में संचालन व्यवस्था में व्यवधान उपस्थित न हो इस दृष्टिकोण से अधिक समय के लिये पदों को रिक्त नहीं रखा जा सका।

(4) जी हां।

---

(142)

क्र. सं.	प्रशासनिक पदों के अतिरिक्त पदों के नाम	कार्यरत	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अनु० जाति	अनु० ज० जा	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	कनिष्ठ अभियंता [सिविल]	9	x	x	9	9
2	निजी सचिव	2	x	x	2	2
3	निजी सहायक	7	x	x	7	7
4	विधि सहायक	1	x	x	1	1
5	सहायक सांख्यिक	13	2	1	10	13
6	सुरक्षा निरीक्षक	2	1	x	1	2
7	पुलिस निरीक्षक	1	x	x	1	1
8	उप भण्डार निरीक्षक	144	2	x	142	144
9	टेलीफोन मानीटर	1	x	x	1	1
10	कैरोमैन/ट्रेसर टेलीफोन आपरेटर	13,4	x	x	13,4	3,4
11	पोर्टर	1	x	x	1	1
12	शिफ्ट इंचार्ज चार्जमैन	1	x	x	1	1
13	जूनियर सुपरवाइजर	59	3	x	56	59
14	कम्पाउण्डर	1	x	x	1	1
15	व्हीकल इन्सपेक्टर	2	x	x	2	2
16	वरिष्ठ कार्यदेशक/कनिष्ठ अभि.	34	2	x	32	34
17	वरिष्ठ कार्यदेशक ।।	16	x	1	15	16
18	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-।	2	x	x	2	2
19	कार्यालय अधीक्षक ,, ।।	28	1	x	27	28
20	कार्यालय सहायक	37	9	1	27	37
21	वरिष्ठ लिपिक	269	28	7	234	269
22	शीघ्र लिपिक ग्रेड-।	8	x	x	8	8
23	शीघ्र लिपिक ग्रेड ।।	40	x	x	40	40
24	संगणक	58	18	8	32	58
25	टी० पी० आपरेटर	13	1	x	12	13
26	श्रम कल्याण निरीक्षक	11	1	1	9	11
27	चालक	3459	132	88	3239	3459
28	परिचालक	5851	284	114	5453	5851
29	पम्प आपरेटर	4	x	x	4	4
30	बागवान	3	x	x	3	3

143

1	2	3	4	5	6	7
31	सहायक ग्रा.प्रबंधक/याता.नि.	194	7	3	184	194
32	सहा.या.निरी./स्थान प्रभारी	321	21	21	279	321
33	मुख्य सुरक्षा प्रहरी	37	5	3	29	37
34	सुरक्षा प्रहरी	276	23	13	24	276
35	भण्डार अधिकारी	8	x	x	8	8
36	भण्डार अधीक्षक	10	x	x	10	10
37	भण्डार निरीक्षक	26	1	x	25	26
38	स्टोर कीपर	22	4	1	17	22
39	स्वागत-कर्ता	15	2	x	13	15
40	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	899	159	68	672	899
41	वाशिंग ब्याव/स्वीपर	107	97	3	7	107
42	पैंकर/हेल्पर	15	1	x	14	15
43	कनिष्ठ लिपिक	886	80	35	771	886
44	लेखाकार	99	1	x	98	99
45	कनिष्ठ लेखाकार	228	1	x	227	228
46	कनिष्ठ कार्यदेशक	68	1	x	67	68
47	चार्जमैन	161	1	x	160	161
48	आर्टिशियन ग्रेड-I	283	10	4	285	283
49	आर्टिशियन ग्रेड-II	362	35	1	326	362
50	आर्टिशियन ग्रेड-III	223	16	x	207	223
51	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-I	51	1	x	50	51
52	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II	112	3	1	108	112
53	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-III	48	1	x	47	48
54	मैकेनिक ग्रेड-I	292	13	x	279	292
55	मैकेनिक ग्रेड-II	424	23	x	401	424
56	मैकेनिक ग्रेड-III	499	6	6	487	499
57	टायर फिटर ग्रेड-I	30	x	x	30	30
58	टायर फिटर ग्रेड-II	31	1	x	30	31
59	टायर फिटर ग्रेड-III	35	x	1	34	35
60	वेल्डर ग्रेड-I	18	x	x	18	18
61	वेल्डर ग्रेड-II	80	6	x	74	80
62	वेल्डर ग्रेड-I	18	2	x	16	18

1	2	3	4	5	6	7
63	ब्लैक स्मिथ ग्रेड-I	11	1	x	10	11
64	ब्लैक स्मिथ ग्रेड-II	14	1	x	13	14
65	ब्लैक स्मिथ ग्रेड-III	36	x	x	36	36
66	टिन स्मिथ ग्रेड-I टीन स्मिथ ग्रेड II	2,7	x	x	2,7	2,7
67	टिन स्मिथ ग्रेड-III	8	x	x	8	8
68	अपोस्टर ग्रेड-I	17	3	x	14	17
69	अपोस्टर ग्रेड-II	17	x	x	17	17
70	अपोस्टर ग्रेड-III	16	1	x	15	16
71	पेन्टर ग्रेड-I	14	x	1	13	14
72	पेन्टर ग्रेड-II	23	x	1	22	23
73	पेन्टर ग्रेड-III	10	x	x	10	10
74	बोडी फिटर ग्रेड-I	128	6	X	122	128
75	,, II	65	4	X	61	65
76	,, III	50	X	X	50	50
77	वायर मैन ग्रेड-I	2	X	X	2	2
78	,, II	11	X	1	10	11
79	,, III	1	X	X	1	1
80	टर्नर ग्रेड-I I	4	1	X	3	4
82	,, II	1	X	X	1	1
83	बेंच फिटर ग्रेड -I	1	X	X	1	1
84	रेडियेटर ग्रेड-II	1	X	X	1	1
85	हैल्पर/वायरमैन	4	X	X	4	4
86	डीजल ब्वाय	35	2	2	31	35
87	फिटर ग्रेड-I	11	X	X	11	11
88	,, II	4	X	X	4	4
89	जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिक	6	X	X	6	6
90	हैल्पर/आर्टिशियर ग्रेड-III	477	32	9	436	477
91	चार्जमैन इलेक्ट्रिक	12	X	X	12	12
	कुल योग	16951	1062	395	15494	16951

जोधपुर व पाली जिलों के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

609. श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) :
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :
श्री शिवदानसिंह राठोड़ (जैतारण) व
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर व पाली जिलों में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं ?

(2) इन केन्द्रों में कितने अध्यापक व सुपरवाइजर कार्यरत हैं ? कृपया केन्द्रों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों द्वारा कितने लोगों को साक्षर किया गया तथा इन पर कितना खर्चा आया ? कृपया अलग-अलग केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा के अलावा क्या-क्या कार्यक्रम हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में 240 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा पाली जिले में 288 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं।

(2) जोधपुर व पाली जिलों में अनुदेशक क्रमशः 240 व 288 हैं। इन दोनों जिलों में 10–10 सुपरवाइजर हैं। केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर दी गई है।

(3) जोधपुर जिले में 6579 प्रौढ़ों तथा पाली जिले में 8035 प्रौढ़ों को साक्षर किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा हेतु जोधपुर जिले में 3,69,686 रुपये तथा पाली जिले में 3,70,820 रुपये खर्च हुए हैं।

(4) प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा के निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :–

1–सामाजिक।
2–क्रियात्मक ज्ञान।

—0—

(146)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर

पंचायत समिति का नाम—लूणी जिला—जोधपुर

कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की सूचना

क्र.सं. केन्द्र का नाम	क्र.सं. केन्द्र का नाम
1-राजपूतों का बास, बासनी	2-राजपूतों का बास, बासनी
3-स्टेशन पर, बासनी	4-कृष्ण मंदिर, बासनी
5-शाला भवन, बासनी	6-रेल्वे स्टेशन, सालावास
7-दर्जियों का बास, सालावास	8-मेघवालों का बास, सालावास
9-घाचियों का बास, सालावास	10-पिटलों का बास, सालावास
11-ब्रह्मपुरी, सालावास	12-चारणों का बास, मोगड़ाखुर्द
13-कोटड़ी में, मोगड़ाखुर्द	14-देवासियों का बास, मोगड़ाखुर्द
15-नाइयों का बास, मोगड़ाकलां	16-मेघवालों का बास, मोगड़ाकला
17-जाटों का बास, मोगडाकलां	18-जाटों का बास, मोगड़ाकला
19-सिहयों की गली, मोगडाकला	20-बस स्टेन्ड के पास, मोगड़ाकला
21-भाकरी पर, मोगड़ाभाखरी	22-मेघवालों का बास, भाखरासनी
23-मेघवालों का बास, भाखरासनी	24-राईकों की ढाणी, भाखरासनी
25-जाटों का बास, सागरिया	26-नाईयों की ढाणी, सागरिया
27-महाजनों का बास, नन्दवान	28-जाटों की ढाणी, हेरखेड़ा
29-भाभियों की ढाणी, भगतासनी	30-देवासियों की ढाणी, भगतासनी
31-राजपूतों का बास, झालामंड	32-बिचला बास, झालामंड
33-घर में, ऐणियों की ढाणी	34-खिचियों की पोल, खेजडलीकला
35-देवासियों का बास, खेजड़लीकलां	36-विश्नोईयों का बास, खेजडलीकला
37-विश्नोईयों की ढाणी, खेजड़लीबोट	38-विश्नोईयों की ढाणी, खेजड़लीबोट
39-गांव में, खेजड़ली खुर्द	40-देवासियों की ढाणी, खेजडलीखुर्द
41-राजपूतों का बास, नीमला	42-निमला की ढाणी, नीमला
43-हरीसिह की ढाणी, नीमला	44-बिचला बास, खारावेरा पुरोहिता
45-बिचला बास, खारावेरा पुरोहिता	46-पटों का बास, खारावेरा पुरोहिता
47-बिचला बास, खारावेरा पुरोहिता	48-दलपत सिंह जी की पोल, खारावेरा भी०
49-दलपतसिह की पोल, ,,	50-मेघवालों का बास, ,,
51-राईकों की ढाणी, राजपुरिया	52-कुम्हारों का बास, धींगाना
53-सरधरों का बास, गुडा विश्नोइया	54-मेघवालों का बास, ,,
55-बड़ियों का बास ,,	56-सागों का बास, ,,

क्र.सं. केन्द्र का नाम	क्र.सं. केन्द्र का नाम
57-भाकरी पर, गुड़ाभाखरी	58-घायलों की ढाणी, गुड़ाप्याऊ
59-बाबूलाल की ढाणी, खेजड़लीखुर्द	60-वार्ड पंच की ढाणी, चारणाबासनी
61-राईकों की बास, पाल	62-लोहारों का बास, पाल
63-राईको का बास, ,,	64-रावला, पाल
65-मेघवालों का मोहल्ला, पाल	66-चौहटों में, पाल
67-सादों की पोल, बुजावड़	68-राजपूतों का बास, बूजावड़
69-राईकों का बास, ,,	70-चौहटों में, डोला
71-कागो का बास, डोली	72-मेघवालों का बास, डोली
73-भगतों की ढाणी, डोली	74-भगतों की ढाणी, ,,
75-बारला बास, ,,	76-पिटलों का बास, बासनी सिलावटा
77-रावों का बास, बासनी सिलावटा	78-सुथारों का बास, ,,
79-सादो का बास, ,,	80-सादों का बास, बोरानाडा
81-साइबों का बास, बोरानाडा	82-डाक घर, नारनाडी
83-सादों का बास, नारनाडी	84-राजपूतों की ढाणी, राजपूतों की ढाणी
85-विश्नोईयों की ढाणी, बासनीबागेला	86-राईकों की ढाणी, रोहिचाकला
87-राजपूतों का बास, रोहिचाकलां	88-केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर शहर
89-जाटों का बास, ग्रांमीणी	90-राईको का बास, गागाणा
91-घाचियों का बास, झंवर	92-महाजनों का बास, झंवर
93-दडियावाला बास, झंवर	94-बस स्टेन्ड, झंवर
95-पुरोहितों का बास, झंवर	96-रेला ढाणी, झंवर
97-देवरा, झंवर	98-जाटावास, झंवर
99-नई नाड़ी, गोलिया	100-उगुणी ढाणी, जानादेसर
101-सब सेन्टर, जानादेसर	102-आथुणी ढाणी, जोनादेसर
103-कुम्हारों का बास ,,	104-उगुणी ढाणी ,,
105-चौराइयों की ढाणी, हिंगोला	106-मोहल्लो में, हिगोला
107-मंदिर में, चिचरली	108-मेघवालों की ढाणी, चिचरली
109-वार्ड पंच की ढाणी, रावड़िया	110-विश्नोईयों की ढाणी, मोडाथली
111-सादों की ढाणी, गेलावास	112-रावो का बास, जाटियासनी
113-चौहटों में, जाटियासनी	114-नोहरा में, चिचरली
115-मेघवालों का बास, भाचरना	116-आथुणी ढाणी, समुक्ता की ढाणी
117-पिटली की ढाणी, गोलिया	118-देवलियों में, गोलिया
119-चारणी का बास, भाजरन की ढाणी	120-चारणों का बास, हिगोला

148

क्र.सं. केन्द्र का नाम	क्र.सं. केन्द्र का नाम
121-विश्नोईयों की ढाणी, काकाणी	122-शाला भवन, काकाणी
123-राजपूतों का बास, करनीयाली	124-राईको की ढाणी, करनियाली
125-देवासियों की ढाणी ,,	126-विश्नोईयों की ढाणी "
127-तेलियों का बास, शिकारपुरा	128-पटेलों का बास, शिकारपुरा
129-इन्दिरा कोलोनी ,,	130-राईकों का बास "
131-ठाकुरजी की हवेली, पुराना ,,	132-राजपूतों का बास, दूदिया
133-ब्राह्मणों का बास, दूदिया	134-राजपूतों का बास, "
135-ब्राह्मणों का बास, ,,	136-दर्जियों का बास, "
137-ब्राह्मणों का बास, लूनी	138-करनी माता का मंदिर लूनी
139-चक्की पर सरेचा	140-बिचला बास सरेचा
141-बस स्टेन्ड ,,	142-मेघवालों का बास, सर
143-राजपूतों की ढाणी, सर	144-ब्राह्मणों का बास "
145-राजपूतों का बास ,,	146-भीलों की ढाणी "
147-शाला भवन, सतलाना	148-नई बस्ती, सतलाना
149-माधोपुर "	150-मोचियों की ढाणी "
151-रावतों का बास, मोटुका	152-देवासियों का बास, माटुका
153-राईकों का बास "	154-मेघवालों का बास, लोलावास
155-पालीवालों का बास लोलावास	156-सन्तों का बास, "
157-राजपूतों का बास मोकलासनी	158-जाटों का बास, मोकलासनी
159-बुमी का बास भटिन्डा	160-जाटों का बास, भटिन्डा
161-मेघवालों का बास "	162-पालीवालों का बास "
163-शाला में "	164-वादे का बास "
165-पालीवाल का बास "	166-तुरकों का बास, सागासनी
167-राईको का बास "	168-राजपूतों का बास, सजाडा
169-मेघवालों का बास सजाडा	170-मंदिर में, पीसावास
171-नया बास पीसावास	172-राईकों का बास "
173.मंदिर में बानियाबास	174-पालीवालों का बास, बानियावास
175.राजपूतों का बास "	176-मेघवालों का बास, मोडीजोशिया
177-पाली वालों का बास मोडीजोशियां	178-संतों का बास मोडीजोशिया
179-राईकों का बास सुथारा	180-मेघवालों का बास सुथारा
181-ब्राह्मणों का बास भफीच	182-राजपूतों बास भफीच
183-पुरोहितों का बास "	184-शाला भवन बासनी पूठा

क्र सं. केन्द्र का नाम	क्र. सं. केन्द्र का नाम
185-पुनियों का बास बडलिया	186-ए. एन. एम. सेन्टर बडलिया
187-शाला भवन "	188-ठाकुरजी का मंदिर कलीजाल
189-कल्याणसिंह का मकान कालीजाल	190-छोटूसिंह का मकान सिनली
191-रामसिंह का नोहरा सिनली	192-जबर सिंह का मकान "
193-पुरोहितों का बास सुवदण्ड	194-ठाकुरजी का मंदिर सुवदण्ड
195-गांव का चौराया "	196-पंचायत घर "
197-गोपालजी का मंदिर चाली	198-शाला भवन चाली
199-मेघवालों की प्याऊ बडलिया	200-उचला बास बडलिया
201-ब्राह्मण बास "	202-मंदिर में धवा
203-मेघवालों बास लूणाद्य खुर्द	204-मेघवालों का बास लूना खुर्द
205-राजपूतों का बास दई. खि.	206-महादेव का मठ दईकडा खिचिया
207-चौहानों का बास सेवाला	208-चौहानों का बास सेवाला
209-राईकों का बास "	210-ठाकुरजी का मंदिर "
211-बालाजी का मंदिर खुडाला	212-राईको का बास खुडाला
213-बड़ा बास "	214-कोर्ट में "
215-बड़ा बास "	216-परिहारों की ढाणी जोगियासनी
217-मंदिर में जोगियासनी	218-जूड़ो की ढाणी लूनावास कला
219-महाजनों का बास लूना कला	220-जैन धर्मशाला "
221-मंदिर में लूनावास खुर्द	222-राईकों की ढाणी लूनावास खुर्द
223-रामदेव जी का मंदिर भांडूकला	224-सुथारों का बास भंडूकला
225-राईकों का बास "	226-चारणों की बास खटावास
227-सुथारोका बास खाटावास	228-मंदिर में भांडू खुर्द
229-मेघवालों का बास भांडूखुर्द	230-मठ में "
231-राजपूतों की ढाणी लूना. खारा	232-मेघवालों का बास लूना खारा
230-मंदिर में "	234-पिटलों का बास "
235-गवाड़ा में वेवटा	236-चारणों का बास लूना चारना
237-रामदेवजी का मंदिर लूना. चारना	238-होद के पास कटारडा
239-सार्वजनिक चौक कटारडा	240-संतों का बास "
241-मेघवालों की ढाणी खारी खुर्द	242-मेघवालों की ढाणी गोलिया
243-देवासियों का बास पालासनी	244-देवासियों का बास पालासनी
245-पाली वालों का बास पालासनी	246-शाला भवन विर्दावास
247-विश्नोइयों का बास नियासनी	248-विचलो बास भियासनी

(152)

क्र. सं केन्द्र का नाम	क्र. सं. केन्द्र का नाम
249-दर्जियों का बास रसीदा	250-कुमहारों का वास पीथावास
251-राईकों का बास बीरामी	252-थोरियों का वास बीरामी
253-राईकों का बास "	254-महाजनों का बास काकेलाव
255-बिचला बास काकेलाव	256-शिवजी का मंदिर "
258-लोहारों की ढाणी "	258-भोमियों का बास "
259 बड़ा बास "	260-शिव मंदिर "
261-मंदिर में बादासनी	262-शाला भवन बादासनी
263-अ'तेजी की पोल फीटकासनी	264-बाड़ पिड़ित कोलोनी फिटकासनी
265-ऊेलटी की ढाणी सांवरो की ढाणी	266-ब्राह्मणों की ढाणी सीवरो की ढाणी
267-ब्राह्मणों की ढाणी सरनाडा	268-काकेलाव सरनाडा
269-ब्रहणों की ढाणी सारीकला	270 कुम्हारों का बास खारी खुर्द
271-लक्ष्मी मोहल्ला दुन्दाडा	272-कोट के पास दुन्दाडा
273-मापतों का बास दुन्दाडा	274-राम नगर दुन्दडा
275-बापू बालों के बास "	276-स्कूल के पास पिपरली
277-राजपुतों का बास पिपरली	278-मेघवालों का मोहल्ला उत्तेसर
279 ब्राह्मणों का बास उत्तेरा	280-दईयों का बंगला सहनाई
281-धर्मशाला में सहनाई	282-मंदिर के पास कागनोडा
283-राठोड़ों का बास कागनोडा	284-मंदिर के पास लाखनथुम्ब
285-मण्डी के पास लाखनथुम्ब	286-अ'तरढाणी "
287-जंतर ढाणी "	288-चौहटी में लोलासनी
289-रामदेवरा केपास लोलासनी	290-कोट के पास भाकरी
291-जालजी की ढाणी भखरी	292-आगुणी ढाणी "
293-आगुणी ढाणी "	294-कोर्ट के पास रोहिचाकला
295-नगला में रोहिचाखुर्द	296-जागवों की ढाणी भचरना
297-हनुमानजी का मंदिर भाचरना	298-राईकों क बास "
299-ढाणी में भाचरना की ढाणी	300-पाली वालों की ढाणी भाचरना की ढाणी

केन्द्र का नाम—पाली		2 पंचायत समिति का नाम–देसूरी	
केन्द्र का नाम		केन्द्र का नाम	
1. रेबारियों का भूपा	सादड़ी	33. विरमपुरा माताजी	
2. मेणो का भूपा	,,	34. ,,	
3. ,,	,,	35. ,,	
4. कुम्हारों का बास	,,	36. 41 दाई	
5. मादा		37. ,,	
6. मादा (महिला)		38. ,,	
7. माण्डी गढ़		39. ,,	
8. ,,		40. ,,	
9. घाणेराव (महिला)		41. नया गुडा	
10. गिरासिया कालोनी घाणेराव		42. वारन्डा	
11. घाणेराव		43. उन्दरथल	
12. ,,		44. सरथूर	
13. मोरखा		45. ,,	
14. जूणा		46. बड़ोद	
15. ,,		47. गिराली	
16. ,,		48. ,,	
17. कुम्हारों का बास	सादड़ी	49. सिन्दरली	
18. भादरास	,,	50. ,,	
19. मादा		51. गुडा मागलिया	
20. दुदापुरा		52. ,,	
21. काणा		53. गुडा पाटिया	
22. रेबारियों क भूपा	सादड़ी	54. वारा सोलकियान	
23. राजपुरा		55. चारभुजा मन्दिर	देसूरी
24. जोवा		56. कालिका मन्दिर	,,
25. घाणेराव		57. पंचोलियो का वास	,,
26. मेणो का कुआं	सादड़ी	58. बागरियो का बास	नारलाई
27. मेगवालो का बास	सादड़ी	59. महादेव जी का मन्दिर	,,
28. जूणा		60. चारभुजा का ,, ,,	,,
29. ढालोप		61. संघवियो का बास	,,
30. ,,		62. चौधरियों की बडेर गुडा पृथ्वीराज	
31. ,,		63 ,, ,, ,, करणवा	
32. पदमपुरा		64. ,, ,, का बास कोटड़ी	

जिला–पाली पंचायत समिति का नाम–बाली

क्र.	केन्द्र का नाम 1	
65.	पंचायत भवन	कोटड़ा
66.	चौधरियो का नोरा	नारलाई
67.	कुम्हारो का बास	,,
68.	रामदेवी का मन्दिर	देसूरी
69.	चौधरी की बडेर	,,
70.	कालका माता का वास	,,
71.	गंगा माई मन्दिर	,,
72.	चौधरियों की फलार्का	,,
73.	रामदेव जी का मन्दिर	गुडा पृथ्वीराज
74.	,, ,, ,,	करणवा
75.	चौधरी का बास	,,
76.	चौधरी की बडेर	नाडोल
77.	रेबारियों का बास	,,
78.	रामदेव जी का मन्दिर	कोटड़ी

——

क्र.	केन्द्र का नाम 2	
1.	ढाणी	बाली
2.	मेगवाल गली	बाली
3.	राडावा	
4.	सेमली दरवाजा	,,
5.	कुम्हारों का वास	,,
6.	मेगवाल गली	कोट बालियान
7.	मेगवाल गली	मुण्डारा
8.	राईका गली	,,
9.	खटीकों की गली	,,
10.	नई आबादी	श्रीसेला
11.	पुरानी बस्ती	,,
12.	महादेव गली	फालना स्टेशन
13.	शनि महाराज रोड	खुडाना
14.	मेघवाल गली	,,
15.	पंचायत घर	फालना गांव
16.	मेघवाल गली	,,
17.	जादरी गांव	,,
18.	सुथारों की गली	खीमेल
19.	राइकों की ढाणी	,,
20.	मालियों की गली	मुण्डारा
21.	भाटियों का बास	धणी
22.	चौराहा	,,
23.	मेगवाल गली	मुण्डारा
24.	चावण्डेरी	मेड़तियान
25.	कालानाडा	भीटवाडा
26.	फालना गांव	
27.	गुढ़ा कल्याणसिंह	
28.	पुलडिया	
29.	मुण्डारा	
30.	बीजापुर	
31.	,,	
32.	,,	
33.	,,	

1	2
34. गुढ़ा गुमानसिंह	62. भीमाणा
35. कुण्डाल	63. हीरावतों की फली
36. पार्परला	64. गोरिया भाटा
37. सेवाड़ी	65. खेतरली
38. ,,	66. लालपुरा
39. ,,	67. मालणू
40. ,,	68. रेलीया
41. बारदा	69. कुरण
42. करवना	70. ठण्डी बेरी
43. सोकड़ा	71. चामुण्डेरी
44. लुणादा	72. ,,
45. ,,	73. आमलिया
46. ,,	74. दोवा
47. लटारा	75. कोयलवाव
48. लुणादा	76. बोयड़ा
49. कोटड़ा	77. नाणा
50. लालराई	78. चामुण्डेरी
51. बोया	79. भीमाणा
52. सादड़ा	80. भीमनपुरा
53. पीपला I	81. मालणू
54. पीपला II	82. मालपाण की ढाणी
55. नाणा	83. गोरिया
56. चामुण्डेरी	84. ,,
57. पाटरिया	85. कोरिवा
58. ओटावतों की फली	86. भाटून्द
59. नाणा	87. ,,
60. गोरियो भाटा	88. ,,
61. कुरण	89. सेणा

1	2

90. मोरी गांव
91. बेड़ा
92. ,,
93. ,,
94. ,,
95. ,,
96. कोठार
97. वेलार
98. कुमटिया
99. सेंन्दला
100. बेरणी
101. मन्दर
102. ,,
103. भारला
104. बीरमपुरा
105. रघुनाथपुरा
106. बरावल
107. दूदनी
108. मोरी स्टेशन
109. कोठार
110. बेड़ा

—

जिला—पाली पंचायत क्षेत्र—सोजत

1. गाडिया लोहार बस्ती सोडाल
2. खटीकान हथाई ,,
3. भोमियान मन्दिर सोडाल
4. हरिजन बस्ती ,,
5. चौकीदारान ढाणी ,,
6. नेहड़ा बेरा ढाणी ,,
7. नेहड़ा बेरा ढाणी ,,
8. बेड़ा बम्बोलिया
9. हवेली वाला बास बिलावास
10. धीनावास
11. अजीतपुरा
12. पंचों का चौतरा धाकड़ी
13. जैन उपासरा ,,
14. झालरा बेरा बागावास
15. जैन उपासरा सुरायता
16. मन्दिर के पास ,,
17. मालपुरिया खुर्द
18. बिजपुर
19. मोडावास
20. विद्यालय मोडावास
21. ,, खामल
22. ,, कानावास
23. मन्दिर के पास हिमावास
24. पीचगे के पास गागूड़ा
25. देवासियों का बास ,,
26. सडारडा
27. बूटेलाव
28. ,,
29. ,,

1	2
30. बूटेलाव	58. चाड़वास
31. लूंडावास	59. "
32. "	60. भूपेलाव
33. "	61. राजोला कला
34. "	62. राजोला खुर्द
35. "	63. लाणेरा
36. "	64. "
37. रूपावास	65. भाणिया
38. "	66. "
39. "	67. सरदार समन्द
40. "	68. "
41. वीरावास	69. "
42. गोदेलाव	70. "
43. गोदेलाव	71. बुरासनी
44. रेपड़ावास	72. पाचवा वाला
45. "	73. पाचवा खुर्द
46. रामासनी सांचवी	74. चौपड़ा
47. थवरासनी	75. राइकों की ढाणी
48. धागड़वास	76. शिव ढाणी
49. "	77. पोरलिया
50. सरदारपुरा	78. "
51. भाटों की ढाणी शिवपुरा	79. अबकाई ढाणी
52. नया गांव	80. नई ढाणी
53. "	
54. चन्दलाई	
55. "	
56. "	
57. चाड़वास	

कुल 263 केन्द्र का कार्यरत।

ह०/—
(अक्षयसिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
पाली

(58)

बाड़मेर की चौहटन तहसील में मुन्सिफ कोर्ट खोलना

610. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर की चौहटन तहसील में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की स्वीकृति दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मुन्सिफ कोर्ट के भवन निर्माण हेतु आवास के बजट का भी प्रावधान रखा गया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मुन्सिफ कोर्ट के भवन के लिए स्वीकृत राशि चौहटन के स्थान पर बाड़मेर में लगा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार चौहटन में मुन्सिफ कोर्ट खोल कर क्षेत्र की अहम् मांग को पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

मोठियापुरा तहसील बसेड़ी के प्राथमिक विद्यालय की क्रमोन्नति

611. **श्री शिवसिंह रावत** (वाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक विद्यालय, मोठियापुरा तहसील बसेड़ी जिला भरतपुर को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या क्रमोन्नति के आदेश की क्रियान्विति हेतु अतिरिक्त धनराशि, कर्मचारीगण, उपस्कर व उपकरण आदि उपलब्ध करा दिये गयें हैं ? यदि अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, तो क्यों तथा अब तक निर्धारित समस्त सुविधाएं उपलब्ध करादी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विद्यालय क्रमोन्नत न होने की अवस्था में अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

बी. एड. प्रशिक्षित बेरोजगार

612. **श्री लच्छूराम** (मण्डावा) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में बी. एड. प्रशिक्षित प्राप्त कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति नौकरी पाने की प्रतीक्षा में ओवर एज हो चुके हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति ओवर एज हो चुके हैं ?

(श्री लच्छराम)

(3) क्या सरकार ओवर एज व्यक्तियों के नियोजन के सम्बन्ध में कोई विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त कुल कितने व्यक्ति नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं तथा तथा सरकार उनको कब तक नियोजित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) इस समय राजस्थान में बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त 11,485 आशार्थी रोजगार कोप्रतिक्षा में पंजीकृत हैं।

(2) राजस्थान के सभी नियोजन कार्यालयों में दिनांक 31.12.81 को अनुमानित 666 (बी. एड. 339 व एस. टी. सी. 327) बी.एड. एवं बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षित आशार्थी ओवर एज हैं।

(3) जी नहीं, राज्य सरकार की ओवर एज व्यक्तियों को सीधी सरकारी क्षेत्र में नियोजन देने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार निजी क्षेत्र में उन्हें नियोजन पाने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अधिकतम प्रयत्न करती है। इसके अतिरिक्त स्व-नियोजन हेतु कई योजनाएं सरकार चला रही है जिनमें उन्हें नियोजन प्राप्त हो सकता है। इस समय नियोजन कार्यालय में कुल 6,844 बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त आशार्थी पंजीकृत हैं। इनकी नियुक्तियां रिक्तियां प्राप्त होने पर निर्भर करेंगी।

अनूपगढ़ तहसील के विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था

613. **श्री सुनील कुमार विश्नोई** (सूरतगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनूपगढ़ तहसील में कितनी प्राथमिक व माध्यमिक पाठशालाएं हैं?

(2) क्या इनमें पर्याप्त संख्या में अध्यापक हैं? यदि नहीं, तो सरकार कमी वाले विद्यालयों में कब तक पर्याप्त अध्यापकों की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनूपगढ़ पंचायत समिति में 117 प्राथमिक विद्यालय तथा 8 माध्यमिक विद्यालय हैं।

(2) जी हां। माध्यमिक विद्यालय में 2 पद द्वितीय वेतन श्रृंखला के व दो पद तृतीय वेतन श्रृंखला के रिक्त हैं जिन्हें शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट—2

अतारांकित प्रश्न संख्या 521 की सूची

जिला डूंगरपुर बांसवाड़ा दिनांक 1–4–80 से पूर्व की बकाया

क्र. सं.	नामबाकीदार व पता	वर्ष व बकाया की अवधि	बकाया राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1)	श्री अम्बाला पुत्र छगनलाल साकिन मन्दसौर (म0 प्र0)	62–63	16,463–24	
2)	,, दलीचन्द पुत्र गंगा विष्णु टांक साकिन भीलवाड़ा	67–68	91,646–24	वसूली की कार्य जि0 आ0 अ0 अजमेर द्वारा की जा रही है।
3)	,, मोतीलाल पुत्र नवलजीकलाल साकिन तामेसरा	67–68	4,123–64	राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से स्थगन है।
4)	,, दशरथलाल पुत्र मगनलाल परिहार साकिन कुशलगढ़	67–68	1,02–46	—"—
5)	,, ईश्वरलाल पुत्र लूणजीकलाल सा0 सेमलदा	67–68	1,544–26	—"—
6)	,, शंकर लाल पुत्र पूनम चन्द कलाल साकिन छोटी सरवा	67–68	11,141–16	—"—
7)	,, बिया जन्द पुत्र जेठजी कलाल साकिन भूखियां	67–68	2990–00	—"—
8)	,, कोदर पुत्र फत्ता कलाल साकिन वागीदोरा	67–68	8881–86	—"—
9)	,, मूल चन्द पुत्र मंगूजी कलाल साकिन बांसवाड़ा	67–68	36,50–00	—"—
10)	,, वेकेदार पुत्र पूजा कलाल ,, प्रेमचन्द पुत्र पूजा कलाल सा0 घीघ	67–68	17,777–70	—"—

159

1	2	3	4	5
11)	श्री मूलचन्द पुत्र मोती कलाल सा0 बडोदिया	67–68	7159–48	राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से स्थगन है।
12)	,, गोकल पुत्र मंगलजी कलाल सा0 छामा	67–68	21;93–50	—"—
13)	,, प्रेम चन्द पुत्र हरीदाम कलाल सा0 नोगावा	67–68	4061–72	—"—
14)	,, मंगनजी पुत्र गंगाराम कलाल सा0 बांसवाड़ा	67–68	15,191–84	—"—
15)	,, माधवजी पुत्र कमलजी कलाल सा0 गांग गागं तलाई	67–68	6,272–30	—"—
16)	,, शंकर लाल पुत्र मनजी कलाल सा0 बांसवाड़ा	62–63	26,197–97	—"—
17)	,, पन्ना पुत्र कचरू कलाल सा0 खान्दू	62–63	1337–38	—"—
18)	,, केशुराम पुत्र देवचन्द कलाल सा0 छोटी सारवन	62–63	1119–24	—"—
19)	श्रीमती वस्त पुत्र उद्दजी कलाल सा0 घाटोल	62–63	1482–10	—"—
20)	,, धनज पुत्र भूरजी कलाल सा0 कुलाड़ा	67–68	5980–86	—'—
21)	,, बद्रीलाल पुत्र दशरथ लाल सा0 रावतभाटा	67–68	9548–14	—'—
22)	श्री बद्रीलाल पुत्र दशरथलाल सा0 रावत भाटा	67–68	9895–14	विशेष विवरण
23)	,, भानजी पुत्र लालजी कलाल सा0 डडूका	67–68	1977–32	—'—
24)	,, मनजी पुत्र नाथू कलाल सा0 सरपुर	67–68	1846–62	राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जोधपुर से स्थगन है ?
25)	,, रूपचन्द पुत्र कोदर कलाल सा० ग्रामजी	67–68	2874–70	—'—
26)	,, धलजी पुत्र गंगाराम कलाल सा.	67–68	3,783–96	—'—

1	2	3	4	5
27)	श्री मोकुल पुत्र रूपजी कलाल—	67–68	2831–32	राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से स्थगन है।
28)	श्री भंगु पुत्र कचरू कलाल सा० वीरपुर	67–68	1841–22	—’—
	श्री लाभ चन्द पुत्र कालू जी कलाल सा० खान्दू			
30)	श्री शंकरलाल पुत्र पूजा कलाल सा० तेजपुर	67–68	5100–00	—
31)	श्री मनजी पुत्र नाथू कलाल सा०	67–68	6384–02	—
32)	श्री केसुलाल पुत्र देवचन्द कलाल सा० साखन	67–68	13565–70	—
29)	श्री अमरजी पुत्र भूराजी कलाल सा० पायल वाला	67–68	9385–24	—

बकाया सूचि जिला उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़

क्र०सं	नाम बाकीदार	शराब दुकान	वर्ष	बकाया राशि	स्थगन में	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री अम्बालाल पुत्र पृथ्वीराज कलाल नि० घुदाणा	सरदारगढ़	63-64	6,304-72		उदयपुर
2.	श्री अब्बास अली पुत्र सैय्यद अली बोहरा निवासी उदयपुर	घूवाणा	68-69	0-30		"
3.	अम्बालाल पुत्र भगवान कलाल निवासी बाशी	सियावतों का	67-68	286-78		"
4.	श्री अम्बालाल पुत्र मथुरालाल कलाल नि० टोंक	खेड़ा	67-68	1,563-56		चित्तौड़गढ़
5.	श्री अजीत कुमार पुत्र नवनीतलाल आयसवाल सां० नामच	आचारी	77-78	491-88		"
6.	श्री " "	केसुंदा	77-78	212-76		"
7.	श्री अमरसिंह पुत्र भँवरसिंह नि० खेड़ली	बबराना	77-78	1,632-50		"
8.	श्री अम्बालाल पुत्र हंसराज	ताणा	78-79	431-86		"
9.	आनन्दीसिंह पुत्र बिहारीलाल मेवाडा कलाल	बम्बोरा	78-79	18,101-31		उदयपुर
10.	इन्दुलाल पुत्र शिवलाल टांक नि० भोपालसागर	भोपालसागर	78-79	23,682-57	स्थगन उच्च न्याया०	चित्तौड़गढ़

1	2	3	4	5	6	7
11.	श्री ईश्वरलाल पुत्र निवासी पहूंना	रेवाड़ी	67-68	1,330-92		चित्तौड़गढ़
12.	" "	पहूँना	67-68	5,097-60		,,
13.	श्री उच्छवलाल पुत्र शम्भूदयाल जायसवाल नि० चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	67-68	95,528-44	स्थगन जिला एवं सत्र न्याया चित्तौड़गढ़	,,
14.	श्री " "	चित्तौडगढ़ कस्बा व स्टेशन	68-69	92,262-50		,,
15.	श्री उदयलाल पुत्र मोहनलाल कलाल निवासी राशमी	भीमगढ़	63-64	2,756-25		,,
16.	श्री उदयलाल पुत्र कनीराम जायसवाल	रुद	67-68	863-84		,,
17.	श्री उम्मेदमल पुत्र छोगालाल सा० कपासन	कपासन तुरकिया	67-68	18,314-36	उच्च न्याया० डी०बी० 65/78	
18.	" " "	कपासन	69-70	15,736-26	स्थगन उच्च न्याया0	,,
19.	श्री उदयलाल पुत्र खेमराज टॉक नि० मुगाना	जास्या	79-80	29,700-16		,,
20.	श्री " " "	नारी	78-79	1,048-28	एम०एम० कोर्ट कपासन	,,
21.	श्री उसतमकुमार पुत्र डालचन्द सुबालका सा० उ०	खेरादीवाड़ा	73-74	12,902-13		उदयपुर
22.	श्री उदयलाल पुत्र धोला खटीक नि० देवला	वेदला	67-68	9,918-76		,,
23.	श्री ऊकारलाल पुत्र रंगलाल नि० वस्सी	पारसोली	77-78	2,987-04		चित्तौड़गढ़
24.	श्री ओंकारलाल पुत्र नाथूलाल कलाल	बड़वास बिलसरी, मोहेडा	69-70	8,205-17		,,

1	2	3	4	5	6	7
25.	श्री ओंकारलाल पुत्र खेरूलाल कलाल निवासी अचलावदा	अचलावदा	70–71	4,259-24		चित्तौडगढ़
26.	श्री औरलाल पुत्र रंगलाल जायसवाल नि० बस्सी	बसेरा, महेसरा	67–68	1,054-24		,,
27.	श्री ओंकारलाल पुत्र खेमराज कलाल नि० मण्डयीमा	मण्पीया	67–68	3,250-00		,,
28.	श्री कुन्दनलाल पुत्र ओंकारलाल कलाल नि० सविना	भोईवाड़ा	63–64	31,553-91	स्थगन उच्च न्याया० उदयपुर	उदयपुर
29.	श्री कमलाप्रकाश पुत्र बद्रीलाल सुवालका	जावरपाल	78–79	24,383-26		,,
30.	कालूलाल पुत्र प्रेमचन्द कलाल नि० बागपुरा	ओवरा	67–68	201-68		,,
31.	श्री केसुलाल पुत्र रामाजी कलाल नि० कनोज	जसवन्तगढ़	67–68	1,905-74		,,
32.	श्री कानजी पत्र रूपजी कलाल नि० चुलेव	धुलेव	67–68	7,500-00		,,
33.	श्री केसुलाल पुत्र भगवान कलाल नि०	कठारा	68–69	1,130-36		,,
34.	श्री मालूलाल पुत्र भैरजी कलाल नि० कुण	कुण	67–68	600-00		,,
35.	श्री कालूराम पुत्र डूंगरराम खटीक नि० सलुम्बर	सलुम्बर	65–66	21,671-38	स्थगन उच्च न्याया० उदयपुर	,,
36.	श्री केसरीलाल पुत्र मयनीराम कलाल	धारलाल	67–68	2,537-56		,,
37.	श्री कालूराम टांक	,,	67–68	2,537-56		,,
38.	श्री किशनलाल पुत्र चुनीलाल ----	वालालेखडी	67–68	1,143-00		,,

(164)

1	2	3	4	5	6	7
39–	श्री कैलाश पुत्र सरजुप्रसाद जायसवाल	बबराना	77–78	1, 652–50		चितौड़गढ़
40–	,, कन्हैयालाल पुत्र गणेशराम कलाल	बूजोतर	67–68	3, 438–07	उच्च न्याया0 डी0बी0 97/78	,,
41–	,, मति कक् जोजे देवा कलाल नि0 अचलपुर	राजगढ़	67–68	4, 000-00		,,
42–	,, कन्हैयालाल पुत्र लक्ष्मण कलाल	गन्धेर	67–68	5, 200–00		,,
43–	,, ,,	गन्धेर	68–69	4,'938–02		,,
44–	,, ,,	राजगढ़	68–69	7, 445–40		,,
45–	,, कालूराम पुत्र जगनाथ	पानेडिया	70–71	7, 462–80		,,
46–	,, कालूलाल पुत्र जगन्नाथ	भसेडी	70–71	5, 857–प्र7		,,
47–	,, कालूराम पुत्र जगन्नाथ कलाल नियुडा	सूरजपोल तलाई	70–71	63, 620–67	स्थगन (जमान्ती) उच्च न्यायाश0	,,
48–	,, घेमराम पुत्र घासीराम	खेरादीवाड़ा	50–51	5, 028–25	स्थगन उच्च न्याया प्रतापगढ़	,,
49–	,, ख्यालीलाल पुत्र नन्दराम कलाल	केवड़ा		3, 343–16		,,
50–	,, खेमराज पुत्र गणेशलाल कलाल	कुरावड़ गुंप	67–68	22, 676–36	उच्च न्याया डी0बी0 88/78	,,
51–	,, खेमराज पुत्र किशनलाल कलाल	बानरण	67–68	320–000		,,
52–	,, गोविन्द पुत्र वेडमल सिन्धी नि0 खमनौर	खमनोर	64–65	2, 480–56		उदयपुर
53–	,, ,, ,,	सेमल	64–65	510 ·00		,,

1	2	3	4	5	6	7
54-	श्री गणपतलाल पुत्र शिवनारायण कलाल	भूवाणा	67-68	9, 187-04	स्थगन उच्च न्याया डी बी नं0 72/78	"
55-	" गवेरसिंह पुत्र मोहनसिंह नि0 घमेरियर	कोटडी	67-68	180-00		"
56-	" गोपाल पुत्र खुमान कलाल	बलभनगर	77-78	1, 122-44		"
57-	" गणपतलाल पुत्र शिवनारायण कलाल	पूला	67-68	11,675-44		"
58-	" गुलाबचन्द पुत्र सूरजमल टांक	भेसरोड़गढ़	78-79	79, 172-55	एम. एम. कोर्ट टोंक	चितौडगढ़
59-	" गया वेवा दलीचन्द	बोलो का सावता	67-68	2, 427-16		"
60-	" गोकुल पुत्र मोड़ाजी जायसवाल	सोमपुर	67-68	3, 597-52		"
61-	" गोविन्दसिंह पुत्र उदयसिंह भगना	मखनपुरा	69-70	550-93		"
62-	,, गोरधनलाल पुत्र चतरभुज कलाल	डावर	74-75	1, 563-34		"
63-	,, गणपतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राजपूत	विनोता मण्डला	67-68	20, 970-60		"
64-	,, ,, ,,	विनोता मण्डला	68-69	15, 017-15		"
65-	,, ,, ,,	विनोता	69-70	17, 554-92		"
66-	श्री गणेश पुत्र भवानीसिंह	बड़ताली	69-70	23, 787-68		"
	श्री राजपूत नि0 बाडोनी माचुसिंह	जालिया ग्रुप				
67-	श्री ,, ,,	शरुण्डा जन्दावली	69-70	23, 909-81		

1	2	3	4	5	6	7
68–	श्री गोतम पुत्र लाल जी कलाल नि0 देवगढ़	कोटड़ी	67-68	15, 960-04	स्थगन उच्च न्याया,	चितोड़गढ़
69–	श्री गोपीलाल पुत्र रखवदास	श्रीपीपली	67-68	890-04		,,
70–	श्री गिरधारीलाल पुत्र रुपाजी कलाल	सालमगढ़	67-68	2, 809-04		,,
71–	श्री गोतम पुत्र लाल जी कलाल	कोटड़ी	68-69	18,085-31		,,
72–	श्री गोरधनलाल पुत्र नानुराम कलाल नि0 अरनोद	चुपना-ग्रुप	69-70	12, 373-97		
73–	श्री गोविन्दसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	पारसोजी	77-78	2,987-04	समायोजन की कार्यवाही में	,,
74–	श्री गुलाबचन्द पुत्र सूरजमल	रावतभाटा	78-79	1, 78, 140-01	एम एम कोर्ट टोंक	,,
75–	श्री गोपाललाल पुत्र खुमाण चौधरी	बरनी	79-80	694-36		उदयपुर
76–	श्री गणपतलाल पुत्र शिवनारायण कलाल	अम्बामाता	67-68	26, 892-44	उच्च न्याया डी बी नं0 70/78	उदयपुर
77–	श्री घनश्याम लाल पुत्र माणकलाल कलाल सविना	सूरजपोल	63-64	22,992-20	स्थगन उच्च न्याय0	,,
78–	श्रीमती चान्दीबाई पत्नि हीरालाल कलाल	चिरवा	79-80	550-06		,,

1	2	3	4	5	6	7
79–	श्री चतरभुज पुत्र शिवनारायण कलाल	स्टेशन उदयपुर	69-70	966-37		उदयपुर
80–	श्री मन्नीलाल पुत्र टेकचन्द कलाल नि.बरली	खारखन्दा	68-69	1, 280-25	स्थगन उच्च न्याया0	,,
81–	,, ,,	बरनी	68-69	2, 20^-92	,, ,,	,,
82–	,, ,,	बरनी	71-72	4, 725,52	,, ,,	,,
83–	,, ,,	बरनी	67-68	5, 728·60	उच्च न्याया0 डी बी 86/78	,,
84–	श्री चिमनलाल पुत्र घासी कलाल नि० लूणदा	लूणदा	67–68	5,495–95	उच्च न्याया0 डी बी 85/78	उदयपुर
85–	,, सुन्नीलाल पुत्र टेकचन्द कलाल नि० खरनी	चारखन्दा	67–68	2,734–50	उच्च न्याया डी. बी. 77/78	उदयपुर
86–	,, चेनसिंह पुत्र गणेशलाल नि० उदयपुर	खेरादीवाड़ा	69–70	27,760–46	राज्य के विरुद्ध निर्णय	,,
87–	'' चतरभुज पुत्र शिवनारायण कलाल	स्टेशन उदयपुर	67–88	16,305–32	विभाग द्वारा डी. बी. में अपील	,,
88–	'' चेनसिंह पुत्र गणेशलाल सियवी नि. उदयपुर	खेरादीवाड़ा	67–68	44,874–34	विभाग द्वारा डी. बी. में अपील	उदयपुर
89–	श्रीमती कान्दीबाई पत्नि हीरालाल कलाल नि० बाहड़ा	गिरवा	79–80	10,092–44		उदयपुर
90–	श्री जमनलाल पुत्र उंकारलाल कलाल नि०	जाडोल	67–68	12,253–19		,,
91–	'' चतरभुज पुत्र नन्दराम कलाल नि. गोगून्दा	भादा	67–68	378–00		,,
92–	'' चुन्नीलाल पुत्र देवीलाल टांक नि. भीलवाड़ा	तेजपुर	67-68	93–60		चित्तौड़गढ़

1	2	3	4	5	6	7
93–	श्री चुन्नीलाल पुत्र देवीलाल टांक नि० भीलवाड़ा	डोराई	67–68	526–52		चित्तौड़गढ़
94–	" "	अनोपपुरा	67–68	933–88		"
95–	" "	राजगढ़	67–68	434–52		"
96–	,, चम्पालाल पुत्र धनीराम जायसवाल	मलाउ	67–68	1,518–96		"
97–	,, चम्पालाल पुत्र हीरालाल कलाल	मादनोड़ा	67–68	1,696–72		"
98–	,, चम्पालाल पुत्र धनीराम जायसवाल	तलाऊ	78–79	22,594–00		"
99–	,, चम्पालाल	बड़ी	62–63	1,000–00		उदयपुर
100–	,, छगनलाल पुत्र टेकचन्द कलाल नि० कठार	कठार	65–66	1,975–96		"
101–	,, ,,	कठार	68–69	1,721–35		"
102–	,, छोगालाल पुत्र भूरालाल नि० गुलाबपुरा	होथीपोल	67–68	56,773–96	उच्च न्याय डी. बी. 64/78	"
103–	,, छीतरमल पुत्र गोड़जी कुम्हार नि० निबोर	निबोर	67–68	976–96		चित्तौड़गढ़
104–	,, छोकालाल पुत्र हजारीलाल जायसवाल नि० कपासन	रोलेहेड़ा	67–68	6,279–64	स्थगन उच्च न्याया	"
105–	,, छोगालाल पुत्र नन्दलाल कलाल नि. करजू	करजू	67–68	3,267–80		"
106–	,, जगन्नाथ पुत्र देवकिशन खटीक	बड़ी	62–63	1,000–00		उदयपुर

169

1	2	3	4	5	6	7
107–	श्री जगदीश चन्द्र पुत्र मोहनलाल टांक नि० मटवाडा	बोलोको सावता	78–79	4–95		चित्तौड़गढ़
108–	,, जयप्रकाश पुत्र अम्बालाल जायसवास नि० मन्दसौर	अरमोदे निबोर	69–70	1,500–00		,,
109–	,, जगदीश चन्द्र पुत्र भेरूलाल कलाल नि० अरनोद	अकोला	78–79	2,469–32		,,
110–	,, ,,	अनोकड़ा	78–79	728–28		,,
111–	,, ,,	बबराना	78–79	300–69		,,
112–	,, ,,	ताप्पा	78–79	431–86		,,
113–	,, अमरलाल पुत्र आसुदामल सिन्धी	सहाना बहूना	67–68	1,612–88		,,
114–	,, अमरलाल पुत्र गोतमलास कलाल नि० बगड़ावद	वेडमा	69–70	4,177–26		,,
115–	,, टेकचन्द पुत्र देवराज कलाल नि० हिता	हिता	67–68	2,580–44	स्थगन उच्च न्यायी.	,,
116–	,, टेकचन्द पुत्र नेमीचन्द कलाल	बागपुरा	67–68	3409–96		,,
117–	,, टीकमचन्द पुत्र भूरालाल (टांक पलोर)	गूवे	78–79	2,82,605–55		,,

1	2	3	4	5	6	7
118-	श्री डालू पुत्र जयसिंह राजपूत नि० कमेरी	कमेरी	62-63	2,078-40		चित्तौड़गढ़
119-	,, डालचन्द पुत्र रूपचन्द कलाल नि० देवारी	देवारी	68-69	29,163-80	स्थगन उच्च न्याया०	,,
120-	श्री ताराचन्द पुत्र दौलतराम चौधरी नि. कानोड़	सेटवाना	77-78	847-52	लगातार 7)	,,
121-	,, ,, ,,	डान्डेड़ा	77-78	4,739-92		,,
122-	,, ,, ,,	सणाउ	77-78	3,271-92		,,
123-	,, तखतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राजपूत वाडोली माधोपुर ।	निम्बाहेड़ा	67-68	23,553-64 847-52	स्थगन उ. न्याया.	,, ,,
124-	,, ताराचन्द पुत्र दौलतराम चौधरी नि. कानोड़	सेठवाना	77-78	1800-00		,,
125-	,, तुलसीराम पुत्र नाथूराम कलाल नि. रठजना	रठजना	67-68	6,325-28		,,
126-	,, तोताराम पुत्र बजेराय कलाल नि. डावला	डान्डेड़ा	67-68	1,264-80		,,
127-	,, ,, ,,	डान्डेड़ा	69-70	1,232-68	वसूली में	उदयपुर
128-	,, थानमल पुत्र चतरभुज चौधरी नि. भिन्डर	भिन्डर	65-66	11,169-78	विभाग के विरुद्ध	,,
129-	,, ,, ,,	भिन्डर	68-69		निर्णय डी. सी नं. 83/79	
130-	,, ,, ,,	भिन्डर	67-.8	18,237-84		,,

1	2	3	4	5	6	7
131–	श्री दुलीचन्द पुत्र भेरा कलाल नि. भादरा	मदारा	62-63	374–79		उदयपुर
132–	,, दलीचन्द पुत्र भेरा टांक नि. भादरा	भदारा	64-65	1,268–40		,,
133–	,, देवीलाल पुत्र नाथूलाल कलाल	सलुम्बर	67-68	20,240-84	उच्च न्याया. स्थगन नं. 79/78	,,
134–	,, देवीकिशन पुत्र गणेशलाल खटीक देवारी	भेटेवर	76-77	19,168–60		,,
135–	,, देवीलाल पुत्र प्रतापजी खटीक	रावतभाटा	78-79	1,78,140–01	एम. एम. कोर्ट टोंक	चित्तौडगढ़
136–	श्रीमती देउवाई वेवा प्यारचन्द कलाल	जासना	67-68	3;298–56		,,
137–	श्री देवकरण पुत्र श्यामलाल जायसवाल नि. कपासन ।	जासना	77-78	300–72		,,
138–	,, द्रकाप्रसास पुत्र किशनलाल जायसवाल नि. जालौर ।	करोडा, वेसुन्दा भनपुरा, कारुन्दा	67-68	27 506–34		चित्तौडगढ़
139–	,, ,, ,,	देवल प्रासरी, कालाकोट	67-68	26 455–68		,,
140–	,, दशराज पुत्र कनीराम कलाल	ताणा	67-68	206–10		,,
141–	,, धर्मराज पुत्र खाउराम मीणा	वारापाल	67-68	0–40		उदयपुर

1	2	3	4	5	6	7
142–	श्री धनराज पुत्र किशनलाल कलाल नि. कोचला।	डिमछी	67-68	249–08		उदयपुर
143– ,,	,, ,,	कोचला	67-68	1871–91		,,
144– ,,	धनराज पुत्र गणेशलाल	देवासखाखड वारा संवत	20006	2826–88		,,
145– ,,	धनराज पुत्र नारायण चौधरी नि. बोहेडा	निकुम	67-68	8814–28		चित्तौडगढ़
146– ,,	,, ,,	बोहेडा ग्रुप	67-68	13,133–40		,,
147– ,,	,, ,,	गुंजवा	67-68	3421–88		,,
148– ,,	,, ,,	भदेसर आंवरी माता हाजियाखेडी	67-68	12,707–40		,,
149– ,,	,, ,,	बोहेडा पारलिया बानकिया, चैनपुरिया	68-69	17,401–50		,,
150– ,,	,, ,,	भदेसर, हाजियाखेडी आवरीमाता आसावरा ग्रुप	69-70	18,089–47		,,
151– ,,	,, ,,	वानेकिया भादसोड़ा कनोज ग्रुप	69-70	24,118–35		,,

1	2	3	4	5	6	7
152-	श्री धनराज पुत्र नारायण चौधरी नि. बोहेड़ा	सेठवाना	69-70	1406-52		चित्तौड़गढ़
153-	,, ,, ,,	खेडिप, वानकिया पारलियै ग्रुप	69-70	14,170-02		,,
154-	,, धनराज पुत्र नारायण चौधरी नि. बोहेड़ा	रामथली भीमगंज	69-70	6911-48		,,
155-	श्रीमती घापुबाई बेवा नाथूलाल खटीक नि. प्रतापगढ़	नागदी	67-68	8530-20		,,
156-	श्री नाथूराम पुत्र केसुराम नि. खेरोदा	चावंडियों	69-70	1198-00		उदयपुर
157-	,, नारायणलाल पुत्र शिवलाल कलाल देवारी	देवारी	68-69	29,165-80	स्थगन उच्च न्याया.	,,
158-	,, नाथूलाल पुत्र देवीलाल कलाल नि. सायरा	भूताला, राजा.	78-79	12713-96		,,
159	,, नानूराम पुत्र रामजीलाल नि. कनोल	कनोल	67-68	217-84		,,
160	,,	रावदा	77-78	957-21		चित्तौड़गढ़
161	,, ,, ,,	बोलोको लुहारियां	77-78	1195-60		,,
162-	,, नाथूलाल पुत्र आंसुदामल सिंधी नि. मोसुन्डा	माताजी की पाण्डोली	67-68	3073-88		,,

1	2	3	4	5	6	7
163-	श्री नारायणप्रसाद पुत्र बिहारीलाल कलाल भादसोड़ा	भादसोड़ा	64-65	10,970-00		चित्तौड़गढ़
164	,, नन्दलाल पुत्र भागचन्द चौधरी, नि. बड़ी सादड़ी	बड़ी सादड़ी	67-68	14,076-72	स्थगन उच्च न्याया.	,,
165	,, नाथूलाल पुत्र अमरचन्द कलाल, केवलपुरा	केवलपुरा	67-68	2155-88		,,
166	,, नन्दलाल पुत्र भागचन्द चौधरी, बड़ी सादड़ी	बड़ी सादड़ी	68-69	20628-29	स्थगन उच्च न्याया.	,,
167	,, नन्दलाल पुत्र ओंकारलाल कुनैवा	भदेसर विनोखाणला	70-71	23650-40		,,
168-	,, नारायणसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राजपूत, नि. सांतडी	कपासन, सुरकिया	70-71	22858-61	स्थगन उच्च न्याया.	,,
169-ए	,, नन्दलाल पुत्र देवीलाल, रविया नि. सलूम्बर	बम्बोरा	78-79	18101-31		,,
169-	,, नाथूलाल पुत्र चुन्नीलाल कलाल, सावता	आकोला	78-79	2469-32		,,
170-	,, ,, ,,	कनुकड़ा	78-79	728-28		,,
171-	,, ,, ,,	ववराना	78-79	300-69		,,
172-	,, नाथूलाल पुत्र चुन्नीलाल	ताणा	78-79	431-86		,,

1	2	3	4	5	6	7
173-	श्री नाथूराम पुत्र काशीराम नि. बतसेदा	वरबाड़ा	67-68	6112-76)	सिविल जज न्याया. चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
174-	,, ,, ,,	जलोदा	,,	5186-20)		,,
175-	,, नाथूलाल पुत्र कालूराम टांक, नि. साजनपुर	गुडासाजनपुर	67-68	4118-00		,,
176-	,, ,, ,,	,,	68-69	4800-00		,,
177-	,, नानूराम पुत्र काशीराम टांक नि. मुण्डवा	जलोदा, बारवाड़ा, देवल	70-71	5240-71		,,
178-	,, नन्दलाल पुत्र ओंकारलाल कलाल, मुण्डवा	बिनोता मण्डला	70-71	11661-90		,,
179-	,, नन्दलाल पुत्र रतिचन्द कलाल, नि. नैनपुरिया	सावोलाव	77-78	28-53		,,
180-	,, नानूराम पुत्र भेराजी तेली नि. अरनोद	कनोसर	67-68	3620-234		,,
181-	,, नन्दलाल पुत्र वरदी	बिजेसरी	67-68	8551-00		,,
182-	,, नन्दलाल पुत्र वरदीचन्द कलाल	खोरिया	67-68	2541-02		,,
183-	,, ,, ,,	,,	68-69	3500-00		,,
184-	,, नानालाल पुत्र दुलीचन्द कलाल नि. बसेड़ा	बसेड़ा	68-69	4322-84		,,

1	2	3	4	5	6	7
185-	श्री नाथूलाल पुत्र पन्नालाल टांक, नि. भटवाड़ा	बोलो का सावत	78-79	4-95		चित्तौड़गढ़
186	,, नन्दलाल पुत्र लक्ष्मण कलाल, नि. गन्धेर	गन्धेर	70-71	3822-84		,,
187	,, नारायण पुत्र उदेसराम कलाल	जासमा	67-68	2298-56	एम. एम. कोर्ट कपासन	,,
188-	,, पूनमचन्द पुत्र माणकचन्द जैन नि. गंगापुर	गंगापुर सरदारगढ़	49-50	49-50		,,
189-	,, ,, ,,	सरदारगढ़	49-50	400-00		,,
190-	,, पुराराज पुत्र रामलाल राव नि. लाखागुड़ा	लाखागुड़ा	67-68	1071-50	स्थगन उच्च न्याया.	,,
191-	,, परसराम पुत्र भूरालाल नि. उदयपुर	सूरजपोल	69-70	28121-94	राज्य सरकार के विरुद्ध उदयपुर निर्णय	
192-	श्री पन्नालाल पुत्र देवीलाल कलाल नि० ओगणा	ओगणा ग्रुप	67–68	1200-79		,,
193-	,, पृथ्वीराज पुत्र मगनलाल कलाल नि० कोटड़ा	खजूरिया	67–68	1430-08		,,

1	2	3	4	5	6	7
194–	श्री प्रभूलाल पुत्र शंकरलाल नाई नि० चावण्ड	सेमल	67–68	962-20		उदयपुर
195–	,, परसराम पुत्र भैरूलाल खटीक नि० उदयपुर	सूरजपोल	67–68	58,132-04		,,
196–	,, पूजा पुत्र पदमजीत कलाल	सेमारी	,,	4375-88	उच्च न्यायालय डी बी 68/78	स्थगन
197–	,, प्रतापमल पुत्र राधामल सिन्धी, नीमच	सोनपुर	70–71	3535-80		,,
198–	,, ,, ,, नि० छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	67–68	18,133-20	स्थगन जिला न्याया० प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
199–	,, ,, ,,	समरथली	,,	1,416-92	,, ,,	,,
200–	,, प्यारचन्द पुत्र हुकमीचन्द कलाल नि० बाड़ी	लसडावन, बाडी	67–68	6487-36	,, ,,	,,
201–	,, प्रतापमल राधामल सिन्धी नि० छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	67–68	23,256-64	,, ,,	,,
202–	,, ,, ,, ,,	समरथली	67–68	2889-32	,, ,,	,,

177

1	2	3	4	5	6	7
203–	श्री प्यारचन्द पुत्र हुकमीलाल कलाल नि० बाड़ी	बाडी	68–69	2087-93	स्थगन जिला न्याय० प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
204–	,, प्रेमचन्द पुत्र गंगाराम कलाल नि० मन्दसौर	रतनगढ़	67–68	11,362-25	,, ,,	,,
205–	,, पन्नालाल पुत्र लालजी कलाल नि० गादोला	गादोला	67–68	10,007-48		,,
206–	,, ,, ,, ,,	गादोला	68–69	4,020-67		,,
207–	,, प्यारचन्द पुत्र हीरालाल	देवास खाखड़ बांरा	सं. 2006	2,826-88		,,
208–	,, प्रभूलाल पुत्र भीमाजी कलाल	दलोट सांगवली	68–69	22,556-34		,,
209–	,, फजलहुसैन पुत्र अकबर अली बोहरा नि० बजेपुरा, उदयपुर	सूरजपोल	68–69	47,619-69		,,
210–	,, फजलहुसेन पुत्र अकबर अली बोहरा नि० बजेपुरा, उदयपुर	सूरजपोल	67–68	58,122-04	स्थगन उच्च न्यायालय 68/78	,,

1	2	3	4	5	6	7
211–	श्री फतेहराम पुत्र लक्ष्मण चौधरी नि० कानोड़	कानोड़	67–68	27,398-30	स्थगन उच्च न्याया० डी.बी. 66/7,8	उदयपुर
212–	,, बन्शीलाल पुत्र माणकचन्द कलाल नि० उदयपुर	हाथीपोल	69–70	9490-65	स्थगन सिविल जज न्यायालय	उदयपुर
213–	,, बालूराम पुत्र प्रतापमल मेवाड़ा नि० भीम	अजीतगढ़	79–80	941-12		,,
214–	,, बोतलेलाल पुत्र वरदीचन्द कलाल नि० भट्टा	भट्टा	67–68	19,248-78	उच्च न्याया० डी बी 67/78	उदयपुर
215–	,, बाबूलाल पुत्र नानालाल कलाल नि० कोटड़ा	विकरणीग्रुप	67–68	638-36		,,
216–	,, बन्शीलाल पुत्र अम्बालाल नि० भीलवाड़ा	सुवेरी	67–68	116-72		,,
217–	,, ,, ,, ,,	कल्याणपुर	67–68	4658-16		
218–	,, बद्रीलाल पुत्र दशरथलाल	गगत्यातलाई	67-68	35-50		चित्तौड़गढ़
219–	,, बन्शीलाल पुत्र भैरूलाल सुवालका	वोलों का सांवता	अप्रेल (त्र	475-04		,,
220–	,, बन्शीलाल पुत्र शिवलाल टांक नि० भूपाल सागर	भूपालसागर	67-68	7634-80	स्थगन उच्च न्यायालय	,,

(180)

1	2	3	4	5	6	7
221-	श्री बाबूलाल पुत्र लालू जयसवाल नि० राशमी	राशमी	67-68	3658-20		चित्तौड़गढ़
222-	,, बाबूलाल पुत्र श्रीलाल जायसवाल	श्रीमगढ़	67-68	3727-84		,,
223-	,, ,,	आरली	78-79	4495-00		,,
224-	,, बाबूलाल पुत्र लालजी जायसवाल	धमाणा	78-79	577-76	एम. एम. कोर्ट कपासन	,,
225-	,, ,, ,,	मुरोली	78-79	12,149-60		,,
226-	,, बद्रीलाल पुत्र मोडीराम कलाल नि०अरनोद	पचेवा	67-68	17,687-56	उच्च न्याया० डी.बी. 085/7875/78	,,
227-	,, ,, ,,	निनोर	67-68	14,785-50		,,
228-	,, बालमुकन्द पुत्र नानूराम चौधरी नि० प्रतापगढ़	सूरजपोल	68-69	53,000-00	,,	,,
229-	,, बन्शीलाल पुत्र भैरूलाल कलाल	तलाई	69-70	54,000-00	स्थगन उच्च न्यायालय	,,
	नि० अरनोद	बडवास	68-69	2,687-99		,,
230-	,, मगदीराम पुत्र प्यारचन्द कलाल नि० अम्बीराम	अम्बीरामा	69-70	14,99-00		,,
231-	,, बालमुकन्द पुत्र गोतमजी कलाल	बमोतर	70-71	5,137-86		6

1	2	3	4	5	6	7
233-	श्री बन्शीलाल पुत्र दलीचन्द कलाल बोलों का सांवता।	बोलों का सांवता	67-68	2427-16		चित्तौड़गढ़
234-	,, बन्शीलाल पुत्र भैरूलाल नि. सांवता	बोलों का सांवता	78-79	4-95		,,
235-	,, बाबूलाल पुत्र रामलाल खटीक नि. हाथीपोल, उदयपुर	भटेवर	76-77	19,168-60		उदयपुर
236-	,, बाबूलाल पुत्र लालजी	पहूना	49-50	1,480-38		चित्तौड़गढ़
237-	,, भंवरलाल पुत्र नाथूलाल नि. नाथूवास	मुणवास	79-80	17-97		उदयपुर
238-	,, भैरूलाल पुत्र फतेहलाल कलाल नि. उदयपुर	सिटी नं. 3	49-50	4988-00	स्थगन उच्च न्यायालय	,,
239-	,, भंवरलाल पुत्र राजधरम टांक	भीम	70-71	771-51		,,
240-	,, भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण कलाल	खेरादीवाड़ा	63-64	14,274-23	स्थगन उच्च न्यायालय	
241-	,, भंवरदास पुत्र रामस्वरूप टांक नि. खरखेड़ी	उनालों का वासन	70-71	56,990-31		,,
242-	,, भैरूलाल पुत्र नाथूलाल कलाल नि. अदकालिया	अदकालिया	67-68	259-02		,,

1	2	3	4	5	6	7
243–	श्री भागचन्द पुत्र भगाजी कलाल नि. सोलाना	सोलाना	67–68	1,217·80		उदयपुर
244–	,, भजाजी पुत्र भैंराजी कलाल नि. बान्सी	बिलडीखेड़ा	67–68	852·80		,,
245–	,, ,, ,, नि. बिलडीखेड़ा	केहारा	67–68	432·95		,,
246–	,, भवाना पुत्र घीसा मेघवाल नि. नन्दवाई	नन्दवाई	67–68	612·00		चित्तौड़गढ़
247–	,, भगवानसिंह पुत्र करणसिंह राणावत नि. नारेला	नारेला	67–68	1550·00		,,
248–	,, भंवरखां पुत्र शेरूखां मुसलमान नि. डूंगरगढ़	पूणेली	77–78	59·12		चित्तौड़गढ़
249–	,, भगवान पुत्र नारायणलाल कलाल नि. भवाना	चिकारड़ा	67–68	4300·00		,,
250-	,, भंवरलाल पुत्र हीरालाल कलाल नि. पालाखेड़ी	पारखेली	67·68	2559·24		,,
251	,, भगवतीलाल पुत्र अम्बलाल कलाल	मंगलवाड़	77·78	5999·20		,,

1	2	3	4	5	6	7
252-	श्री भैरूंलाल पुत्र रामनाथ नि. चित्तौड़गढ़	गुडाखेजडा	78-79	3298-56	एम. एम. कोर्ट चित्तौड़गढ़	चितौड़गढ़
253-	,, भगवानलाल पुत्र नारायणलाल कलाल नि बान्सी	बान्सी	78-79	28,652-08		,,
254-	,, भगवतीलाल पुत्र भंवरलाल जायसवाल नि. चौकडी	नाराणी	67-68	5028-16		,,
255-	,, भागीरथ पुत्र बाबजी कलाल नि. भवगढ़	नागदी	63-64	2153-22		,,
256-	,, भैरूंलाल पुत्र लालजी नि. सुहागपुरा	सुहागपुरा	67-68	3488-52		,,
257-	,, भैरूंलाल पुत्र नारायणलाल कलाल नि. बोतलगंज	सूरजपोल तलाई	67-68	1,44,904-08	स्थगन उच्च न्याया.	
258-	,, भैरूंलाल पुत्र रामलाल कलाल नि. खरोट	मोवाई	67-68	6276-77	डी. बी. 96/78	,,
259-	,, भैरूंलाल पुत्र मिठूलाल कलाल नि. राजपुर	राजपुर	67-68	1843-32		,,
260-	,, माणकलाल पुत्र गणेशलाल कलाल नि. बारोपाल	बारोपाल	64-65	4011-40		उदयपुर

(183)

1	2	3	4	5	6	7
261-	श्री मणीलाल पुत्र भैरूंलाल कलाल नि. बांरा	बारापाल	78-79	6164-90		उदयपुर
262-	,, ,, ,,	पडना	78-79	853-01		,,
263-	,, माणकचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायणलाल कलाल नि. अथूणा	अजीतगढ़	78-79	4316-48	स्थगन उच्च न्यायालय	,,
264-	,, मांगीलाल पुत्र भैरूं कलाल नि. मोरढ	धनेरिया	67-68	5933-32		,,
265-	,, ,, ,,	मोरढ	67-68	1494-80		,,
266-	श्री मदमलाल पुत्र मिश्रीलाल	सनवाड़ा	77-78	452-94	समायोजन में	,,
267-	,, मीठूलाल पुत्र खुमाण कलाल वल्लभनगर	अरनिया	78-79	4342-28		,,
268-	,, ,, ,,	बरनी	78-79	5063-01		,,
269-	,, मांगीलाल पुत्र मोहनलाल चौधरी नि० आयड़	बरनी	79-80	694-36		,,
270-	,, मीठूलाल पुत्र राडीलाल चौधरी	कानोड़	79-80	7140-80		,,

1	2	3	4	5	6	7
271–	श्री मोहनलाल पुत्र हीरालाल कलाल	भोईवाड़ा	68–69	5,60,950-05		उदयपुर
272–	" मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल कलाल नि० उदयपुर	भोईवाड़ा	67–68	78,129–84		"
273–	श्री " "	अम्बामाता	67–68	26,892–44	स्थगन उच्च न्यायालय डी. बी. नं. 70/78	"
274–	" मोहनलाल पुत्र हीरालाल नि० माण्डव	भोईवाड़ा	67–68	62,376–15		"
275–	" मोतीलाल पुत्र उदयलाल कलाल नि० कुरावड	कुरावडग्रुप	67-68	242,676–36	स्थगन उच्च न्यायालय 88/78	"
276–	" मोहनलाल पुत्र मेघाजी कलाल नि० पाल	पाल	67–68	80–84		चित्तौड़गढ़
277–	" मोहनलाल पुत्र गेहरीलाल कलाल	भटवाड़ा	67–68	1,523–32		"
278–	" मोडीलाल पुत्र रामलाल चौधरी	डूंगला	67–68	12,005–96	स्थगन उच्च न्यायालय	चित्तौड़गढ़
299–	" " कलाल नि० डूंगला	डूंगला गुड़ारोजडा	68-69	11,479–43		"

1	2	3	4	5	6	7
280-	श्री मोहनसिंह पुत्र गंगाधर प्रसाद नि० निकुम्भ	निकुंभ	68-69	2,239-84		चित्तौड़गढ़
281-	" मोहनलाल पुत्र ओंकारलाल कलाल निर्वों का खेड़ा	तनावों का खेड़ा	67-68	573-72		"
282-	" मोहनलाल पुत्र ओंकारलाल टांक	सागवली	67-68	820-16		"
283-	" मिठूसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत	राणावतों की सादड़ी	69-70	2509-09		चित्तौड़गढ़
284-	" मनोहरलाल पुत्र ओंकारलाल नि० केसूण्डा	बसेड़ा	63-64.	1426-22		"
285-	" मांगीलाल पुत्र अरगजी कलाल नि० बसोड़ा	गुडालाजनपुर	70-71	3988-00		"
286-	" मोहनलाल पुत्र भंगाजी कलाल	कनेरा	67-68	6337-52		"
287-	" मोतीलाल पुत्र उदयलाल कलाल नि० जासमा	बेड़वा	67-68	4907-76		"
288-	,, मांगीलाल पुत्र हजारीलाल कलाल नि० देवगढ़	भगलडी	67-68	2900-00		"

1	2	3	4	5		7
289–	श्री मोतीलाल पुत्र उदयलाल कलाल जातगा	अचलावदा	67–68	8108–88		चित्तौड़गढ़
290–	" मांगीलाल पुत्र बरदी राम कलाल नि० सूपरा	सूपना	67–68	7563–84	एम. एम. कोर्ट प्रतापगढ़	"
291–	" मांगीलाल पुत्र नानूराम कलाल नि० दलोट	दलोट	67–68	18,720–76		"
292–	" "	खेरोट	68–69	4,175–78		"
293–	" मोतीलाल पुत्र उदयलाल कलाल नि० अबलाबदा	अचलावदा	68–69	7,240–20		"
294–	" मोहनलाल पुत्र भंगाजी कलाल नि० पीपलखेड़ा	कनीरा	68–69	11,791–32		"
295–	" मंगलजी पुत्र गुगाराम कलाल नि०, बांसवाड़ा	नागदी दलोट सांगथली	68–69	22,556-34	स्थगन उच्च न्यायालय	"
296.	श्री मांगीलाल पुत्र रघुनाथसिंह कलाल नि०	खेरोट कनोटा दलोर चाकूण्डा	69–70	16,515–00		" "
297.	" मांगीलाल पुत्र हीरालाल नि० सांगथली	सांगथली	69–70	1560–92		"

(180)

1	2	3	4	5	6	7
298.	श्री मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल कलाल नि० उदयपुर	पूलां	67–68	11,675–44	उच्च न्यायालय डीबी 71/78	उदयपुर
299.	,, मोतीलाल पुत्र टेकचन्द कलाल नि० भगडोल	भगडोल	67–68	12,253–19		,,
300.	,, मेवालाल पुत्र रतनलाल जयसवाल नि० आरनी	आरनी	67–68	3495–19		,,
301.	,, मनोहरलाल पुत्र चम्पालाल श्री मणीलाल पुत्र भैरूलाल कलाल नि० बारा	गाध्य तलाई टिडी	67–68	35–50		,, चितौड़गढ़
			78–79	43,521–20		
302.	,, रामचन्द्र पुत्र अमरलाल सानवी नि० उदयपुर	कटार	77–78	1156–40		,,
303.	,, ,, ,,	भुताला	77–78	1156–40		,,
304.	,, ,, ,,	गुणवास	77–78	1894–40		,,
305.	,, रामचन्द पुत्र थातमल चौधरी	भीण्डर	79–80	788–95		,,
306.	,, रतनलाल पुत्र सुन्दरलाल कलाल नि० उदयपुर	हाथीपोल	68–69	47,765–90	उच्च न्यायालय 64/78	,,

1	2	3	4	5	6	7
307.	श्री रामचन्द्र पुत्र रासराम खटीक	सलूम्बर	65–66	21,671–38	स्थगन उच्च न्यायालय	उदयपुर
308.	" रूपजी पुत्र दलजी कलाल नि० विलख	विलख	67–68	636–40		"
309.	" रामचन्द्र पुत्र बाबूराम टोंक नि० भीलवाड़ा	खेरवाड़ा	67–68	4345–88		"
310.	" रतनजी पुत्र नगजी कलाल नि0 भगड़ोल	भगडोल	67–68	1396–72		उदयपुर
311.	" रामलाल पुत्र सवजी	भूदर	77–78	174-32		चित्तौड़गढ़
312.	" रतिचन्द पुत्र नारायणजी कलाल	चैनपुरिया	79–80	0–01		"
313.	" रतनलाल पुत्र नाराण चौधरी नि0 बोहेडा	खोडिप	67–68	5480–52		"
314.	" " "	खोडिप	68–69	7199–25		"
315.	,, रोशनलाल पुत्र मीठूलाल कलाल नि0 नगावली	सगेसरा	68–69	750–00		"
316.	,, राजमल पुत्र रतनलाल	पहूंना	49–50	1480–38	सिविल न्याया0कपासन	"
317.	,, राजमल पुत्र लालजी कलाल नि0 पहूंना	पहूंना	49–50	16,086–36	सिविल न्यायालय कपासन	"

1	2	3	4	5	6	7
318.	श्री राजमल पुत्र लालजी कलाल नि. पहूंना	रेवाड़ा	67--68	1330--92		चित्तौड़गढ़
319.	,, ,,	पहूंना	67--68	5097--60		,,
320.	,, रतनलाल पुत्र लालजी नि0 मुरोली	मुरोली	67--68	792--76		,,
321.	,, रूपसिंह पुत्र जोरावरसिंह राजपूत नि0 हींगवानिया	कपासन	69--70	16,915--68	उच्च न्यायालय स्थगन	,,
322.	,, ,,	चावुण्डा	69--70	3,034--67		,,
323.	,, रमेशचन्द्र पुत्र अम्बालाल चौधरी नि0 मलहारगढ़	कारुडा	77--78	730--12		,,
324	,, ,,	जालिया	77--78	212--76		,,
325.	,, रामलाल पुत्र सुखराम कलाल नि0 चाकुण्डा	चाकूण्डा	67--68	12,898--63		,,
326.	,, रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ कलाल कोटडी	अम्बीराया	67--68	8,398--84		,,
327.	,, रतनलाल पुत्र गौतमलाल कलाल	कचोरियां	67--68	2,926--56		,,
328	,, रामप्रसाद पुत्र तुलसीराम कलाल नि0 मन्दसौर	रापूरियां	67--68	2145--34		,,
329.	,, रामलाल पुत्र सुखराम कलाल नि0 चिरावता	सेवना	67--68	4701--30		,,

1	2	3	4	5	6	7
330-	श्री रोडीलाल पुत्र गोडीलाल कलाल नि० बगडावद	नकोर	67-68	1907-66	उच्च न्यायालय डीवी नं० 95/78	चित्तौड़गढ़
331-	,, रोडीलाल पुत्र गोडीलाल कलाल नि० खाराबरदा	चिकलाड़ा	67-68	1761-23	—,,—	,,
332-	,, रामचन्द्र पुत्र कालूराम टांक नि० अरनोद	अरनोद	67-68	25,785-80		,,
333-	,, रतनलाल पुत्र गौतमलाल कलाल नि० बगडावद	वेडपा	68-69	5,879-09		,,
334-	,, रामचन्द्र पुत्र रघुनाथलाल कलाल नि० अम्बीरामा	अम्बीरामा	68-69	9,786-75		,,
335-	,, रामलाल पुत्र सुखराम कलाल नि० चिराखाता	सेवना	68-69	4084-05		,,
336-	,, रामलाल पुत्र कालूराम टांक नि० गिलूण्ड	अरनोद	68-69	18,304-74		,,
337-	,, रतनलाल पुत्र गोतमलाल कलाल नि० बगंडावद	कचरियां	68-69	3120-87		,,

1	2	3	4	5	6	7
338-	श्री रामचन्द्र पुत्र मोतीलाल कलाल नि० निनोर	निनोर	70-71	5474-65		चित्तोड़गढ़
339-	,, रूपचन्द्र पुत्र रतनलाल कलाल नि० सावन (मध्यप्रदेश)	कोटड़ी	76-77	2382-01		
340-	,, रामनारायण पुत्र कालूराम जायसवाल नि० कोटड़ी	कोटड़ी	67-68	100-00		,,
341-	,, रतनलाल पुत्र सुन्दरलाल कलाल नि० कपासन	कपासन	69-70	15,736-26	स्थगन आदेश उच्च न्यायालय	,,
342-	,, रतनलाल पुत्र नारायण चौधरी नि. वोहेड़ा	आवरीमाता	67-68	12,707-40		,,
343-	,, ,, ,, ,,	आपवरा ग्रुप	69-70	18,089-47		,,
344-	,, ,, ,, ,,	कनोज ग्रुप	69-70	24,118-35		,,
345-	,, ,, ,, ,,	पारुलिया ग्रुप	69-70	14,170-02		,,
346-	,, राजेन्द्रप्रसाद पुत्र रतनलाल कलाल	आकोला	78-79	2,469-32		,,
	,, रूपनारायण पुत्र रामप्रताप	मदनगंज (अजमेर)	67-70	13,371-00	ब्याज	,,

1	2	3	4	5	6	7
	श्री रतनलाल पुत्र सुन्दरलाल कलाल कपासन हाथीपोल		67-70	56,773-96	एस. बी. नं० 3296/ 74 दिनांक 5-7-80	चित्तौडगढ़
347-	,, राजेन्द्रप्रसाद पिता रतनलाल कलाल	कनुकड़ा	78-89	728-28	डी.बी.ग्री. नं. 64/78 स्थगन	
348-	,, ,, ,,	बबराना	78-79	300-69		,,
349-	,, रामेश्वरलाल पुत्र भारमल	ताणा	,,	431-86		,,
350-	,, रखबचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल कलाल	वरवाड़ा	67-68	6112-76		,,
351-	,, रामलाल पुत्र मोहनलाल कलाल निवासी रेगर कोलोनी, उदयपुर	मंगलवाड	77-78	5999-20		,,
352-	,, लक्ष्मीलाल पुत्र भागचन्द्र कलाल नि० देलवाड़ा	मुणवास	68-69	240-512		उदयपुर
353-	,, ,, ,,	देलवाड़ा	,,	7035-23		,,
354-	,, लालचन्द्र पुत्र इन्द्रलाल सुवालका नि० गोज्या ।	बारापाल	79-80	312-80		,,
355-	,, लालूराम पुत्र खुमा टांक नि० तरपाल	तरपाल	67-68	792-49		,,
356-	,, लक्ष्मीलाल पुत्र रखाबा कलाल नि० डोडावली	डोडावली	67-68	1014-67		,,

1	2	3	4	5	6	7
357-	श्री लालू पुत्र रूपा कलाल नि० मानपुर	मानपुर	67-68	850-00		उदयपुर
358-ए-	,, लालचन्द्र पुत्र इन्द्रलाल सूवालका नि० गोज्या	बारापाल	78-79	6164-90		,,
358 बी-	,, ,,	टिडी	78-79	43621-20		,,
359–	श्री लालचन्द्र पुत्र इन्द्रालाल सुवालका निबासी गोज्या।	पड़ना	78-79	853.01		उदयपुर
360	श्रीमती लहरीबाई पत्नी सुमानजी कलाल निवासी वल्लभनगर	असनिया	78-79	4342.28		उदयपुर
361–	श्रीमती ,, ,,	बरनी		5063.01		—"—
362–	श्री लाल पुत्र भागीरथ फाजिया निवासी पहूना	रासमी	49-50	1246.35		चित्तौडगढ़
363–	,, ,,	पहूना	—"—	417.89		—"—
364–	,, ,,	जडानामुरोली	"—	156.27		—"—
365–	,, लालचन्द्र पुत्र दलीचन्द्र कलाल निवासी बसेड़ा	बसेड़ा	69-70	2644.95		—"—

1	2	3	4	5	6	7
366–	श्री लालू पुत्र भागीरथ	पहूना	49-50	1480.38		चित्तौड़गढ़
367–	श्रीमती लहरीबाई पत्नी खुमानजी कलाल निवासी बल्लभनगर	बल्लभनगर	77-78	1122.44		उदयपुर
368–	,, वरदीचन्द्र पुत्र माधुलाल निवासी चित्तौड़गढ़	घटियावली	70-71	5211.86		चित्तौड़गढ़
669–	,, ,, ,, ,,	पचुन्डल	70-71	307258		—,,—
370–	,, वरदीचन्द्र पुत्र लालजी कलाल निवासी अचनपुर	अनगोरा	67-68	5791.29		—,,—
371–	,, ,, ,, निवासी अनगोरा	अनगोरा	67-68	2638.18		—,,—
372–	,, विश्वनाथ पुत्र कुन्दनलाल सुवालका निवासी कपासन	कपासन तुरकिया	67-68	18,314.36	स्थगन उच्च न्यायालय डी. बी. नं० 65/78	चित्तौड़गढ़
373–	,, विनोद कुमार पुत्र सतपाल अरोड़ा निवासी कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर	सराय	72-73	17,230.73		उदयपुर
374–	,, वेणी राम पुत्र नन्दराम कलाल निवासी गोगुन्दा	गोगुन्दा	67-68	13,173.28		उदयपुर

195

1	2	3	4	5	6	7
375-	श्री विशनुलाल पुत्र छबीलाल कलाल निवासी सेमारी	आसपुर	67-68	5,930.24		उदयपुर
376-	,, वैद्यनाथ	गूडाविजड़ा	78-79	3,298.56		उदयपुर
377-	,, शान्तिलाल पुत्र वरदीचन्द्र कलाल निवासी भट्टा	भट्टा	79-80	10,805.55	स्थगन उच्च न्यायालय	उदयपुर
378-	,, ,, ,,	गाडरियावास	67-68	15,666.64	स्थगन उच्च न्यायालय डी. बी. नं. 69/78	उदयपुर
379-	,, शंकर लाल पुत्र शिवलाल कलाल	बारी	67-68	593.19		उदयपुर
380-	,, शिवलाल पुत्र रामा कलाल निवासी सिगाड़ा	भानपुरा	67-68	800.00		उदयपुर
381-	,, शंकरलाल पुत्र दोलजी कलाल निवासी सगतपुरा	सिहांड़	67-68	879.72		उदयपुर
382-	,, शंकर लाल पुत्र देवकिशन कलाल निवासी	सनवाड़ फतहनगर	77-78	452.99	समायोजन में ।	उदयपुर
383-	श्री शंकरलाल पुत्र भेरा कलाल निवासी	धासा	79-80	153.16		उदयपुर
384-	,, शंकरल लाल पुत्र भेरूलाल	पाणुन्द		.78		,,

1	2	3	4	5	6	7
385-	श्री शक्तिसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत निवासी बस्सी	नायूराम जी का खेड़ा	79-80	687.28		चित्तौड़गढ़
386-	,, शंकरलाल पुत्र कमलचन्द्र कलाल निवासी सेढवाना	सेढवाना	67-68	377.00	डी.बी. 90/78 स्थगन न्यायालय	,,
387-	,, शोभालाल पुत्र हजारी लाल जायसवाल निवासी ताणा	ताणा	67-68	206.10		,,
388-	,, शोभालाल पुत्र घासीराम जायसवाल निवासी डिन्डोली	डिन्डोली	67-68	200.40		,,
389-	,, शिवलाल पुत्र चतुरभुज कलाल निवासी भूपाल सागर	पारी	67-68	937.86		,,
390-	,, शंकरलाल पुत्र नानूराम कलाल	अचलपुर	67-68	4,793.12	उच्च न्यायालय स्थगन	,,
391-	,, ,, ,, निवासी अरनोद	अचलपुर	68-69	11,157.12	,,	,,
392-	,, ,, ,,	राजपुरिया	68-69	39,414.49	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
393-	श्री सोहनलाल पुत्र वरदीचन्द्र कलाल निवासी भट्टा	भट्टा	63-64	3,321.57	रकम जमा	चित्तौड़गढ़
394	,, सवराम पुत्र कमलचन्द्र खटीक निवासी धासा	धासा	79-80	153.16		उदयपुर
395	,, ,, ,,	पाणुन्द	79-80	·78		,,
396	,, सोहनलाल पुत्र देवीलाल कलाल, निवासी धोलीबावड़ी	देवाली	65-66	15,956.84		,,
397	,, सोहनलाल पुत्र सीताराम लोहार निवासी हिरनमगरी	जावरपाल	77-78	51,139.68	रेवेन्यू बोर्ड में अपील	,,
398-	,, सोहनसिंह पुत्र हजारीसिंह राजपूत निवासी सरदारगढ़	सरदारगढ़	64-65	13,715-60	स्थगन उच्च न्यायालय	,,
399	,, सुन्दरलाल पुत्र ऊंकारलाल कलाल निवासी सिगटवाड़ा	सिगटवाड़ा	67-68	13,903.56		
400	,, सूरजप्रसाद पुत्र हजारीलाल जायसवाल निवासी अकोला	आकोला, डाबर	67-68	9,796.08		चित्तौड़गढ़

1	2	3	4	5	6	7
401-	श्री सन्तराम पुत्र मोकमेल सिन्धी निवासी नारायणी	गागरोल	67-78	5,789.08		चित्तौड़गढ़
402-	श्रीमती सुगनबाई बेवा भेराजी कलाल निवासी मोहेड़ा	मोहेड़ा	67-68	7,598.68		"
403-	श्रीमती " "	मोहेड़ा	68-60	2,050.00		"
404-	श्री सुवालाल पुत्र छोगालाल जायसवाल निवासी कपासन	बबराना	77-78	1,632.50		"
405-	" सूरजप्रसाद	आकोला	78-79	2,469.32		"
406	" " "	कनुकड़ा	78-79	728.28		"
407-	" " "	बबराना	78-79	300.28		"
408-	" सुन्दरलाल पुत्र लक्ष्मीलाल कलाल	सूरजपोल	67-68	58,132,04	स्थगन उच्च न्यायालय डी.बी. 68/78	उदयपुर
409-	" सोहनलाल पुत्र डालचन्द्र निवासी उदयपुर	खैरादीवाड़ा	63-64	14,274.23	स्थगन	उदयपुर
410-	,, हमीरनाथ पुत्र धुलनाथ नि० पाली	डूंगला	78-79	28,652.08	एम. एम. कोर्ट चित्तौड़गढ़	चित्तौगढ़

200

1	2	3	4	5	6	7
411-	श्री हरलाल पुत्र चिम्मनलाल खटीक निवासी उदयपुर	जोगीवाड़ा	69-70	31,353.63		उदयपुर
412-	" हरलाल पुत्र चिम्मनलाल कलाल निवासी उदयपुर	जोगीवाड़ा	67-68	57,309.08	विभाग की ओर से डी.बी. में अपील	,,
413-	,, हेमराज पुत्र धुला कलाल नि० बोरड़	केडच	67-58	359.88		,,
414-	,, हीरा पुत्र रतनजी कलाल निवासी सेमारी	सेमारी	67-68	4,375.88		,,
415-	,, हनुमानसिंह पुत्र प्रतापसिंह निवासी रावतभाटा	बडोदिया भैंसरोडगढ़	67-68	9,703.40		चित्तौड़गढ़
416-	,, हीरालाल पुत्र महादेव कलाल निवासी कचुमरा	कचुमरा	62-63	5,516.00		,,
417-	,, ,, ,,	कचुमरा	67-68	2,406.44		,,
418-	,, हीरालाल पुत्र भजा चौधरी निवासी बान्सी	बान्सी	67-68	8,669.76		,,

1	2		3	4	5	6	7
419-	,, हीरालाल पुत्र भजा चौधरी	बांसी	68-69	6,248.75			चित्तौड़गढ़
420-	,, ,, ,,	बांसी•	69-70	1,382.01			,,
421-	,, हीरालाल पुत्र नाथूलाल निवासी निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	52-53	2,673.00			,,
422-	,, हीरालाल पुत्र लालजी कलाल निवासी पहुनी	पहुनी	67-68	3,510.56	स्थगन उच्च न्याया० डी.बी. नं. 98/78		,,
423-	,, हीरालाल पुत्र हेमराज कलाल	सागंथली	67-58	7,262.16	विभाग की ओर से डी.बी. में अपील 226/80		,,
424-	,, हीरालाल पुत्र लक्ष्मण कलाल निवासी खैरोट	खैरोट	67-68	8,963.88			,,
425-	,, श्रवणकुमार पुत्र रतनलाल जायसवाल निवासी रावतभाटा	रावतभाटा	67-68	47,582.87			,,

—o—

२०२

मानचित्र बकाया वसूली जो की राज्य से बाहर बाकीदार रहते है। उनकी सूची निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	नाम बाकीदार	शराब दुकान	वर्ष	बकाया राशि
1–	मोडीलाल पुत्र शवराम प्रजापत नि० फतहगढ़ जिला मन्दसोर (एम.पी.)	राजनगर चलचक्की ग्रुप	1977–78	89,522-03
2–	श्री श्रलणकुमार पुत्र रतनलाल जायसवाल निवासी रावतभाटा हाल मध्यप्रदेश	रावतभाटा	1967–68	47,582-87
3–	श्री नारायणप्रसाद पुत्र बिहारीलाल कलाल निवासी भादसोला हाल मध्यप्रदेश	भादसोड़ा	1964–65	10,970-00
4–	द्वारकाप्रसाद पुत्र श्री बिसनलाल जायसवाल नि० ग्रालोर जिला मन्दसोर मध्यप्रदेश	बरोडा, केसुन्दा मंगपुरा काफन्डा ग्राधारी, कालाकोट देवल	1967–68	27,566-34
5–	श्री ग्रम्बालाल पुत्र श्री छगनलाल साकिन मन्दसोर, मध्यप्रदेश	–	1962–63	16,463-74

—0—

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 522 की सूची

देशी मदिरा दुकानात का मानचित्र

क्र० सं०	नाम अनुज्ञाधारी मय पता	फर्म का नाम यदि कोई हो,	नाम दुकान	कब से इस स्थान पर है	दुकान जहां स्थित है।
1–	श्री युधिष्ठर पुत्र रामचन्द्र जाति टांक तथा अन्य	— —	क्रिश्चियन गंज	वर्ष 81-82 से	श्री पुष्कर नारायण जी का मकान, इटों के भट्टे के पास आनासागर रोड़, क्रिश्चियन गंज, अजमेर।
2–	"	—	गंज (उप दुकान मीरशाली)	"	श्री कुन्दनलाल सिन्धी का मकान गंज, अजमेर।
3–	"	—	कहार मोहल्ला	वर्ष 80-81 से	दरगाह कमेटी की दुकान स्टेशन रोड़, अजमेर।
4–	"	—	पुरानी मण्डी	"	बन्द पड़ी है।
5–	"	—	भैरूखेड़ा	पिछले कई वर्षों से	श्री पोखरलाल का मकान नगर नसीराबाद रोड़, अजमेर।
6–	"	— —	जादगर (उप दुकान गुलाबबाड़ी)	"	लालजी का मकान, जादगर श्रीनगर रोड के पीछे।
7–	"	—	रामगंज	"	रामगंज अजमेर ब्यावर रोड के पीछे।
8–	"	—	उसरी गेट	81-82 से	आशागंज की तरफ उसरी गेट के आगे, अजमेर।
9–	"	—	रामनगर	कई वर्षों से	राम नगर, अजमेर।
10–	"	—	नारेली	कई वर्षों से	श्री मोतीलाल टांक का मकान नारेली
11–	"	—	परवतपुरा	कई वर्षों से	परवतपुरा, नसीराबाद रोड़, अजमेर।

(204)

अजमेर शहर की विदेशी मदिरा दुकानात के अनुज्ञाधारी के नाम व पते
मय दुकान की लोकेशन की स्थिति का मानचित्र वर्ष 1981-82

क्र० सं०	नाम अनुज्ञाधारी मय पता	फर्म का नाम यदि कोई हो	स्थान जहां दुकान स्थित है	कब से इस स्थान पर स्थित है	
1	2	3	4	5	6
1-	मै. एम. आर. एण्ड सन्स, अजमेर (श्री राघव भार्गव)	मै. एम. आर. एण्ड सन्स अजमेर	स्टेशन रोड, अजमेर	पिछले कई वर्षों से	होलसेल
2-	मै. अजमेर फोरेन लिकर मर्चेन्ट (एसोसियेशन 20 भागीदार)	मै. अजमेर फोरेन लिकर मर्चेन्ट एसोसिएशन, अजमेर	कवण्डसपुरा अजमेर	करीब डेढ वर्ष से जब से अनुज्ञापत्र स्वीकृत हुआ	,,
रिटेल सेल दुकानात :—					
1-	मै. गं. शू० मिल्स, जयपुर	मं०ग० शुगर मिल्स, अजमेर	केसरगंज, अजमेर	दो वर्ष से	
2-	मै. अजमेर फोरेन लिकर मर्चेन्ट एसोसियेशन (20 भागीदार)	मै. अजमेर फोरेन् लिकर मर्चेन्ट एसोसियेशन, अजमेर नं० 2	नसीराबाद रोड़ अजमेर	6 माह	
3-	,,	,, ,,	श्री नगर रोड़, अजमेर	,,	
4-	श्री भगवानदास पुत्र मोतीलाल कवण्डसपुरा, अजमेर	मै. मिलन वाईन स्टोर अजमेर	कवण्डसपुरा अजमेर	पिछले कई वर्षों से	
5-	श्री रामचन्द्र पुत्र टिल्लूमल श्रीमती निर्मलादेवी, अजमेर	मै० करांची वाईन स्टोर अजमेर	केसरगंज, अजमेर	,,	
6-	श्री जयकिशन पुत्र लालचन्द, अजमेर	मै० न्यू वाइन स्टोर, अजमेर	पड़ाव, अजमेर	इस वर्ष से जब से अनुज्ञापत्र स्वीकृत हुआ	

1	2	3	4	5
7–	श्री कुलदीपसिंह पुत्र जगतसिंह अजमेर	नोवल्टी वाइन स्टोर अजमेर	पड़ाव, अजमेर	पिछले कई वर्षों से
8–	" महादेव पुत्र खुशालदास अजमेर	मैं० प्रकाश वाइन स्टोर, अजमेर	"	
9–	" हरबनसिंह व सुरजीतसिंह अजमेर	मैं० गुडलक वाइन स्टोर अजमेर	स्टेशन रोड अजमेर	"
10–	" किशनचन्द्र पुत्र चनामल अजमेर	मैं० राज वाइन स्टोर	" देहली गेट "	"
11–	" जगदीशप्रसाद व मानसिंह अजमेर	मैं० अजमेर वाइन स्टोर	" खाईलेण्ड मार्केट "	"
12–	" राघव भार्गव अजमेर	मैं० एम. आर. एण्ड सन्स	" स्टेशन रोड "	
13–	" ईश्वर व श्रीमती ईशा अजमेर	मैं. कमल वाइन स्टोर अजमेर	स्टेशन रोड अजमेर	पिछले कई वर्षों से
14–	" गुरुवचनसिंह व पुरुषोत्तमसिंह "	मैं. सलूजा वाइन स्टोर "	स्टेशन रोड "	"
15–	" ई. एन. कोन्ट्रेक्टर "	मैं. फ्राम वाइन स्टोर "	ब्यावर रोड "	"
16–	" तारनसिंह व जगप्रीतसिंह "	मैं. मोडर्न वाइन स्टोर "	कवण्डसपुरा "	"
17–	श्रीमती कान्तादेवी व बालूराम "	मैं. कान्तादेवी वसूराम "	पृथ्वीराज मार्ग "	पिछले 6 माह से

1	2	3	4	5
18–	श्री प्रेमचन्द व सत्यनारायण "	मै. श्रीमाल वाइन स्टोर "	कचहरी रोड "	पिछले कई वर्षों से
19–	" श्रमरजीतसिंह "	मै. श्रमर वाइन स्टोर "	कवण्डसपुरा "	"
20–	" भंवरलाल पुत्र मोघालाल टांक "	मै. शक्ति वाइन स्टोर "	खांईलैण्ड मार्केट "	"
21–	" एम. जी. श्रावतसिंह "	मै. मैट्रो वाइन स्टोर "	पड़ाव "	"
22–	" मोहनलाल व श्रीमती इन्द्राकुमारी"	मै, श्रम्बिका वाइन स्टोर	खाइलेण्ड "	"

—•—

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 533 की सूची

वर्ष 1980–81 में पंचायत समिति सराड़ा में निर्माण कार्यों पर
किये गये व्यय का विवरण :

—o—

ग्राम कार्य	निर्माण कार्यों की संख्या	व्यय राशि (रुपयों में)	कार्यों की पूर्ण	स्थिति अपूर्ण
माध्यमिक शाला भवन	5	1,27,128	4	1
प्राथमिक शाला भवन	18	1,63,028	11	7
दवाखाना भवन	6	52,754	4	2
पंचायत भवन	7	35,123	6	1
एनीकट	5	1,61,806	5	–
योग	41	5,39,839	30	11

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 535 की सूची

1.1.81 से 31.12.81 विकास अधिकारी पंचायत समिति सराड़ा जिला उदयपुर द्वारा किये गये व्यय का विवरण ।

क्रम संख्या	नाम माह	जीप पैट्रोल	जीप मरम्मत	टेलीफोन पर व्यय	मेडिकल भुगतान	यात्रा व्यय
1	जनवरी, 81	–	–	43.00	–	–
2	फरवरी, 81	–	–	147.15	–	–
3	मार्च, 81	385.00	–	–	158.18	–
4	अप्रेल, 81	200.10	2952.30	25.00	–	–
5.	मई, 81	–	–	–	26.64	–
6.	जून, 81	3236.11	–	69.50	54.06	840.21
7.	जुलाई, 81	393.97	–	63.00	61.14	–
8.	अगस्त, 81	–	–	31.00	324.39	–
9.	सितम्बर, 81	321.45	–	77.00	16.46	–
10.	अक्टूबर, 81	532.33	–	–	–	1367.45
11.	नवम्बर, 81	1496.65	–	–	71.85	–
12.	दिसम्बर, 81	2239.17	877.95	–	15.63	–
	योग	8804.76	3830.25	455.65	728.37	2207.66

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 542 की सूची

परिशिष्ट "क"

Details of Challans of Mini Buses from 1-4-81 to Feb. 1982

S. No.	Vehicle No.	Challan No. and date	Reasons for Challan	Fine
1	2	3	4	5
1.	RSN 6756	2929/8-4-81	Without Permit	Rs. 200/-
2.	RSB 9561	3233/27-5-81	" "	" 100/-
3.	RSM 2010	3538/28-8-81	Token, Over-load	" 191/-
4.	" "	2937/15-4-81	RPGT 5, 6, Over load, W. O. Permit	Pending
5.	RSB 8593	2943/13-4-81	Over-load	"
6.	RSN 6756	2947/15-4-81	"	"
7.	RSB 9561	3475/5-7-81	Without Permit	"
8.	" 3282	3476/ "	Over-load	"
9.	RSG 8289	2940/27-8-87	" Token, Fitness	"
10.	RSB 3282	3541/22-8-81	Over-load	"
11.	RRB 1757	3550/27-9-81	"	"
12.	RSB 4491	3551/ "	Without Permit	"
13.	RSM 2010	3711/5-6-81	Over-load	"
14.	RSB 9563	3776/9-5-91	"	Rs. 60/-
15.	RSB 8289	3779/5-6-81	"	Pending
16.	RSM 2010	3869/14-10-81	"	"
17.	RSB 3282	3942/21-10-81	" Without Permit	"

210

1	2	3	4	5
18.	RRB 8337	3952/8-10-81	Token, Without Permit	Pending
19.	RSB „	3960/6-10-81	Over Load	"
20.	" 9863	3961/21-10-81	Without Permit	"
21.	" 8289	3964/4-10-81	Over Load	"
22.	RRB 1754	3989/5-10-81	"	"
23.	RSM 2010	3995/12-10-81	"	"
24.	RRB 8593	4002/16-10-81	"	"
25.	„ 2222	4006/24-10-81	Token, Over-load	"
26.	„ 8647	4019/2-9-81	R. P. G. T.	"
27.	RSB 8289	4069/1-10-81	Over Load	"
28.	„ 9561	4070/1-10-81	"	"
29.	„ 8337	4071/2-10-81	"	"
30.	„ 3282	4072/ "	Without Permit over-load	"
31.	„ 9561	4073/29-9-81	Token, Over Load	"
32.	„ 3289	4075/ "	" R.G.P.T.	"
33.	„ 9863	4076/4-10-81	Over Load	"
34.	RRB 1757	4082/3-10-81	"	"
35.	„ 711	4147/28-12-81	Without Permit, Token	Rs 151/-
36.	„ 9561	4149/11-3-81	Without Permit, Token	Pending
37.	„ 8337	4150/ „	R. P. G. T. 6, W. P.	"
38.	RRB 2222	4152/24-3-81	W. P., Token	"
39.	RSB 3282	4155/26-10-81	W. P., Token, R. P. G. T.	"

1	2	3	4	3
40.	RSB 9561	4156/26-10-81	W. P, R.P.G T.	Pending
41.	,, 3289	4157/ ,,	,, ,,	,,
42.	,, 9563	4160/ ,,	,, ,,	,,
43.	,, ,,	4161/5-11-81	,, ,,	,,
44.	RRB 8593	4068/1-10-81	Over Load	,,
45.	RSB 8289	3965/12-10-81	,,	,,
46.	RRB 2222	3535/27-8-81	,,	,,
47.	RSB 8593	3477/5-7-81	,,	,,
48.	RRB 2222	3268/26-5-81	,,	,,
49.	RSB 8337	3542/22-8-81	,, Token	,,
50.	RSN 6756	3545/27-8-81	,,	,,
51.	RRB 2222	3790/27-5-81	,,	,,
52.	,, ,,	3591/17-9-81	,, Token	,,
53.	,, 711	3802/ ,,	W. P., Over-load, Token	Rs. 221/-
54.	,, ,,	3812/10-6-81	Over Load	,, 50/—
55.	,, ,,	3856/21-10-81	Over Load	,, 51/—
56.	,, 2222	3816/27-5-81	,,	Pending
57.	RSM 2010	4087/29-9-81	,,	,,
58.	,, ,,	3442/31-3-81	,,	Rs. 220/-

परिशिष्ट "ख"

Details of Challans of Tempos from 1-4-81 to Feb., 1982

S. No.	Vehicle No.	Challan No. & Date	Details of Challan	Fine
1	2	3	4	5
1.	RSM 566	2848/23-4-81	Without token	Rs. 51/—
2.	RRL 7005	2849/ ,,	,, Permit, Fitness Certificate	,, 251/-
3.	,, 5426	2852/ ,,	Without token	,, 51/-
4.	RSL 4605	2865/24-4-81	Over load, Token	Pending
5.	RRL 2665	2868/15-4-81	,,	,,
6.	RJI 1214	2930/14-4-81	,,	,,
7.	RSM 4381	2935/15-4-81	,,	,,
8.	,, 1451	2936/ ,,	,,	,,
9.	,, 3112	2938/20-4-81	Without permit	,,
10.	RRM 1345	2954/23-5-81	,, Fitness Token	Rs. 51/—
11.	RSM 208	2962/26-5-81	Without Token	,, ,,
12.	RJL 8159	2965/23-5-81	,, Fitness, Permit & Token	,, ,,
13.	RRL 4323	2977/12-5-81	Over Load	,, 50/—
14.	RRM 5299	3002/2-5-81	,,	,, 310/-
15.	,, 8271	3003/3-5-81	,,	,, 60/-
16.	RSM 1054	3004/ ,,	Without Fitness	,, 100/-
17.	,, 771	3005/ ,,	Over Load	Pending
18.	,, 4605	3006/ ,,	,, Fitness	Rs. 261/-
19.	RRL 7705	3007/ ,,	Without Fitness, Token & Permit	,, 251/—

1	2	3	4	5
20.	RRL 5631	3006/3-5-81	Over Load	Rs. 115/-
21.	„ 7371	3009/ „	Without permit, Fitness	Pending
22.	RSL 8721	3016/26-5-81	Over Load	RS. 341/-
23.	RJL 7932	3026/22-5-81	Without Token, Fitness & Permit	Pending
24.	RSL 6658	3031/26-5-81	Without Token	„
25.	„ 4440	3032/27-5-81	Over Load	Rs. 40/-
26.	„ 5535	3040/25-5-81	„	Pending
27.	„ 6002	3045/5-5-81	„	„
28.	„ 7107	3047/25-5-81	Without token, Fitness, Permit	„
29.	„ 3572	3049/27-5-81	Without Permit Fitness	„
30.	„ 8721	3051/26-5-81	Without Token	„
31.	RRL 9676	3057/ „	Over Load	Rs. 60/-
32.	„ 9703	3058/28-5-81	„	Pending
33.	„ 7728	3059/29-6-81	„ Without Fitness. „ Token	„
34.	„ 9703	3060/ „	Over Load	„
35.	„ 4974	3061/28-5-81	Without Permit	„
36.	„ 3309	3065/26-5-81	Over Load	Rs. 40/-
37.	„ 241	3068/20-5-81	„	„ 120/-
38.	„ 4964	3069/23-5-81	„	„ 20/-
39.	„ 3156	3070/27-5-81	Without Token, Permit	Pending

(214)

1	2	3	4	5
40.	RRL 2581	3071/27-5-81	Without permit, Fitness Token	Pending
41.	„ 7728	3072/20-5-81	Without Fitness, Token, over load	„
42.	„ 5703	3073/27-5-81	Over Load	„
43.	„ 9354	3075/26-5-81	Without fitness, Token, permit	Rs. 251/-
44.	RSM 1083	3088/27-5-81	Without token	Pendiug
45.	" 1084	3089/ "	" over load	"
46.	" 1981	3090/28-5-81	"	Rs. 90/-
47.	" "	3091/29-5-81	"	" 50/-
48.	" 2081	3095/20-5-81	"	Pending
49.	" 3457	3096/ "	"	Rs. 30/-
50.	" 2031	3097/23-5-81	" without permit, fitness	Pending
51.	" 790	3099/5-5-81	" token	"
52.	" 1084	3100 "	" "	"
53.	" 1826	3101/11-5-81	Over load, without Fitness, Permit Tax	"
54.	" 1313	3102/27-5-81	Without token, fitness	"
55.	" 6302	3103/24-5-81	Over Load	Rs. 30/-
56.	" 288	3105/27-5-81	"	Pending
57.	" 1451	3106 „	Without token	"
58.	" 109	3109/26-5-81	Over load	"
59.	RRM 6841	3128/28-5-81	Compounded by MVI on spot	"

1	2	3	4	5
60.	RSM 5982	3142/28-5-81	Over load, without token	Rs. 111/-
61.	RRM 2667	3143/29-5-81	Over load	" 60/-
62.	" 8307	3144/ "	Without token	Pending
63.	" 5998	3256/26-5-81	Over load	"
64.	RRB 1402	3281/19-5-81	"	"
65.	RJD 1866	3314/26-5-81	Without token	"
66.	RSM 3041	3343/8-6-81	Over load	"
67.	RRL 8329	3344/ "	Without token, Permit, fitness	Rs. 201/-
68.	" 5631	3345/ "	Over-load	" 95/-
69.	" 4329	3352/26-6-81	Without fitness, Permit, token, Over Load	Pending
70.	" 7879	3353/ "	Over Load	"
71.	RSM 7614	3354/ "	Without token,	"
72.	" 5109	3355/25-6-81	" fitnest, token, permit, over load	"
73.	" 1160	3356/26-6-81	Over Load	Rs. 50/-
74.	RRM 7082	3358/ "	"	" "
75.	RJI 1214	3364/29-6-81	Without fitness, Permit, token	" 251/-
76.	RRL 9146	3378/17-7-81	Over Load	" 30/-
77.	" 5807	3379/ "	"	Pending
78.	" 4323	3380/ "	Without Token	Rs. 51/-
79.	" 9676	3381/ "	Over Load	" 50/-
80.	" 7388	3382/ "	"	Pending

1	2	3	4	5
81.	RRL 8793	3383/17-7-81	Over Load	Pending
82.	" 9336	3384/ "	Without Token	Rs 51/-
83.	RSM 1097	3385/ "	" fitness, Permit, Over-load	Pending
84.	RSB 8788	3386/ "	Over load	Rs. 50/-
85.	RJL 4038	3392/6-7-81	Without Token	Pending
86.	R.L 2851	3393/ "	Over Load	Rs. 50/-
87.	RRL 3415	3394/5-7-81	"	Pending
88.	" 9336	3395/ "	"	Rs. 60/-
89.	" 948	3396/ "	"	Pending
90.	" 9428	3397/ "	"	"
91.	" 2665	3398/6-7-81	"	"
92.	" 7400	3899/ "	" Without Permit	Rs. 175/-
93.	" 241	3400/7-7-81	Over Load	" 210/-
94.	RSM 1542	3401/27-6-81	"	Pending
95	" 1494	3402/6-7-81	"	Rs. 135/-
96.	RRB 7876	3403/15-7-81	" Without Permit	" 311/-
97.	RSM 1063	3404/5-7-81	" Fitness & Token	" 251/-
98.	" 1981	3406/6-7-81	Over load	" 140/-
99.	" 1067	3407/ "	"	Pending
100.	" 7107	3408/ "	"	Rs. 50/-
101.	" 958	3409/ "	"	Pending
102.	RRM 8271	3410/ "	" Without Permit	Rs. 115/-

1	2	3	4	5
103.	RRB 5998	3427/6-7-81	Over-load	Pending
104.	„ 1402	3428/ „	„	„
105.	„ 6235	3429/7-7-81	„	Rs. 70/-
106.	RJV 1048	3430/9-7-81	Without token	Pending
107.	RJI 1214	3433/29-6-81	„	„
108.	RJV 1345	3437/5-7-81	Over load	„
109.	RSB 7673	3458/5-7-81	„	Rs. 140/-
110.	RRB 5526	3467/ „	„	„ 40/-
111.	„ 6235	3470/ „	„	„ „
112.	RSG 1676	3485/ „	„	Pending
113.	RRM 3112	3487/ „	Without Permit, fitness	Rs. 200/-
114.	„ 9129	3488/ „	Over Load	„ 30/-
115.	„ 6841	3489/ „	„	Pending
116.	RSM 1066	3493/24-7-81	„	Rs. 40/-
117.	„ 458	3494/5-7-81	„	Pending
118.	RRL 6900	3499/27-6-81	Without fitness, Over-load	Rs. 175/-
119.	„ 2473	3500/5-7-81	Over-load	Pending
120.	RSL 6658	3501/30-6-81	„	Rs. 40/-
121.	„ 8895	3502/5-7-81	„	„ „
122.	„ 664	3503/ „	„	„ 30/-
123.	„ 3356	3505/ „	„	„ 40/-
124.	RRM 9217	3512/27-7-81	Without token	„ 51/-
125.	RRL 7400	3513/15-7-81	Over-load	„ 40/-
126.	RSL 7107	3515/ "	„	Pending
127.	RSM 4605	3526/27-8-81	„	Rs. 261/-

1	2	3	4	5
128.	RJA 2474	3553/29-8-91	Without Permit, Fitness, Token	Pending
129.	RSM 5109	3559/3-8-81	Over-load, without permit	"
130.	RRL 3329	3574/5-9-81	Over-load	Rs. 261/-
131.	" 5781	3586/3-9-81	" without fitness & Token	Pending
132.	" 9171	3587/7-9-81	Over-load	"
133.	" 8329	3588/5-9-81	Without fitness, permit, over-load	"
134.	" 5631	3589/3-9-81	Over-load	"
135.	RSM 208	3590/11-9-81	" Without fitness, permit, token	"
136.	" 4605	3593/4-9-81	" "	"
137.	" 5109	3594/3-9-81	Over-load	"
138.	RSG 8265	3597/10-9-81	"	"
139.	RRB 7876	3602/..-9-81	Without token, fitness, permit	"
140.	RRL 7388	3619/17-9-81	Without token	Rs. 51/-
141.	RSL 5012	3622/19-9-81	" permit, over load	" 467/-
142.	RJL 8159	3628/1-9-81	Without token	Pending
143.	RRL 8874	3631/5-7-81	Over Load	Rs. 20/-
144.	" 2764	3632/ "	"	" 30/-
145.	" 3996	3633/ "	"	" 70/-
146.	" 9156	3634/ "	"	" 40/-
147.	" 7719	3635/ "	"	Pending

1	2	3	4	3
148.	RRL 4323	3636/5-7-81	Over load	Rs. 80/-
149.	" 9429	3637/ "	"	Pending
150.	" 9336	3638/ "	"	Rs. 80/-
151.	" 3149	3640/9-9-81	"	Pending
152.	" 7400	3655/28-9-81	Without token	Rs. 51/-
153.	RJL 8159	3662/23-5-81	"	Pending
154.	" 7388	3663/11-6-81	Over Load	"
155.	" "	3665/6-6-81	"	"
156.	RSL 8356	3668/31-5-81	Without permit	Rs. 100/-
157.	" 8011	3669/8-6-81	" Token	" 51/-
158.	" 6070	3673/25-9-81	" permit, fitness, over-load	Pending
159.	" 7107	3674/5-6-81	Over Load, without token	"
160.	RRL 7400	3678/28-9-81	Without token	Rs. 51/-
161.	" 9013	3680/29-5-81	Over Load	" 40/-
162,	" 9802	3681/30-5-81	Without token	Pending
163.	" 9171	3682/31-5-81	Over-load,	"
164.	RSL 4440	3686/14-6-81	"	"
165.	RRL 8329	3687/12-6-81	" Without token	"
166.	" 9388	3688/10-6-81	Over-load	Rs. 40/-
167.	" 9156	3689/9-6-81	"	" 30/-
168.	" 9676	3690/31-5-81	"	Pending
169.	" 9985	3691/23-5-81	"	Rs, 40/-
170.	" 9671	3692/25-9-81	"	" "
171.	" 7388	3693/17-9-81	Without token	Pending

220

1	2	3	4	5
172.	RRL 5781	3694/17-9-81	Over-load	Pending
173.	„ 9671	3695/8-6-81	„	Rs. 50/-
174.	„ 2581	3696/5-6-81	„	Pending
175.	„ 7005	3702/12-6-81	„	Rs. 40/-
176.	RSM 9296	3704/23-5-81	„	Pending
177.	„ 4381	3707/4-6-81	Without token	„
178.	„ 6700	3709/27-6-81	Over load	Rs. 40/-
179.	„ 2983	3710/30-5- 1	„ token	„ 131/-
180.	„ 3041	3714/28-5-81	Without permit, Token	Pending
181.	„ 1935	3718/12-6-81	Over Load	„
182.	„ 6700	3720/8-6-81	„	Rs. 20/-
183.	„ 6302	3727/23-5-81	Without permit, plying as loading	„ 466/-
184.	„ 962	3729/10-6-81	Over-load	„ 50/-
185.	RSG 827	3739/23-5-81	„ & without token	„ 121/-
186.	RRM 9328	3759/17-9-81	„ fitness	„ 100/-
187.	„ 5299	3761/13-5-81	Over-load	„ 110/-
188.	„ „	3764/26-5-81	„	„ 30/-
189.	„ 9129	3765/28-5-81	„	„ 20/-
190.	„ 9345	3766/12-6-81	„	Pending
191.	„ 9129	3769/24-5-81	„	Rs. 40/-
192.	RRB 5791	3814/27-5-81	Without permit, Token, fitness	Pending
193.	„ 5526	3821/31-5-81	Over-load	Rs. 50/-
194.	„ 3667	3825/23-5-81	„	„ 40/-

221

1	2	3	4	5
195.	RJF 4467	3834/28-9-81	Without token, permit & fitness	Pending
196.	RSR 7673	3835/ ,,	Without token, fitness	Rs. 151/-
197.	RJV 967	3837/29-5-81	Over-load	Pending
198.	RJG 573	3838/23-5-81	Without token	,,
199.	RJX 548	3840/29-5-81	,, permit, over-load	Rs. 363/-
200.	RJI 1214	3842/10-6-81	Over-load	Pending
201.	,, ,,	3843/29-5-81	Without token, fitness	,,
202.	RJV 1345	3844/12-6-81	Over-load	,,
203.	RJX 548	3859/26-10-81	Without fitness, Token	Rs. 151/-
204.	RJL 7431	3870/5-10-81	Over-load	,, 40/-
205.	RSL 2839	3871/6-10-81	Without token	Pending
206.	,, 5781	3872/5-10-81	Over-load	,,
207.	,, 3027	3873/24-9-81	,,	Rs. 50/-
208.	,, 8275	3874/26-10-81	,,	Pending
209.	,, 3027	3875/13-10-81	Without token	Rs. 51/-
210.	,, 6008	3877/5-10-81	Over-load	Pending
211.	RRL 7691	3878/24-9-81	Without token, permit	Pending
212.	,, 5715	3879/25-10-81	Over-load	Rs. 100/-
213.	,, 9354	3880/2-11-81	,,	,, 225/-
214.	,, 8111	3881/5-10-81	Without permit	Pending
215.	,, 9428	3882/12-10-81	Over-load	,,

222

1	2	3	4	5
216.	RRL 6098	3883/7-10-81	Over-load	Rs. 120/-
217.	„ 9428	3884/ „	„	Pending
218.	„ 9731	3887/10-10-81	„	„
219.	„ 9428	3888/4-10-81	„	„
220.	„ 8329	3889/5-10-81	„	„
221.	„ 7728	3891/26-9-81	Without token, permit & fitness	„
222.	RSM 124	3892/12-10-81	Over-load	Rs. 95/-
223.	„ 790	3894/13-10-81	„	Pending
224.	„ 3457	3895/1-10-81	„	Rs. 180/-
225.	„ 2041	3896/5-10-81	„	Pending
226.	„ 4605	3897/ „	„	„
227.	„ 1125	3898/15-10-81	„	„
228.	„ 1425	3899/ „	„	Rs. 50/-
229.	„ 1097	3900/1-11-81	„	Pending
230.	„ 124	3901/15-10-81	„	Rs. 110/-
231.	„ 1051	3902/5-10-81	„	Pending
232.	„ 1425	3903/ „	„	Rs. 100/-
233.	„ 8271	3906/.-10-81	„	„ 100/-
234.	RJF 4467	3924/26-9-81	„ without permit, fitness	Pending
235	RJS 4963	3931/7-11-81	Without token	Rs. 51/-
236.	RRL 4352	3940/31-10-81	„ permit & fitness	Pending
237.	„ „	3993/22-10-81	Over-load	„
238.	„ „	4013/19-11-81	Without token, Fitness & permit	Rs. 251/-
239.	„ 9671	4025/22-10-81	Over-load	„ 30/-

1	2	3	4	5
240.	RRL 6900	4026/5-11-81	Over-load	Pending
241.	„ 2163	4027/ "	"	"
242.	„ 2724	4028/ "	"	"
243.	„ 5781	4029/ "	"	"
244.	RSM 1084	4036/13-12-81	Without token, fitness,	Rs. 151/-
245.	RRL 9802	4037/ "	Over-load, without fitness, token	" 371/-
246.	„ 6900	4039/9-12-81	Without fitness	Pending
247.	„ 241	4040/30-11-81	Over-load, without fitness	"
248.	RJL 7388	4043/11-12-81	Over-load. without fitness	"
249.	RSM 1083	4046/ „	Over-load,	"
250.	RRB 1402	4056/11-11-81	„ Fitness	"
251.	RRL 2163	4063/7-10-81	Over-load	"
252.	RSL 1438	4106/17-12-81	"	"
253.	„ „	4168/24-12-81	„ without token	"
254.	RRL 9428	4112/28-12-81	„	"
255.	RRB 5526	4115/12-1-81	„	"
256.	RRL 8329	4118/26-11-81	„	"
257.	RSM 1332	4119/23-12-81	„ Without fitness	"
258.	RRB 8088	4164/10-2-82	Over-load	"
259.	RSG 8265	4166/25-2-82	Without token	Rs. 51/-
260.	RSM 2328	4168/ „	„	„ „
261.	RRL 6112	4170/26-2-82	„	„ „
262.	„ 3156	4173/27-2-82	„	„ „
263.	„ 4974	4174/ „	„	„ „

224

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 543 की सूची

परिशिष्ट "क"

क्रमांक	परमिटधारी का नाम	परमिट जारी करने की तिथी	वाहन संख्या	वाहन की बैठक क्षमता	विशेष
1.	श्री भवंरलाल पुत्र श्री मोती लाल टांक भीलवाड़ा	16.4.69	आर.जे.आर. 6605 सरेण्डर	51	इन आल
2.	श्री द्वारका प्रसाद पुत्र श्री परसराम भीलवाड़ा	24.11.70	आर.जे.ई. 1208	51	"
3.	श्री भूरालाल पुत्र श्री देवी लाल भीलवाड़ा	10.12.70	आर.जे.ई. 1107	50	"
4.	श्री रामस्वरूप लक्ष्मी नारायण हस्तांतरित श्री राधेश्याम अग्रवाल भीलवाड़ा	5.2.71	आर.एस.आर. 1057 सरेण्डर	52	"
5.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री परस राम अग्रवाल भीलवाड़ा	29.5.78	आर.जे.ई. 1098 सरेण्डर	54	"
6.	श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल भीलवाड़ा	9.6.78	आर.जे.ई- 4971 सरेण्डर	54	"

1	2	3	4	5	6
7.	श्री भवंरलाल पुत्र श्री मन्नालाल माली गंगापुर	19.6.78	आर.जे.ई. 5059	52	इन आल
8.	श्री फतेहलाल पुत्र ,, कैसर लाल भीलवाड़ा	19.6.78	आर.जे.ई. 3059	55	,,
9.	श्री सतीशचन्द्र	9/10.2.82	आर.जे.आर: 7129	51 अस्थाई	,, परमिट
10.	श्री घीसू लाल कवंरलाल	9/10.2.82	आर.जे.ई. 7615	52 अस्थाई	,, परमिट

———

परिशिष्ट "ख"

पुर सांगानेर व सांगानेर से पुर सिटी बस किराया सूची पूर्व में जारी की गई सूची को संशोधित करते हुए।

कहां से	कहां को	किराया
पुर	बजरंगपुरा	0.15 पैसे
,,	नाडी	0.25 ,,
,,	मेगजीन	0.25 ,,
,,	फैक्ट्री	0.35 ,,
,,	बीलिया	0.45 ,,
,,	हाउसिंग बोर्ड	0.45 ,,
,,	कालोनी	0.45 ,,
,,	आई. टी. आई.	0.55 ,,
,,	हायर सैकेण्डरी	0.55 ,,
,,	गंगापुर चोराहा	0.65 ,,
,,	मुरली विलास	0.65 ,,
,,	सरकारी दरवाजा	0.6[illegible] ,,
,,	महाराज टाकीज	0.75 ,,
,,	हस्पिटल	0.75 ,,
,,	रोडवेज बस स्टेण्ड	0.75 ,,
,,	सांगानेरी गेट	0.85 ,,
,,	चुंगी नाका	0.85 ,,
,,	मोती वावजी	0.85 ,,
,,	सांगानेर	0.95 ,,
सांगानेर	मोती वावजी	0.25 ,,
,,	चुंगी नाका	0.25 ,,
,,	सांगानेर दरवाजा	0.25 ,,
,,	रोडवेज बस स्टेण्ड	0.35 ,,

कहां से	कहां को	किराया
सांगानेर	हास्पिटल	0.35 ,,
,,	महाराजा टाकीज	0.35 ,,
,,	मुरली विलास	0.45 ,,
,,	गंगापुर चौराहा	0.45 ,,
,,	हायर सैकण्डरी	0.55 ,,
,,	आई. टी. आई.	0.55 ,,
,,	कालोनी	0.55 ,,
,,	हाउसिंग बोर्ड	0.55 "
"	बीलीया	0.65 "
"	फैक्ट्री	0.75 "
"	लक्ष्मीपुरा	0.75 "
"	मेगजीन	0.75 "
"	नाडी	0.85 "
"	बजरंग पुरा	0.95 "

——

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 546 की सूची

दिनांक 1.1.1981 से 31.12.1981 तक व्यय की सूचना

पंचायत समिति, रेलमगरा

क्र. सं. मास	पेट्रोल	चिकित्सा पुनर्भरण	यात्रा-भत्ता
1. जनवरी, 81	597.40	—	437.00
2. फरवरी, 81	1,067.33	—	424·50
3. मार्च, 81	813.36	—	402.85
4. अप्रेल, 81	629.15	70.77	409.30
5. मई, 81	2,842.07	15.98	500.05
6. जून, 81	1,700.13	—	344.45
7. जुलाई, 81	1,481.97	13.02	307.60
8. अगस्त, 81	1,465.00	—	295.40
9. सितम्बर, 81	1,569.17	—	428.50
10. अक्टूबर, 81	885.71	—	253.75
11. नवम्बर, 81	536.65	—	315.00
12. दिसम्बर, 81	63.00	90.85	278.76
योग	13,651.14	190.62	4,397.16

—